आज़ादी का अमृत महोत्सव
1947-2022

सामाजिक विज्ञान
पाठ्यपुस्तक

वेद-विभूषण - II वर्ष / उत्तरमध्यमा - II वर्ष / कक्षा 12वीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)

विश्वम्पुष्टङ्ग्रामेऽअस्मिन्ननातुरम् ॥
उपह्वरेगिरीणा७सङ्गमेचनदीनाम् ॥ धियाविप्रोऽअजायत॥
वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे।
अनारम्भणे तदवीरायेथा मनास्थाने अग्रभणे समुद्रे।
प्रणऽआयू७षितारिषत् ।
दक्ष ते भद्रमाभार्ष परा यक्ष्म सुवामि ते।
त्रायन्तामिह देवास्त्रयतां मरुता गण:॥
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव:।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्भव:॥

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)
(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)
Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

सामाजिक विज्ञान

पाठ्यपुस्तक

वेद-विभूषण - II वर्ष / उत्तरमध्यमा - II वर्ष / कक्षा 12वीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

लेखकगण :- 1. डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी
राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)
2. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा
श्री वीर हनुमान ऋषिकुल वेद विद्यालय, ग्रा. नांगल भरडा, चौमू,
जयपुर (राजस्थान)
3. श्री विजेन्द्र सिंह हाड़ा
श्री कर्णेश्वर वेद विद्यालय, कनवास, कोटा (राजस्थान)
4. श्री विक्रम कुमार बासनीवाल
श्री मुनिकुल ब्रह्मचर्याश्रम वेद संस्थानम्, बरुन्दनी (राजस्थान)

आवरण एवं सज्जा :- श्री शैलेन्द्र डोडिया
चित्राङ्कन :- .....
तकनीकी सहयोग, टङ्कण
एवं संशोधन :- 1. श्रीमती किरण परमार
2. श्री अनिल चौहान
3. श्री नरेन्द्र सोलंकी
अक्षरविन्यास :- .....
पुस्तक परामर्श :- .....
© महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, उज्जयिनी
ISBN :- .....
मूल्य :- .....
संस्करण :- .....
प्रकाशित प्रति :- .....
पेपर उपयोगः :- आर.सी.टी.बी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित
प्रकाशक :- महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षामन्त्रालय भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
email : msrvvpujn@gmail.com,
Web : msrvvp.ac.in
दूरभाषा (0734) 2502255, 2502254

प्रस्तावना

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में)

शिक्षा मन्त्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार ने माननीय शिक्षा मन्त्री जी (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मन्त्री) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना दिल्ली में 20 जनवरी, 1987 को सोसायटी पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की थी। भारत सरकार ने वेदों की श्रुति परम्परा का संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना का संकल्प संख्या 6-3/85-SKT-IV दिनाङ्क 30-3-1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया था। वेदों के अध्ययन की श्रुति परम्परा (वेद संहिता, पद पाठ से घनपाठ तक, वेदाङ्ग, वेद भाष्य आदि), वेदों का पाठ संरक्षण, वैदिक स्वर तथा वैज्ञानिक आधार पर वेदों की व्याख्या का दायित्व वेद विद्या प्रतिष्ठान को दिया गया था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के कार्यालय को उज्जैन में स्थानान्तरित करने के पश्चात् संगठन का नाम महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया। वर्तमान में यह संगठन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि- परिसर, महाकाल नगरी, उज्जैन में स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के संशोधित नीति-1992 और कार्यप्रणाली (प्रोग्राम ऑफ एक्शन)-1992 में भी वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान को उत्तरदायित्व दिया गया था। भारत के प्राचीन ज्ञान कोष, मौखिक परम्परा और इस तरह की शिक्षा के लिए पारम्परिक गुरुओं को संयोजित करने के उद्देश्य को 1992 के कार्यप्रणाली (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) में उल्लेखित किया गया था।

राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वेद और संस्कृत शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना के पक्ष में राष्ट्रीय सहमति, जनादेश, नीति, विशिष्ट उद्देश्य और कार्यान्वयन रणनीतियों के अनुरूप, भारत सरकार के माननीय शिक्षा मन्त्रीजी की अध्यक्षता में महासभा और शासी परिषद् के समावेश में ''महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड'' की स्थापना 2019 में हुई है। MSRVVP का वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी वैदिक शिक्षा का एक भाग है और MSRVVP के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है जैसा कि MoA और नियमों में संकल्पना की गई है। महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड को शिक्षा मन्त्रालय,भारत सरकार तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा वर्ष 2015 में श्री एन. गोपालस्वामी (पूर्व चुनाव आयुक्त) की अध्यक्षता में गठित समिति ''संस्कृत के विकास के लिए विजन और रोडमैप - दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना'' की रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर तक वेद संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम मानकीकरण, संबद्धता, परीक्षा मान्यता, प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रस्तर पर वेद संस्कृत परीक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। समिति की अनुशंसा थी कि प्राथमिक स्तर का वैदिक एवं संस्कृत अध्ययन अभिप्रेरक, सम्प्रेरक एवं आनन्ददायी होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के विषयों को वैदिक और संस्कृत पाठशालाओं में सन्तुलित रूप से सम्मिलित करना भी आवश्यक है। इन पाठशालाओं की पाठ्यक्रम सामग्री को समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप और प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हुए आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रारूपित किया जाना चाहिए।

वेद पाठशालाओं के सम्बन्ध में समिति ने यह संस्तुति की है कि संस्कृत और आधुनिक विषयों की श्रेणीबद्ध सामग्री के परिचय के साथ-साथ वेद पाठ कौशल संवर्धन और वेद उच्चारण में मानकीकरण की आवश्यकता है ताकि वेद छात्र अन्ततः वेद भाष्य के अध्ययन तक पहुंच सकें और छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यधारा में लाया जा सके। उचित स्तर पर वेदों के विकृति पाठ के अध्ययन पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समिति के सदस्यों ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि वैदिक सस्वर पाठ पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला है, इसलिए वैदिक सस्वर पाठ की शैलियों और शिक्षण पद्धति की क्षेत्रीय विविधताओं में हस्तक्षेप किए बिना स्थिति में सुधार के लिए उचित कदम उठाया जाना है।

यह भी अनुभव किया गया कि वेद और संस्कृत अविभाज्य हैं और एक दूसरे के पूरक हैं और देश भर में सभी वेद पाठशालाओं और संस्कृत पाठशालाओं के लिए परीक्षा मान्यता और सम्बद्धता की समस्याएँ समान है, इसलिए दोनों के लिए एक साथ वेद संस्कृत हेतु एक बोर्ड का गठन किया जा सकता है। समिति ने यह पाया कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को कानूनी रूप से वैध मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो शिक्षा की आधुनिक बोर्ड प्रणाली के साथ समानता रखे। समिति ने पाया कि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन को ''महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत विद्या परिषद्'' के नाम से

परीक्षा बोर्ड का दर्जा दिया जाये, जिसका मुख्यालय उज्जैन में रहे। परीक्षा बोर्ड होने के अतिरिक्त अब तक जो सभी वेद कार्यक्रम और वेद पर गतिविधियाँ हैं, वे सभी प्रतिष्ठान में जारी रहेंगे।

वैदिक शिक्षा का प्रचार भारत की गौरवशाली ज्ञान परम्परा का एक व्यापक अध्ययन है और इसमें वैदिक अध्ययन (वेद संहिता, पद पाठ से घनपाठ तक, स्वर का सम्यक् प्रयोग ज्ञान आदि), सस्वर पाठ कौशल, मन्त्र उच्चारण और संस्कृत ज्ञान प्रणाली सामग्री की बहुस्तरीय श्रुति परम्परा सम्मिलित है। प्रतिष्ठान में NEP 2020 अनुरूप 3 + 4 (सात साल तक) के वेद अध्ययन की योजना में पारम्परिक छात्रों को मुख्य धारा में लाने की नीति के परिप्रेक्ष्य में अन्य विभिन्न आधुनिक विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि आदि पाठ्यक्रम के अनुसार तथा वैदिक शिक्षा पर केन्द्रित नीति निर्धारक निकायों में राष्ट्रीय सहमति, समय की उपलब्धता के आधार पर सभी अध्ययन संयोजित हैं। अध्ययन की यह योजना NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रम सामग्री में आधुनिक ज्ञान के साथ एवं भारतीय ग्रंथों से तैयार वैदिक ज्ञान के उपयुक्त सामग्री के साथ है।

प्रतिष्ठान बोर्ड की वेद पाठशालाओं, गुरु शिष्य ईकाइयों और गुरुकुलों में, पाठ्यक्रम मुख्य रूप से सम्पूर्ण सस्वर कण्ठस्थीकरण के साथ संपूर्ण वेद शाखा का अध्ययन होता है तथा संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि और SUPW जैसे अतिरिक्त सहायक विषयों के साथ वेद अध्ययन होता है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि वेदों की 1131 शाखाएँ सस्वर पाठ के साथ थे, अर्थात् 21 ऋग्वेद में, 101 यजुर्वेद में, 1000 सामवेद में और 9 अथर्ववेद में। समय के साथ इन शाखाओं की एक बड़ी संख्या विलुप्त हो गई और वर्तमान में केवल 10 शाखाएँ, अर्थात् ऋग्वेद में एक, यजुर्वेद में 4, सामवेद में 3 और अथर्ववेद में 2 सस्वर पाठ के रूप में विद्यमान हैं, जिन पर भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित है, इन 10 शाखाओं के संबंध में भी बहुत कम प्रतिनिधि वेदपाठी पंडित है जो श्रुति परम्परा/पाठ/वेद ज्ञान परम्परा को उसके प्राचीन और पूर्ण रूप में संरक्षित किये हुए हैं। जब तक श्रुति परम्परा के अनुसार वैदिक शिक्षा पर मूलरूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक यह व्यवस्था सुदृढ नहीं हो पायेगी। वैदिक श्रुति परम्परा की श्रुति अध्ययनों के पहलुओं को सामान्य/अध्ययन में स्कूल में न तो पढ़ाया जाता है

और न ही किसी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, और न ही स्कूलों/बोर्डों के पास उन्हें आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने और सञ्चालित करने की विशेषज्ञता है।

वैदिक छात्र जो श्रुति परम्परा / वेद का पाठ सीखते हैं, वे दूर-दराज के गाँवों, सीमावर्ती गाँवों आदि में वेद गुरुकुलों में, वेद पाठशालाओं में, वैदिक आश्रमों में हैं, और वेद अध्ययन के लिए उनका समर्पण लगभग 1900 - 2100 घण्टे प्रतिवर्ष है। जो अन्य स्कूल बोर्ड की सीखने की प्रणाली के समय से दोगुना है और वैदिक छात्रों को ''गुरु-मुख-उच्चारण अनुच्चारण'' - वेद गुरु के सामने बैठकर शब्दशः उच्चारण सीखना होता है, संपूर्ण वेद, शब्दशः उच्चारण (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि) के साथ कण्ठस्थ करना होता है और स्मृति के बल पर बिना किसी पुस्तक/पोथी को देखे।

ज्ञात हो कि इस प्रकार के वैदिक अध्ययन, वेद मन्त्रपाठ की रीति, गुरु शिष्य की अखण्ड मौखिक परम्परा से प्रचलित क्रम के कारण वेदों के मौखिक प्रसारण को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रूप में यूनेस्को-विश्व मौखिक विरासत सूची में मान्यता प्राप्त हुई है। इसलिए, सदियों पुरानी वैदिक शिक्षा (श्रुति परम्परा/सस्वर पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) की प्राचीनता और सम्पूर्ण अखण्डता को बनाए रखने के लिए सुयोग्य कार्यनीति की आवश्यकता है। इसलिए, प्रतिष्ठान और इस बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा निर्धारित कौशल और व्यावसायिक विषयों के साथ-साथ आधुनिक विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि आदि के साथ विशिष्ट प्रकार के वेद पाठ्यक्रम को अपनाया है।

कोई भी व्यक्ति तब सुखी होकर जी सकता है जब वह परा-विद्या और अपरा-विद्या दोनों का अध्ययन करता है। वेदों में से भौतिक ज्ञान, उनकी सहायक शाखाएँ और भौतिक रुचि के विषय अपरा-विद्या कहलाते थे। सर्वोच्च वास्तविकता का ज्ञान, उपनिषदों की अंतिम खोज, परा-विद्या कहलाती है। वेद और उसके सहायक के रूप में अध्ययन किए जाने वाले विषयों की कुल संख्या 14 है। विद्या की 14 शाखाएँ ये हैं - चार वेद, छह वेदांग, मीमांसा (पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा), न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और अर्थशास्त्र सहित चौदह विद्याएं अठारह हो जाते हैं। सदियों से भारत उपमहाद्वीप में सभी शिक्षा संस्कृत भाषा में ही थी, क्योंकि इस उपमहाद्वीप में लम्बे समय तक संस्कृत बोली जाने वाली भाषा रही। इसलिए वेद भी सुलभता से समझे जाते थे।

तक्षशिला के विद्यालयों के सम्बन्ध में अठारह शिल्प-या औद्योगिक और तकनीकी कला और शिल्प का उल्लेख किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद् तथा नीति ग्रन्थों में भी इन का विवरण है। निम्नलिखित 18 कौशल/व्यावसायिक विषय अध्ययन के विषय बताए गए हैं- (1) गायन सङ्गीत (2) वाद्य सङ्गीत (3) नृत्य (4) चित्रकला (5) गणित (6) लेखाशास्त्र (7) इञ्जीनियरिङ्ग (8) मूर्तिकला (9) प्रजनन (10) वाणिज्य (11) चिकित्सा (12) कृषि (13) परिवहन और कानून (14) प्रशासनिक प्रशिक्षण (15) तीरंदाजी, किला निर्माण और सैन्य कला (16) नये वस्तु या उपज का निर्माण । उपर्युक्त कला और शिल्प में तकनीकी शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में एक प्रशिक्षु प्रणाली विकसित की गई थी। विद्या और अविद्या मनुष्य को इस प्रपञ्च में सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करने के लिए समर्थ और परलोक में मुक्ति योग्य सिद्ध करती है ।

दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में सर्व प्रथम भारतीय सभ्यता में शास्त्रों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सीखने की एक विशाल एवं सुदृढ परम्परा रही है। भारत प्राचीन काल से ही ऋषियों, ज्ञानियों और संतों की भूमि के साथ-साथ विद्वानों और वैज्ञानिकों की भूमि भी रही है। शोध से पता चला है कि भारत सीखने सिखाने (विद्या-आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या- भौतिक ज्ञान) के क्षेत्र में विश्व गुरु तो था ही, सक्रिय रूप से भी सम्पूर्ण प्रपञ्च में योगदान दे रहा था और भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों जैसे सीखने के विशाल केन्द्र स्थापित किए गए थे, जहाँ हजारों शिक्षार्थी आते थे। प्राचीन ऋषियों द्वारा खोजी गई कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी, सीखने की पद्धतियाँ, सिद्धान्तों और तकनीकों ने कई पहलुओं पर हमारे विश्व के ज्ञान के मूल सिद्धान्तों को बनाया और प्रबल किया है, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, ध्वन्यात्मकता, व्याकरण आदि पर दुनिया में भारत का योगदान समझा जाता है। प्रत्येक भारतीय बालक, बालिका द्वारा इस महान् देश का गौरवान्वित नागरिक होने के कारण इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। भारत की संसद के प्रवेश द्वार पर उद्धृत ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' जैसे भारत के विचार और विभिन्न अवसरों पर संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा उद्धृत कई वेद मंत्र के अर्थ वेदों के अध्ययन से ही ज्ञात होते हैं और उन पर मनन करके ही वास्तविक प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। वेदों और सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में "सत, चित, आनंद" के रूप में सभी प्राणियों की अन्तर्निहित समानता पर जोर दिया गया है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि वेद वैज्ञानिक ज्ञान के स्त्रोत हैं और हमें आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए वेदों और भारतीय शास्त्रों के स्त्रोतों की ओर पुनः निष्ठा से देखना होगा। जब तक छात्रों को वेदों का पाठ, शुद्ध वैदिक ज्ञान सामग्री और वैदिक दर्शन को आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, तब तक आधुनिक भारत की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वेदों के सन्देश का प्रसार पूर्ण रूप से सम्भव नहीं है।

वेद की शिक्षा (वैदिक मौखिक एवं श्रुति परंपरा/वेद पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है। यह कहना अनुचित होगा कि वेदों का अध्ययन केवल धार्मिक निर्देश है। वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं हैं और इनमें केवल धार्मिक सिद्धान्त ही नहीं हैं, बल्कि वेद शुद्ध ज्ञान के कोष है, मानव जीवन की कुञ्जी वेदों में है इसलिए, वेदों में निर्देश या शिक्षा को केवल "धार्मिक शिक्षा/धार्मिक निर्देश" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

2004 की सिविल अपील संख्या 6736 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (AIR 2013: 15 SCC 677); (निर्णय की दिनाङ्क- 3 जुलाई 2013), जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट है कि वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं हैं। वेदों में गणित, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, रसायन विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, दर्शन, योग, शिक्षा, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान आदि के विषय सम्मिलित हैं, जिन्हें माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में प्रतिष्ठान एवं बोर्ड के माध्यम से वैदिक शिक्षा -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली 'संस्कृत ज्ञान प्रणाली' के रूप में भी जाना जाता है, उनके महत्त्व और पाठ्यक्रम में उनका समावेश और विविध विषयों के संयोजन में लचीले दृष्टिकोण को मजबूती से प्रदर्शित किया गया है। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे, प्रयास करना होगा कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों (सॉफ्ट स्किल्स) को प्राप्त करें। कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की गौरवशाली परम्परा इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी। भारत की समृद्ध, विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परम्पराओं को संयोजित करने और उससे प्रेरणा पाने हेतु यह नीति बनायी गयी है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्त्व, प्रासङ्गिकता और सुन्दरता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। संस्कृत,

संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्त्वपूर्ण आधुनिक भाषा है यदि सम्पूर्ण लैटिन और ग्रीक साहित्य को मिलाकर भी इसकी तुलना की जाए तो भी वह संस्कृत शास्त्रीय साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, सङ्गीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातुविज्ञान, नाटक, कविता, कहानी, और बहुत कुछ (जिन्हें "संस्कृत ज्ञान प्रणालियों" के रूप में जाना जाता है) के विशाल भण्डार हैं । विश्व विरासत के लिए इन समृद्ध संस्कृत ज्ञान प्रणाली विरासतों को न केवल पोषण और भविष्य के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शोध कराकर इन्हें बढ़ाते हुए नए उपयोगों में भी रखा जाना चाहिए। इन सबको हजारों वर्षों में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के एक विस्तृत जीवन्त दर्शन के साथ लिखा गया है । संस्कृत को रूचिकर और अनुभावात्मक होने के साथ-साथ समकालीन रूप से प्रासङ्गिक विधियों से पढ़ाया जाएगा । संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग विशेष रूप से ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से है। फाउंडेशन और माध्यमिक स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने (एस्.टी.एस्.) और इसके अध्ययन को आनन्ददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत (एस्.एस्.एस्.) में लिखा जाना है। ध्वन्यात्मकता और उच्चारण वेदों की मौखिक परम्परा पर लागू होता है। वैदिक शिक्षा ध्वन्यात्मकता और उच्चारण पर आधारित है।

कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट विभेद नहीं किया गया है। सभी ज्ञान की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए, एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक (Multi-Disciplinary) एवं समग्र शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतान्त्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिन्तन, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, बहुलतावाद, समानता और न्याय पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 4.23 में अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण के विषय में निर्देश है। विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलेगें, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को

एक अच्छे, सफल, अनुभवी, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी आवश्यक है। वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मकता और नवीनता, सौंदर्यशास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद, स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक दक्षता, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्या को हल करने और तार्किक चिन्तन, व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल, डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल चिन्तन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिङ्ग संवेदनशीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता कौशल और मूल्य, भारत का ज्ञान, पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता, जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ-सफाई, समसामयिक घटना और स्थानीय समुदायों, राज्यों, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्त्वपूर्ण मुद्दों का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान, भाषाओं में प्रवीणता के अलावा, इन कौशलों में सम्मिलित है। बच्चों के भाषा कौशल संवर्धन के लिए और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक निधि के संरक्षण के लिए, सार्वजनिक या निजी सभी विद्यालयों में सभी छात्रों को भारत की एक शास्त्रीय भाषा और उससे सम्बन्धित साहित्य सीखने का कम से कम दो साल का विकल्प मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 4.27 में "भारत का ज्ञान" के विषय में महत्त्वपूर्ण निर्देश है। "भारत का ज्ञान" में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान - भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ –साथ शासन, राजव्यवस्था, संरक्षण आदि जहाँ भी प्रासङ्गिक हो, विषयों में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें औषधीय प्रथाओं, वन प्रबन्धन, पारम्परिक (जैविक) फसल की खेती, प्राकृतिक खेती, स्वदेशी खेलों, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों पर ज्ञानदायी विषय हो सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 11.1 में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर प्रवृत्त करने के निर्देश हैं। भारत में समग्र एवं बहु-विषयक विधि से सीखने की एक प्राचीन परम्परा पर बल दिया गया है, तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों के उल्लेख सहित 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में गायन और चित्रकला, वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियान्त्रिकी और साथ ही साथ

सम्प्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी सम्मिलित है । यह विचार है कि गणित, विज्ञान, व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट स्किल सहित रचनात्मक मानव प्रयास की सभी शाखाओं को 'कला' माना जाना चाहिए, जिसका मूल भारत है। 'कई कलाओं के ज्ञान' या जिसे आधुनिक समय में प्राय: 'उदार कला' कहा जाता है (अर्थात्, कलाओं की एक उदार धारणा) की इस धारणा को भारतीय शिक्षा में वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि यह ठीक उसी तरह की शिक्षा है जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 22.1 में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन हेतु निर्देश हैं। भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है – जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है, और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषायी अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव होना, भारत के आकर्षक हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण सङ्गीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ो लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इसका आनन्द उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं।

यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदा है भारत की इस सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि इस देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 22.2 में कलाओं के विषय में निर्देश हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन राष्ट्र एवं राष्ट्र के नागरिकों के लिए महत्त्वपूर्ण है । बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना जरूरी है। बच्चों में अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परम्परा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एकता,

सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान निर्मित किया जा सकता है । अत: व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्त्वपूर्ण है ।

प्रतिष्ठान की मुख्य वैदिक शिक्षा (वेदों की श्रुति या मौखिक परम्परा/वेद पाठ/वैदिक ज्ञान परम्परा) सहित अन्य आवश्यक आधुनिक विषय- संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि, भारतीय कला, SUPW आदि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों की नींव/ स्रोत भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS) विषयों की अनुप्रविष्टि (इनपुट) पर आधारित हैं। ये सभी निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के शैक्षिक चिन्तकों, प्राधिकरणों के परामर्श एवं नीति को ध्यान में रखते हुए प्रारूप पुस्तकें पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करायी गयी हैं। इन पुस्तकों को भविष्य में NCF के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा और अन्त में प्रिन्ट रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय के अध्यापक महानुभावों ने, वेद अध्यापन (वैदिक मौखिक एवं श्रुति परम्परा/वेद पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) में समर्पित आचार्यों ने, सम्बद्ध वेद पाठशालओं के संस्कृत एवं आधुनिक विषयों के अध्यापकों ने, आधुनिक विषय पाठ्यपुस्तकों को इस रूप में प्रस्तुत करने में पिछले दो वर्षों में अथक परिश्रम किया है। उन सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद समर्पण करता हूँ। राष्ट्र स्तर के विविध विशेषज्ञों ने समय-समय पर पधार कर पाठ्यपुस्तकों में गुणवत्ता लाने में विशेष सहायता प्रदान की है। उन सभी विशेषज्ञों एवं विद्यालयों के अध्यापक महानुभावों को भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अक्षर योजना हेतु, चित्राङ्कन हेतु, पेज सेटिंग हेतु मेरे सहयोगी कर्मचारियों ने कार्य किया है, उन सभी को हृदय की गहराई से कृतज्ञता समर्पण करता हूँ।

पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रचनात्मक आलोचना सहित सभी सुझावों का स्वागत है।

आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्।

बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् १.०२)

(जब तक विद्वानों को पूर्ण सन्तुष्टि न हो जाए तब तक विशिष्ट प्रयोग को सब तरह से सफल नहीं मानता क्योंकि प्रयोग में विशेष योग्यता प्राप्त विद्वान भी पहले प्रयोग के सफलता में आश्वस्त नहीं रहता है।)

प्रो. विरूपाक्ष वि जड्डीपाल्

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

पाठ्यपुस्तक के आलोक में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के आलोक में राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा संस्थापित महर्षि सान्दीपनि वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा देश भर में मान्यता प्राप्त वेद पाठशालाओं/गुरु शिष्य इकाइयों में अध्ययनरत वेद भूषण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम एवं वेद विभूषण प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्कूली शिक्षा में छठीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्याराहवीं एवं बाराहवीं कक्षा के छात्रों के लिए एन.सी.ई.आर.टी. एवं राज्य शिक्षा बोर्डों तथा भारतीय ज्ञान परम्परा विषयक विविध प्रकाशित स्त्रोतों के मानक अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित विषय यथा भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र आदि हमें, समाज को समझने में बहुविध सहायता प्रदान करते हैं। इसी समझ के आधार पर हम अपने भविष्य को व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से उत्कृष्टतम बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह सम्पूर्ण विश्व हजारों-लाखों वर्ष पूर्व से समयानुरूप विविध घटनाओं और परिवर्तनों का परिणाम है। इन घटनाओं परिवर्तनों और परिणामों को जानने व समझने में सामाजिक विज्ञान की यह पाठ्यपुस्तक निश्चित ही सहायक है।

सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अधिकांश विषयों को वैदिक वाङ्मय के सैद्धान्तिक स्वरूप और उपयोगिता को दृष्टि में रखकर जोड़ा गया है, जिससे अध्येताओं को भारतीयता और सांस्कृतिक गौरव का निश्चय ही अनुभव होगा। इस पुस्तक में विविध मानचित्रों, चित्रों एवं अद्यतन आँकड़ों को समाहित कर छात्रों के लिए अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। पाठ्यपुस्तक निर्माण कार्य में समय समय पर माननीय सचिव महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के विषय सङ्कलन, मन्त्र सङ्कलन, शब्द विन्यास, त्रुटि सुधार आदि की दृष्टि से राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के समस्त आचार्यों एवं अध्यापकों का योगदान रहा है, विशेषतया श्री आयुष शुक्ला एवं श्री अभिजीत सिंह राजपूत जी का साथ ही विविध विद्यालयों के सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों श्री विजेन्द्र सिंह हाड़ा, श्री विक्रम बासनीवाल, श्री अनिल शर्मा, श्री मुकेश कुशवाहा, श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह, श्रीमती अनुपमा त्रिवेदी, श्रीमती नेहा मैथिल जी का भी अभूतपूर्व सहयोग

प्राप्त हुआ है। इन सब के साथ टङ्कण कार्य में श्रीमती किरण परमार का कार्य अति सराहनीय रहा है। इस सहयोग के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं।

हमारा प्रयास सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक को वैदिक विद्यार्थियों के लिए सतत् अधिकतम उपयोगी बनाने का रहा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक गतिशील विषय होने के कारण सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पाठ्य सामग्री के संशोधन एवं परिवर्धन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। इस सन्दर्भ में सम्मानित शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों तथा सामाजिक विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले विद्वानों के सुझावों का सदैव स्वागत है।

सादर धन्यवाद

दिनाङ्क-

डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी

रविन्द्र कुमार शर्मा

विषयानुक्रमणिका

क्रम संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	भूगोल	1
1	मानव भूगोल और मानव विकास	2-13
2	जनसंख्या	14-23
3	आर्थिक क्रियाएँ- परिवहन और व्यापार	24-39
	इतिहास	40
4	मानव सम्बन्ध एवं सम्बन्धी व्याख्या (सरस्वती-सिन्धु सभ्यता से 600 ई. तक का भारत)	41-59
5	वेद शिक्षा प्रणाली	60-67
6	धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन (लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक)	68-79
7	मध्यकालीन भारत (ग्यारहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक)	80-97
8	भारत में उपनिवेशवाद और परिणाम	98-110
9	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और महात्मा गाँधी	111-122
10	भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव	123-134
	राजनीति शास्त्र	135
11	द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस	136-144
12	विश्व के प्रमुख सङ्गठन	145- 153
13	समकालीन विश्व (सुरक्षा और पर्यावरण)	154-162
14	स्वतन्त्र भारत की चुनौतियाँ	163-176
15	स्वतन्त्र भारत में जनान्दोलन एवं क्षेत्रीय आकाङ्क्षाएँ	177-186
16	भारत में नियोजित विकास एवं विदेश नीति	187-196
	समाजशास्त्र	197
17	भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाएँ	198-211
18	सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक विषमताएँ	212-225
19	भारतीय लोकतन्त्र में परिवर्तन एवं विकास	226-232
20	सामाजिक आन्दोलन और जन सञ्चार	233-243
	परिशिष्ट	244-246
	आदर्श प्रश्न पत्र	247-255

वेदविभूषण द्वितीय वर्ष

भूगोल

अध्याय-1

मानव भूगोल और मानव विकास

इस अध्याय में- मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का इतिहास, मानव भूगोल की प्रकृति और उपक्षेत्र, वृद्धि और विकास, मानव विकास के उपागम, भारत में मानव विकास, नियोजन, सतत पोषणीय विकास, मानव बस्ती, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएँ।

मानव भूगोल क्या है- मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसके अन्तर्गत प्राकृतिक, भौतिक तथा मानव जगत के मध्य अन्तर्सम्बन्धों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानीय वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथिवी को मानव के आवास के रूप में समझाना है। वैदिक वाङ्मय में मानव व पर्यावरण के अन्योन्याश्रय सम्बन्धों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कहा गया है कि **विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मि अनातुरम्।** (1.8.18) अर्थात् इस भू-मण्डल पर मानव भूगोल गाँवों में परिपुष्ट और आरोग्य सम्पन्न हुआ है। **उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां, धिया विप्रो अजायत। (ऋ.** 8.6.28) अर्थात् मनीषी लोग पर्वतों की तराईयों तथा नदियों के सङ्गम एवं किनारों पर निवास करते हैं। उदाहरण के लिए महामारियों के समय लोग आज भी आरोग्यता के लिए नगरों से गाँवों की ओर पलायित होते हैं। इस प्रकार ये मन्त्र मानव भूगोल के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करते हैं।

इसे भी जानें -

- रेटजेल के अनुसार- "मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच सम्बन्धों का संश्लेषित अध्ययन है।"

मानव आदिम अवस्था से ही प्रकृति पर आश्रित रहा है। वह प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचण्डता से डरता था और उसकी पूजा करता था। आज भी मानव, प्राकृतिक पर्यावरण से सामञ्जस्य बनाए हुए है और प्रकृति को पूज्य व सत्कार योग्य मानता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। मानवीय क्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक भू-दृश्य की रचना होती है, जिनकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण किया गया है।

मानव भूगोल का इतिहास- मानव भूगोल की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं अर्थात् मानव भूगोल का उदय दीर्घकालिक माना जाता है। मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सामञ्जस्य पाया जाता

है। किन्तु समय समय पर मानव भूगोल को स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है, जो इसकी परिवर्तनशीलता को दर्शाता है।

मानव भूगोल की प्रकृति और उपक्षेत्र- मानव भूगोल पृथिवी एवं मानव के अन्तर्सम्बन्धों की नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इसकी प्रकृति अत्यधिक अन्तर्विषयक है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, पर्यटन भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल आदि हैं।

वृद्धि और विकास- प्रत्येक वस्तु में वृद्धि और विकास होता है। वृद्धि और विकास समय परिवर्तन के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। वृद्धि, मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। विकास, गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। पूर्व में किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के सन्दर्भ में मापा जाता था, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई सम्बन्ध नहीं था। किसी देश में जीवन की गुणवत्ता का आनन्द लेने वाले लोगों को जो अवसर उपलब्ध होते हैं, वे उस देश के विकास के महत्त्वपूर्ण पक्ष होते हैं।

इसे भी जानें-

- डॉ. महबूब-उल-हक द्वारा मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादित केन्द्र-बिन्दु मानव है।
- डॉ. महबूब-उल-हक ने 1990 ई. में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था।
- आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने में डॉ. महबूब-उल-हक और अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान है।
- नोबेल विजेता(1998 ई.) अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतन्त्रता में वृद्धि को माना है।

मानव विकास के स्तम्भ- मानव विकास के समानता, सतत् पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तीकरण चार स्तम्भ हैं। समानता से आशय प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों की समानता और उपलब्धता में नियमितता होनी चाहिए। सतत् पोषणीयता के लिए भी सभी को समान अवसर मिलें, अतः मानव विकास का आधार सतत् पोषणीयता है। उत्पादकता का अर्थ है, मानव में उत्पादक क्षमताओं का विकास और सशक्तिकरण से आशय है विकल्प चुनने की शक्ति।

मानव विकास के उपागम- मानव विकास के प्रमुख उपागमों में- आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम हैं। यदि व्यक्ति की आय अच्छी है तो मानव विकास का स्तर भी ऊँचा होगा, इसे 'आय उपागम' कहते हैं। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। सरकार, लोगों के कल्याण के लिए अधिकतम व्यय करके, मानव विकास के स्तर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, इसे 'कल्याण उपागम' कहा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जलापूर्ति, आवास व स्वच्छता जैसी 6 न्यूनतम आवश्यकताएँ 'न्यूनतम आवश्यकता उपागम के अन्तर्गत रखी गई हैं।

संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, इसे 'क्षमता उपागम' कहते हैं। क्षमता उपागम के प्रतिपादक प्रो. अमर्त्य सेन हैं।

अन्तराष्ट्रीय तुलनाएँ- किसी देश को **मानव विकास** के आधार पर मापने के लिए 'मानव विकास सूचकांक' (HDI) का प्रयोग किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के लिए देशों की शिक्षा, चिकित्सा, आय आदि का आकलन किया जाता है। HDI द्वारा ज्ञात किया जाता है कि कोई देश विकसित, विकासशील या अविकसित है। मानव विकास में छोटे राष्ट्रों का प्रदर्शन बड़े राष्ट्रों की अपेक्षा बेहतर रहता है, उदाहरण के लिए नार्वे, जर्मनी, स्वीडन। मानव विकास के अर्जित स्कोर के आधार पर देशों को 4 भागों में विभाजित गया है -

इसे भी जानें-
- विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक नार्वे का है।

अति उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश- वे देश जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है वे अति उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश कहतलाते हैं। मानव विकास प्रतिवेदन 2019 के अनुसार इसमें नार्वे, आयरलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, आइसलैण्ड, आस्ट्रेलिया, लक्जेमबर्ग, कनाडा, स्वीडन, आदि हैं।

उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश- वे देश जिनका स्कोर 0.701 से 0.799 के मध्य है वे उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश कहलाते हैं । इसमें अल्बानिया, क्यूबा, ईरान, श्रीलङ्का आदि देश हैं।

मध्यम मूल्य सूचकांक वाले देश- वे देश जिनका स्कोर 0.55 से 0.700 के मध्य है मध्यम मूल्य सूचकांक वाले देश कहलाते हैं । इसमें भारत, बांग्लादेश, इराक, भूटान, नेपाल, कम्बोडिया, पाकिस्तान आदि देश हैं।

निम्न मूल्य सूचकांक वाले देश- वे देश जिनका स्कोर 0.54 से नीचे है वे निम्न मूल्य सूचकांक वाले देश कहलाते हैं। इसमें सीरिया, युगांडा, नाइजीरिया, सूडान, अफगानिस्तान आदि देश हैं।

भारत में मानव विकास- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के 2019 ई. के मानव विकास के आँकड़ो में भारत 189 देशों में 131 वें स्थान पर रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत को इस पथ पर अनेक कठिनाइयों जैसे- गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएँ, विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषण आदि छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मानव की शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा समस्त सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय आदि को मानव विकास से जोड़ा गया है। भारत में नीति आयोग ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। भारत में प्रत्येक राज्य सरकार ने भी जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना प्रारम्भ कर दिया है।

मानव विकास सूचकांक के परिकलन के महत्त्वपूर्ण सूचक- आर्थिक उपलब्धियों के सूचकों में संसाधन और सभी की उन तक पहुँच, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय आदि को रखा गया है। रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन, उत्तम स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्याप्त पोषण, शिशु-मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ आदि स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। निरक्षरता, बेरोजगारी, अज्ञानता, दासता, बन्धुआकरण आदि से मुक्ति सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक हैं।

इसे भी जानें-

- भारत में मानव विकास सूचकांक सूची-2019 के अनुसार केरल प्रथम स्थान पर और बिहार अंतिम स्थान पर है।

विकास- विकास से समाज की सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याओं का निदान हो जाएगा। विकास के फलस्वरूप मानव जीवन की गुणवत्ता में अनेक सुधार आए हैं, किन्तु इसके साथ सामाजिक भेदभाव, पलायन, विस्थापन, प्रादेशिक विषमताएँ, मानवीय मूल्यों में ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण आदि में वृद्धि हुई है।

नियोजन - नियोजन, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सर्वोत्तम कार्यपथ का चुनाव करने एवं विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। नियोजन के दो उपागम है- खण्डीय और प्रादेशिक। खण्डीय नियोजन में अर्थव्यवस्था के सेक्टरों कृषि, सिंचाई, विनिर्माण परिवहन आदि के विकास कार्यक्रम बनाना व लागू करना है। प्रादेशिक नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक विकास में प्रादेशिक सन्तुलन बनाने का कार्य सम्मिलित हैं।

इसे भी जानें-

- भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 ई. को योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर नीति आयोग कर दिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्ति संगत और तकनीकी सलाह देने के साथ ही भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

नियोजन के क्षेत्र- कई बार जिन क्षेत्रों में भरपूर संसाधन होते हैं, वे भी विकास में अन्य क्षेत्र से पिछड़ जाते हैं। संसाधनों के साथ-साथ तकनीकी और निवेश भी महत्वपूर्ण कारक हैं। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं को नियन्त्रित करने के लिए नीति आयोग ने **लक्ष्य क्षेत्र** व **लक्ष्य समूह** योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। इनमें नियन्त्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, लक्ष्य क्षेत्र तथा लघु कृषक संस्था, सीमान्त किसान विकास संस्था आदि प्रमुख कार्यक्रम हैं।

सतत् पोषणीय विकास- सतत् पोषणीय विकास से आशय है, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए, वर्तमान तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता बनाये रखना है। इस संकल्पना का विकास 1987 ई. में बर्ट लैण्ड रिर्पोट

से प्रारम्भ हुआ माना जाता है। सतत् पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर पर सीमित किया जाना चाहिए। प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं में सुधार किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिक प्रगति आगत-निपुण हो न कि आगत उपयोगी। गैर-नवीनीकरण संसाधनों का अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चित्र- 1.1 इन्दिरा गाँधी नहर

सतत् पोषणीय विकास के उद्देश्य- सतत् पोषणीय विकास के प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। स्वच्छ पर्यावरण को सुनिश्चित करना। जीवन स्तर को ऊँचा उठाना और अन्तर पीढ़ीगत समानता को प्रेरित करना आदि हैं। सतत् पोषणीय विकास की प्रमुख विशेषताएँ समानता पर बल, मानव विकास, गुणात्मक सुधार पर बल, पर्यावरण संरक्षण आदि हैं। राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर (कंवर सेन, 31 मार्च सन् 1958) का निर्माण सतत् पोषणीय विकास का अच्छा उदाहरण है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के पाक सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि में पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा मिलने से यहाँ के लोगों के जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है।

इसे भी जानें-

- भारत की सबसे लम्बी नहर इन्दिरा गाँधी नहर है, जो 650 कि.मी. लम्बी है

मानव बस्ती- मानव समूह जिस स्थान पर स्थायी निवास करता है, उसे मानव बस्ती कहते हैं। जिन आवास समूहों में हम रहते हैं, उन्हें गाँव, कस्बा, शहर कहा जाता है तथा ये सभी मानव बस्ती के उदाहरण हैं। सामान्यतः मानव बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं- संहत और प्रकीर्ण बस्तियाँ। संहत बस्तियाँ नदी घाटियों व उपजाऊ मैदानों में होती हैं तथा इनमें आवास पास-पास बनाये जाते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में आवास दूर-दूर बने होते हैं।

चित्र- 1.2 ग्रामीण बस्ती

ग्रामीण बस्ती- ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है। नदी, झील, तालाब आदि

प्राकृतिक जल स्रोत इन बस्तियों के समीप होते हैं। यहाँ के लोग प्रकृति से सीधे जुड़े होते हैं तथा अधिकांश आबादी प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न रहती है। जलापूर्ति, भूमि, सुरक्षा, गृह निर्माण सामग्री, उच्च भूमि क्षेत्र ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।

नियोजित बस्ती- सामान्यतः सरकार द्वारा बसाई गई बस्तियों को नियोजित बस्तियाँ कहते हैं।

ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप-

1. विन्यास के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रतिरूप मैदानी, पठारी, तटीय तथा मरुस्थलीय ग्राम आदि हैं।
2. कार्य के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रतिरूप कृषि ग्राम, लकडहारों के ग्राम, पशुपालक ग्राम आदि हैं।
3. आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रतिरूप रेखीय, आयताकार, तारे के आकार की, 'टी' आकार की, दोहरे ग्राम आदि हैं।

ग्रामीण बस्तियों की समस्याएँ- ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ जल नहीं मिलने से विभिन्न बीमारियों (हैजा, पीलिया) का खतरा बना रहता है। इन बस्तियों में बने मकान, मिट्टी, लकड़ी, घास-फूस इत्यादि से बने होते हैं, जो वर्षा व बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इनका प्रतिवर्ष रख-रखाव करना होता है। यहाँ सड़कें कच्ची होती है और शिक्षा, चिकित्सा व सञ्चार सुविधाओं का भी अभाव रहता है।

चित्र- 1.3 आधुनिक नगर

नगरीय बस्तियाँ- वर्तमान समय में जनसंख्या और रोजगार की खोज में लोग नगरों की ओर निरन्तर पलायित हो रहे हैं, जिससे नगरीय बस्तियों में तेजी से वृद्धि हुई है। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार वहाँ की जनसंख्या, व्यवसाय व प्रशासकीय ढाँचा है।

नगरीय क्षेत्रों के कार्य- नगर अनेक गतिविधियों के केन्द्र होते हैं, जैसे- पर्यटन, व्यापार, उद्योग, प्रशासन, सुरक्षा, मनोरंजन, यातायात, निर्माण, आवासीय विकास, सूचना प्रौद्योगिकी आदि।

नगरों का वर्गीकरण- नगरों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है।

1. **प्रशासनिक नगर-** इन नगरों में प्रायः देश एवं राज्यों की राजधानियाँ होने के कारण केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं। जैसे- दिल्ली, वाशिंगटन, कोलम्बो, लन्दन, जयपुर, लखनऊ आदि हैं।

2. **सांस्कृतिक नगर-** ऐसे नगर जिनका धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व होता है, सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। जैसे- वाराणसी, उज्जैन, जैरूसलम, मक्का आदि हैं।

3. **व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर-** ऐसे नगर जिनका विकास व्यापार और किसी व्यवसाय के कारण हुआ है, व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर कहलाते हैं। विश्व में कृषि बाजार वाले नगर विनिपेग, कंसास आदि तथा बैंकिंग व वित्तीय गतिविधियों वाले नगर एम्सटर्डम, फ्रैंकफर्ट आदि हैं।

इसे भी जानें-
- भारत में मुम्बई, बेंगलुरू, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली मेगासिटी हैं।

इनके अतिरिक्त विश्व में आकार और सुविधाओं के आधार पर नगरीय बस्तियों को नगर, शहर (नगरों से बड़े), सन्नगर (विकसित नगरीय क्षेत्र,जो आपस में मिले हुए हैं), मिलियन सिटी (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर), विश्वनगरी (सन्ननगरों के समूह), मेगासिटी (एक करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहर) आदि नगरों के प्रकार हैं।

इसे भी जानें-
- आधुनिक विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती वाला शहर लन्दन है।

भारत में मानव बस्तियाँ- भारत में मानव बस्तियों का इतिहास सभ्यता काल से माना जाता है। वैदिक वाङ्मय में कुल, कुल से पुर और पुर से विश के निर्माण का उल्लेख आया है। कालखण्ड के विकास क्रम में मानव बस्तियाँ उजड़ती और बसती रही हैं।

भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार- भारत में ग्रामीण बस्तियों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है-

1. **गुच्छित बस्तियाँ-** इस प्रकार की बस्तियों में आवास नजदीक बनाये जाते हैं।
2. **अर्द्ध-गुच्छित बस्तियाँ-** इन्हें विखण्डित बस्तियाँ भी कहते हैं, जो सीमित क्षेत्र में बसी होती है और आश्रय नजदीक बने होते हैं।
3. **पल्ली बस्तियाँ-** ऐसी बस्ती, जो भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में विभाजित होती हो पल्ली बस्ती कहलाती है। इन्हें पाली, ढाणी आदि नामों से भी जाना जाता है।
4. **परीक्षिप्त बस्तियाँ-** इस प्रकार की एकाकी बस्तियाँ सुदूर जङ्गलों, पहाड़ों ढालों पर बसी होती हैं।

नगरीय बस्तियाँ- ये बस्तियाँ ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा आकार में बड़ी एवं सघन होती हैं। भारतीय नगरों को विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है-

1. **प्राचीन नगर**- इनमें 2000 से अधिक वर्षों से पुराने नगरों को रखा गया है। इनका विकास धार्मिक व सांस्कृतिक नगरों के रूप में हुआ है। वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, मदुरै, उज्जैन आदि प्राचीन नगरों की श्रेणी में आते हैं।
2. **मध्यकालीन नगर**- इनका विकास मध्यकालीन रजवाड़ों व राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ था। जयपुर, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, जौनपुर आदि मध्यकालीन नगरों की श्रेणी में आते हैं।
3. **आधुनिक नगर**- भारत में इन नगरों का विकास अङ्ग्रेजों व अन्य यूरोपीय व्यापारियों द्वारा किया गया था। सुरत, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, जमशेदपुर, गाँधीनगर, दिसपुर, बरौनी आदि नगर इसी श्रेणी में आते हैं।

इसे भी जानें -

- शहरों में आधारभूत सुविधा, स्वच्छता, सतत पर्यावरण, और नागरिकों को सुखद जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 जून, 2015 ई. स्मार्ट सिटी मिशन का प्रारम्भ हुआ था।

इनके अतिरिक्त भारत में विशेष कार्य आधार पर नगरों का विभाजन किया गया है-

1. व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगरों की श्रेणी में भिलाई, अहमदाबाद, मुम्बई, जमशेदपुर मोदीनगर, कानपुर आदि आते हैं।
2. परिवहन नगरों में काण्डला, कोच्चि, कटनी, विशाखापट्टनम, मुगलसराय आदि हैं।
3. खनन नगरों में डिग्बोई, सिंगरौली, झरिया, राणीगंज आदि हैं।
4. धार्मिक व सांस्कृतिक नगरों में मथुरा, वाराणसी, अजमेर, पुष्कर, उज्जैन, हरिद्वार, अमृतसर आदि हैं।
5. शैक्षणिक नगरों में कोटा, रूड़की, वाराणसी, पिलानी आदि हैं।
6. पर्यटन नगरों में नैनीताल, मसूरी, शिमला, ऊटी, माउन्ट आबू आदि प्रमुख पर्यटन नगर हैं।

ग्रामीण व नगरीय मानव बस्तियों की समस्याएँ- ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अनेक प्रकार की समस्याएँ जैसे- अवहनीय जनसंख्या, शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी, शुद्ध पेयजल का अभाव, बिजली का अभाव, बेतरतीब आवास, पर्यावरण प्रदूषण, परिवहन व सञ्चार सुविधाओं का अभाव आदि हैं।

भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएँ- अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, वनों की अन्धाधुन्ध कटाई आदि के कारण, आज विश्व में अनेक भौगोलिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हो चुका है। इन समस्याओं में पर्यावरणीय समस्या सबसे विकराल है। यदि इन समस्याओं

का समय रहते निदान नहीं किया गया तो, वो दिन दूर नहीं जब पृथिवी के नष्ट होने का संकट छा जायेगा। पर्यावरणीय दृष्टि से वैदिक वाङ्मय में वर्णित व्यवस्थायें संरक्षण के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होंगी।

पर्यावरण प्रदूषण- पर्यावरण प्रदूषण से आशय वायु, जल, मृदा आदि पर्यावरणीय घटकों का प्रदूषित होना है। पर्यावरण प्रदूषण एक ज्वलंत वैश्विक समस्या बनी हुई है। मोटे तौर पर पर्यावरण को जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण में विभाजित किया गया है।

जल प्रदूषण- जल प्रदूषण से आशय विभिन्न जलीय स्त्रोतों जैसे- नदियों, कुओं, तालाबों, झीलों आदि के जल का दूषित होना है। जल के दूषित होने के साथ-साथ इसमें रहने वाले जलीय जीवों को भी इससे हानि होती है।

जल प्रदूषण के कारण- कारखानों, अस्पतालों, कृषि व उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों, पेट्रोल व अन्य रसायनिक पदार्थों जैसे उर्वरक, कीटनाशकों आदि का जल में विलय तथा मानव द्वारा जलीय स्त्रोतों को दूषित करने के कारण जल प्रदुषित होता है।

जल प्रदुषण के परिणाम- जल प्रदूषण से डायरिया, पीलिया, हेपेटाइटिस आदि बीमारियाँ होती हैं। जल प्रदुषण के कारण जलीय जीवों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसका प्राकृतिक सन्तुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

जल प्रदूषण रोकने के उपाय- हमें, अपशिष्ट पदार्थों को जलीय स्त्रोतों में नहीं डालना चाहिए। कारखानों, उद्योगों और सीवर लाइनों से निकलने वाले अपशिष्ट को नदियों व अन्य जलीय स्त्रोतों में प्रवाहित नहीं करने चाहिए। कृषि में कम से कम रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा गङ्गा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 'नमामि गंगे' परियोजना का प्रारम्भ जून, 2014 ई. में किया गया है। वैदिक वाङ्मय में जल की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। इसलिए ऋषियों ने अपने चिन्तन में जल को ईष्ट प्राप्ति और सुख समृद्धि का कारक बताते हुए दिव्य जल प्राप्ति की कामना की है- **शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्त्रवन्तु नः॥** (ऋ. 10.9.4)।

वायु प्रदूषण- वायु में जब धूल, धुँआ, गैसें, दुर्गन्ध आदि विभिन्न प्रकार के अवाञ्छित तत्त्व मिल जाते हैं, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं।

वायु प्रदूषण के कारण- वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला विषैला धुँआ, परमाणु परीक्षण, ज्वालामुखी विस्फ़ोट आदि हैं।

वायु प्रदूषण के परिणाम- वायु प्रदूषण के परिणामस्वरूप श्वसन सम्बन्धी रोग, टी.बी., कैंसर आदि गम्भीर बिमारियों के होने का खतरा बना रहता है। पौधों व जीव-जन्तुओं की आयु व वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वृक्षों व जङ्गलों में निरन्तर हो रही कमी से शुद्ध वायु की कमी हो गई है।

वायु प्रदूषण रोकने के उपाय- हमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सोलर पैनल लगवाने चाहिए। वैद्युतिक ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। उद्योगों को आबादी क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। वाहनों का समय-समय पर रख-रखाव (सर्विस) किया जाना चाहिए। विश्व के अधिकांश देशों के साथ ही भारत सरकार द्वारा 2030 तक पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाले दो पहिया और चार पहिया वाहनों को बन्द करने की योजना बनाई गई है।

वैदिक वाङ्मय में वायु को देवता माना गया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में वायु के गुणों का उल्लेख करते हुए, ऋषि ने अपने चिन्तन में वायु की महत्ता प्रतिपादित की है- **वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे। प्र ण आयूँषि तारिषत्॥** (ऋ.10.186.1) । अग्राकिंत मन्त्र में ऋषियों ने अपने चिन्तन में शुद्ध वायु को अमूल्य एवं प्राणियों के लिए औषधितुल्य बताया है- **दक्षं ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्मं सुवामि ते। त्रायन्तामिह देवास्त्रयतां मरुतां गण:॥** (ऋ. 10.137.4) अर्थात् शुद्ध, ताजी वायु तपेदिक जैसे घातक रोगों के लिए अमोघ औषधि है। हे मनुष्य मैं तेरे लिए कल्याणपरक बल को शुद्ध वायु द्वारा लाकर तेरे जीर्ण रोगों को दूर करता हूँ। वायु (आक्सीजन) के महत्त्व को हमने कोराना वैश्विक महामारी के दौरान प्रत्यक्ष अनुभव किया है।

ध्वनि प्रदूषण- मानव की सहनीय सीमा से अधिक ध्वनि का होना, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। 90 डेसीबल या उससे अधिक ध्वनि मानव एवं जीवों के लिए घातक होती है।

ध्वनि प्रदूषण कारण- विभिन्न प्रकार के तेज ध्वनि वाले लाउडस्पीकरों व ध्वनि यन्त्रों का प्रयोग, औद्योगिक इकाईयों में चलने वाली तेज आवाज की मशीनें और मोटर गाड़ियों, वायुयानों व अन्य परिवहन के साधनों से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं।

ध्वनि प्रदूषण के परिणाम- अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण कानों में सनसनाहट, असन्तुलन व बहरापन, फेफड़ों में खराबी, शरीर में आक्सीजन की कमी, हृदय रोग, मस्तिष्क की खराबी, उच्च रक्तचाप जैसे रोग होने के साथ ही शारीरिक वृद्धि पर असर पड़ता है।

ध्वनि प्रदूषण के उपाय- तेज ध्वनि के यन्त्रों का कम से कम प्रयोग, वाहनों में कम ध्वनि वाले हार्न का प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों की स्थापना आबादी क्षेत्र से दूर की जानी चाहिए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. मानव विकास की अवधारणा..... देन है।

   अ. प्रो. अमर्त्य सेन　　ब. डॉ. महबूब-उल-हक

   स. सेम्पुल　　द. मैक्स वेबर

2. निम्न में अति उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश..... है।

अ. भारत ब. सूडान

स. कम्बोडिया द. स्वीडन

3. ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया..... है।

अ. प्राथमिक ब. द्वितीयक

स. तृतीयक द. चतुर्थ

4. कम से कम ..... डेसीबल की ध्वनि मानव एवं जीवों के लिए घातक होती है।

अ. 90 से अधिक ब. 70 से अधिक

स. 95 से अधिक द. 100 से अधिक

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. मानव समूह जहां स्थायी रूप से रहता है ..... कहलाता है। (बस्ती/मोहल्ला)
2. मानव आदिम अवस्था से ही ..... पर आश्रित है। (नगरों/प्रकृति)
3. भारत का मानव विकास सूचकांक में ..... स्थान है। (125 वां/131 वां)
4. 'नमामि गंगे' परियोजना का प्रारम्भ .....में किया गया है।(जून, 2014 ई./ जून, 2018 ई.)

सत्य/असत्य बताइए -

1. वायु, जल, मृदा पर्यावरण के घटक है। सत्य/असत्य
2. तेज ध्वनि से जल प्रदूषण होता है। सत्य/असत्य
3. ध्वनि की सहनीय सीमा 90 डेसीबल है। सत्य/असत्य
4. परीक्षिप्त बस्तियाँ एकाकी बस्तियाँ सुदूर जङ्गलों, पहाड़ों ढालों पर बसी होती हैं। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. प्राचीन नगर	क. जमशेदपुर, गोवा
2. मध्यकालीन नगर	ख. उज्जैन, प्रयागराज
3. आधुनिक नगर	ग. जयपुर, दिल्ली
4. शैक्षिक नगर	घ. रूडकी, कोटा

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. मानव भूगोल से क्या आशय है?
2. क्षमता उपागम किसे कहते हैं?
3. मानव विकास प्रतिवेदन में किन दो विद्वानों का योगदान है?
4. मानव विकास सूचकांक से क्या आशय है?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. मानव भूगोल के उप-क्षेत्र कौन-कौनसे है?
2. मानव विकास के चार स्तंभ कौन-कौनसे है?
3. जल प्रदूषण रोकने के उपाय लिखिए।
4. वायु प्रदूषण रोकने के उपाय लिखिए।
5. ग्रामीण व नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएँ बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. मानव बस्ती से क्या आशय है? ग्रामीण व नगरीय बस्तियों के बारे में बताइए।
2. सतत्पोषणीय विकास व नियोजन से आप क्या समझते हैं?

परियोजना कार्य-

1. अपने आस-पास की ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए, उनके निराकरण के उपाय बताइए।

अध्याय-2

जनसंख्या

इस अध्याय में- जनसंख्या, सामान्य संकल्पनाएँ और संकेतक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, प्रवास, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, जनांकिकीय संक्रमण, जनसंख्या संघटन, जनसंख्या पिरामिड, भारत में जनसंख्या वितरण, ग्रामीण और नगरीय विभिन्नताएँ, भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण।

किसी राष्ट्र की वास्तविक सम्पदा उसके निवासी होते हैं क्योंकि उस राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग और नीतियों का निर्धारण वहाँ के नागरिकों द्वारा किया जाता है। विश्व में जनसंख्या का प्रारूप असमान है। जनसंख्या के असमान प्रारूप पर टिप्पणी करते हुए जॉर्ज बी. क्रेसी ने कहा है कि 'एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं।'

जनसंख्या- किसी देश, राज्य या स्थान आदि में निवास करने वाले लोगो की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के व्यवस्थित अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं। इसके अन्तर्गत जनसंख्या से सम्बन्धित रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी के अन्तर्गत जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म, मृत्यु, प्रवासन के स्वरुप और जनसंख्या की संरचना तथा गठन आदि सम्मिलित हैं। अमेरिका में 1790 ई. में हुई जनगणना सम्भवतः विश्व की पहली आधुनिक जनगणना थी और यूरोप ने इसे 19वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में अपनाया था। भारत में जनगणना कार्य भारतीय औपनिवेशिक सरकार ने 1872 ई. में प्रारम्भ किया था, किन्तु प्रति दस वर्षीय सम्पूर्ण जनगणना 1881 ई. से प्रारम्भ हुई थी। स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में 1951 ई. से 2011 ई. तक सात बार दसवर्षीय जनगणनाएँ हो चुकी हैं।

माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राबर्ट माल्थस ने अपने निबन्ध Essay on Population-1788 ई. में गरीबी का कारण जनसंख्या को बताया था। माल्थस का विश्वास था कि अकाल और महामारी के रूप में प्रकृति स्वयं जनसंख्या को नियन्त्रित कर लेती है, जिससे खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या के बीच सन्तुलन बना रहता है। मार्क्सवादी और उदारवादी विचारकों ने माल्थस के इस अवधारणा की आलोचना करते हुए गरीबी का कारण संसाधनों के असमान वितरण को बताया है।

जनसांख्यिकी संकल्पनाएँ और संकेतक- अधिकांश जनसांख्यिकी संकल्पनाओं को दरों या अनुपातों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उनमें दो संख्याएँ सम्मिलित होती हैं- आँकड़े और तुलना। आँकड़ों के लिए गणना एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई और प्रशासनिक इकाई के लिए की जाती हैं और दूसरी संख्या तुलना के लिए मानक का कार्य करती है। उदाहरणार्थ- जन्मदर, मृत्युदर, प्राकृतिक वृद्धि दर (संवृद्धि दर), प्रजनन दर, शिशु जन्म एवं शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, आयु संभाविता, स्त्री-पुरुष अनुपात, जनसंख्या की आयु संरचना, पराश्रितता अनुपात आदि।

इसे भी जानें-

- जान ग्रांट को जनसांख्यिकी का जनक कहते हैं।
- 2021(यू.एन.ओ.) की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग 777 करोड़ है।

जनसंख्या वितरण- जनसंख्या वितरण से आशय, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% पृथिवी के केवल 10% भाग पर निवास करता है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में कुल आबादी का लगभग 60% भाग निवास करता है। सघन आबादी वाले इन 10 देशों में से 6 एशिया महाद्वीप (चीन, भारत, इण्डोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान) में हैं।

इसे भी जानें-

- प्रति वर्ग कि.मी. क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं ।
- जन घनत्व निकालने का सूत्र = जनसंख्या/ क्षेत्रफल।
- विश्व में एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है।
- विश्व में सबसे अधिक जन घनत्व मोनाको(यूरोप) देश का है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 23,660 व्यक्ति निवास करते हैं।
- किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि (उच्च जन्म दर) व ऋणात्मक वृद्धि (उच्च मृत्यु दर) दोनों हो सकती है।

जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक-

1. **भौगोलिक कारक-** भौगोलिक कारकों में जलवायु, मृदाएँ, जल की उपलब्धता, भू-आकृति आदि हैं।
2. **आर्थिक कारक-** आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण, औद्योगीकरण आदि हैं।
3. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक-** सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों में धार्मिक महत्त्व, अशांति, दूषित सामाजिक वातावरण आदि हैं।

जनसंख्या परिवर्तन के घटक- जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास होते हैं। एक वर्ष में प्रति एक हजार व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, जन्म दर कहलाती है। एक वर्ष में प्रति एक हजार व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है।

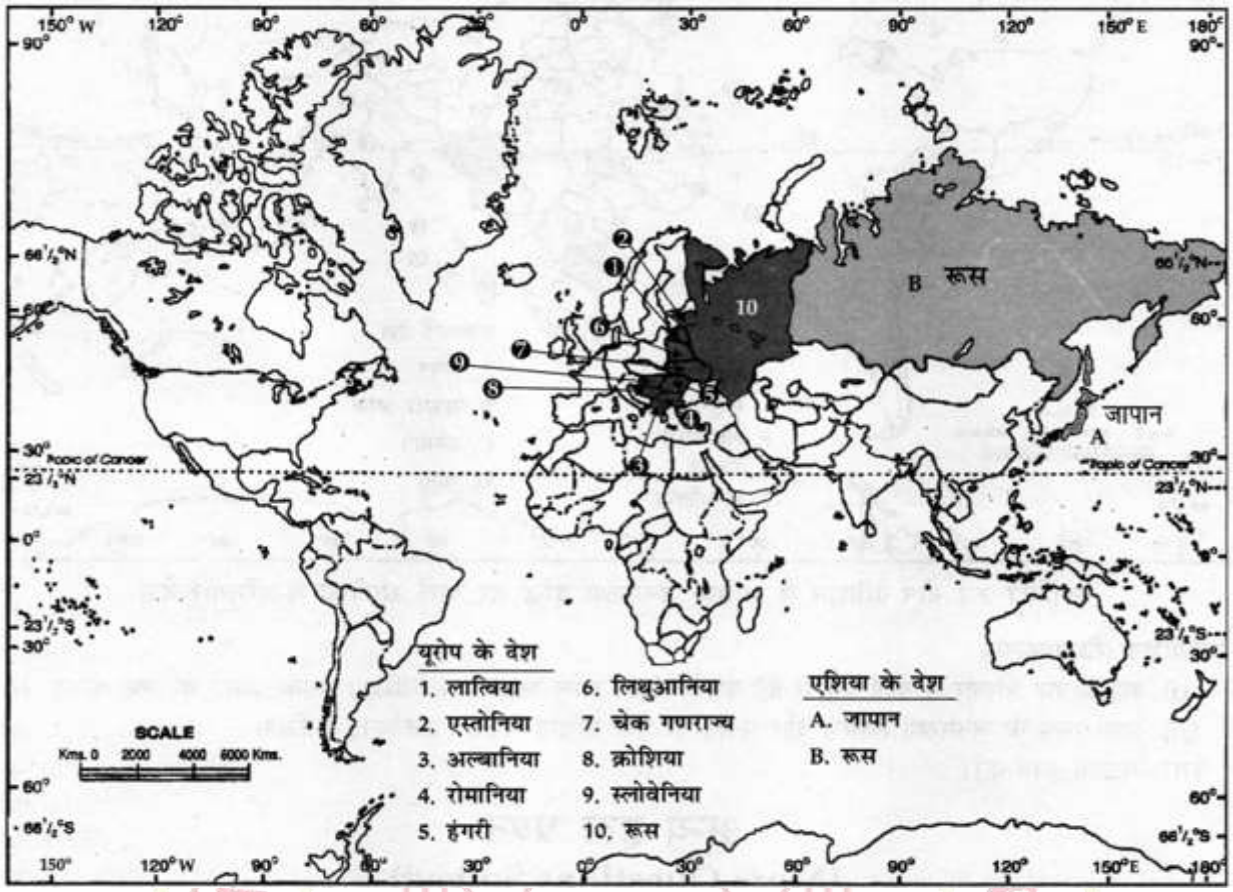

मानचित्र 2.1- विश्व जनसंख्या वितरण

प्रवास (Migration)- लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर या आकर बसना, प्रवास कहलाता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं, वह उद्गम स्थान तथा जिस स्थान पर लोग आते हैं, वह गंतव्य स्थान कहलाता है। प्रवास का कोई निश्चित समय नहीं होता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। अपने मूल निवास को छोड़कर किसी अन्य स्थान या देश में जाकर बसना आप्रवास कहलाता है। जनगणना में भी प्रवास के विषय में सूचना देनी होती है। भारत में 1921 ई. की जनगणना से जन्म स्थान (गाँव या शहर) तथा यदि अन्यत्र जन्म हुआ है, तो निवास की अवधि की जानकारी भी लिखी जाती है। 2011 ई. की जनगणना के अनुसार भारत में आन्तरिक प्रवासियों की संख्या 45 करोड़ हैं। एक सर्वे के अनुसार (2019 ई.) भारत में 51 लाख अन्तार्राष्ट्रीय आप्रवासी हैं, जबकि विदेशों में 1.75 करोड़ भारतीय प्रवासियों के रूप में निवास कर रहे हैं।

प्रवास की धाराएँ एवं स्थानिक विभिन्नता- आन्तरिक प्रवास को 4 भागों में बाँटा गया है- 1. ग्रामीण से ग्रामीण 2. ग्रामीण से नगरीय 3. नगरीय से नगरीय 4. नगरीय से ग्रामीण। सर्वाधिक प्रवासी उत्तरप्रदेश व बिहार से महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में रोजगार के लिए जाते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश (26 लाख) व बिहार (17 लाख) ऐसे राज्य है, जहाँ से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है।

प्रवास के कारण-

1. **प्रतिकर्ष कारक-** वे कारक जो लोगों को उद्गम या निवास स्थान को छोड़ने पर मजबूर करते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं, जैसे- बेरोजगारी, महामारियाँ, प्रतिकूल जलवायु आदि ।
2. **अपकर्ष कारक-** वे कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपकर्षक कारक कहलाते हैं, जैसे- रोजगार, शिक्षा व चिकित्सा सेवाएँ, शान्ति व स्थायित्व, अनुकूल जलवायु आदि।

प्रवास के परिणाम-

आर्थिक परिणाम- प्रवास के आर्थिक परिणामों के रूप में हुण्डियों की प्राप्ति जिसमें भोजन, आवास, विवाह, शिक्षा, चिकित्सा, ऋणों का भुगतान, कृषि निवेश आदि आवश्यकताएँ पूर्ण होती हैं। अनियन्त्रित प्रवास के कारण बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों में वृद्धि हुई है।

जनांकिकीय परिणाम- ग्रामीण प्रवासियों से नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। ग्रामीण युवा आयु के कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकिकीय संघटन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे आयु व लिङ्ग संरचना में भी असन्तुलन बढ़ा है।

सामाजिक परिणाम- प्रवासी लोग अपने साथ नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से सम्बन्धित विचार अपने साथ लेकर अपने क्षेत्र में जाते हैं जिससे वहाँ के समाज में वैचारिक परिवर्तनों का विकास होता है। इससे संयुक्त परिवारों का विघटन भी हुआ है।

पर्यावरणीय परिणाम - लोगों का अति संकुचन, नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को बढ़ावा भी मिलता है।

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ- प्रारम्भ में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि की दर बहुत कम थी किन्तु पिछले सौ वर्ष की अवधि में इसमें तीव्र वृद्धि हुई है। पहली सदी में विश्व की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ से कम थी। बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या वृद्धि का मंच तैयार किया है। औद्योगिक क्रान्ति के उदय के समय यह जनसंख्या लगभग 55 करोड़ हो गई थी। औद्योगिक क्रान्ति के बाद विश्व की जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है।

आरम्भ में विश्व जनसंख्या को एक करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लगे थे, वहीं 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा था। जनसंख्या के दोगुना होने की दर विकासशील देशों में, विकसित देशों की अपेक्षा अधिक है। जनसंख्या का तेजी से बढ़ना व तेजी से घटना दोनों सही नही हैं। कई घातक बीमारियों ने अफ्रीका, स्वतन्त्र राष्ट्रों तथा राष्ट्र मण्डल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर को बढ़ा दिया है, इससे जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हुई है।

जनांकिकीय संक्रमण- जनांकिकीय संक्रमण का उपयोग किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के वर्णन व भविष्य के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार जैसे ही ग्रामीण समाज में जागरूकता आने के साथ नगरीय, औद्योगिक और साक्षरता का विकास होता है, तो वहाँ उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन हो जाता है।

इसे भी जानें-

- प्रति एक हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिङ्गानुपात कहते है।
- विश्व में लिङ्गानुपात 990:1000 है।
- भारत में वर्ष 2021 में स्त्री पुरूष लिङ्गानुपात 1020:1000 है।
- भारत में सबसे अधिक लिङ्गानुपात (1084 :1000) केरल राज्य में है।
- भारत में सबसे कम लिङ्गानुपात (879: 1000) हरियाणा राज्य में है।

जनसंख्या नियन्त्रण के उपाय- जनसंख्या नियन्त्रण के प्रमुख उपायों में 1. शिक्षा का प्रसार करना। 2. सामाजिक सुरक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना। 3. विवाह की आयु में वृद्धि तथा सन्तानोत्पत्ति की सीमा निर्धारित करना। 4. परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। 5. जनसञ्चार माध्यमों द्वारा जनसंख्या नियन्त्रण के उपायों का प्रचार-प्रसार करना। 6. स्वास्थ्य सेवा व मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता को बढ़ाना।

इसे भी जानें-

- जनसंख्या संवृद्धि दर- इसे प्राकृतिक वृद्धि दर भी कहते है। यह जन्म और मृत्यु दर के बीच का अन्तर होता है। जब यह अन्तर शून्य या अतिन्यून होता है, तो इसे स्थिर जनसंख्या कहते हैं।
- प्रजनन दर- प्रजनन दर से तात्पर्य है बच्चे पैदा कर सकने वाली आयु की प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्में बच्चों की संख्या। बच्चे पैदा कर सकने की आयु आमतौर पर 15-49 वर्ष की मानी जाती है।
- शिशु मृत्यु दर- शिशु मृत्यु दर से आशय जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले शिशुओं की संख्या है।
- मातृ मृत्यु दर- मातृ मृत्युदर से आशय उन स्त्रियों की संख्या से है जो जीवित प्रसूति के 1000 मामलों में बच्चों को जन्म देने के समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं।
- आयु सम्भाविता- एक व्यक्ति औसत कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। इसकी गणना किसी क्षेत्र-विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान एक आयुविशेष में मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

जनसंख्या संघटन- जनसंख्या संघटन के अन्तर्गत आयु, लिङ्ग का विश्लेषण, आवास, भाषा, जनजातियों, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा व साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या कम होने के अनेक कारण जैसे- स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री-शिशु

हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, स्त्रियों का सामाजिक-आर्थिक स्तर निम्न होना आदि हैं। विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को 'आयु संरचना' कहा जाता है। 15-59 वर्ष के आयु वर्ग को 'कार्यशील जनसंख्या' माना जाता है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे छोटे होने के कारण अपने माँ-बाप पर आश्रित रहते हैं और 64 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग इस उम्र में काम न कर सकने के कारण अपने बच्चों पर आश्रित होते है। अतः इन्हें पराश्रित कहा जाता है।

जनसंख्या पिरामिड- जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु-लिङ्ग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। पिरामिड का बाँया भाग पुरुषों तथा दाँया भाग स्त्रियों का प्रतिशत प्रदर्शित करता है। त्रिभुजाकार पिरामिड विस्तारित जनसंख्या को दर्शाता है। विकासशील/कम विकसित देशों में निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पायी जाती है अर्थात् यहाँ जन्मदर उच्च होता है, जैसे- मैक्सिकों, बांग्लादेश, नाइजीरिया आदि। घंटी के आकार का पिरामिड दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है अर्थात् स्थिर है, जैसे- ऑस्ट्रेलिया। ऐसे देश जिनमें जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है, ह्रासमान जनसंख्या कहलाती है। संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाला पिरामिड निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है, जैसे- जापान। भारत का जनसंख्या पिरामिड नीचे चौड़ा तथा क्रमशः ऊपर पतला है। इसका अर्थ है कि भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय लोगों की संख्या अधिक और आश्रितों की संख्या न्यून है।

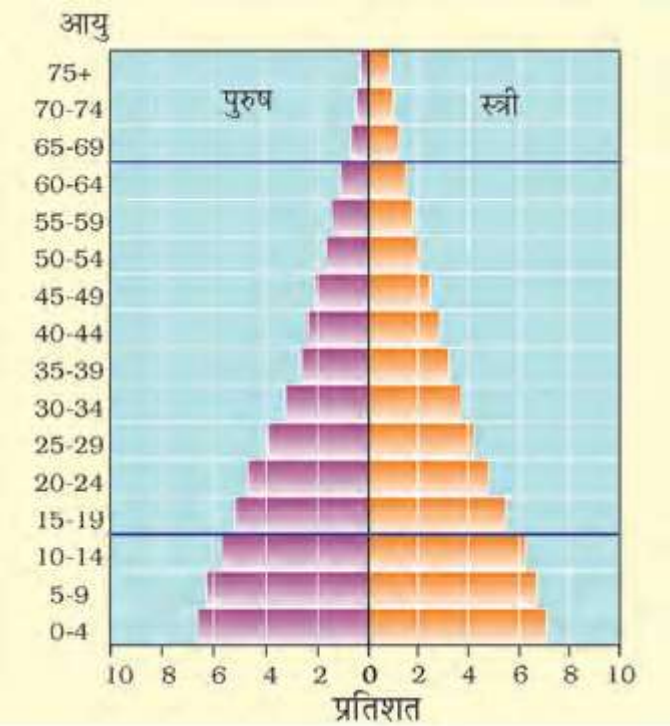

चित्र 2.1- भारत का जनसंख्या पिरामिड

जनसंख्या संघटन- जनसंख्या के ग्रामीण व शहरी विभाजन के अनेक आधार जैसे- निवास, आयु-लिङ्ग संघटन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व आदि हैं। ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में तथा नगरीय कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती हैं। भारत व पड़ोसी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की जनसंख्या अधिक है, जबकि पश्चिमी देशों में स्थिति इसके विपरीत है।

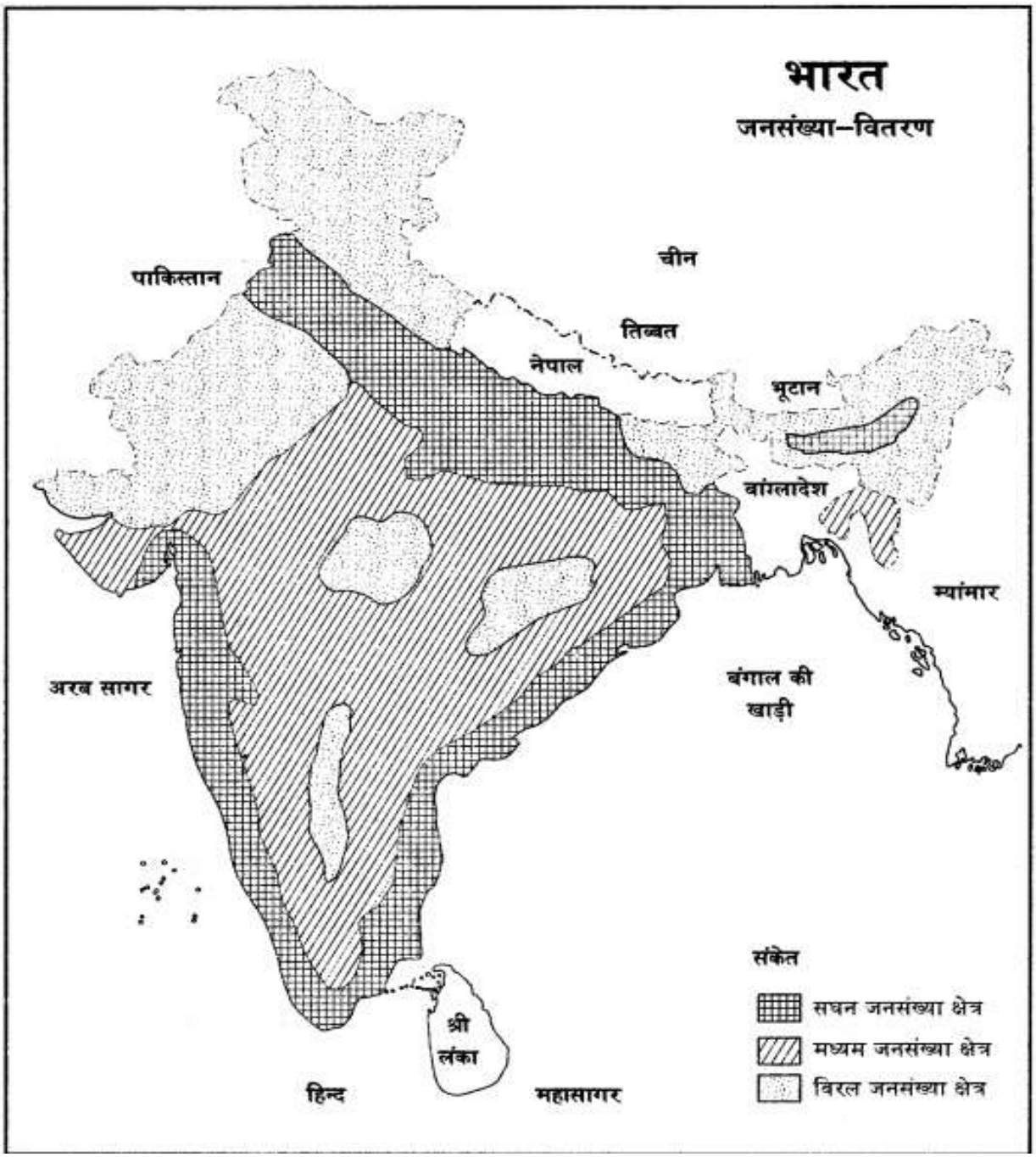

मानचित्र- 2.2 भारत में जनसंख्या वितरण

भारत में जनसंख्या वितरण- भारत, चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी वर्तमान में जनसंख्या लगभग 139 करोड़ है। जनसंख्या वितरण में असमानता के प्रमुख कारण कृषि, परिवहन, औद्योगिक एवं नगरीय विकास हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बङ्गाल, आन्ध्र प्रदेश राज्य, भारत के सबसे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, जबकि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैण्ड सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश हैं।

जनसंख्या का घनत्व और वृद्धि- भारत का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. (2011 की जनगणना) है। बिहार (1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.) सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला व अरुणाचल प्रदेश (17 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.) न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को 'जनसंख्या वृद्धि' कहते है। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011) 17.6 प्रतिशत रही थी। इस कालखण्ड में लगभग 18 करोड़ आबादी की वृद्धि हुई थी। मेघालय सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य तथा नागालैण्ड न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य इस दशक में रहे थे। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत भाषाई विविधता वाला देश हैं, जहाँ लगभग 179 भाषाएँ व 544 बोलियाँ (ग्रियर्सन के अनुसार) बोली जाती हैं। यहाँ विविध धर्मों के लोग निवास करते जैसे- हिन्दू (96,63 करोड़), मुस्लिम (14.22 करोड़), ईसाई (2.78 करोड़), सिक्ख (2.08 करोड़) आदि हैं। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या को तीन भागों में मुख्य श्रमिक (न्यूनतम 183 कार्यदिवस), सीमान्त श्रमिक (183 कार्य दिवस से कम) एवं अश्रमिक में विभाजित किया गया है। देश में 60% जनसंख्या अश्रमिकों की है। स्वतन्त्रता पश्चात् भारत की जनसंख्या संवृद्धि दर में तेजी आई है।

सारणी 2.1
भारत के धार्मिक समुदाय-2011

धार्मिक समुदाय	जनसंख्या मिलियन में	प्रतिशत
हिन्दू	966.3	79.8
मुस्लिम	172.2	14.2
ईसाई	27.8	2.3
सिक्ख	20.8	1.7
बौद्ध	8.4	0.7
जैन	4.5	0.4
अन्य धर्म	7.9	0.7
अज्ञात धर्म	2.9	0.2

ग्रामीण और नगरीय विभिन्नताएँ- भारत में औपनिवेशिक काल के उत्तरार्द्ध से ही नगरों का विस्तार और जनसंख्या वृद्धि निरन्तरता से हो रही है। सद्य आकड़ों की दृष्टि से 2001 में कुल जनसंख्या का 72% जनसंख्या ग्रामीण और 28% नगरीय थी, वहीं 2011 में नगरीय जनसंख्या बढ़कर 31.2% हुई और ग्रामीण जनसंख्या घट कर 68.8% पर आ गई है।

भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण- भारत की जनगणना के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि 1911 ई. के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है।1990 ई. में एक महिला औसतन 3.8 बच्चों को जन्म देती थी, वहीं आज यह 2.7 बच्चे प्रति महिला हो गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से वृद्धि दर में यह कमी एक

सुखद संकेत है, परन्तु भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण अनुमानतः 2050 ई. तक 1.66 अरब तक पहुँच सकती है।

प्रश्नावली

बहु विल्पीय प्रश्न-

1. भारत में प्रति.....जनगणना होती है।

   अ. 5 वर्ष में ब. 10 वर्ष में

   स. 15 वर्ष में द. 20 वर्ष में

2. निम्न में से ..... प्रतिकर्ष कारक नहीं है।

   अ. बेरोजगारी ब. शैक्षणिक सुविधाएं

   स. राजनीतिक उपद्रव द. महामारियाँ

3. भारत में..... आयु वर्ग की संख्या, कार्यशील जनसंख्या है।

   अ. 15 से 58 वर्ष ब. 15 से 59 वर्ष

   स. 15 से 60 वर्ष द. 15 से 62

4. निम्न में..... ह्रासमान जनसंख्या का उदाहरण है।

   अ. जापान ब. भारत

   स. बांग्लादेश द. मैक्सिको

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. विश्व में सबसे अधिक जन घनत्व.....देश का है। (मोनाको/ चीन)
2. भारत में सर्वाधिक आप्रवासी ..... राज्य में रहते है। (महाराष्ट्र/उत्तरप्रदेश)
3. जनसंख्या की दृष्टि से भारत, विश्व में..... स्थान रखता है। (दूसरा/सातवाँ)
4. भारत में लगभग ..... भाषाएँ बोली जाती है। (130/179)

सत्य/असत्य बताइए -

1. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना,प्रवास कहलाता है। सत्य/असत्य
2. भारत में लगभग 51 लाख अन्तार्राष्ट्रीय प्रवासी निवास कर रहे है। सत्य/असत्य
3. भारत का जनसंख्या घनत्व 342 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। सत्य/असत्य
4. जन घनत्व निकालने का सूत्र = जनसंख्या/ क्षेत्रफल है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. सर्वाधिक जनसंख्या	क. केरल
2. सर्वाधिक साक्षरता	ख. सिक्किम
3. न्यूनतम जनसंख्या	ग. हरियाणा
4. सबसे कम लिङ्गानुपात	घ. उत्तरप्रदेश

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है?
2. जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक कौन-कौन से हैं?
3. प्रवास किसे कहते है?
4. लिङ्गानुपात से क्या आशय है?
5. जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं?
2. जनसंख्या नियन्त्रण के प्रमुख उपाय बताइए।
3. ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के विभाजन के आधारों का उल्लेख कीजिए।
4. जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. विश्व जनसंख्या की प्रकृति और प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
2. भारत में जनसंख्या वितरण और वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए?

परियोजना-

जनसंख्या नियन्त्रण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की सूची बनाएँ।

अध्याय-3

आर्थिक क्रियाएँ- परिवहन और व्यापार

इस अध्याय में- परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, सञ्चार, अन्ताराष्ट्रीय व्यापार, अन्ताराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, अन्ताराष्ट्रीय व्यापार का आधार, अन्ताराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अन्ताराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार पत्तन, भारत के निर्यात संघटन के बदलते प्रारूप, भारत के आयात संघटन के बदलते प्रारूप और भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ।

ऐसी क्रियाएँ जिनसे मानव आय प्राप्त करता है, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का कार्यक्षेत्र, संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। आर्थिक आधार पर मानवीय क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ आदि आर्थिक क्रियाओं में विभाजित किया गया है। पूर्व कक्षाओं में हम प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। सेवाओं को तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है, जो लोगों के जीवन को सुगम व सुविधाजनक बनाता है। सेवाओं के अन्तर्गत परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, अग्निशमन, मोची, ग्रहपाल, संगीतकार, माली, खानसामा आदि क्षेत्र आते हैं। विश्व के विकसित देशों के अधिकांश कार्मिक, सेवा क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। इस अध्याय में हम आर्थिक क्रिया के रूप में परिवहन और व्यापार का अध्ययन करेंगे।

परिवहन- ऐसी सेवा या सुविधा जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया या ले जाया जाता है, परिवहन कहलाता है। परिवहन, किसी भी देश के आर्थिक विकास का मजबूत स्तम्भ होता है। परिवहन के लिए मुख्यत: स्थल, जल व वायु मार्गों का प्रयोग होता है। परिवहन के मुख्य साधनों में बस, ट्रक,

चित्र 3.1 परिवहन के साधन

रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जलयान, आदि हैं। वर्तमान समय में पाइप लाइन और सञ्चार, परिवहन की एक नई विधा के रूप में उभरे हैं।

स्थल परिवहन- स्थल परिवहन को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है- 1.सड़क परिवहन 2. रेल परिवहन

इसे भी जानें-

- विश्व में सर्वाधिक सड़कों वाला देश अमेरिका है।
- विश्व में भारत का सड़क प्रणाली में तीसरा स्थान है।

1. **सड़क परिवहन-** व्यक्तियों एवं वस्तुओं का सड़क मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन सड़क परिवहन कहलाता है। यह कम व मध्यम दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। सड़कें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड कही जाती हैं। ये माँग व पूर्ति के मध्य की दूरी को बाँटने का कार्य करती हैं। सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों व पहाडियों पर भी किया जा सकता है।

सारणी- 3.1
भारत में सड़कों का जाल

सड़क वर्ग	लम्बाई किमी में
राष्ट्रीय महामार्ग/ एक्सप्रेस मार्ग	1,00,475
राज्य महा मार्ग	154,522
प्रमुख जिला सड़कें	25,77,396
ग्रामीण सड़कें	14,35,577
कुल	42,65,970

स्त्रोत- सड़क परिवहन मंत्रालय बार्षिक रिपोर्ट 2015-16

सड़कों के प्रकार-

महामार्ग- दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों को महामार्ग कहते हैं। ट्रान्स कनेडियन महामार्ग, अलास्का महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग, विश्व के प्रमुख महामार्ग हैं। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के अन्तर्गत निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 7 (वाराणसी से कन्याकुमारी- 2369 किलोमीटर) महामार्ग ही है।

इसे भी जानें-

- उत्तर-दक्षिण गलियारा (North-South Corridor)- केन्द्र सरकार की उत्तर में श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) से दक्षिण में कन्याकुमारी (तमिलनाडु कोच्ची सेलम सहित) तक 4016 कि.मी. लम्बे महामार्ग द्वारा जोड़ने की योजना है।
- पूर्व-पश्चिम गलियारा (East-West Corridor)- केन्द्र सरकार की पूर्व में सिलचर (असम) से पश्चिम में पोरबन्दर (गुजरात) तक 3640 कि.मी. लम्बे महामार्ग द्वारा जोड़ने की योजना है।

सीमावर्ती सड़कें- सीमावर्ती सड़कों का निर्माण अन्ताराष्ट्रीय सीमाओं पर होता है। ये सड़कें दुर्गम क्षेत्रों में सैन्य सहायता व सैन्य सामग्री पहुँचाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। ये देश में सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हैं, इन्हें सीमान्त सड़कें भी कहा जाता है।

भारत में सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिला सड़क और ग्रामीण सड़क में विभाजित किया गया है। जिसका विस्तृत अध्ययन हम कक्षा- वेद भूषण पञ्चम वर्ष में कर चुके हैं।

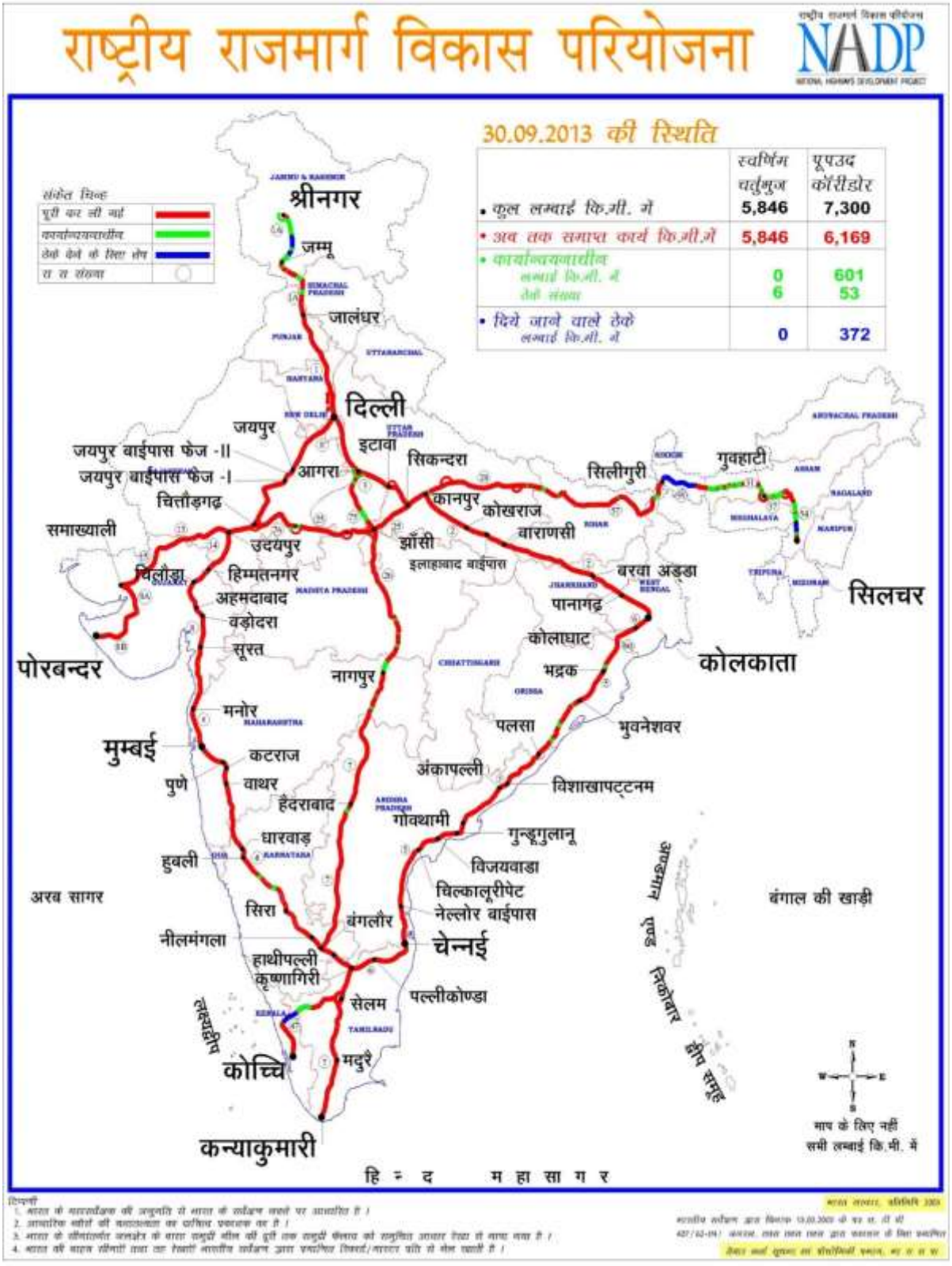

मानचित्र 3.1- भारत में एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग

2. रेलमार्ग- रेल परिवहन, स्थल परिवहन की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय व सस्ता परिवहन है। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान जैसे देशों में दैनिक परिवहन के लिए मेट्रो, मोनो जैसी ट्रेनों का उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे सघनतम् रेलतंत्र यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप में लन्दन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, आदि महत्वपूर्ण रेल केंद्र है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है, जबकि जापान और रूस का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। कनेडियन पेसिफिक रेलमार्ग, ऑस्ट्रेलियन अन्तार्राष्ट्रीय रेलमार्ग, काहिरा-कैपटाउन रेलमार्ग, मुनावाब-खोखारापार आदि विश्व के प्रमुख अन्तार्राष्ट्रीय रेलमार्ग है।

- **भारत में रेलमार्ग-** भारतीय रेल का विश्व में प्रमुख स्थान है। हमारे देश में सर्वाधिक माल और यात्री परिवहन, रेल द्वारा होता है। भारतीय रेल भारत सरकार का प्रमुख उपक्रम है। भारत में प्रथम रेल 1853 ई, में मुम्बई से ठाणे के मध्य 34 कि.मी. रेल मार्ग पर चली थी। 31मार्च, 2015 ई. तक भारत में रेलमार्ग की कुल लम्बाई 66030 कि.मी. थी। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारत में चार प्रकार के रेलमार्ग हैं- 1. बड़ी गेज 2. मीटर गेज 3. छोटी गेज 4. मानक गेज।

इसे भी जानें-

- ट्रान्स साइबेरियन रेलमार्ग 9300 कि.मी. है। यह विश्व का सबसे लम्बा रेलमार्ग है।
- भारत का रेल नेटवर्क में विश्व में चतुर्थ स्थान है।

- **बड़ी गेज** (Broad Gauge)- बड़ी लाइन में रेल पटरियों के मध्य दूरी 1676 मिमी. होती है। भारत में सर्वाधिक बड़ी लाइन हैं।
- **मीटर गेज** (Meter Gauge)- मीटर लाइन में रेल पटरियों के मध्य दूरी एक मीटर होती है।
- **छोटी गेज** (Narrow Gauge)- छोटी लाइन में रेल पटरियों के मध्य दूरी 0.762/ 0.610 मीटर होती है। यह रेल पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है।
- **मानक गेज** (Standard Gauge)- मानक गेज में दो रेल पटरियों के मध्य दूरी 1435 मिमी. होती है। भारत में मानक गेज का प्रयोग केवल ट्राम, मेट्रो और मोनो रेल के लिए किया जाता है।

भारत में प्रशासनिक सुविधा एवं रेलों के परिचालन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय रेल को सत्रह क्षेत्रों (Zones) में बाँटा गया है।

कोंकण रेलवे, भारतीय रेल की एक अनुषाङ्गिक इकाई है परन्तु यह स्वायत्त रूप से परिचालित होने वाली रेल व्यवस्था है। इसका मुख्यालय नवी मुम्बई के बेलापुर में है। यह रेलवे बोर्ड एवं केन्द्रीय रेल मन्त्री के निगरानी में काम करता है। इसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख शहरों के आन्तरिक यात्री

परिवहन के लिए मेट्रो ट्रेनों का प्रारम्भ 24 अक्टूबर 1984 ई. को कोलकाता में हुआ था। आज दिल्ली, मुम्बई, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरू आदि नगरों में मेट्रो रेल का परिचालन हो रहा है।

सारणी 3.2				
क्रमांक	नाम	संक्षेप	स्थापना समय	मुख्यालय
1.	उत्तर रेलवे	उरे	14 अप्रैल, 1952	दिल्ली
2.	पूर्वोत्तर रेलवे	उपूरे	1952	गोरखपुर
3.	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे	पूसीरे	1958	गुवाहाटी
4.	पूर्व रेलवे	पूरे	अप्रैल, 1952	कोलकाता
5.	दक्षिणपूर्व रेलवे	दपूरे	1955	कोलकाता
6.	दक्षिण मध्य रेलवे	दमरे	2 अक्टूबर, 1966	सिकंदराबाद
7.	दक्षिण रेलवे	दरे	14 अप्रैल, 1951	चेन्नई
8.	मध्य रेलवे	मरे	5 नवंबर, 1951	मुम्बई
9.	पश्चिम रेलवे	परे	5 नवंबर, 1951	मुम्बई
10.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	दपरे	1 अप्रैल, 2003	हुबली
11.	उत्तर पश्चिम रेलवे	उपरे	1 अक्टूबर, 2002	जयपुर
12.	पश्चिम मध्य रेलवे	पमरे	1 अप्रैल, 2003	जबलपुर
13.	उत्तर मध्य रेलवे	उमरे	1 अप्रैल, 2003	इलाहाबाद
14.	दक्षिणपूर्व मध्य रेलवे	दपूमरे	1 अप्रैल, 2003	बिलासपुर
15.	पूर्व तटीय रेलेवे	पूतरे	1 अप्रैल, 2003	भुवनेश्वर
16.	पूर्वमध्य रेलवे	पूमरे	1 अक्टूबर, 2002	हाजीपुर
17.	कोंकण रेलवे	केआर	26 जनवरी, 1998	नवी मुम्बई

भारत में रेलगाडियों के प्रकार-

- **गतिमान एक्सप्रेस-** यह रेल दिल्ली-आगरा के मध्य 160 किमी प्रति घण्टे तक की गति से चलती है। यह रेल हजरत निजामुद्दीन से आगरा की 188 किमी दूरी को मात्र 100 मिनट में तय कर लेती है।
- **राजधानी एक्सप्रेस-** ये रेलगाड़ी भारत के मुख्य शहरों को सीधे राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। इसलिए इसे राजधानी एक्सप्रेस कहते हैं। ये भारत की सबसे तेज रेलगाड़ियो में सम्मिलित हैं, जो लगभग

130-140 किमी प्रति घण्टे की गति तक चल सकती है। राजधानी एक्सप्रेस शुरुआत 1969 ई. में हुई थी।

- **शताब्दी एक्सप्रेस-** शताब्दी रेल, वातानुकूलित इण्टरसिटी रेल हैं, जो केवल दिन में चलती है। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली रेल है, जो दिल्ली से भोपाल के मध्य चलती है। ये रेलगाड़ी 150 किमी प्रति घण्टे की गति तक चल सकती है। इनकी शुरुआत 1988 ई. में हुई थी।
- **दुरन्तो एक्सप्रेस-** दुरन्तो रेल 2009 ई. में प्रारम्भ हुई थी। यह रेल सेवा भारत के मेट्रो शहरों और राज्यों की राजधानियों को आपस में जोडती है। इस रेल की गति लगभग राजधानी एक्सप्रेस के बराबर है।
- **तेजस एक्सप्रेस-** शताब्दी एक्सप्रेस की भाँति पूर्ण वातानुकूलित रेलगाड़ी है लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस से हटकर इसमें स्लीपर कोच भी हैं, जो लम्बी दूरी के लिए काम आती है।
- **गरीब रथ एक्सप्रेस-** यह रेल पूर्णत: वातानुकूलित, गति अधिकतम 130 किमी प्रति घण्टा, किराया कम है।
- **हमसफर एक्सप्रेस-** यह पूर्ण वातानुकूलित 3 टियर AC कोच रेलगाड़ी
- **सम्पर्कक्रान्ति एक्सप्रेस-** यह राजधानी दिल्ली से जोडती सुपर एक्सप्रेस रेलगाड़ी।
- **युवा एक्सप्रेस-** 60 प्रतिशत से ज्यादा सीट 18-45 साल के यात्रियों के लिए रिज़र्व हैं।
- **कवि गुरु एक्सप्रेस-** यह रेल रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में 2011 ई. में प्रारम्भ की गई थी।
- **विवेक एक्सप्रेस-** यह रेल स्वामी विवेकानंद की 150वी वर्षगांठ पर 2013 ई. में प्रारम्भ हुई थी।
- **राज्य रानी एक्सप्रेस-** यह रेल राज्यों की राजधानियों को महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है।
- **महामना एक्सप्रेस-** यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलगाड़ी है। महामना एक्सप्रेस का सञ्चालन 2016 ई. में प्रारम्भ किया गया था।
- **इण्टरसिटी-** यह रेल सेवा महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने के लिए छोटे रूट पर चलती हैं।
- **सुपरफास्ट एक्सप्रेस-** लगभग 100 किमी प्रति घण्टे की गति से चलने वाली रेलगाडियाँ हैं।
- **अन्त्योदय एक्सप्रेस और जन साधारण एक्सप्रेस-** ये पूर्ण रूप से अनारक्षित रेल है।
- **पैसेंजर-** हर स्टेशन पर रुकने वाली धीमी गति की रेलगाड़ियाँ (40-80 किमी प्रति घण्टा), जो सबसे सस्ती रेलगाड़ियाँ होती हैं।
- **सब-अर्बन रेल-** शहरी इलाकों जैसे मुम्बई ,दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदाराबाद, अहमदाबाद, पुणे आदि में चलने वाली रेलगाड़ियां, जो हर स्टेशन पर रुकती हैं और इसमें अनारक्षित सीट होती हैं।

सारणी 3.3 भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली प्रमुख ट्रेन		
ट्रेन का नाम	**कहाँ से कहाँ तक**	**तय दूरी (किमी में)**
विवेक एक्सप्रेस	डिब्रुगढ से कन्या कुमारी	4247
हिमसागर एक्सप्रेस	कटरा से कन्याकुमारी	3782
नवयुग एक्सप्रेस	कटरा से मैंगलोर	3674
न्यु तिनसुखिया-बैंगलुरू सिटी एक्सप्रेस	न्यू तिनसुखिया से बैंगलुरू	3615
गुवाहाटी-तिरुअनन्तपुरम् एक्सप्रेस	गुवाहाटी से तिरुअनन्तपुरम्	3552

जल परिवहन- यह परिवहन का सबसे सस्ता व सबसे प्राचीन साधन है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें मार्गों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। जल परिवहन में नावों, पोतों, जहाजों आदि द्वारा परिवहन होता है। अन्ताराष्ट्रीय व्यापार में जल परिवहन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। सम्पूर्ण विश्व में जल परिवहन के दो महत्वपूर्ण भाग हैं-

इसे भी जानें-

- राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 1986 ई. में अन्त: स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।
- केरल में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकादौड़ प्रतियोगिता (वल्लमकाली) पश्च जल में होती है।

1. आन्तरिक परिवहन (नदियों, झीलें, नहरें आदि)।
2. बाह्य परिवहन (महासागर)।

जल परिवहन में पत्तनों (बन्दरगाहों) की विशेष भूमिका होती है। इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग, राइन जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, मिसीसिपी जलमार्ग आदि आन्तरिक जल परिवहन के मार्ग हैं। अटलाण्टिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागर-हिन्द महासागरीय मार्ग, उत्तरी अटलाण्टिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशान्त समुद्री मार्ग, स्वेज नहर, पनामा नहर आदि बाह्य परिवहन के जलमार्ग हैं।

सारणी 3.4 भारत के प्रमुख जल पत्तनों की सूची			
क्र.	**नाम**	**समुद्र तट या खाड़ी**	**राज्य**
1.	मुम्बई	अरबसागर	महाराष्ट्र
2.	पारादीप	बङ्गाल की खाड़ी	ओड़िशा
3.	चेन्नई	बङ्गाल की खाड़ी	तमिलनाडु
4.	विशाखापट्टनम	बङ्गाल की खाड़ी	आन्ध्र प्रदेश
5.	काण्डला	कच्छ की खाड़ी	गुजरात
6.	कोचीन	अरब सागर	केरल
7.	तूतीकोरिन	बङ्गाल की खाड़ी	तमिलनाडु

भारत में जल परिवहन- भारत में परिवहन की दृष्टि से प्राचीनकाल से ही जल परिवहन प्रमुख विधा रही है। भारत में जल परिवहन के दो प्रकार- 1. अन्त: स्थलीय जलमार्ग 2. महासागरीय जल मार्ग हैं। भारत के पास 7517 कि .मी समुद्री तट है, जिस पर 12 बड़े पत्तन और 185 छोटे पत्तन हैं। भारत का वजन के अनुसार 95% और मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है।

वायु परिवहन- वायु परिवहन, परिवहन का सबसे महँगा किन्तु तीव्रगामी साधन है। इसके द्वारा कीमती, हल्की व शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं तथा लोगों का परिवहन किया जाता है। लम्बी दूरी या अन्ताराष्ट्रीय यात्राओं के लिए लोग इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न आपदाओं के समय इसके माध्यम से दुर्गम स्थानों जैसे- पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, हिम क्षेत्र आदि में आसानी से पहुँच कर, प्रभावित लोगों की मदद की जाती है। वर्तमान युग को हवाई युग भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क-लन्दन-पेरिस-रोम-काहिरा-दिल्ली-मुम्बई-कोलकाता-हांगकांग-टोकियो वायुमार्ग विश्व का सबसे लम्बा अन्तर्महाद्वीपीय वायुमार्ग है। इसके अतिरिक्त महाद्वीपीय वायुमार्ग (एक महाद्वीप में) तथा राष्ट्रीय वायुमार्ग (एक देश में) भी होते हैं।

सारणी 3.5
भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग

जल मार्ग	विस्तार
राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या-1	प्रयागराज से हल्दिया 1620 किमी
राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या-2	सदिया से धुवरी 891 किमी
राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या-3	कोट्टापुरम से कोलम 168 किमी
राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या-4	काकीनाडा से पुद्दुचेरी 1078 किमी
राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या-5	मातई, महानदी, एवं ब्राह्मणी नदी तक विस्तृत 588 किमी

इसे भी जानें-

- सुपरसोनिक वायुयान लन्दन से न्यूयॉर्क की दूरी (5571 कि.मी.) को 3:30 घन्टे में तय कर लेता है।

भारत में वायु परिवहन- भारत जैसे विशाल देश के लिए वायु परिवहन बहुत उपयोगी है। भारत में प्रथम बार वायु परिवहन का प्रारम्भ 1911 ई. में प्रयागराज से नैनी तक 10 कि.मी. की दूरी के लिए किया गया था। भारत में वायु परिवहन का विकास और विस्तार स्वतन्त्रता के बाद हुआ है। भारत में वायु परिवहन का सञ्चालन सरकारी और निजी क्षेत्र में होता है। सरकारी क्षेत्र में भारतीय वायु प्राधिकरण (Air Authority of India) वायु सेवाओं का प्रबन्धन करता है। इसके अतिरिक्त पवन हंस लि., पेट्रोलियम और घरेलु क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रदान

करता है। 27 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने एअर इण्डिया को 18,000 करोड़ रूपये में खरीद लिया था।

सारणी 3.6
भारत के प्रमुख वायु पत्तनों के नाम की सूची

क्र.	हवाई अड्डा	राज्य
1.	इन्दिरा गाँधी अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	नई दिल्ली, दिल्ली
2.	केम्पेगौड़ा अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	बङ्गलुरू, कर्नाटक
3.	गोवा अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	गोवा, गोवा
4.	चेन्नई अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	चेन्नई, तमिलनाडु
5.	छत्रपति शिवाजी अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	मुम्बई, महाराष्ट्र
6.	जयपुर अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	जयपुर, राजस्थान
7.	त्रिवेन्द्रम अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	तिरुवनन्तपुरम् , केरल
8.	देवी अहिल्याबाई होल्कर अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	इन्दौर, मध्य प्रदेश
9.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	कोलकाता, पश्चिम बङ्गाल
10.	मदुरै हवाई अड्डा	मदुरै, तमिलनाडु
11.	लाल बहादुर शास्त्री अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	वाराणसी, उत्तर प्रदेश
12.	लोकनायक जयप्रकाश अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	पटना, बिहार
13.	शहीद भगत सिंह अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	मोहाली, पञ्जाब
14.	सरदार वल्लभभाई पटेल अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	अहमदाबाद, गुजरात

पाइपलाइन परिवहन- पाइप लाइन परिवहन द्वारा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थो, तरलीकृत कोयले, पेयजल आदि का परिवहन किया जाता है। इसे जल, थल, पर्वत, वन कहीं से भी सुगमता से निकाला जा सकता है। बिग इञ्च तथा स्माल इञ्च पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करता है। कोमेकोन पाइप लाइन (सोवियत संघ), टैप पाइप लाइन (ओपेक देशों के मध्य), ESPO तेल पाइप लाइन (रूस व चीन के मध्य), भारत-नेपाल पाइपलाइन विश्व की महत्वपूर्ण पाइपलाईन परिवहन हैं।

भारत में भी गैस व खनिज तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन का विकास हुआ है। भारत के नहरकटीया (असम) से बरौनी तक बाद में इसे कानपुर तक विस्तारित किया है। दूसरी विस्तृत

पाइप लाइन अङ्कलेश्वर से कोयली, मुम्बई हाई से कोयली तथा हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर हैं। सलाया (गुजरात) से मथुरा तक पाइप लाइन बनाई जा चुकी है। नुमाली से सिलीगुड़ी तक पाइप लाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

इसे भी जानें-

- भारत में गैस स्त्रोतों को माँग केन्द्रों से जोड़ने तथा पाइप लाइन अवसंरचना का जाल बनाने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसका उद्देश्य नगर में गैस तन्त्र को विकसित करना है।
- प्रधानमन्त्री ऊर्जा योजना के अन्तर्गत ऊर्जा गङ्गा गैस पाइप लाइन परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना द्वारा वाराणसी सहित 40 जिलों के 2600 गाँवों में रसोई गैस उपलब्ध कराना है।
- वर्तमान में 16788 कि.मी. की प्राकृतिक गैस पाइप लाइन सेवा चालू है तथा 14239 कि.मी. का विकास किया जा रहा है।

सञ्चार- सञ्चार का आशय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेशों को प्रेषित करना है। इसमें दूरसञ्चार (टेलीफोन, मोबाइल), श्रव्य-दृश्य साधन (फिल्में, रेडियो, टी.वी, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं) आदि को सम्मिलित गया है। प्रारम्भ में टेलिग्राफ व टेलिफोन सञ्चार के सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम थे। सञ्चार साधनों में आई क्रान्ति ने सम्पूर्ण विश्व को आपस में जोड़ दिया है। विचारों, दर्शनों, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जिन साधनों या माध्यमों द्वारा पहुँचाया जाता है, वे सञ्चार के साधन कहलाते हैं।

उपग्रह सञ्चार- उपग्रह सञ्चार का उपयोग टेलीफोन, टेलीविजन, इन्टरनेट, रेडियो आदि के लिए होता है। सञ्चार तकनीकी के क्षेत्र में अमेरिका व रूस (1970 ई.) अग्रणी देश हैं। भारत द्वारा आर्यभट्ट (1979 ई.), भास्कर-1 (1979 ई.), रोहिणी (1980 ई.), एप्पल (1981ई.) जैसे कृत्रिम उपग्रहों का विकास किया गया है।

इसे भी जानें-

- भारत में रेडियो का प्रारम्भ 1923 ई. में मुम्बई में हुआ था।
- भारत में टेलीविजन सेवाओं का प्रारम्भ 1959 ई. में हुआ था।

साइबर स्पेस- साइबर स्पेस, एक प्रकार से वर्चुअल कम्प्यूटर की दुनिया है , जो कम्प्यूटर नेटवर्क के पारस्परिक वातावरण पर काम कर रहा है। साइबर स्पेस व इन्टरनेट ने देखने, प्रतिनिधित्व करने और सञ्चार के माध्यमों में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया गया है।

अन्ताराष्ट्रीय व्यापार- व्यापार से आशय वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान-प्रदान से है, जिसमें दो पक्षों का होना आवश्यक है। व्यापार, राष्ट्रीय और अन्ताराष्ट्रीय दो स्तर पर होता है। जब माल, पूँजी व सेवाओं का आदान-प्रदान देश की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर होता है, तो यह राष्ट्रीय व्यापार

कहलाता है। जब माल, पूँजी व सेवाओं का आदान-प्रदान देश के बाहर होता है, तो यह अन्ताराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है।

सारणी 3.7 विश्व के प्रमुख सूचना प्रोद्यौगिकी क्षेत्र	
देश का नाम	**सिलिकान सिटी**
संयुक्त राज्य अमेरीका	सेन फ्रांसिस्को
भारत	बैंगलुरू
चीन	बिजिंग
जापान	फुकुओका
सिंगापुर	सिंगापुर

अन्ताराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास- प्राचीनकाल में अन्तार्राष्ट्रीय व्यापार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है- **शतारित्रां नावमातस्थिवासम्।** (2.25.7) अर्थात् व्यापारी सौ पतवार वाली नौका पर बैठा है। **अनारम्भणे तदवीरायेथा मनास्थाने अग्रभणे समुद्रे।** (1.116.5) इस मन्त्र में कहा गया है कि, व्यापारी के पोत को अश्वनीकुमार ने समुद्र के बाहर निकाला था। इससे स्पष्ट है कि उस समय भारत में समुद्री व्यापार होता था। वैदिक वाङ्मय में नौकाओं के वर्णन मिलने के से हम कह सकते हैं कि उस समय व्यापार जल मार्ग के द्वारा होता था। दक्षिण भारत के चोल, चेर, पाण्डय आदि साम्राज्यों में जल मार्ग द्वारा पूर्व के देशों के साथ व्यापार होता था और समुद्री सीमाओं एवं व्यापारियों की सुरक्षा हेतु नौ सेना होती थी।

प्राचीनकाल में विश्व व्यापार का प्रमुख मार्ग 6000 कि.मी.लम्बा रेशम मार्ग था। इस मार्ग से व्यापारी भारत, पर्शिया, मध्य एशिया आदि देशों से चीनी रेशम, ऊन, मसाले, सूती वस्त्र आदि का व्यापार करते थे। समुद्री युद्धपोतों के विकास ने यूरोप व एशिया के मध्य व्यापार को सुगम बनाया था । औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में कच्चे माल (ऊन, अनाज आदि) की माँग बढ़ी लेकिन उनका मौद्रिक मूल्य कम हो गया था। अब औद्योगिक राष्ट्र एक-दूसरे के आपस में मुख्य ग्राहक बन गए थे। अन्ताराष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तम्भ है, यह विश्व के आर्थिक तन्त्र का आधार तथा उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है।

अन्ताराष्ट्रीय व्यापार का आधार- आर्थिक विकास की प्रावस्था, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, जनसंख्या कारक, विदेशी निवेश की सीमा, परिवहन, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी माँग को आकर्षित करना, विकास की संभावनाओं व रोजगार क्षमता में सुधार, जीवन स्तर में वृद्धि आदि अन्ताराष्ट्रीय व्यापार के आधार हैं। अन्ताराष्ट्रीय व्यापार के चार महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं – 1. व्यापार का परिमाण 2. व्यापार संयोजन 3. व्यापार की दिशा 4. व्यापार सन्तुलन ।

1. व्यापार की गई वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को **व्यापार का परिमाण** कहा जाता है।
2. आयातित व निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के सन्तुलन को **व्यापार संयोजन** कहा जाता है।

3. पहले विकासशील देश यूरोपीय देशों को मूल्यवान् वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात करते थे। 20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में विश्व व्यापार में तीव्र परिवर्तन हुए। अब यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए तथा भारत, चीन व अन्य देशों ने विकसित देशों के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरु कर दी है। धीरे-धीरे व्यापार में आये इस परिवर्तन को **व्यापार की दिशा का प्रत्यावर्तन** कहा जाता है।
4. किसी देश के आयात-निर्यात के मध्य मूल्यों में अन्तर को **व्यापार सन्तुलन** कहा जाता है। यदि निर्यात का मूल्य, आयात के मूल्य से अधिक है, तो व्यापार सन्तुलन धनात्मक या अनुकूल होता है। यदि आयात का मूल्य, निर्यात के मूल्य से अधिक है, तो व्यापार सन्तुलन ऋणात्मक या प्रतिकूल होता है।

अन्ताराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार- अन्ताराष्ट्रीय व्यापार को दो भागों में विभाजित किया गया है- द्विपार्श्विक और बहु पार्श्विक व्यापार। जब व्यापार दो देशों के मध्य होता है तो यह **द्विपार्श्विक व्यापार** कहलाता है। जब एक देश, अनेक देशों से व्यापार करता है तो यह **बहु पार्श्विक व्यापार** कहलाता है। मुक्त व्यापार या आर्थिक उदारीकरण या का अर्थ, अर्थव्यवस्थाओं को खोलना है। इसमें व्यापारिक अवरोधों जैसे- सीमा शुल्क, टैरिफ, कोटा आदि को समाप्त करके अन्ताराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया जाता है।

मानचित्र- 3.2 भारत में मुख्य पत्तन एवं समुद्री मार्ग

विश्व व्यापार सङ्गठन- 1948 ई. में कुछ देशों द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ (GATT) का गठन उच्च सीमा शुल्क व व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करने के लिए किया था, जिसे 1995 ई. में विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) में रूपान्तरित कर दिया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विटजरलैण्ड) में है। विश्व व्यापार सङ्गठन का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, पारदर्शी व अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था स्थापित करना है।

प्रादेशिक व्यापार समूह- प्रादेशिक व्यापार समूह का मुख्य उद्देश्य प्रादेशिक व्यापार को बढाना व विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबन्धों को समाप्त करना है। वर्तमान में लगभग 120 प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, जो लगभग 52% व्यापार पर अपना प्रभाव रखते है। इनमें आसियान, ओपेक, नाफ्टा, साफ्टा, यूरोपीय संघ (ई.यू.), सी.आई.एस. आदि प्रमुख हैं।

सारणी 3.8
विश्व में विशिष्ट पत्तनों की सूची

तेल पत्तन	अबादान (पर्शिया), माराकाइबो (वेनेजुएला) पत्तन
मार्ग (विश्राम) पत्तन	होनोलूलू, सिङ्गापुर
पैकेट स्टेशन पत्तन	डोवर (इंग्लैंड), कैलाइस (फ्रान्स)
आन्त्रपो पत्तन (जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएँ लाई जाती हैं।)	सिङ्गापुर (एशिया), रोटरडम (यूरोप)
नौ सेना पत्तन	कोच्ची, मुम्बई, विशाखापट्टनम् आदि (भारत)

अन्ताराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार पत्तन- पत्तन या बन्दरगाह अन्ताराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं जैसे - औद्योगिक पत्तन, वाणिज्यिक पत्तन, विस्तृत पत्तन, अन्तर्देशीय पत्तन, बाह्य पत्तन, नौ सेना पत्तन आदि। इसके अतिरिक्त विशिष्ट क्रिया कलापों के आधार पर भी पत्तनों को वर्गीकृत किया जाता है।

भारत में प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राओं का प्रचलन रहा है। भारत में आधुनिक पत्तनों का विकास यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से माना जाता है। भारत में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर पत्तन अधिक है। वर्तमान में लगभग 13 बड़े तथा 15 छोटे या मझोले पत्तन है। मुम्बई पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन (महाराष्ट्र), इन्दिरा गाँधी पत्तन (पश्चिम बङ्गाल), न्यूमङ्गलौर पत्तन (कर्नाटक), चेन्नई पत्तन (तमिलनाडु), पारद्वीप पत्तन (ओडीसा), विशाखापट्टनम पत्तन (आन्ध्र प्रदेश), काण्डला (गुजरात) आदि महत्त्वपूर्ण पत्तन हैं।

भारत के निर्यात संघटन के बदलते प्रारूप- भारत में कृषि एवं समवर्गी उत्पादों जैसे- कॉफी, चाय, मसालें, दालें आदि के निर्यात में कुछ वर्षों में गिरावट आई है। फलों, समुद्री उत्पादों, चीनी, इंजीनियरिंग सामान आदि के निर्यात में वृद्धि हुई है। भारत के विदेशी व्यापार में मणियों, रत्नों, आभूषणों आदि की व्यापक हिस्सेदारी है।

भारत में आयात संघटन के बदलते प्रारूप- भारत में पेट्रोलियम पदार्थ व उर्वरकों, सोना-चाँदी, धातुमय अयस्क, मोती व उपरत्न, अलौह धातुएँ, इलेक्ट्रॉनिक धातुओं आदि का आयात होता है। वर्ष 1994 से 2004 ई. के आंकड़ों के अनुसार भारत में उर्वरकों एवं पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि हुई है, जबकि खाद्य पदार्थों के आयात में कमी आई है।

सारणी 3.9
प्रमुख देशों के साथ भारत का निर्यात और आयात, व्यापार USS बिलियन

		निर्यात		आयात	
क्र.	देश	अप्रै.-नव. 2020	अप्रै.-नव. 2021	अप्रै.-नव. 2020	अप्रै.-नव. 2021
1.	अमेरिका	31.3	49.0	16.3	27.4
2.	बांग्लादेश	5.1	9.2	0.6	1.3
3.	नेपाल	3.5	6.0	0.4	1.0
4.	तुर्की	2.3	5.1	0.9	1.3
5.	सं. अरब अमीरात	9.7	17.5	13.1	27.9
6.	चीन	13.6	15.6	38.8	59.0
7	सऊदी अरब	3.6	5.8	9.2	19.2

व्यापार की दिशा- वैश्विक व्यापार की साझेदारी की दृष्टि से भारत का प्रमुख साझेदार देश अप्रैल, 2020 ई. के अनुसार चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब आदि हैं। भारत विश्व के 190 देशों को लगभग 7500 वस्तुएँ निर्यात तथा 140 देशों से लगभग 6000 वस्तुएँ आयात करता है।

हवाई अड्डे- अन्ताराष्ट्रीय व्यापार में हवाई अड्डों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में कई अन्ताराष्ट्रीय व घरेलू हवाई अड्डे है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, अमृतसर, जयपुर, वाराणसी, लखनऊ, बङ्गलौर, गोवा, गुवाहाटी, कोच्चि, तिरुवनन्तपुरम, हैदराबाद आदि शहरों में अन्ताराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

इसे भी जानें-
- नागर विमानन मन्त्रालय की 2 दिसम्बर, 2022 के अनुसार भारत में कुल 153 हवाई अड्डे हैं, जिनमें 35 अन्ताराष्ट्रीय और 118 घरेलु हवाई अड्डे हैं।
- भारत का सर्वाधिक व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका (2021-22) है।

भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ- चिकित्सा उपचार को अन्ताराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जब सम्बन्ध कर लिया जाता है, तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत में विश्वस्तरीय

चिकित्सा सेवाएँ सस्ती दर पर उपलब्ध होती हैं इसलिए भारत में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में उपचार के लिए रोगी भारत आते हैं। भारत चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है।

उपरोक्त तृतीयक क्षेत्र के अध्ययन से पता चलता है कि उदारीकरण के बाद इस क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है। इस अत्यधिक विकास के कारण चतुर्थ और पञ्चम क्षेत्र का विश्व मञ्च पर उदय हुआ है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर आधारित होते हैं। चतुर्थ क्रियाकलापों में सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन शामिल है। वे सेवाएँ जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन और व्याख्या के मूल्यांकन पर केन्द्रित होती है पञ्चम क्रिया कलाप कहलाती हैं। इसके अन्तर्गत उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीति निर्माण को शामिल किया जाता है। इसमें चतुर्थ सेक्टर से जुड़े हुए ज्ञान आधारित उद्योग भी आते हैं।

इसे भी जानें-

- विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विभिन्नताओं के कारण सञ्चार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, इसे 'अंकीय विभाजक' कहा जाता है। किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को कितनी तीव्रता से सूचना व सञ्चार प्रौद्योगिकी व उसके लाभ उपलब्ध करवाए जाते हैं, यह इसका निर्णायक कारक होता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश..... है।
   अ. भारत ब. जापान स. अमेरिका द. चीन
2. वर्तमान में प्रादेशिक व्यापार समूहों की संख्या..... है ।
   अ. 120 ब. 125 स. 130 द. 135
3. अन्ताराष्ट्रीय व्यापार का प्रारम्भ.....हुआ।
   अ. खान-पान की वस्तुओं से ब. विलास की वस्तुओं से
   स. सूती वस्त्रों से द उपर्युक्त सभी से
4. भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश..... है।
   अ संयुक्त राज्य अमेरिका ब. संयुक्त अरब अमीरात
   स चीन द. इराक

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. देश की भौगोलिक सीमाओं में होने वाला व्यापार ..... व्यापार कहलाता है। (राष्ट्रीय/अन्ताराष्ट्रीय)
2. विश्व व्यापार सङ्गठन की स्थापना ..... में हुई। (1948ई./1953ई.)
3. सडकों के लिहाज से भारत का विश्व में..... स्थान रखता है। (प्रथम/तृतीय)

4. चतुर्थ क्रियाकलाप .....और विकास पर आधारित होते हैं। (अनुसंधान/संसाधन)

सत्य/असत्य बताइए -

1. चैन्नई में अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सत्य/असत्य
2. वायु परिवहन विश्व का सबसे प्राचीन परिवहन का साधन है। सत्य/असत्य
3. भारत द्वारा 1975 में आर्यभट्ट नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। सत्य/असत्य
4. भारत चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. रेल परिवहन	क. परिवहन का सबसे सस्ता साधन
2. जल परिवहन	ख. परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन
3. वायु परिवहन	ग. पर्वतीय क्षेत्रों का साधन
4. सड़क परिवहन	घ. परिवहन का सबसे तीव्रगामी साधन

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. परिवहन से क्या आशय है ?
2. परिवहन से प्रमुख प्रकारों के नाम बताइये ।
3. अन्ताराष्ट्रीय व्यापार से क्या आशय है?
4. मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं?
5. भारत किन-किन वस्तुओं का निर्यात करता है?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सञ्चार किसे कहते हैं।
2. पाइप लाइन परिवहन पर टिप्पणी लिखिये।
3. व्यापार सन्तुलन से आप क्या समझते हैं?
4. विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) पर टिप्पणी लिखिए।
5. समुद्री पत्तनों को अन्ताराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा गया है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. परिवहन का क्या अर्थ है? ये कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए।
2. अन्ताराष्ट्रीय व्यापार में भारत के योगदान को समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. भारत और विश्व के प्रमुख हवाई अड्डों की सूची बनाइए और नई दिल्ली से न्यूयार्क मार्ग को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए।

वेदविभूषण द्वितीय वर्ष

इतिहास

अध्याय - 4

मानव सम्बन्ध एवं सम्बन्धी व्याख्या

(सरस्वती-सिन्धु सभ्यता से 600 ई. तक का भारत)

इस अध्याय में- प्रमुख पुरास्थल, सरस्वती-सिन्धु सभ्यता की विशेषताएँ, सुदूर क्षेत्रों से सम्पर्क, सभ्यता का अवसान, महाजनपद काल, मगध, आरम्भिक साम्राज्य, दक्षिण के नरेश और सरदार, गुप्तकाल, नगर और व्यापार, मुद्राएँ और शासक, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक विकास (विचारक विश्वास और इमारतें), उपनिषदों में नवीन विचारधारा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चैत्य और स्तूप, मूर्तिकला व चित्रकला, सनातन धर्म (हिन्दू धर्म)।

सरस्वती, सिन्धु और उनकी सहायक नदियों के किनारे विकसित सभ्यता को सरस्वती-सिन्धु सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष वर्तमान पाकिस्तान के माण्टगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त होने के कारण इसे 'हड़प्पा सभ्यता' भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में सरस्वती-सिन्धु सभ्यता से पूर्व की भी अनेक संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे विद्वानों ने प्राक् सैन्धव संस्कृति कहा है। गार्डन चाइल्ड ने सरस्वती सिन्धु सभ्यता को 4000 वर्ष पूर्व तथा मार्टिमर व्हीलर ने 2000 वर्ष ई. पू. से 1500 वर्ष ई. पू. के मध्य का माना है। अद्यतन खोजों के अनुसार यह सभ्यता 8000 वर्ष से भी अधिक पुरानी बताई गई है। अधिकांश पुरातत्त्वविदों ने इस सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ई. पू. के मध्य किया है।

इसे भी जानें-

- सरस्वती नदी भारत की प्राचीनतम् नदियों में से एक थी, जो आज विलुप्त हो चुकी है। यह नदी आदि बद्री (उत्तराखण्ड) से उद्गमित होकर हरियाणा के यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, सहित राजस्थान के हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर से होती हुई गुजरात में अरब सागर में समाहित होती थी।
- झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज, कुर्रम, काभुल आदि सिन्धु नदी की सहायक नदियाँ हैं।
- हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई सर्वप्रथम 1921 ई. में दयाराम साहनी के नेतृत्त्व में हुई थी।
- मोहनजोदड़ो पुरास्थल की खुदाई 1922 ई. में राखलदास बनर्जी के नेतृत्त्व में हुई थी।

प्रमुख पुरास्थल- सरस्वती-सिन्धु सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो (पाकिस्तान), रोपड़ (पञ्जाब) बनावली (हरियाणा) कालाबङ्गा (राजस्थान), लोथल, सुरकोटड़ा, रङ्गपुर (गुजरात), आलमगीरपुर (उत्तरप्रदेश) आदि हैं।

सरस्वती-सिन्धु सभ्यता की विशेषताएँ- सरस्वती-सिन्धु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत करेंगे।

1. **नगरीय सभ्यता-** सरस्वती-सिन्धु सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। मोहनजोदड़ो में ऊँचे स्थान को दुर्ग तथा निचले स्थान को नगर कहा जाता था। नगर की सुरक्षा के लिए के चारों ओर रक्षा प्राचीरें होती थीं। मोहनजोदड़ो के निचले भाग में आवासीय भवन होते थे। जिनमें कई रसोई, कमरे, आँगन तथा स्नानागार होते थे और जल निकासी के लिए नालियाँ होती थीं। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। दुर्गों के अन्दर ईंटों से निर्मित मकान और मालगोदाम होते थे, जिनके ऊपरी भाग लकड़ी से

मानचित्र 4.1- सरस्वती- सिन्धु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र

बने होते थे। घरों के आँगन में जलाशय होता था। नगरों की सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हड़प्पा नगर अपनी सुनियोजित जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था।

इसे भी जानें-

- सरस्वती-सिन्धु सभ्यता काल में नागेश्वर और बालाकोट से शङ्ख, शोर्तुघई (अफगानिस्तान) से लाजवर्द मणि, खेतड़ी (राजस्थान) से ताँबा, दक्षिण भारत से सोना मँगवाया जाता था।

2. **जनजीवन और कृषि-** सरस्वती-सिन्धु सभ्यता काल में लोग दैनिक जीवन में विविध वनस्पतियों से प्राप्त खाद्यान्नों का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त मछली एवं अन्य जीवों के माँस का भी प्रयोग होता था। गाय, बैल, भेड, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। मृण्मय मूर्तियों में बने वृषभ से पुरातत्वविद् यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए उस काल में बैलों का प्रयोग होता था। चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली (हरियाणा) पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी से बने हल के नमूने से स्पष्ट होता है कि इस काल में लोग खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते होंगे। कुँओं एवं नहरों से सिंचाई होती थी। पुरातत्वविदों ने कृषि में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के हत्थे लगे पत्थर एवं धातु के औजारों की पहचान है।

इसे भी जानें-

- मोहनजोदड़ो से खुदाई में प्राप्त विशाल भवन का आकार 242x115 फीट, विशाल स्नानागार का आकार 54x33 मीटर तथा इसके निकट 29x23x8 फीट के आकार का कुण्ड मिला है।
- विशाल अन्नागार आकार 169x133 फीट था।
- सरस्वती-सिन्धु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का आकार 30x20x10 सेमी था।

3. **शिल्प कला एवं उद्योग-** मनके बनाना, शङ्ख की कटाई, धातुकार्य, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि शिल्प कला एवं उद्योगों का प्रचलन था। विविध प्रकार के पत्थर जैसे- जैस्पर, स्फटिक, कार्टज, तथा शेलखड़ी आदि तथा शङ्ख, पकी मिट्टी के अतिरिक्त ताँबा, काँसा तथा स्वर्ण जैसी धातुओं का प्रयोग मनके बनाने के लिए होता था। शिल्प निर्माण में अनेक प्रकार के कच्चे माल का उपयोग होता था। विविध प्रकार के पत्थर और धातुएँ बाहर से मँगाई जाती थी। परिवहन का प्रमुख माध्यम बैलगाड़ी थी।

इसे भी जानें-

- कालीबङ्गा (राजस्थान) से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं।
- शोर्तुघई (अफगानिस्तान) नामक स्थल से नहरों के होने का पता चला है।

4. **दैनिक उपयोग की वस्तुएँ-** पुरातत्व विशारदों ने सरस्वती-सिन्धु सभ्यता काल के पुरास्थलों से प्राप्त पुरावस्तुओं के दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है- प्रथम भाग में दैनिक उपयोग की वस्तुएँ जैसे-चक्कियाँ, मृदभाण्ड, सुइयाँ आदि हैं। दूसरे भाग में मूल्यवान वस्तुएँ जैसे- विविध प्रकार के मृदभाण्ड आदि

हैं। सोना आज की ही भाँति मूल्यवान धातु मानी जाती थी। खुदाई में सुन्दर आकार के सोने, चाँदी एवं पत्थरों से निर्मित आभूषणों के साथ ही अनेक मिट्टी के खिलौने और शतरंज और चौपड़ और पाँसे प्राप्त हुए हैं।

इसे भी जानें-

- भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय विकास 1830 के दशक में तब हुआ, जब जेम्स प्रिन्सेप नामक अंग्रेज अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। इस लिपि का उपयोग आरम्भिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है।

मुहरें, लिपि तथा बाट- सरस्वती-सिन्धु सभ्यता में मुहरों तथा मुद्राङ्कनों का प्रयोग सुदूर के सम्पर्कों को सरल बनाने के लिये होता था। मुहरों पर अङ्कित लेख और चित्र, स्वामी के नाम या उपाधि का संकेतक है। खुदाई में कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगभग 26 चिन्ह (लिपि) हैं। इन अभिलेखों की लिपि अभी तक अपठनीय है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। वस्तुओं का आदान-प्रदान, बाटों की विशुद्ध प्रणाली से नियन्त्रित होता था। ये बाट, प्रायः चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे।

इसे भी जानें-

- सरस्वती-सिन्धु सभ्यता में शवों को भूमि में गाड़ा जाता था। शव के साथ धन सम्पत्ति और भोजन सामग्री रखी जाती थी। 1980 ई. के दशक में पिरामिडों की खुदाई में पुरुष खोपड़ी के बगल में शङ्ख, मृद्भाण्ड, आभूषण आदि मिले हैं।

5. **प्राचीन सत्ता-** सरस्वती-सिन्धु सभ्यता में पुरावस्तुओं की एकरूपता से तत्कालीन समाज के सङ्गठित होने का पता चलता है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ों से प्राप्त एक विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी है। एक पाषाण प्रतिमा को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। पुराविदों का मत है कि हड़प्पाई समाज में सबकी स्थिति एक जैसी थी, कोई शासक नहीं था।

सुदूर क्षेत्रों से सम्पर्क- सरस्वती-सिन्धु सभ्यता के प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि अरब प्रायद्वीप में स्थित ओमान से ताँबा लाया जाता था। मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिये **मगान** शब्द का प्रयोग हुआ है, जहाँ ताँबे की प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। सुदूर सम्पर्कों का संकेत करने वाली अनेक वस्तुओं में हड़प्पाई मुहरें, बाट, पाँसे तथा मनके शामिल हैं।

चित्र 4.1- पुरोहित राजा

सभ्यता का अवसान- सरस्वती-सिन्धु सभ्यता के अवसान का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, संसाधनों का

अतिदोहन, अन्यत्र प्रवास आदि माने जाते हैं। परन्तु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1800 ई.पू. तक अधिकांश चोलिस्तान और हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया होगा। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश की नवीन बस्तियों में जनसंख्या बढ़ने लगी होंगी।

सारणी 4.1

कालरेखा- सरस्वती-सिन्धु सभ्यता खुदाई के प्रमुख चरण

वर्ष	घटना क्रम
1875 ई.	कनिंघम रिपोर्ट
1921 ई.	दयाराम साहनी और माधोस्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन
1955 ई.	एस.आर. राव द्वारा लोथल में उत्खनन
1960 ई.	बी.बी.लाल और वी.के. थापर द्वारा कालीबङ्गा में उत्खनन
1990 ई.	आर. एस. विष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन

महाजनपद काल- हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार के विकास और परिवर्तन हुए थे। जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में राजनीतिक दृष्टि से अखण्ड भारत के अन्तर्गत सोलह महाजनपदों का उल्लेख है। जिनका विस्तृत अध्ययन हम आगामी बिन्दु सोलह महाजनपद के अन्तर्गत करेंगे। इसके अतिरिक्त महाभारत में दार्द, हूण, हुन्जा, आम्बिष्ठ पख्तु, कैकय, वाल्हिक, अभिसार, कश्मीर, मद्र, सौवीर, सौराष्ट्र, मालव, प्राग्ज्योतिषपुर, कलिङ्ग, कर्णाटक, पाण्डय, अनूप, विन्ध्य, मलय, द्रविड़, चोल, शिवि, चालुक्य, खोखर, योधेय, पुण्ड्र आदि सहित लगभग 200 जनपदों का उल्लेख है। ये जनपद, महाजनपदों की अपेक्षा छोटे तथा स्वतन्त्र राजनीतिक इकाई थे। ईसा पूर्व छठी सदी में भारत में अनेक आरम्भिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हुआ था। इतिहासकार, इस काल के विकासक्रम का अनुमान क्रमशः अभिलेखों, ग्रन्थों, सिक्कों तथा चित्रों से करते हैं।

इसे भी जानें-

- बौद्ध ग्रन्थ 'अङ्गुत्तर निकाय,' 'महावस्तु' और जैन ग्रन्थ के 'भगवती सूत्र' में महाजनपदों की संख्या सोलह दी गई है। इन महाजनपदों में कुछ राजतन्त्रीय और कुछ गणतन्त्रीय थे। मल्ल और वज्जि महाजनपद में गणतन्त्रीय शासन प्रणाली थी।

सोलह महाजनपद- भारतीय इतिहास में छठी सदी ई.पू. का काल महान परिवर्तनकारी रहा है, जिसे आधुनिक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने आरम्भिक

राज्यों, नगरों और लोहे के उपयोग के साथ जोड़ा है। इस काल में भारत में बौद्ध, जैन धर्म सहित अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का उदय और विकास हुआ था। बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रन्थों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें वज्जि, मगध, कौशल, कुरु, पाञ्चाल, गान्धार, काशी, अङ्ग, चेदि, वत्स, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, कम्बोज, मल्ल और अवन्ति जैसे नाम प्रमुखता से उल्लेखित हैं। इन महाजनपदों में कुछ में राजतन्त्रीय , तो कुछ में गणतन्त्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित थी। महाजनपदों की राजधानी को

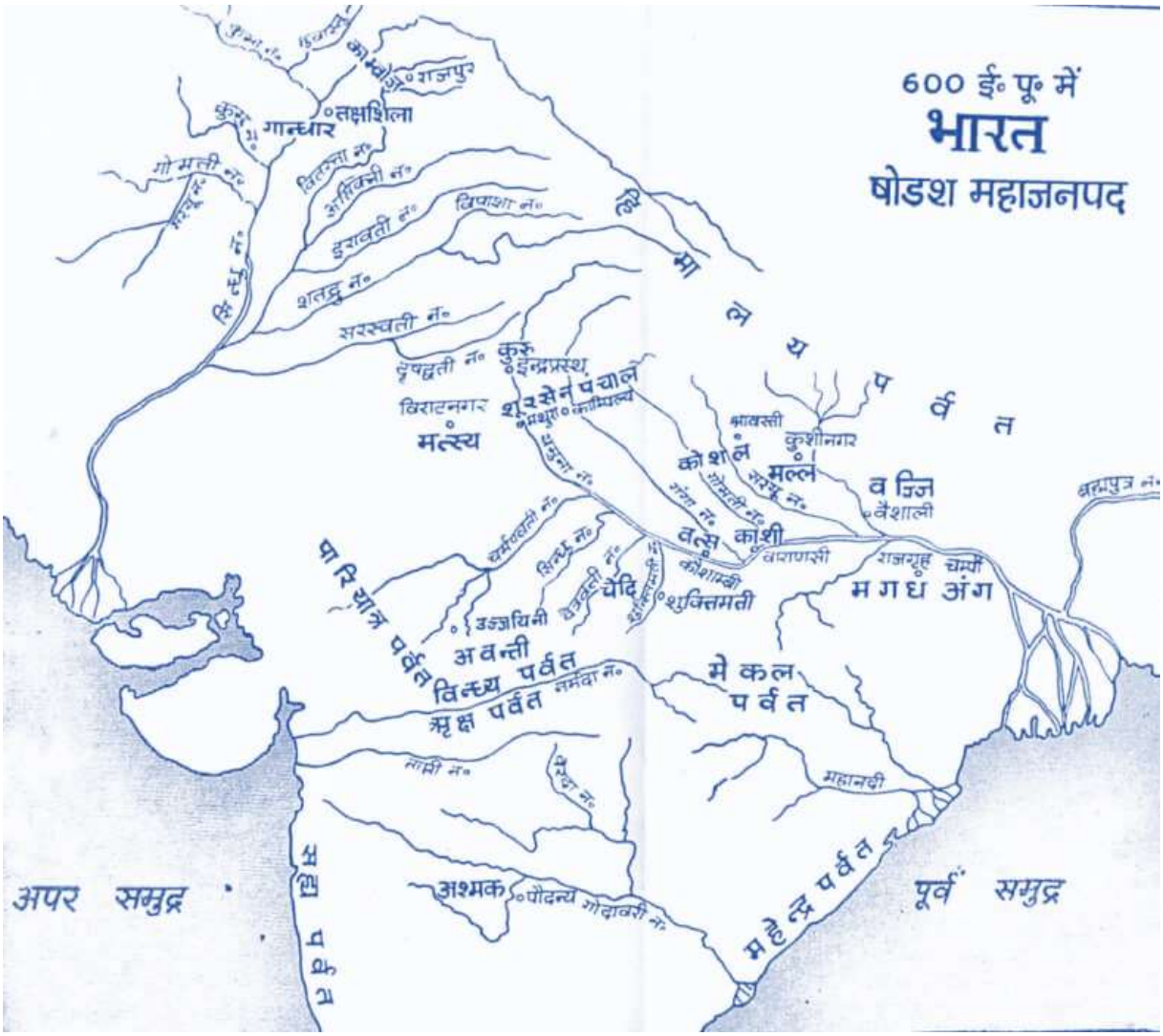

मानचित्र 4.2- महाभारतकालीन भारत और 600 ईस्वी पूर्व भारत के सोलह महाजन पद

किले से घेरा जाता था। इस काल में अधिकांश ग्रन्थ लेखन का कार्य संस्कृत भाषा में हुआ था। माना जाता है कि इस काल तक शासक सहित अन्य सभी वर्गों के लिए आचार संहिता का निर्धारण हो चुका था।

मगध- छठी से चौथी शताब्दी ई. पू. तक सभी महाजनपदों में मगध (आधुनिक बिहार) महाजनपद सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न होने के कारण एक साम्राज्य के रूप में विस्तृत हुआ था। यहाँ उपजाऊ भूमि,

विविध खनिज पदार्थ, हाथी आदि संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। इस महाजनपद के इतिहास में हर्यकवंश (544 ई.पू. से 412 ई.पू.) में बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन आदि अति महत्वाकाङ्क्षी शासक हुए हैं। इसके पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश (412 ई.पू. से 344 ई.पू.) के शिशुनाग, काकवर्ण, महानन्दिन आदि ने शासन किया था। महापद्मनन्द ने शिशुनाग वंश की सत्ता को समाप्त कर नन्दवंश (344 ई.पू.-322 ई.पू.) की स्थापना की थी। मगध की प्रारम्भिक राजधानी राजगृह थी परन्तु उदयन ने मगध की राजधानी, पाटलिपुत्र (पटना) को बनाया था।

इसे भी जानें-

- चन्द्रगुप्त मौर्य ने 322 ई.पू. मगध पर विजय प्राप्त की थी।
- मौर्य इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्राराक्षस, क्षेमेन्द्र की वृहत्कथामञ्जरी, मेगस्थनीज की इंडिका आदि हैं।
- पुरातात्त्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है।

आरम्भिक साम्राज्य- इतिहासकार भारत में मगध को आरम्भिक साम्राज्य मानते हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना चन्द्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला के आचार्य कौटिल्य की सहायता से लगभग 321 ई.पू. में की थी। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में मगध का शासन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। मौर्यवंश में सम्राट अशोक न केवल मगध अपितु भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक हुआ था। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के ज्ञान के प्रमुख स्रोत अर्थशास्त्र, इण्डिका, अभिलेख, मूर्तिकला आदि है। अशोक ने सर्वप्रथम अधिकारियों और प्रजा के लिए प्राकृतिक पत्थरों पर संदेश लिखवाये थे, जिन्हें 'शिलालेख' कहते हैं।

सरणी 4.2

मौर्य सम्राटों की सूची

नाम	तिथिक्रम
चन्द्रगुप्त	317 ईस्वी पूर्व से 293 ईस्वी पूर्व तक
बिन्दुसार	293 ईस्वी पूर्व से 268 ईस्वी पूर्व तक
अशोक	268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक
दशरथ	232 ईस्वी पूर्व से 224 ईस्वी पूर्व तक
सम्प्रति	224 ईस्वी पूर्व से 215 ईस्वी पूर्व तक
शालिशुक	215 ईस्वी पूर्व से 202 ईस्वी पूर्व तक
देववर्मा	202 ईस्वी पूर्व से 195 ईस्वी पूर्व तक
शतधन्वा	195 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक
वृहद्रथ	187 ईस्वी पूर्व से 180 ईस्वी पूर्व तक

साम्राज्य का प्रशासन- मौर्य साम्राज्य के पाँच प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रों में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जयिनी, तोसलि और सुवर्णगिरि थे। मौर्यों के साम्राज्य सीमा का विस्तार, आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखण्ड और कर्नाटक तक था। स्थल व जल दोनों मार्गों से परिवहन होता था। सेना, सुरक्षा का प्रमुख माध्यम थी। सैन्य क्रियाकलापों के सञ्चालन हेतु मेगस्थनीज

द्वारा एक महासमिति और छः उपसमितियों का उल्लेख किया गया है- **प्रथम समिति** का दायित्व नौसेना, **दूसरी समिति** का दायित्व यातायात व खानपान, **तीसरी समिति** का दायित्व पैदल सैनिक, **चौथी समिति** का दायित्व अश्वारोहियों, **पाँचवी समिति** का दायित्व रथारोहियों तथा **छठी समिति** का दायित्व हस्ति सेना का नेतृत्व था। कलिङ्ग युद्ध में हुई मारकाट से उत्पन्न क्षोभ के शमन तथा साम्राज्य की अखण्डता की कामना से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था साथ ही प्रशासनिक दृष्टि से 'धम्म महामात्त्य' की नियुक्ति की थी।

मौर्य साम्राज्य का महत्व- 19वीं व 20वीं सदी के इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की सम्भावना अति चुनौतीपूर्ण और उत्साह बढ़ाने वाली लगी थी। पुरातात्विक स्रोतों के रूप में मौर्य कालीन प्रस्तर की मूर्तियाँ तथा अन्य पुरातात्त्विक वस्तुएँ मौर्य साम्राज्य की वैभव, समृधि, कलाप्रियता आदि की पहचान हैं। प्राप्त अभिलेखों से अशोक की प्रसिद्धि एक प्रजावत्सल, उदार एवं महान शासक के रूप में हुई है।

दक्षिण के नरेश और सरदार- भारत उपमहाद्वीप के दक्कन में स्थित तमिलकम में चोल, चेर और पाण्ड्य साम्राज्यों का उदय हुआ जो अति समृद्ध और स्थायी थे। इन राजवंशों में राजा का पद वंशानुगत व सामर्थ्य के आधार पर होता था। राजा के अधीनस्थ सरदार (विविध समूह के नेता) होते थे। धीरे-धीरे सरदारों का पद भी वंशानुगत होने लगा था। दक्षिण के सरदारों का प्रमुख कार्य, विशिष्ट अनुष्ठानों और यज्ञों का आयोजन करना, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना, विवाद में मध्यस्थता करना, भेंट आदि लेना था। उस समय राजा और सरदार व्यापार द्वारा राजस्व एकत्र करते थे।

इसे भी जानें-

- तमिल भाषा का प्राचीनतम् साहित्य संगम साहित्य है।
- संगम साहित्य का संकलन लगभग 300- 600 ई. तक माना जाता है।
- पाण्ड्य शासकों के संरक्षण में तीन संगमों का आयोजन हुआ था।
- संगम साहित्य में तीन राजवंशों चोल, चेर और पाण्ड्य का उल्लेख है।
- तमिल भाषा के प्रमुख साहित्य तोलकाप्पियम्, शिल्प्पादिकारम्, मणिमेखलै आदि हैं।

गुप्तकाल- गुप्तकाल (लगभग 240-540 ई.) के इतिहास को जानने के दो स्रोत साहित्यिक और पुरातात्त्विक हैं। साहित्यिक स्रोतों में कालिदास (कुमार सम्भव और रघुवंशम्), पुराण (वायु, विष्णु और ब्रह्मपुराण) फाह्यान का फा-को-की, ह्वेनसाङ्ग का सि-यू-की आदि हैं। पुरातात्त्विक स्रोतों में महरौली का स्तम्भ लेख, उदयगिरि का गुहा लेख, जूनागढ़ प्रशस्ति आदि हैं। गुप्त

वंश का सबसे प्रतापी शासक चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य था। उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास, धनवन्तरि, वेताल भट्ट, घटकर्पर, अमरसिंह, वररूचि, क्षपणक, शंकु और वराहमिहिर थे।

दैवीय राजा- उस समय राजा का दैवीय अधिकार प्रचलन में था। मथुरा (उत्तर प्रदेश) और अफगानिस्तान से प्राप्त मूर्तियों व गुप्तकाल की प्रशस्तियों, शिलालेखों, सिक्कों आदि से जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय राजा को देवस्वरूप माना जाता था। हरिषेण की प्रयाग प्रशस्ति इतिहास प्रसिद्ध है, इससे समुद्रगुप्त के शासन काल की जानकारी प्राप्त होती है।

सारणी 4.3
गुप्तवंश के प्रमुख शासकों की सूची

शासक	शासन काल
श्रीगुप्त प्रथम	240 से 280 ई.
घटोत्कच	280–319 ई.
चन्द्रगुप्त प्रथम	319–335 ई.
समुद्रगुप्त	335–375 ई.
रामगुप्त	375 ई.
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य	375–415 ई.
कुमारगुप्त प्रथम	415–455 ई.
स्कन्दगुप्त	455–467 ई.
पुरुगुप्त	467–473 ई.
कुमारगुप्त द्वितीय	473–476 ई.
बुद्धगुप्त	476–495 ई.
नरसिंहगुप्त बालादित्य	495–530 ई.
कुमारगुप्त तृतीय	530–540 ई.
विष्णुगुप्त	540–550 ई.

ग्राम्य जीवन- बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, लघु कृषकों और जमींदारों का उल्लेख है। पालि भाषा में छोटे किसानों को गहपति कहा गया है। आरम्भिक काल से ही पत्थरों तथा ताम्रपत्रों में भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग होता था जबकि पञ्जाब और राजस्थान जैसी भूमि में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग बीसवीं सदी से आरम्भ हुआ था। पर्वतीय क्षेत्रों में कुदाल से खेती होती थी। तालाबों, कुओं और नहरों से सिंचाई की जाती थी। उस समय के साहित्य, जातक कथाओं और पञ्चतन्त्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा अपने राजकोष को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कर लगाता था।

नगर और व्यापार- उस समय कुछ नगर (पाटलिपुत्र आदि) नदी मार्ग के किनारे बसे

इसे भी जानें-

- तमिल संगम साहित्य में वेल्लालर (बड़े जमींदार), हलवाहा या उल्वर और दास अणिमई का वर्णन है।
- राजा हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट के हर्ष चरित में ग्राम्यजीवन का विविध चित्रण हुआ है।
- हर्षवर्धन, वर्धन वंश (505 ई.-647 ई.) का सबसे प्रतापी शासक था। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है।

थे तथा कुछ समुद्र तट (पुहार आदि) पर स्थित थे, जहाँ परिवहन जलमार्ग द्वारा होता थे। भू-मार्ग से भी व्यापार होता था। भू-मार्गीय नगरों में मथुरा, उज्जयिनी आदि नगर व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र रहे थे। उस समय भारत से जलमार्ग द्वारा व्यापार उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तथा विश्व के अनेक भागों में होता था। इस काल में धनी व्यापारियों को तमिल भाषा में मसत्थुवन, प्राकृत में सत्थवाह और सेट्ठी कहा जाता था।

मुद्राएँ और शासक- इस काल में मुद्राओं के प्रचलन से विनिमय अधिक सरल हो गया था। छठीं सदी ई.पू. में चाँदी तथा ताँबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए, जिन पर राज चिह्न अङ्कित होते थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम पहली सदी ई. में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। बाद में गुप्त शासकों ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे। मुद्राशास्त्र में सिक्कों का अध्ययन व उन पर अङ्कित चित्र, लिपि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण किया जाता है।

ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि का अध्ययन- आधुनिक भारतीय लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पण्डितों की मदद से आधुनिक बङ्गाली और देवनागरी लिपि में अनेक पाण्डुलिपियों का अध्ययन किया है। खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने से हिन्दू-यूनानी शासकों द्वारा निर्मित सिक्कों से जानकारी प्राप्त करना सरल हुआ है।

अभिलेख साक्ष्य की सीमा- उस समय के प्राप्त अभिलेखों को पढ़ना सरल नहीं है क्योंकि ये अभिलेख अत्यधिक प्राचीन होने के कारण इन पर मुद्रित अक्षर मिट गए हैं या अस्पष्ट हैं। फिर भी विद्वानों ने इनके अध्ययन के लिए वैकल्पिक विधियों का प्रयोग किया है, जिससे इतिहास की सटीक जानकारी नहीं हो पा रही है।

सामाजिक स्थिति- लगभग 600 ई.पू. से 600 ई. के मध्य राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए थे। इन परिवर्तनों का प्रभाव तत्कालीन समाज भी पड़ा था। परिणामत: कृषि भूमि का विस्तार और लोगों की जीवन पद्धति में भी परिवर्तन आया था। साहित्यिक स्रोतों से इतिहासकार समस्त क्रियाकलापों को समझने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार की सर्वाधिक समृद्ध कृतियों में महाभारत है, जिसमें एक लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत में विविध सामाजिक परिस्थितियों का सम्यक उल्लेख हुआ है।

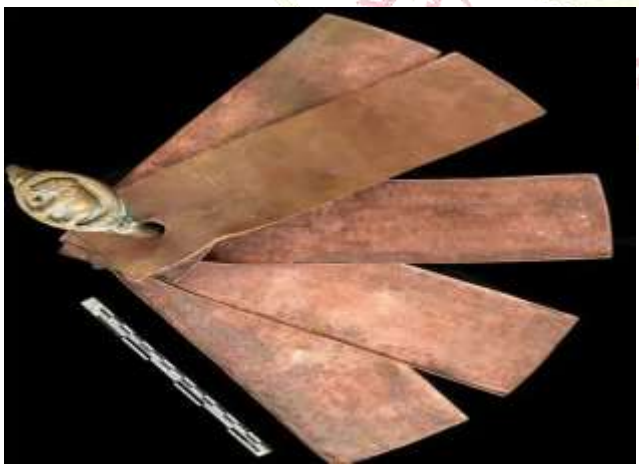

चित्र 4.2- कर्नाटक से प्राप्त छठी शताब्दी का ताम्रपत्र

महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण- 1919 ई. में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वी.एस. सुकथांकर के मार्गदर्शन में कई विद्वानों ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का दायित्व निर्वहन किया था। भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों से पाण्डुलिपियाँ एकत्रित की गई। इन पाण्डुलिपियों में प्राप्त सर्वनिष्ठ श्लोकों का 13000 पृष्ठों में महाभारत ग्रन्थ का विभिन्न खण्डों में प्रकाशन हुआ। इस परियोजना को पूर्ण करने में सैंतालीस वर्ष का समय लगा था। इस प्रक्रिया में दो बातें स्पष्ट हुई थी, प्रथम संस्कृत के अनेक पाठों में वृहत् स्तर पर समानता थी। द्वितीय तत्कालीन क्षेत्रीय प्रभेद भी प्रदर्शित हुए, संवाद द्वन्द्व तथा मतैक्य भी स्पष्ट हुआ है। उस समय के आदर्श मूलक संस्कृत ग्रन्थ आधिकारिक सिद्ध होते हैं।

परिवार- संस्कृत भाषा में परिवार के लिये 'कुल' शब्द का प्रयोग हुआ है। परिवार एक बड़े समूह का भाग होता है, जिन्हें सम्बन्धी भी कहते हैं। ये सम्बन्ध दो प्रकार के हैं- पितृवंशिकता व मातृवंशिकता। अधिकांश राजवंश पितृवंशिक पद्धति का अनुसरण करते थे। प्राचीन वैदिक पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम से होता है। गोत्र के सदस्य स्वयं को उस ऋषि का वंशज मानते हैं। एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह सम्बन्ध नहीं करते हैं। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र परिवर्तन हो जाता है।

विवाह- वंश वृद्धि हेतु पुत्र का होना महत्वपूर्ण माना जाता था। पैतृक संसाधनों पर पुत्रियों का अधिकार नहीं था। उनका विवाह स्वगोत्र से बाहर होता था, जिसे बहिर्विवाह कहते थे। अपने गोत्र या समूह या जाति में विवाह को अन्तर्विवाह कहते थे। कन्यादान पिता के लिए महनीय कार्य होता था। एक पुरुष की अनेक पत्नियाँ होने की पद्धति को बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति को बहुपति प्रथा कहते हैं। उत्तम पुत्र प्राप्ति का उल्लेख ऋग्वेद के एक मन्त्र में है, जिसका प्रयोग आज भी विवाह संस्कार के दौरान किया जाता हैं- मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किन्तु वहाँ से नहीं मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससें इन्द्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो।

इसे भी जानें-

- विवाह के 8 प्रकार होते थे- ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह , असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह ।
- सातवाहन वंश में मातृसत्तात्मक परम्परा का प्रचलन था।

सामाजिक विविधता- धर्म सूत्रों में एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था के रूप में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है, जिसे भारतीय समाज की प्रस्तावना भी कहा गया है। वर्ण व्यवस्था में समाज के चार सोपान- ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में निबद्धित किया गया है। किसी भी सोपान को उच्च या निम्न जैसी पदवी प्राप्त नहीं थी। **सङ्गच्छध्वं संवदध्वं....।** (ऋ.10.191.2) से इसकी सिद्धि होती है। **सहनाववतु**

सह नौ भुनक्तु....।(तैत्तिरीयोपनिषद् 2.2.2.) से छुआछूत के न होने की पुष्टि होती है। वर्ण व्यवस्थानुसार व्यवस्थित जीविका का निर्धारण हुआ था। 1. ब्राह्मणों के कार्य- अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना तथा करवाना, दान देना, दान लेना आदि था। 2. क्षत्रियों के कार्य- युद्ध, समाज की सुरक्षा, न्याय, यज्ञ, दान देना आदि था। 3. वैश्यों के कार्य- कृषि, गौ पालन और व्यापार कर्म अपेक्षित थे। 4. शूद्रों के कार्य- समाज सेवा अर्थात् रचनात्मक कार्यों से था।

वर्ण व्यवस्था के सुविस्तृत कलेवर में समाज के सूक्ष्म नियन्त्रण एवं सुप्रबन्धन के लिए एक श्रेष्ठ वर्गीकरण हुआ था, जिसे 'जाति' व्यवस्था कहते हैं। ये जातियाँ वर्णों का विभाग हैं, जिनका निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। इन वर्गीकृत जातियों (श्रेणियों) ने अपने अभीष्ट कार्य को ऊँचाइयों तक पहुँचाया था। जाति विशेष के पास एक रचनात्मक विशेषज्ञता होती थी, जैसे- कुम्भकार, स्वर्णकार, ताम्रकार, लौहकार आदि। समस्त जाति समुदायों का समाजिक ताना-बाना बुनने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जाति निर्धारक चिन्तन एक वर्ग विशेष को शिल्प दक्षता प्रदान करता है, अस्तु समाज में जाति की अवधारणा सामाजिक प्रवाह को अपेक्षित गति प्रदान करती है। इस व्यवस्था निर्धारण काल में सुदीर्घ काल तक समस्त जातियों में अति सामञ्जस्य रहा था, किन्तु वैदेशिक शासकों की विभाजनकारी नीति ने ऊँच-नीच की विषबेल का रोपण किया था। यह बेल उत्तरोत्तर बढ़ चली, जो आज विषाक्त वातावरण का सृजन कर रही है।

सम्पत्ति पर स्त्री-पुरूष अधिकार- महाभारत की एक घटना के अनुसार पाण्डव द्यूत में अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपनी सहधर्मिणी को भी हार जाते हैं। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि उस समय स्त्री, पुरुषों के आधीन थी। पुरुषों हेतु मनुस्मृति में धन अर्जित करने के सात तरीके बताये गये है-विरासत, खोज, जीतकर, खरीद, निवेश, श्रम द्वारा और भेंट। इसी प्रकार स्त्रियों के भी सम्पत्ति अर्जन के छः तरीके हैं- विवाह में प्राप्त भेंट (स्त्री धन), स्नेह से, माता-पिता एवं भ्राता से प्राप्त उपहार, विदाई के समय भेंट, पति से प्राप्त भेंट।

महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इतिहासकारों ने इस ग्रन्थ के दो मुख्य शीर्षकों का उल्लेख किया है- एक आख्यान तथा दूसरा उपदेशात्मक। द्रौपदी के विवाह से संकेत प्राप्त होते हैं कि महाभारत काल में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित थी। लगभग छठी सदी ई.पू. में बौद्धों ने समाज में विद्यमान विषमता को स्वीकार किया किन्तु यह अन्तर न तो प्राकृतिक थे, न ही स्थायी थे। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के निर्मूलन हेतु आवश्यक संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया था। सभी लोग शान्ति के अनुचर थे। प्रकृति से उतना ही लिया जाता था, जितना कि आवश्यकता होती थी। प्राच्य संस्कृत, पालि, प्राकृत और तमिल साहित्य के सम्यक अध्ययन के उपरान्त सामाजिक दशा का पता चलता है।

सारणी 4.2 कालरेखा- प्रमुख साहित्यिक परम्पराएँ	
500 ई.पू.	पाणिनि की अष्टाध्यायी
500- 200 ई.पू.	धर्म सूत्र
500- 100 ई.पू.	आरम्भिक बौद्ध ग्रन्थ त्रिपिटक सहित
200 ई.पू.- 200 ई.	सङ्गम साहित्य
100 ई.	चरक और सुश्रुत संहिता
300 ई.	भरतमुनि का नाट्य शास्त्र
400-500ई.	कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर के साहित्य और जैन ग्रन्थों का संग्रहण

सांस्कृतिक विकास (विचारक विश्वास और इमारतें)- प्राचीन विश्व इतिहास को जानने के लिए इतिहासकार बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ इमारतों, अभिलेखों, अवशेषों आदि भौतिक साक्ष्यों का उपयोग करते हैं, जो ऐतिहासिक अध्ययन के प्रमुख केन्द्रों में एक है।

यज्ञ- पुराकाल में धार्मिक विश्वास और व्यवहार की अनेक धाराएँ प्रवाहित थीं। वैदिक परम्परा की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में अग्नि, इन्द्र, सोम, सविता आदि अनेक देवों का उल्लेख है। सामान्यत: लोग पशु, पुत्र, स्वास्थ्य, धन, दीर्घायु आदि की कामना तथा देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए यज्ञों का आयोजन करते थे। जबकी यज्ञों के आयोजन के वैज्ञानिक और दार्शनिक कारण सर्वथा जीवों की उत्पत्ति का आधार, प्राकृतिक शुद्धता आदि रहे हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के अग्रांकित मन्त्र में यज्ञ उत्पत्ति के बारे में संकेत है कि- **अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥ (गीता 3.14)** अर्थात् विश्व में सभी जीवों की उत्पत्ति अन्न से हुई है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ वहित कर्मों से उत्पन्न होता है। आरम्भ में सामूहिक यज्ञों का सम्पादन होता था, किन्तु 1000 ई.पू-500 ई.पू. में व्यक्तिगत यज्ञों के सम्पादन का उल्लेख भी मिलता है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ राजाओं द्वारा करवाए जाते थे।

उपनिषदों में नवीन विचारधारा- उपनिषदों से विदित होता है कि लोग मृत्यु के उपरान्त लोग जीवन की सम्भावना और जन्मान्तर के सन्दर्भ में जिज्ञासु थे। सत्य के एक या अनेक होने का अनुसन्धान चल रहा था। बौद्ध ग्रन्थों में 64 समुदायों (सम्प्रदायों) का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें सजीव वार्ताएँ चित्रित हुई हैं। शिक्षक पर्यटन शैली में स्थान-स्थान पर जाकर जन-जन से सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त करते थे। यदि कोई मनीषी, शास्त्रसम्मत तर्कों के माध्यम से अपनी बात की सिद्धि-कर लेता था, तो उसका प्रतिद्वन्द्वी अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्यत्त्व स्वीकार कर लेता था। छान्दोग्य उपनिषद् में

उल्लेख है कि आत्मा की प्रकृति धान या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अन्दर छिपी यह आत्मा पृथिवी से भी विशाल है, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से बड़ी और इन सभी लोकों से भी बड़ी है।

जैनधर्म- जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। इस धर्म के प्रचारक को तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और चौबीसवें (अन्तिम) तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। छठीं सदी ई.पू. तक जैन सिद्धान्त उत्तर भारत में प्रचलित हो गए थे। महावीर स्वामी के पश्चात यह धर्म भारत के अधिकांश भागों में प्रसारित हो गया था। जैन साहित्य, प्राकृत, संस्कृत, तमिल आदि कई भाषाओं में सृजित हुआ है। सुदीर्घ काल से ये पाण्डुलिपियाँ जैन मन्दिरों के ग्रन्थालयों में सुरक्षित हैं।

चित्र 4.3- चौदहवीं सदी की जैन पाण्डुलिपि

भगवान महावीर का जन्म लगभग 540 ई.पू. वैशाली गणराज्य के कुण्डग्राम में इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय राज परिवार में हुआ था। तीस वर्ष की आयु में महावीर स्वामी, संसार से विरक्त होकर, आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए थे। महावीर स्वामी को 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उस समय के प्रमुख शासक बिम्बिसार, कुणिक,चेटक आदि उनके शिष्य थे। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया था। उन्होंने विश्व को जैन धर्म के पञ्चशील (पञ्चमहाव्रत)- अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य (अस्तेय), ब्रह्मचर्य (इन्द्रिय निग्रह) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था।

चित्र 4.4- महावीर स्वामी

बौद्ध धर्म- बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ई.पू. ईक्ष्वाकुवंशीय शाक्य कुल में लुम्बनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम राजा शुद्धोदन और माता का नाम महामाया देवी था। इनका पालन-पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले थे। मार्ग में एक वृद्ध, एक बीमार और एक शव को देखकर, उन्हें अनुभूति हुई कि यह शरीर नाशवान है। यात्रा के अन्त में उन्होंने एक संन्यासी को भी देखा था। इस घटना के पश्चात राजकुमार सिद्धार्थ, राज महल का परित्याग कर, सत्य के अनुसन्धान में निकल पड़े थे। कठोर साधना के पश्चात उन्हें गया में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तब से ही गया को बोध गया और सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया था।

बुद्ध की शिक्षाएँ- बौद्ध सिद्धान्त के अनुसार विश्व अनित्य, परिवर्तनीय व आत्माविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी शाश्वत नही है। इस नाशवान संसार में दुःख जीवन का अन्तर्निहित तत्त्व है। बुद्ध तत्कालीन सर्वाधिक प्रभावशाली धर्म उपदेशकों में से एक माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने दुख: के चार कारण बतलाए हैं, जिन्हें चार आर्य सत्य कहा जाता है। ये चार आर्य सत्य- दुःख, दुःख का कारण, दुःख निरोध, दुःख निरोध का मार्ग हैं। बुद्ध ने दुःख-निरोध के आठ साधन बतलाएँ हैं, जिन्हें 'अष्टांगिक मार्ग' कहा गया है- सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। महात्मा बुद्ध ने सत्य और अहिंसा के प्रचार-प्रसार हेतु पञ्चमहाव्रतों (अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह. सत्य, ब्रह्मचर्य) की स्थापना की थी। आज भी उनके सन्देश भारत, मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, म्याँमार, थाइलैण्ड तथा इण्डोनेशिया आदि देशों तक फैले हुए हैं।

चित्र- 4.5 गौतम बुद्ध

इसे भी जानें-

- विनय पिटक में बौद्ध मठों या संघों में रहने की शिक्षाएँ हैं।
- अभिधम्म पिटक में दार्शनिक चर्चाएँ हैं।
- सुत्त पिटक धार्मिक शिक्षाओं व उपदेशों का संग्रह हैं।

बौद्ध ग्रन्थों का प्रणयन- महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में मौखिक शिक्षाएँ दी थीं। उनके निर्वाण के उपरान्त (483 ई.पू.) उनके शिष्यों ने वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेसली (वैशाली) में बुलाई थी। जिसमें गौतम बुद्ध के प्रवचनों को त्रिपिटकों में संकलित किया गया था। इनके अतिरिक्त अनेक बौद्ध ग्रन्थ पालि और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं।

बुद्ध के अनुयायी- कालान्तर में बुद्ध के शिष्यों ने संघ स्थापित किए थे। भिक्षुओं की एक संस्था के लोग घम्म के शिक्षक (श्रमण) बन गए थे। श्रमण बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। बौद्ध उपदेशक जीवनयापन के लिए दान पर निर्भर थे, इसलिए इन्हें भिक्षु कहा जाता था। प्रारम्भ में संघ के सदस्य पुरुष होते थे। कालान्तर में संघ में महिलाओं का प्रवेश होने लगा था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों में तत्कालीन समाज के सभी वर्ग थे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ था।

चैत्य और स्तूप- ऐसे स्थल जहाँ शवदाह के बाद कुछ शेषांश टीलों पर रख कर, अद्वितीय पर्वत वेदियाँ निर्मित की जाती थीं, उन्हें **चैत्य** कहा जाता था। बौद्ध ग्रन्थों में बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति स्थल बोधगया, प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ, निब्बान (निर्वाण) स्थल कुशीनगर में चैत्य निर्माण का उल्लेख है। अनेक स्थलों पर बुद्ध के अवशेष जैसे - अस्थियाँ, प्रयोग में लाये गये सामान गाड़े गये थे, इन टीलों को **स्तूप** कहा जाता है। संस्कृत में स्तूप का अर्थ एक गोलार्द्ध मिट्टी का टीला है। साँची और भरहुत के आरम्भिक स्तूप सज्जारहित थे। बाद में इनमें तोरण द्वार और वेदिकाओं का निर्माण किया गया था। अमरावती (1796 ई.) में एक राजा देवालय का निर्माण करा रहे थे, उन्हें वहाँ से अमरावती स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए थे। 1850 ई. के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पाषण खण्ड अन्यत्र ले जाये गए थे। जिनमें से कुछ कलकत्ता में एशियाटिक सोसायटी आफ बङ्गाल तथा मद्रास के इण्डिया आफिस में आज भी प्राप्त होते हैं।

साँची- मध्यप्रदेश राज्य के रायसेन जिले में साँची नगर के पास एक पर्वत की तलहटी में स्थित अवशेषों में पत्थर की चीजें, बुद्ध मूर्तियाँ और तोरणद्वार दृष्टिगत हुए हैं। यहाँ गुम्बदनुमा ढाँचे के मध्य उत्खनन से अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। इस प्राचीन स्थान के संरक्षण हेतु भोपाल के शासकों ने पर्याप्त अनुदान दिया था। सुल्तानजहाँ बेगम ने यहां एक अतिथि गृह और संग्रहालय बनाने हेतु पर्याप्त अनुदान दिया था। यदि यह स्तूप सुरक्षित रहा है तो, यह विवेकपूर्ण निर्णयों का परिणाम था। जॉन मार्शल ने साँची के स्तूप पर लिखीं अपनी पुस्तकों में सुल्तान जहाँ बेगम का उल्लेख किया है। स्तूप भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल संरक्षण का एक जागृत उदाहरण है।

चित्र 4.6- साँची का स्तूप

मूर्तिकला व चित्रकला- उस काल में मूर्तिकला का अधिकांश प्रयोग बुद्ध के चरित्र लेखन हेतु हुआ था। अनेक मूर्तिकारों ने बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। उस समय बुद्ध की ध्यानावस्था के चित्र, उपदेश के चित्र आदि उत्कीर्ण कराए गए थे। जानवरों में गज, अश्व, वानर, गाय, वृषभ का उत्कीर्णन हुआ है। एक चित्र में हाथी को स्त्री पर जल डालते हुए दिखाया गया है, जिसे इतिहासकारों ने इस स्त्री को गजलक्ष्मी (सौभाग्य की प्रतीक) माना है। सर्पों की भी चित्रावली का उत्कीर्णन हुआ है, सम्भव है उस समय सर्प पूजा की परम्परा रही होगी।

चित्र 4.7- सारनाथ स्तम्भ

सारणी 4.3 बौद्ध संगीतियाँ					
क्र.	बौत्र संगीतियाँ	स्थान	समय	अध्यक्ष	शासक
1	प्रथम बौद्ध संगीति	राजगृह	483 ई. पू.	महाकस्सप	अजातशत्रु
2	द्वितीय बौद्ध संगीति	वैशाली	383 ई.पू.	साबकामी	कालाशोक
3	तृतीय बौद्ध संगीति	पाटलीपुत्र	250 ई.पू.	मोगलीपुत्ततिस्य	अशोक
4	चतुर्थ बौद्ध संगीति	कुण्डलवन	ई. की प्रथम शताब्दी	वसुमित्र/अश्वघोष	कनिष्क

महायान एवं हीनयान- पहली सदी ई. के अनन्तर बौद्ध अवधारणाओं में परिवर्तन आया था। प्रारम्भ में निब्बान (निर्वाण) को विशेष महत्वपूर्ण माना गया था। बुद्ध को एक मानव स्वीकार किया गया था। कालान्तर में बुद्ध की छवि को मुक्तिदाता के रूप में कल्पित किया जाने लगा था। अब बुद्ध और बोधिसत्वों के मूर्तियों की पूजा होने लगी थी। चिन्तन की इस नवीन पद्धति को **महायान** कहा गया था। जिन्होंने इस भावधारा को स्वीकार नहीं किया था, उन्हें **हीनयान** कहा गया था। पुरातन बौद्ध परम्परा को अपनाने वाले **थेरवादी** थे। थेर का अर्थ प्रसिद्ध शिक्षक होता है।

सनातन धर्म (हिन्दू धर्म)- सनातन धर्म वह है जो न कभी नया था और न कभी पुराना होगा। वैष्णव मत में अवतारवाद के आसपास अनेक साधना शैलियाँ विकसित हुई थी। वैष्णव मत में मान्यता है कि जब विश्व में धर्म की हानि होती है, तो धर्म की स्थापना हेतु नारायण (विष्णु) का अवतार होता है। शिव को उनके प्रतीक लिङ्ग के रूप में स्वीकार किया गया। शिव की उपासना करने वालों को शैव कहा जाता है। सहस्राब्दियों पूर्व पुराणों में अवतारवाद की अनेक कथाओं को मूर्तियों में उत्कीर्ण किया गया है। विशाल भवन में जहाँ मूर्ति स्थापित होती थी, उसे गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह के ऊपरी भाग में गुम्बज होता था, जिसे शिखर कहा जाता है। पहाड़ियों को काटकर गुफाएँ बना लेने की प्रथा भारत में अति प्राचीन है। अनेक गुफा चित्रों से अतीत की समृद्ध परम्पराओं के दर्शन हो जाते हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. हड़प्पा सभ्यता का काल.....माना जाता है।

   अ 2600 ई.पू. ब 2000 ई.पू.

   स. 1000 ई.पू. द. इनमें कोई नहीं

2. बनवाली.....में स्थित है।

अ. राजस्थान ब. पञ्जाब स. हरियाणा द. उत्तरप्रदेश

3. महायान का सम्बन्ध.....से है।

अ. हिन्दू धर्म ब. जैन धर्म स. इस्लाम धर्म द. बौद्ध धर्म

4. निम्न में से टीले का अर्थ..... से है।

अ. चैत्य ब. स्तूप स. मन्दिर द. मठ

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ..... था। (सिद्धार्थ/सिद्धान्त)
2. पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम ..... था। (पाटन/पटना)
3. साँची के स्तूप पर ..... ने पुस्तक लिखी। (जॉन रिटर/जॉन मार्शल)
4. 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। (महावीर स्वामी/ गौतम बुद्ध)

सत्य/असत्य बताइए-

1. सिन्धु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सत्य/असत्य
2. त्रिपिटक का अर्थ ग्रन्थों को रखने के लिए तीन टोकरियाँ है। सत्य/असत्य
3. मौर्य वंश का संस्थापक चन्द्रगुप्त द्वितीय था। सत्य/असत्य
4. प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से सम्बन्धित है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. कालीबङ्गा	क. हरियाणा
2. बनावली	ख. बिहार
3. वैशाली	ग. उत्तर प्रदेश
4. सारनाथ	घ. राजस्थान

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पुराविद् से क्या अभिप्राय है ?
2. हड़प्पा समाज में शवाधान की पद्धति को समझाइए।
3. हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले पुरातात्विकों के नाम लिखिये।
4. त्रिपिटक से क्या आशय है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सरस्वती-सिन्धु सभ्यता की नगर योजना को समझाइए?
2. मौर्यकालीन मगध राज्य की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए।
3. महाजनपदों के युग पर प्रकाश डालिये।

4. महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से आप क्या समझते हैं?
5. 600 ई. पू. से 600 ई. तक स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की विवेचना कीजिए?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत के प्रमुख महाजनपदों के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए।
2. गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. सिन्धु घाटी सभ्यता के पुरा स्थलों की सूची बनाकर, उन स्थानों से प्राप्त पुरावस्तुओं के नाम लिखो।
2. महाभारतकालीन प्रमुख पुरा स्थलों की सूची बनाकर, उनका वर्णन कीजिए।

अध्याय - 5

वेद शिक्षा प्रणाली

इस अध्याय में- वेद दृष्टि से शिक्षा की संरचना एवं सङ्गठन, शिक्षा का अर्थ, वैदिक शिक्षा के प्रकार, वैदिक शिक्षा का प्रशासनिक व आर्थिक सङ्गठन, शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श, वैदिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, विनयपूर्ण अनुशासन, गुरु-शिष्य सम्बन्ध, परीक्षा एवं उपाधियाँ, वैदिक युगीन शिक्षा के प्रमुख केन्द्र।

वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद) विश्व का अत्यमूल्य **वाङ्मय** हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि विश्व के ज्ञान स्रोत वेद हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के साधन वेद ही माने जाते हैं। वेद ज्ञान एवं विज्ञान की कुंजी हैं। आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं । वेद दैवीय वाणी है। वेदों को अपौरुषेय, अनादि, अनन्त एवं निरन्तर माना जाता है। कूर्मपुराण (2.28) एवं महाभारत (12.224.55) में यह निर्देश है **अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥**

वेद दृष्टि से शिक्षा की संरचना एवं सङ्गठन- वेद दृष्टि से शिक्षा की संरचना एवं सङ्गठन आधुनिककालीन शिक्षा से भिन्न था। तैत्तिरीय उपनिषद् की शिक्षावल्ली में **आचार्यः पूर्वरूपम्, अन्तेवास्युत्तररूपम्, विद्यासन्धिः, प्रवचनं सन्धानम्** इस तरह आचार्य, शिष्य, ज्ञान एवं ज्ञान के संक्रमण को विद्या का चहुँमुखी प्रक्रम माना गया है। वैदिकयुगीन शिक्षा रोजगारपरक, कौशलपरक व चहुँमुखी विकास करने वाली थी।

शिक्षा का अर्थ (Meaning of Education)- परिवारों अथवा गुरुकुलों में उपनयन संस्कार एवं विद्यारम्भ संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले ज्ञान एवं कला–कौशल में प्रशिक्षण को शिक्षा कहा जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद् में '**अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतत् यद् ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्वाङ्गिरसः, इतिहासः, पुराणविद्या, उपनिषदः, श्लोकाः, सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि अस्यैव एतानि सर्वाणि निःश्वसितानि।**' इस मन्त्र में सम्पूर्ण ज्ञान के विविध विषयों का उल्लेख हैं। '**पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गविस्तराः। वेदाः स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश॥**' इस श्लोक में अठारह पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा शास्त्र, धर्मशास्त्र, छह वेदाङ्ग, चार वेद ये चतुर्दश विद्याएँ हैं। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित के रूप में किया है। व्यापक का अर्थ है मानव को सभ्य व श्रेष्ठ बनाना तथा सीमित से आशय है वह शिक्षा जो विद्यालय एवं महाविद्यालय में ग्रहण करता है।

प्राचीनकाल में भारत शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर था इसलिए भारत को जगद्गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था। हमारी शिक्षा प्रणाली ऋषि प्रधान थी, जिसके कारण हम ज्ञान, धन व बल तीनों क्षेत्रों में अग्रणी थे। विदेशी आक्रान्ताओं ने हमारी ऋषि प्रधान शिक्षा परम्परा का विनाश कर, हमारी मोक्षदायनी शिक्षा के स्थान पर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को थोप दिया था। वैदिक युग में समाज सर्वोपरि था और धर्म से सत्ता मर्यादित होती थी, परन्तु भारत में विदेशी सत्ता स्थापित होने के बाद शासन प्रमुख हो गया और समाज गौण हो गया था।

वैदिक शिक्षा के प्रकार- वैदिक शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में विभाजित थी।

1. प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था घर पर या परिवार में होती थी। 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चे का विद्यारम्भ संस्कार किया जाता था, जिसके बाद बच्चे की अँगुली पकड़कर चावल के दानों से स्वस्तिक और ॐ बनाना सिखाया जाता था।
2. उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बच्चों का क्रमशः 8, 10 और 12 की आयु में गुरुकुल में प्रवेश होता था। उपनयन संस्कार अनिवार्य था। वैदिक युग में स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। लोपामुद्रा,अपाला व मैत्रेयी उस समय की विदुषी महिलाएँ थी। गुरुकुलों में वेद, वेदांग, शास्त्रों, पुराणों की शिक्षा के साथ खगोल, भूगोल, कला-विज्ञान, वास्तु-ज्योतिष, कृषि-वाणिज्य, योग-आध्यात्म, भाषा-साहित्य आदि सभी प्रकार की भारतीय विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक युग में व्यावसायिक शिक्षा को कर्मशिक्षा कहा जाता था, जिसे वैदिक युग में बालक घर पर ही सीख जाता था। जिनमें सुनार, बढई, लौहार, चर्मकार, सिलाई, बुनाई आदि मुख्य कार्य थे।

वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य **विद्ययाऽमृतमश्नुते** है अर्थात् विद्या अमरता की ओर ले जाती है। वैदिक युगीन ऋषियों ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शिक्षा की व्यवस्था की थी।

वैदिक शिक्षा का प्रशासनिक व आर्थिक सङ्गठन- वैदिक युग में शिक्षा पर सत्ता का नियत्रंण नहीं था। शिक्षा पर ऋषि मुनियों का नियन्त्रण था। हमारे ऋषियों का शिक्षा प्रबन्धन इतनी उच्च कोटि का था की उस समय भारत को विश्वगुरु की संज्ञा दी गई थी। वैदिक युग में शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी। शिष्य अध्ययन पूर्ण होने पर सामर्थ्यानुसार गुरु को दक्षिणा प्रदान करते थे। वैदिक युग में राजा, महाराजा और समाज के सम्पन्न वर्ग स्वेच्छा से भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र और मुद्रा दानस्वरूप गुरुकुलों को भेंट करते थे। गुरुकुलों के दैनिक उपभोग की पूर्ति के लिए शिष्य समाज से रोजाना भिक्षाटन करते थे।

शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श- वैदिक युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उच्च नैतिक स्तर, आध्यात्म, अनुशासन के साथ-साथ अपने अगले जन्म के लिए सत्कर्म करना था। वैदिक युग में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र **'ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रम्'** कहा जाता था। शिक्षा के द्वारा ही अतीत की संस्कृति वर्तमान में दृष्टिगत होती है। इस कथनानुसार आज भी हम अपने दैनिक जीवन में वैदिक युग के अनेक नियमों एवं व्यवहारों का अनुसरण कर रहें हैं। यही वैदिक शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था।

चित्र 5.1 प्रचीन गुरुकुल

वैदिक शिक्षा की पाठ्यचर्या- वैदिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को दो स्तरों प्रारम्भिक और उच्च में विभाजित किया गया था।

1. प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में भाषा, व्याकरण, छन्दशास्त्र, गणित का सामान्य ज्ञान सामाजिक व्यवहार, नीति प्रधान एवं धार्मिक क्रियाओं की शिक्षा दी जाती थी।
2. उच्च शिक्षा में संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का ज्ञान कराते थे। उच्च शिक्षा दो भागों में विभाजित थी। विद्यार्थी को पहले वैदिक वाङ्मय के विभिन्न ग्रन्थों, व्याकरण, कर्मकाण्ड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैन्य शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला-कौशल, राजनीति शास्त्र भूगर्भशास्त्र, प्राणीशास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके पश्चात इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या और भूत विद्या आदि की शिक्षा दी जाती थी। उस समय शिक्षार्थी अपनी रूचि के अनुसार विषयों का अध्ययन करने के लिए स्वतन्त्र था।

वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या को उसकी प्रकृति के आधार पर दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है।

1. **सांसारिक (भौतिक) पाठ्यक्रम-** इसके अन्तर्गत भाषा, व्याकरण, अङ्कशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला, संगीत, कताई-बुनाई-रंगाई, धातु-कार्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, गुरुकुल व्यवस्था के प्रबन्धन आदि की शिक्षा आती थी।

2. **मोक्ष (आध्यात्मिक) पाठ्यक्रम-** इसके अन्तर्गत वेद, वेदाङ्ग, वेदान्त, आरण्यक, उपनिषद्, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र का अध्ययन, इन्द्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, सन्ध्या वन्दन और यज्ञादि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था।

विनयपूर्ण अनुशासन- वैदिक युग में अनुशासन ही शिक्षा का केन्द्र था।बालक आत्मनियन्त्रण की शक्ति के द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता था। आत्मानुशासन के अन्तर्गत छात्र को आत्मिक, मानसिक और शारीरिक अनुशासन में रहना अनिवार्य था। शिष्यों द्वारा गुरुओं के आदेशों व नियमों को ही अनुशासन माना जाता था। गुरु भक्त आरुणी,कर्ण, एकलव्य आदि इसके उदाहरण हैं।

गुरु-शिष्य सम्बन्ध- वैदिक युग में गुरु और शिष्यों के सम्बधों में माधुर्य का भाव था। गुरु और शिष्य के मध्य पुत्रवत् सम्बन्ध था। शिष्य अपने गुरु को ईश्वर से बढ़कर मानता था। मनुस्मृति में गुरु और शिष्य के अधिकार एवं कर्तव्यों की विशद विवेचना की गई है। गुरु में विद्वत्ता, स्वाध्यायी, धर्म पारायण और सच्चरित्रता आदि गुणों का होना आवश्यक था। गुरु को सत्यजन्मा और विश्ववेदा आदि विशेषणों से सम्बोधित किया जाता था। उपनिषदों में गुरुकुलों को '**आचार्यकुल**' कहा गया है। भारद्वाज एवं वाल्मीकि के गुरुकुलों का इतिहास में उच्च स्थान है। महाभारत में उल्लिखित है कि मार्कण्डेय और कण्व ऋषि के आश्रम शिक्षा के प्रधान विद्या स्थल थे। दुर्वासा ऋषि जब कुरू नरेश से मिलने गये तब उनके साथ दस हजार शिष्य थे। जो उस समय के गुरुकुलों की विशालता के साथ-साथ गुरु की विद्वत्ता और लोकप्रियता का उदाहरण है।

शिष्यों के कर्तव्य- वैदिक युग में शिष्य गुरुओं के प्रति तन-मन-धन से समर्पित थे। गुरु की नियमित दिनचर्या जैसे पूजा-पाठ आदि की व्यवस्था करना, गुरुकुलवासियों के भोजन के लिए भिक्षाटन, साफ-सफाई करना, अनुशासन में रहना, गुरुकुल के नियमों का पालन करना और शिक्षा पूरी होने पर अपनी सामर्थ्यानुसार गुरुदक्षिणा देना आदि सभी शिष्यों के प्रमुख कर्तव्य थे।

परीक्षा एवं उपाधियाँ- वैदिक युग में गुरु मौखिक प्रश्न पूछकर यह निर्णय करते थे कि शिष्य ने समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं। इसके बाद उसे विद्वानों की सभा में परीक्षा के लिए भेजा जाता था, जहाँ विद्वान छात्रों से प्रश्न पूछते थे और सन्तुष्ट होने पर, उन्हें सफल घोषित करते थे। सफल छात्रों को वर्तमान की तरह प्रमाण पत्र नहीं दिये जाते थे क्योंकि उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण पत्र था। शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन समारोह/संस्कार किया जाता था। आधुनिक समय का दीक्षान्त समारोह समावर्तन संस्कार का ही रूप है। तैत्तिरीय उपनिषद् में समावर्तन समारोह का उल्लेख हुआ है, जिसके

अन्तर्गत गुरु अपने शिष्य को राष्ट्र सेवा और मानव सेवा करने के साथ पितृ, गुरु और देव ऋण से मुक्ति का उपदेश देता था।

वैदिक युगीन शिक्षा के प्रमुख केन्द्र- प्रारम्भिक में गुरुकुल प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित होते थे। कालान्तर में गुरुकुल बडे-बडे नगरों और तीर्थ स्थानों में भी स्थापित होने लगे थे। उस समय में तीर्थ स्थान धर्म प्रचार के केन्द्र होने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के केन्द्रों के रूप से विकसित हुए थे।

इसे भी जानें-

- 12 वर्षीय पाठ्यक्रम (1 वेद) का अध्ययन पूर्ण करने वाले छात्रों को **स्नातक** कहा जाता था।
- 24 वर्षीय पाठ्यक्रम (2 वेदों) का अध्ययन पूर्ण करने वाले छात्रों को **वसु** कहा जाता था।
- 36 वर्षीय पाठ्यक्रम (3 वेदों) का अध्ययन पूर्ण करने वाले छात्रों को **रुद्र** कहा जाता था।
- 48 वर्षीय पाठ्यक्रम (4 वेदों) का अध्ययन पूर्ण करने वाले छात्रों को **आदित्य** कहा जाता था।

तक्षशिला- तक्षशिला भारत के तत्कालीन गान्धार प्रदेश की राजधानी थी। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो उस समय अखण्ड भारत का भाग था। यहाँ धर्म, दर्शन, वेद, चिकित्सा, कला-कौशल, संस्कृत व्याकरण, भाषा और साहित्य आदि की उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा केन्द्र में प्रवेश की आयु 16 वर्ष थी।

इसे भी जानें-

- आरुणि, उपमन्यु, अष्टाध्यायी के प्रणेता पाणिनि, अष्टांग योग के प्रणेता पतञ्जलि, कौशल नरेश प्रसेनजीत, मौर्यसम्राट चन्द्रगुप्त, आदि ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी।

केकय- तत्कालीन केकय राज्य की राजधानी राजगृह (गिरिव्रज) थी। उपनिषद् काल में यहाँ संस्कृत भाषा व्याकरण, साहित्य, वेद, धर्म और दर्शन की शिक्षा का उत्तम प्रबंध था।

प्रयागराज- प्रयागराज सभ्यता के प्रारम्भ से ही ऋषियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ पर अनेक ऋषियों के आश्रम थे। उनमें भारद्वाज ऋषि का आश्रम प्रसिद्ध था। यह आश्रम धर्म, दर्शन और विमाननिकी की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था।

काशी- काशी प्राचीनकाल से ही ऋषियों की तपोभूमि और विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ का मुख्य केन्द्र रहा है। काशी नरेश अजातशत्रु उपनिषदीय ज्ञान के पंडित थे। 23वें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। वैदिक युग से लेकर आज तक यह शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है।

काञ्ची- काञ्ची, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जिसे दक्षिण की काशी के नाम से भी जानते हैं। प्राचीनकाल से ही काञ्ची शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। महाकवि दण्डी, भारवि, वात्स्यायन एवं दिकनाग ने भी यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी।

प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय- प्राचीन काल में नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना प्रसिद्ध गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450-470 ई. के मध्य की थी। गुप्तवंश के पश्चात भी आगे आने वाले कालखण्डों में अनेक शासकों ने शिक्षा के इस महा केन्द्र को समृद्धि करने में अपना योगदान दिया था। सम्राट हर्षवर्द्धन और पाल शासकों द्वारा शिक्षा केन्द्र को विशेष रूप से संरक्षण प्राप्त था। यह विश्वविद्यालय अपने समय का पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें विद्यार्थियों की लगभग 10000 छात्रों एवं 2000 शिक्षक अध्ययन एवं अध्यापनरत थे। ह्वेनसाङ्ग जब सातवीं सदी में भारत आया था, उस समय उसने अपने विविरण में 10000 छात्र और 1510 आचार्यों का उल्लेख नालन्दा विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में किया है। इस विश्वविद्यालय में न केवल भारत अपितु विश्व के विभिन्न देशों जैसे- कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इण्डोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय को नौवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक अन्तार्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी।

चित्र 5.2 प्रचीन नलन्दा विश्वविद्यालय

इसे भी जानें-

- नालन्दा विश्वविद्यालय को युनेस्को ने जुलाई 2016 में विश्वधरोहर सूची में सम्मिलित किया है।

मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज़ और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृत्तान्तों से पता चलता है कि नालन्दा विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमणों से बड़ी क्षति पहुँची थी। नालन्दा विश्वविद्यालय पर पहला घातक प्रहार हुण शासक मिहिरकुल द्वारा किया गया था। 1199 ई. में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने पूर्णतः नष्ट कर दिया था। इस प्रकार 13वीं शताब्दी तक एक महान शिक्षा केन्द्र नष्ट हो गया।

निष्कर्ष- विश्व की सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था आज विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गई? इन सब के पीछे कारण, हमारे देश में मध्य युग से लेकर 20वीं सदी के मध्य काल तक विदेशी शासन रहा, जिसने वैदिक ग्रन्थों को नष्ट करके, हमारी ऋषि संस्कृति एवं भारतीय शिक्षा प्रणाली के स्थान पर बेरोजगारी बढ़ाने वाली, पशुवत् आचरण सिखाने वाली, शोषण दमन पर आधारित पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को थोप

दिया है। हमें भारत के विश्व गुरु के अलंकरण को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में वैदिक शिक्षा को पुनःस्थापित करना होगा।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. वैदिक काल में विद्यारम्भ संस्कार ..... उम्र किया जाता था।
   अ. 4 वर्ष ब. 5 वर्ष स. 8 वर्ष द. 16 वर्ष
2. वैदिक काल में दक्षिण भारत में शिक्षा का केन्द्र.....था।
   अ. काञ्ची ब. मङ्गलोर
   स. विजयनगर द. तिरुपति
3. गान्धार राज्य की राजधानी..... थी।
   अ. तक्षशिला ब. काञ्ची
   स. राजगृह द. मङ्गलोर
4. .....को व्यावसायिक शिक्षा कहा जाता था।
   अ. धर्म शिक्षा ब. अर्थ शिक्षा
   स. कर्म शिक्षा द. पुरुषार्थ शिक्षा

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. दक्षिण की काशी ..... को कहा जाता है। (तिरुअनन्तपुरम्/काञ्ची)
2. अष्टांग योग के प्रणेता ..... थे। (पतंजलि/ चरक)
3. शिक्षा पूर्ण होने पर ..... संस्कार होता था। (उपनयन/समावर्तन)
4. काशी नरेश अजातशत्रु .....ज्ञान के पंडित थे। (उपनिषदीय/पौराणिक)

सत्य/असत्य बताइए-

1. तक्षशिला, गांधार प्रदेश की राजधानी थी। सत्य/असत्य
2. मनुस्मृति में गुरु-शिष्य के अधिकार व कर्तव्यों की विवेचना है। सत्य/असत्य
3. पुरुषार्थ पाँच माने गए हैं। सत्य/असत्य
4. वैदिक शिक्षा में विनय पूर्ण अनुशासन था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. मनुष्य का तीसरा नेत्र	क. कर्म शिक्षा
2. व्यावसायिक शिक्षा	ख. तक्षशिला
3. प्राचीन शिक्षा केन्द्र	ग. प्रयागराज
4. ऋषियों की तपोभूमि	घ. ज्ञान

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार किस आयु वर्ग में होता था ?
2. शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र क्यों माना जाता है ?
3. पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी ?
4. प्रयागराज में किस महान ऋषि का आश्रम था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. वैदिक युग में शिष्य के क्या-क्या कर्तव्य होते थे ?
2. वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य केन्द्रों का उल्लेख कीजिए ।
3. वैदिक शिक्षा के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. वैदिक युग में शिक्षा की पाठ्यचर्या के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए ?
2. वैदिक शिक्षा के अनुसार गुरु-शिष्य सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए ?

परियोजना-

1. वेद शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली से तुलना कीजिए।
2. आरुणी और कर्ण की गुरु भक्ति के आख्यानों का उल्लेख कीजिए।

अध्याय - 6

धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन

(लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक)

इस अध्याय में- प्रारम्भिक भक्ति परम्परा, अलवार और नयनार सन्त, वीर शैव परम्परा (लिङ्गायत समुदाय), उत्तर भारत में धार्मिक आन्दोलन, सूफ़ीमत का विकास, नवीन भक्ति धारा, भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तक सन्त, रामानन्द एक समाज सुधारक।

आदि शक्ति के सम्बन्ध में आध्यात्मिक अनुसन्धान धर्म है। उपनिषदों में धर्म को ईश्वर के विषय में ज्ञान माना गया है। धर्म दर्शन के माध्यम से मानव ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर सुख का अनुभव प्राप्त करता है। समय तथा परिस्थितियों का प्रभाव धर्म पर पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन आता है। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध ने अपना करिश्मा दिखाकर वैदिक धर्म के अस्तित्व को चुनौती दी, तो स्वामी शङ्कराचार्य ने भारत में प्रसारित जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की चुनौती को स्वीकार किया था। इन चुनौतियों के परिणामस्वरूप कोई धर्म नष्ट नहीं हुआ था। अपितु लोगों में ईश्वर के प्रति उत्पन्न श्रद्धा में वृद्धि हुई और यह वृद्धि एक आन्दोलन के स्वरूप हुई, जो इतिहास में 'भक्ति आन्दोलन' के नाम से जाना जाता है। इस काल में सामाजिक, धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में फैली भ्रान्तियों को मिटाया गया था। इन आन्दोलनों का अध्ययन हम निम्न प्रकार से करेंगे।

प्रारम्भिक भक्ति परम्परा- भक्ति आन्दोलन के समय ऐसे सन्तों और महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने उपदेशों एवं शिक्षाओं से समाज को जागरूक किया था। भक्तिकाल की प्रमुख विशेषता इसकी विविधता है। 8 से 18वीं सदी तक का काल पूरे विश्व में ही बौद्धिक चेतना का काल माना गया है। उत्तर भारत में यह आन्दोलन दक्षिण से आया था। भागवत पुराण का यह श्लोक यहाँ यही दर्शाता है- **उत्पन्ना द्राविड़े चाहं कृणाटे वृद्धिमागता। स्थिता किंचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता॥** अर्थात् भक्ति कहती है कि मैं द्रविड देश में जन्मी, कर्नाटक में विकास हुआ, महाराष्ट्र में कुछ दिन ठहरी और गुजरात जाकर वृद्ध हो गई।

अलवार और नयनार सन्त- प्रारम्भिक भक्ति आन्दोलन लगभग छठी सदी में अलवार (विष्णु भक्त) और नयनारों (शिवभक्त) के नेतृत्व में हुआ था। इन सन्तों ने पावन स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया था। अलवार सन्तों के नेता '**नम्मालवार**' थे। वे अलवार सन्तों की परम्परा के अंतिम

केन्द्र बिन्दु थे, जिन्होंने समस्त दक्षिण भारत में घूम-घूम कर अपने हृदयग्राही भजनों के गायन से जनता को अत्यधिक प्रभावित किया था। दक्षिण में वैष्णव और शैव मतों के अनेक भक्त गायकों का उदय हुआ, जो अपने उपास्य देव के प्रति अगाध भक्ति रखते थे, उन मण्डलियों में समाज के सभी वर्ग के लोग होते थे।

स्त्री भक्तों की परम्परा में दक्षिण भारत में **'अण्डाल'** नामक अलवार स्त्री का प्रमुख स्थान है। वह अपने आपको भगवान विष्णु की प्रियतमा मानती थी। नयनार सन्तों की परम्परा में **'करइक्काल अम्माइयर'** नामक स्त्री, शिव भक्त थी। उसने पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दी थी। दशवीं सदी में दक्षिण के सम्राटों ने 'अय्यार संवदर' और 'सुन्दरार' की कविताओं का **'तवरम'** नामक ग्रन्थ में संकलन करवाया था।

चित्र 6.1 दक्षिण भारत की प्रमुख अलवार महिला सन्त 'अण्डाल'

तमिल भाषी क्षेत्रों में दो हजार वर्ष पूर्व भक्ति सम्प्रदायों का उदय हुआ था। तमिल भक्ति परम्परा में नयनार सन्तों के साहित्य का गुणगान अधिक है। राजवंशों ने सनातन भक्ति परम्परा को अपनाया और संरक्षण प्रदान किया था। दक्षिण भारत में स्थापित अनेक विशाल विष्णु एवं शिव मन्दिर इसके उदाहरण हैं। उस समय के सन्त **वेल्लाल** को समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मान की दृष्टी से देखता था। चोल सम्राट परातंक प्रथम ने 945 ई. में प्रसिद्ध कवि और सन्त 'अय्यार सेवदर' और 'सुन्दरार' की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई थी।

इसे भी जानें-

- अलवार सन्तों के मुख्य काव्य 'नलयिरादिव्य प्रबन्धम्' को वेदों के सदृश माना गया है। इसमें बारह अलवार सन्तों की चार हजार रचनाओं का संकलन है।

वीर शैव परम्परा (लिङ्गायत समुदाय)- वीर शैव धर्म, लिङ्गायत सम्प्रदाय का एक उप सम्प्रदाय है, जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह भारत का तीसरा सबसे बडा सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के अधिकांश उपासक कर्नाटक में रहते हैं। तमिल में इस धर्म को **शिवाद्वैत** और उत्तर भारत में **शैवागम** के नाम से जानते हैं। इस सम्प्रदाय में सर्वप्रथम सुधार आन्दोलन **'वास बण्ण'** (1106-1168ई.) ने किया था। उसके अनुयायियों को **वीर शैव** कहा जाता है। लिङ्ग धारण करने के कारण इस सम्प्रदाय को **'लिङ्गायत'** कहा जाता है।

वीर शैव सम्प्रदाय के सिद्धान्त- वीर शैव धर्म में शिवाद्वैत अथवा षट स्थल सिद्धान्त को माना जाता है। ये पुर्नजन्म में विश्वास नहीं करते हैं। वीर शैव धर्म में मुख्य सम्प्रदाय बसवादि शरण सम्प्रदाय, आचार्य सम्प्रदाय, नयनार सम्प्रदाय (तमिलनाडु), कश्मीरी शैव सम्प्रदाय आदि हैं। **अष्टा वर्ण-** गुरु, लिङ्ग, जङ्गम, पादोदक, वभूति, रूद्राक्ष और मन्त्र **ऊँ नमः शिवाय** । **षट स्थल-** भक्त स्थल, महेश स्थल, श्रण स्थल, लिङ्ग स्थल, ऐक्य स्थल और शरण स्थल ।

श्रुति, वीर शैव धर्म के सर्वोच्च ग्रन्थ हैं, जिसमें अट्ठाईस (28) शैवागम आते हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धान्त शिखामणि, वीर शैव पुराण, शिव प्रकाशम,लिङ्ग पुराण एवं शिव गीता आदि ग्रन्थ संस्कृत, कन्नड, मराठी व हिन्दी भाषा में लिखे गये हैं। बारह सौ वर्ष पहले जगद्गुरु रेणुकाचार्य ने ऊखीमठ (उत्तर में केदार नाथ), रम्भापूरि पीठ (दक्षिण में गोकर्ण), सूर्य सिंहासन पीठ (दक्षिण-पूर्व में श्री शैलम), सद्धर्म पीठ (मध्यभारत में उज्जैन) तथा विश्वेश्वर पीठ (काशी में) नामक पञ्चपीठों की स्थापना की, जो वीर शैव सम्प्रदाय के मुख्य तीर्थस्थल हैं।

उत्तर भारत में धार्मिक आन्दोलन- इस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का शासन था, जो शासक सनातन धर्म के पोषक थे। मध्य युगीन भारत पर तुर्की सल्तनत का अधिकार हो गया था, जिससे राजपूत राज्यों का पतन होने लगा था। परिणामस्वरूप हमारी सनातनी संस्कृति पर विदेशी आक्रान्ताओं ने प्रहार किए, जिससे हिन्दूओं का न तो धर्म सुरक्षित रहा न सामाजिक जीवन। ऐसी स्थिति में भक्ति आन्दोलन ने हिन्दु जन मानस को जागृत करने का काम किया था। इस आन्दोलन से उपजे विचार सरल और आम बोलचाल की भाषा में थे। रामानुजाचार्य, शङ्कराचार्य, रामानन्दाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, कबीर, चैतन्य महाप्रभु एवं नानक जैसे महान सन्तों ने समाज के सभी उपेक्षित वर्गों को धर्म की दीक्षा दी थी तथा अपने विचारों और शिक्षाओं के द्वारा हिन्दू धर्म को परिमार्जित कर नए मानदण्डों की स्थापना की थी।

सूफ़ीमत का विकास- इस्लाम का प्रचार-प्रसार भारत में हो तो गया था लेकिन वह अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण जन मानस में स्थान बनाने से असफल रहा था। इस्लाम के अन्तर्गत एक वर्ग जैसे पीर और औलिया आदि का था, जो प्यार एवं दार्शनिक प्रवचनों से अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करते थे। इनके अन्दर सामञ्जस्य की भावना थी, इसे '**सूफ़ीवाद**' के नाम से जाना जाता है। सूफ़ी साधक, हिन्दू सन्तों की भाँति जङ्गलों, पहाडों आदि में जीवन व्यतीत करते थे। सूफ़ी सन्तों के निवास स्थान को '**खानकाह**' कहा जाता है। इनका नियन्त्रण शेख या पीर के हाथों में होता था। ये अपने अनुयायियों(**मुरीदों**) की भर्ती करते थे। सिलसिला का अर्थ कडी होता है अर्थात् ये पीर व मुरीदों के

मध्य योजकता का कार्य करते थे। सिलसिले की मान्यता थी कि शेख या पीर का सम्बन्ध मुहम्मद पैगम्बर से है। सूफी साधक हजरत मुहम्मद के जीवन को आदर्श मानने, धर्म सम्मत भोजन करने, हराम की वस्तुओं का त्याग करने और नियमपूर्वक पालन करने पर बल देते थे। धीरे–धीरे इनके आदर्शों में कमीं आने लगी, शासक वर्ग की अवेहलना के कारण नवाब एवं सुलतान उनके विरूद्ध हो गये थे और उनका पतन हो गया था। भारत में सूफी मत का विकास उनकी नरम नीति, हिन्दू-मुस्लिम समन्वय, हिन्दूओं की समस्याओं के शांतिपूर्वक हल, हिन्दू रीति–रिवाजों को अपनाने आदि के कारण तीव्र गति से हुआ था।

सूफीमत का सिलसिलों में विभाजन- चिश्ती सिलसिला-ख्वाजा मोईनद्दीन चिश्ती, सुहारवर्दी- शेख बहाऊद्दीन जकारिया, कादरी सिलसिला- अब्दुल कादिर उल जोलानी और नक्शबन्दी-ख्वाजा उबैदुल्ला प्रमुख थे। इन सिलसिलों में चिश्ती सिलसिला सर्वाधिक प्रभुत्वशाली था। इसके प्रर्वतक ख्वाजा मोइनद्दीन चिश्ती हैं, अजमेर में इनकी विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। इन्हें मुहम्मद गोरी ने **सुलतान-उल-हिन्द** की उपाधि प्रदान की। इसके अतिरिक्त शेख सलीम चिश्ती, शेख कुतुबद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया प्रमुख सूफी सन्त हैं।

नवीन भक्ति धारा- मध्यकाल में भारत में जब मुस्लिम शासन स्थापित हो गया, तो इस्लाम धर्म का प्रचार–प्रसार यहां होने लगा, जिससे भारतीय जन मानस भी प्रभावित हुआ। जब हमारी सनातनी परम्पराएं प्रभावित होने लगी, तो धार्मिक क्षेत्र में एक महान आन्दोलन चला, जिसे इतिहास में मध्य कालीन भक्ति आन्दोलन कहा जाता है। इस आन्दोलन से समाज में क्रान्तिकारी परिणाम दृष्टीगोचर हुए, जिसने हमारे समाज की दिशा व दशा परिवर्तित कर दी थी। समन्वय की भावना का उदय, मुस्लिम आक्रमण, वर्ण व्यवस्था, ईसाई व इस्लाम धर्म का प्रभाव, सूफी सन्तों का योगदान एवं हिन्दू धर्म सुधारकों का आविर्भाव आदि भक्ति आन्दोलन के प्रमुख कारण थे।

भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तक सन्त-

आदि जगतगुरु शङ्कराचार्य- भक्ति आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले आदि शङ्कराचार्य ही थे। शङ्कराचार्य का जन्म 788 ई. से 820 ई. के मध्य माना जाता है। इनका जन्म केरल में पूर्णा नदी के तटवर्ती कालटी नामक ग्राम में वैशाख शुक्ला पञ्चमी को हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु व माता का नाम सुभद्रा अथवा विशिष्टा था। ये बाल्यकाल से विलक्षण प्रतिभा के धनी थे।

चित्र 6.2 आदि जगतगुरु शङ्कराचार्य

शिक्षा समाप्ति पर इन्होनें सन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की, परन्तु माता की अनुमति नहीं मिली थी। संयोगवश एक दिन ये माता के साथ नदी स्नान को गये, जहाँ मगरमच्छ ने इन्हें पकड़ लिया था, माता बैचेन होकर चिल्लाने लगी, तब बालक शंकर ने कहा कि यदि आप सन्यास की अनुमति दें, तो मगरमछ मुझे जीवनदान दे देगा। माता ने तुरन्त सन्यास लेने की अनुमति दे दी। मगरमछ ने उन्हें छोड़ दिया था। अब शंकर सन्यासी हो गए थे।

मानचित्र- 6.1 आदि शङ्कराचार्य द्वारा स्थापित चारो दिशाओं में चार मठ

शङ्कराचार्य ने स्वामी **गोविन्द भगवत्पाद** से दीक्षा ली और अल्पकाल में योग सिद्ध महात्मा बन गए थे। आपने अद्वैतवाद का प्रचार-प्रसार, वेदान्तसूत्र की व्याख्या, सनातन धर्म के उद्धार एवं प्रचार-प्रसार में अतुलनीय योगदान दिया था। शङ्कराचार्य का काशी में पण्डित जगन्नाथ से किया गया शास्त्रार्थ इतिहास प्रसिद्ध है। आपने समस्त भारत का भ्रमण कर सनातन हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए चारों

दिशाओं में चार मठों की स्थापना की है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के परिचय में कहा गया है- **अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद्। षोडशे कृतवान भाष्यम्, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्॥** अर्थात् आठ वर्ष की आयु में चारो वेदों का ज्ञान, बारहा वर्षों में सभी शास्त्रों का ज्ञान, सोलह वर्षों में भाष्य रचना तथा बत्तीस वर्ष की आयु में महाप्रयाण किया।

गोवर्धन मठ- यह मठ पूर्व दिशा में वर्तमान उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में स्थित है। यह पूर्वाम्नाय, विमला पीठ है। इसके प्रथम आचार्य पद्माचार्य जी थे। इस मठ का वेद ऋग्वेद, महावाक्य 'प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐतरेयोपनिषद्) और तीर्थ महोदधि है। इसका कार्य क्षेत्र अङ्ग (भागलपुर), बङ्ग, कलिङ्ग, मगध, कामरूप (असम), ब्रह्मदेश (बर्मा), उत्तकल, बर्बर और पूर्वी भारत के सभी मठ, मन्दिर एवं स्थान है।

इसे भी जानें-

- वर्ष 2022 में तेलङ्गाना राज्य में हैदराबाद के निकट मुचिन्तल में पञ्च लौह (सोना, चाँदी, पीतल, ताँबा, जस्ता) से निर्मित रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। रामानुजाचार्य ने समाज में व्याप्त असमानता का विरोध किया था। इसलिए इस प्रतिमा को 'स्टेच्यू आफ इक्वलिटी' कहा गया है।

शृंगेरी मठ- यह मठ दक्षिण दिशा में वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। इसका क्षेत्र रामेश्वरम् है। यह दक्षिणाम्नाय, शारदापीठ है। इसके प्रथम आचार्य सुरेश्वराचार्य जी थे। इस मठ का पठनीय वेद यजुर्वेद, महावाक्य 'अहम् ब्रह्मास्मि' (यजुर्वेद) और तीर्थ तुङ्गभद्रा है। इसका कार्य क्षेत्र आन्ध्र, कर्नाटक, केरल, द्रविड़ और दक्षिण भारत के सभी मठ, मन्दिर और स्थान है।

शारदा मठ- यह मठ पश्चिम दिशा में वर्तमान गुजरात राज्य के द्वारिका में स्थित हैं। इसका क्षेत्र द्वारिका है। यह पश्चिमाम्नाय, कालका पीठ है। इसके प्रथम आचार्य हस्तामलकाचार्य जी थे। इस मठ का पठनीय वेद सामवेद, महावाक्य 'तत्त्वमसि' (छान्दोग्योपनिषद) और तीर्थ गोमती है। इसका कार्य क्षेत्र सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़, महाराष्ट्र और पश्चिम भारत के सभी मठ मन्दिर और स्थान है।

ज्योर्ति मठ- यह मठ उत्तर दिशा में वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य के चमोली जिले में स्थित हैं। इसका क्षेत्र बदरीक्षेत्र है। यह उत्तराम्नाय, ज्योतिष्पीठ है। इसके प्रथम आचार्य तोटकाचार्य जी थे। इस मठ का पठनीय वेद अथर्ववेद, महावाक्य 'अयमात्मा ब्रह्म' (माण्डूक्योपनिषद्) और तीर्थ अलकनन्दा है। इसका कार्य क्षेत्र कुरु, कश्मीर, कम्बोज, पाञ्चाल, त्रिविष्टप्रदेश (तिब्बत), नेपाल और उत्तर भारत के सभी मठ, मन्दिर और स्थान है।

रामानुजाचार्य- दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों में रामानुज प्रमुख थे। इनका जन्म 1017 ई. में तिरूपति नाम श्रीपेरूमबुदुर (तमिलनाडु) में हुआ था। कांतिमति और केशव इनके माता-पिता थे। इनके

गुरु यादव प्रकाश मुनि थे, जिनसे इनका मतभेद हो गया था। तत्पश्चात यमुना मुनि के शिष्य बने और श्रीरङ्गम में शिक्षा ग्रहण की थी। वेदान्त संग्रह, वेदान्त सूत्र तथा बादरायण का भाष्य व भगवद्गीता की व्याख्या लिखी थी। उनकी अमरकृति **'श्रीभाष्य'** है। रामानुज का सिद्धान्त **'विशिष्टाद्वैतवाद'** कहा जाता है, जिसका अर्थ है जगत और जीव दोनों एक-दूसरे भिन्न हैं परन्तु यह भिन्नता स्पष्ट नहीं झलकती है, उनके बीच में एक प्रकार का निकट सम्बन्ध है, जो आत्मा और शरीर के सम्बन्ध की तरह है। जीव और जगत का आधार ईश्वर है। रामानुज न केवल महान दार्शनिक अपितु आध्यात्मिक गुरू व महान समाज सुधारक भी थे। आपने शुद्रों को भी भगवद्दर्शन एवं मोक्ष का अधिकारी बताया था।

चित्र 6.2 स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी

निम्बार्क- निम्बार्क का जन्म कर्नाटक राज्य के वेलारी जिले में 1250 ई. में तैलङ्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये रामानुज के समकालीन थे। इनके विचार **'द्वैताद्वैतवाद'** के नाम से प्रचलित हैं। आप सगुण भक्ति के उपासक थे और अविद्या व अज्ञान से निकलने का सुगम मार्ग प्रपत्ति (मोक्ष प्राप्ति का मार्ग) को बताया था। निम्बार्क को सूर्य का अवतार माना जाता है। इन्होनें मथुरा को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। कृष्ण स्तोत्र, वेदान्त पारिजात-सौरभ, वेदान्त-कामधेनु, रहस्य षोडसी, प्रपन्न कल्पवल्ली इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं ।

चित्र- 6.3 निम्बार्क

वल्लभाचार्य- कृष्ण भक्ति की परम्परा भागवत से प्रारम्भ हुई थी। निम्बार्क द्वारा इसे दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया गया था, तथा इसका प्रतिपादन और विकास 16वीं सदी के पूर्वार्द्ध में वल्लभाचार्य एवं चैतन्य महाप्रभु ने किया था। वल्लभाचार्य का जन्म 1481 ई. में चम्पारन्य (छत्तीसगढ) में तैलङ्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ग्यारह वर्ष की आयु में ही इन्होनें शास्त्राध्यन पूर्ण कर लिया था। वल्लभाचार्य 'शुद्धाद्वैतवाद' के प्रतिपादक थे। उनके अनुसार जब ब्रह्म, ज्ञान और क्रिया के गुणों से विभूषित होता है, तो वही कृष्ण

चित्र- 6.4 वल्लभाचार्य

हो जाता है । शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के आराधना मार्ग को ही 'पुष्टिमार्ग' कहते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित आठ कवियों का समूह, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करता था, उसे अष्टछाप कहा गया था।

इसे भी जानें-

- अष्ट छाप के कवि कुम्भनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, गोविन्ददास, छीतरस्वामी, नन्ददास और चतुर्भुजदास।

रामानन्द- राम भक्ति का प्रारम्भ वाल्मीकि रचित 'रामायण' से माना जाता है परन्तु इसे प्रसारित कर जनधर्म बनाने का श्रेय रामानन्द को है। इस आधार पर इनका काल 1400 ई. से 1470 ई. तक माना है। जनश्रुति के अनुसार आपका जन्म प्रयाग में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार "सच पूछा जाय तो मध्य युग के समग्र, स्वाधीन चिन्तन के गुरु रामानन्द ही थे"। युगान्तकारी रामानन्द ने 1456 ई. के लगभग पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया था ।

चित्र- 6.5 रामानन्दचार्य

रामानन्द एक समाज सुधारक- रामानन्द क्रान्तिकारी तथा रूढिवादी विचारों के समन्वयवादी उन्होंने समाज सुधार का माध्यम रामभक्ति को बनाया व ऊँच-नीच भावना को समाप्त किया। उन्होंने जातिभेद का त्याग करके **मानहु एक भगत के नाना** दृष्टिकोण अपनाया था। आपकी शिष्य मण्डली में सभी धर्म व जाति के लोग थे। जैसे- सन्त रैदास चमार, सन्त कबीर मुसलमान, सन्त धन्ना जाट, सन्त सेना नाई, सन्त पीपा राजपूत आदि थे। आपने हिन्दू धर्म में एक नवीन चेतना उत्पन्न की थी। कालान्तर में उनके शिष्य दो वर्गों में बँट गये। एक वर्ग तो प्राचीन परम्पराओं का पोषक था, जो वह कुछ संशोधनों के साथ भक्तिमार्ग को चलाना चाहता था, जिसका नेतृत्व सन्त तुलसीदास ने किया। दूसरा वर्ग क्रान्तिकारी परिवर्तनों का पक्षधर था, जिसका नेतृत्व कबीर ने किया।

सन्त कबीर- कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था किन्तु लोक लज्जा के भय से उस ब्राह्मणी ने इन्हें बनारस में लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ डाल दिया था। नीरू नामक एक मुस्लिम जुलाहे तथा उसकी पत्नी नीमा ने इनका पालन-पोषण किया। अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1440 ई. में मानते है। ये रामानन्द के शिष्य और निर्गुण भक्तिधारा के सन्त थे। कविवर दिनकर ने उचित ही अभिव्यंजित किया है कि "प्रत्येक कवि अपने युग का ही कवि होता है"। कबीर का

जन्म उस समय हुआ था, जब भारत में तुर्कों की सत्ता थी। हिन्दुओं की नागरिकता पूर्णत: समाप्त कर दी गई थी। उनकी दशा दयनीय हो चुकी थी। ऐसे निराशा व हतोत्साह के वातावरण में कबीर ने अपने क्रान्तिकारी विचारों से हिन्दुओं के हृदय में आशा का सञ्चार करते हुए हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल दिया था। कबीर की शिक्षा किसी शिक्षण संस्था में नहीं हुई अपितु अपने अनुभव से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर ने लिखा है- **मसि कागद छूयो नहीं, कलम गहयो न हाथ, विद्या न परद वाद न जानऊ।** उनकी भाषा स्पष्ट एवं जनमानस के अनुकुल थी।

चित्र- 6.6 सन्त कबीरदास

कबीर ग्रन्थावली का सम्बन्ध राजस्थान के दादूपंथियों से है। इनके कई पद आदि गुरुग्रन्थ साहिब में संकलित हैं। कबीर की रचनाएं अनेक भाषा और बोलियों में मिलती है। कबीर हिन्दू व इस्लाम धर्म में प्रचलित मिथ्या-आडम्बरों के सर्वथा विरूद्ध थे। कबीर का दृष्टिकोण समन्वयवादी था व उनका धर्म जनमानस का धर्म था। कबीर ने कहा कि भगवान सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही मिल सकता है। कबीर ने जातिप्रथा व नारी पर समाज द्वारा थोपे गए नियंत्रणों की कटु आलोचना की थी। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्ध-विश्वास और बाह्य आडम्बरों का विरोध किया था।

बाबा गुरुनानक देव- इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा (नवम्बर,1469ई.) को तलवण्डी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचन्द मेहता था। मध्ययुगीन धार्मिक एवं सामाजिक सुधारकों में गुरुनानक का नाम उल्लेखनीय है। गुरु नानक देव ने ज्ञान की तलाश एवं बहुजीवों के कल्याणार्थ चीन, बर्मा, लंका, अरब, मिश्र, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों की यात्राएँ की थी। गुरुनानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। गुरुनानक देव ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। धर्म के सभी बाह्य आडम्बरों को उन्होंने अस्वीकार किया था।

चित्र- 6.7 गुरुनानक देव

उन्होनें अपनी शिक्षाएँ पञ्जाबी भाषा में **शबद (पद)** के माध्यम से दी थीं । उन्होंने अपने अनुयायी अङ्गद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया था। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक सिक्ख धर्म में होता रहा था। सिक्खों पाँचवें गुरु अर्जुनदेव जी ने गुरुनानक तथा उनके उत्तराधिकारियों, बाबा फरीद,

रविदास और कबीर की बानी को **आदिग्रन्थ साहिब** में संकलित किया था, जिसे 'गुरुवानी' कहा जाता है। 17वीं सदी के उत्तरार्द्ध में दसवें गुरु गोविन्दसिंह जी ने, नवें गुरु तेगबहादूर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया था, तब से इस ग्रन्थ को '**गुरुग्रन्थ साहिब**' कहा जाता है। गुरुनानक का उद्देश्य समाज का उत्थान करना था, इसलिए उन्होनें मोक्ष तथा लोक-कल्याण के लिए सेवाधर्म पर अधिक जोर दिया था। गुरुनानक का प्रेम मौखिक न होकर सेवा धर्म से प्रेरित था। उनके इस मानवतावादी दृष्टिकोण ने ही सिक्खों में इस्लाम की तरह एकता व बन्धुत्व भावना

चित्र- 6.8 मीराबाई

उत्पन्न की थी। **मीराबाई, भक्तिमयी राजकुमारी-** मीरा का जन्म 1504 ई. में राजस्थान की मेड़ता रियासत के कुड़की ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नसिंह व दादा का नाम राव दूदा था। मीरा में कृष्ण के प्रति निष्ठा उनकी दादी से उत्पन्न हुई थी। कहा जाता है कि एक बार मेड़ता में बारात आई, तो मीरा ने पूछा यह बारात किसकी है? दादी ने कहा दुल्हे की, तो भोली-भाली मीरा ने पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कहाँ है ? प्रत्युत्तर में दादी ने गिरधर गोपाल को बताया, तब से ही मीरा श्रीकृष्ण को अपने पति के रूप में मानने लगी थीं। मीरा का विवाह 1516 ई. में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था परन्तु दुर्भाग्यवश विवाह के सात वर्ष उपरान्त ही भोजराज का निधन हो गया था। अब मीरा चित्तौड़गढ़ में रहकर श्री कृष्ण की आराधना करने लगी थीं। उसकी इस भक्ति भावना से राजा विक्रमादित्य (देवर) नाराज हो गया था। उसने मीरा को भक्ति के रास्ते से हटाने के कई बार असफल प्रयास किए थे। इस प्रकार मीरा का जीवन चित्तौड़गढ़ में असह्य हो गया था। अब मीरा वृन्दावन चली गई थी और वहीं से द्वारिका में जाकर कृष्ण भक्ति की अलख जगाने लगी थी। मीरा राजभवन से निकलकर परिव्राजिका सन्त बन गई थी। उन्होंने अन्तर्मन की भावप्रणवता को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की थी।1560 ई. में द्वारिका में मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। कुछ परम्पराओं के अनुसार मीरा के गुरु **सन्त रैदास** थे। इससे पता चलता है कि मीरा जातिवादी समाज को नहीं मानती थी। मीरा की भक्ति दैन्य एवं माधुर्यभाव से ओत-प्रोत थी। उन पर तत्कालीन योगियों, सन्तों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव पड़ा था। मीरा का काव्य उनके हृदय से निकले

प्रमोच्छावास का साकार रूप है। मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन की प्रेरणा ने जिन महान कृष्ण भक्त कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। उनके भक्तिपद आज भी गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार व पञ्जाब आदि राज्यों में गाए जाते हैं। भक्ति की तन्मयता में उन्होनें कई स्थानों का भ्रमण किया व जनमानस को कृष्ण की सगुण भक्ति से सराबोर कर दिया था।

सारणी 6.1 काल रेखा- भक्ति आन्दोलन	
लगभग 500-800 ई.	तमिलनाडु में अप्पार, सम्बन्दर और सुन्दरमूर्ति
लगभग 800-900 ई.	तमिलनाडु में नम्मलवर, मणिक्कचक्कार आदि
लगभग 1200-1300 ई.	महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वजा मुइनद्दीन चिश्ती
लगभग 1300-1400 ई.	कश्मीर में लाल देद, उत्तर प्रदेश में रामानन्द, महाराष्ट्र में चोखमेला
लगभग 1400-1500 ई.	उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास, पञ्जाब में नानकदेव, गुजरात में वल्लभाचार्य, असम में शङ्करदेव
लगभग 1500-1600 ई.	बङ्गाल में चैतन्य महाप्रभु, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. भारत में भक्ति आन्दोलन का सूत्रपात.....में हुआ था।
   अ. तमिलनाडु ब. राजस्थान स. मध्यप्रदेश द. उत्तरप्रदेश
2. भारत में लिङ्गायत समुदाय अधिकांशत:.....में पाया जाता है।
   अ. मध्यप्रदेश ब. ओडिशा स. कर्नाटक द. बिहार
3. ख्वाजा मोईनद्दीन चिश्ती की दरगाह.....में स्थित है।
   अ. उज्जैन ब. दिल्ली स. नागपुर द. अजमेर
4. निर्गुण भक्ति के श्रेष्ठतम सन्त कबीर का जन्म .....में हुआ था।
   अ. काशी ब. मथुरा स. लखनऊ द. दौलताबाद

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. गुरुनानक के विचार ..... कहे जाते है। (शबद/बानी)
2. मीरा बाई के गुरु ..... थे। (सन्त रैदास/रामानन्द)
3. भक्ति आन्दोलन की शुरुआत ..... से हुई। (दक्षिण भारत/उत्तर भारत)

4. मीरा राजभवन से निकलकर .....सन्त बन गई थी। (परिव्राजिका/दण्डी स्वामी)

सत्य/असत्य बताइए -

1. मीरा बाई का जन्म कुड़की (राजस्थान) में हुआ। सत्य/असत्य
2. लिङ्गायत परम्परा के अधिकांश उपासक कर्नाटक में है। सत्य/असत्य
3. अलवार शिवभक्त थे। सत्य/असत्य
4. गुरुनानक ने अपनी शिक्षाएँ पञ्जाबी भाषा में शबद के माध्यम से दी थीं। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. शङ्कराचार्य	क. वेलारी
2. निम्बार्क	ख. रामपुर
3. रामानुजाचार्य	ग. केरल
4. वल्लभाचार्य	घ. तिरुपति

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. आदि शङ्कराचार्य का जन्म किस स्थान पर हुआ था?
2. रामानुजाचार्य ने किस मत की स्थापना की थी ?
3. 'द्वैताद्वैतवाद' के संस्थापक कौन थे ?
4. रामानन्द के प्रमुख शिष्यों के नाम लिखिए।
5. गुरुनानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. अलवार व नयनार सन्तों के बारे में पाँच वाक्य लिखिए ।
2. वीर शैव परम्परा का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।
3. सूफीमत के प्रमुख सम्प्रदायों के नाम लिखिए ।
4. गुरुनानक देव के उपदेशों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. भक्ति आन्दोलन के बारे में विस्तार लिखिए ।
2. रामानन्द का जीवन परिचय देते हुए, समाज सुधार की दिशा में किए प्रयासों का उल्लेख कीजिए।

परियोजना-

1. भक्ति आन्दोलन के प्रमुख सन्तों की सुची बनाइए और कीन्हीं दो सन्तों के जीवन वृत पर प्रकाश डालिए।

अध्याय - 7

मध्यकालीन भारत

(ग्यारहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक)

इस अध्याय में- राजा भोज परमार, विजय नगर के राय, व्यापार, राज्य का चरमोत्कर्ष, जलसंसाधन, नगर नियोजन, धार्मिक केन्द्र, मुगलकालीन समाज, मुगलकालीन इतिहास के स्त्रोत, मुगल शासक, मुगलकालीन इतिहास लेखन, सुलह-ए-कुल नीति, प्रान्तीय प्रशासन, मुगल विदेश नीति, यात्रियों के दृष्टिकोण, अलबरूनी का भारतीय समाज के बारे में विचार, इब्नबतूता का भारत वर्णन, अन्य फारसी यात्री, बर्नियर का भारत वर्णन।

महान लोग समय, स्थान और परिस्थितियों आदि की उपज होते हैं। मध्यकालीन भारत में ऐसे ही दो सम्राट, मालवा के परमार वंशीय राजा भोजराज और विजयनगर के तुलुव वंशीय राजा कृष्णदेवराय का स्थान कला, साहित्य,विज्ञान, शासन प्रणाली आदि की दृष्टि से इतिहास प्रसिद्ध है।इन साम्राज्यों के बारे में जानकारी तत्कालीन ग्रन्थों एवं शिलालेखों, स्मारकों, सिक्के आदि से होती है।

राजा भोज परमार- मालवा के परमार वंश ने आठवीं से चौदहवीं सदी तक शासन किया था। इस वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भोज परमार का शासन 1010 ई. से 1055 ई. तक रहा था। राजा भोज का राज्य मध्य भारत में, उत्तर में चितौड़गढ़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक तथा पूर्व में विदिशा से लेकर साबरमती नदी के पश्चिम भाग तक था।उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार राजा भोज का साम्राज्य सिन्धु और अफगानिस्तान तक विस्तृत था। राजा भोज परमार एक शासक के साथ-साथ बुद्धिजीवी और बहुविद्यावादी थे। राजा भोज ने चौरासी पुस्तकों की रचन की थी। जिनका सम्बन्ध रसायन, व्याकरण, वास्तुकला, जलविद्युत, संगीत, काव्य, ज्योतिष, औषधि, नगर नियोजन और रोबोटिक विज्ञान से है। राजा भोज द्वारा रचित खगोल विज्ञान की पुस्तक 'समराङ्गणसूत्रधार' में यन्त्र विजनन अध्याय में रोबोटिक विज्ञान का उल्लेख हुआ है- **लघुदारुमयं महाविहंगं दृढसुश्लिष्टतनुं विधाय तस्य। उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाधारमधोअस्य चातिपूर्णम् ॥ तत्रारूढः पूरुषस्तस्य पक्षद्वन्द्वोच्चालप्रोज्झितेनानिलेन। सुप्तस्वान्तः पारदस्यास्य शक्त्या चित्रं कुर्वन्नम्बरे**

चित्र- 7.1 राजा भोज

चित्र- 7.2 भोज शाला

याति दूरम् ॥ (31.95-96) प्रसिद्ध विद्वान मेरुतुङ्ग ने अपने ग्रन्थ 'प्रबन्ध चिन्तामणि' में राजा भोज द्वारा 104 मन्दिरों के निर्माण का उल्लेख किया है। राजा भोज ने वर्तमान भोपाल (भोजपाल) नगर बसाकर वहाँ प्रसिद्ध तालाब भोजताल का निर्माण करवाया था। राजा भोज की विद्वता इस लोकोक्ति से स्पष्ट होती है कि 'कहाँ राजा भोज कहाँ गांगेय तैलङ्ग'। विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने राजा भोज से प्रेरित होकर अभिनव भोज और सकल कला भोज जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना की थी।

सारणी 7.1
राजा भोज परमार द्वारा विविध विषयों पर रचित प्रमुख ग्रन्थ

सरस्वती कण्ठाभरण	व्याकरण
चम्पू रामायण	साहित्य
समराङ्गणसूत्रधार	शिल्प, जलविद्युत, रोबोटिक विज्ञान
राजमृगांक	चिकित्सा
नाममालिका	शब्दकोश
राजमार्तण्ड	दण्डनीति
युक्ति कल्पतरू	विविध ज्ञान- विज्ञान
भोज प्रबन्ध	यन्त्र विज्ञान

विजय नगर की स्थापना तुङ्गभद्रा नदी के किनारे चौदहवीं सदी में सङ्गम बन्धुओं ने अपनी विजय स्मृति के रूप में की थी। तत्कालीन विजय नगर साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था। 1565 ई. में मुस्लिम आक्रमणरियों ने इसे लूटकर, यहाँ की सम्पदा को अत्यधिक क्षति

पहुँचाई थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी । पुराविद् कर्नल मैकेन्जी ने 1800 ई. में हम्पी के भग्नावशेषों का प्रकाशन कर, इस जगह का प्रथम मानचित्र निर्मित किया था। उन्होंने आरम्भिक

चित्र- 7.3 प्रचीन हम्पी नगर

संकेत विरुपाक्ष मन्दिर तथा पम्पादेवी के देवालयों का किया है।

विजय नगर के राय- 1336 ई. में हरिहर और बुक्का नामक दो भाईयों द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों ने उपजाऊ नदी-घाटियों तथा लाभकारी सम्पदा प्राप्त करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से संघर्ष किया था। इनमें दक्षिण के सुलतान और उड़ीसा के 'गजपति' प्रमुख हैं। विजयनगर के शासकों को 'राय' कहा जाता था। विजय नगर के शासकों में कृष्णदेव राय सबसे अधिक महान था। उसने अपनी योग्यता से विजय नगर को उन्नति के शिखर तक पहुँचा दिया था।

इसे भी जानें-

- स्थानीय मातृदेवी पम्पादेवी के नाम पर इस स्थान का नाम हम्पी हुआ था।
- हरिहर और बुक्का को मुहम्मद तुगलक ने मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए विवश किया था परन्तु बाद में विद्यारण्य के गुरु श्रंगेरी के मठाधीश विद्यातीर्थ ने पुन: हिन्दू धर्म में प्रवेश कराया था।
- विजयनगर के शासकों को 'राय' कहा जाता था।
- विजय नगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यमु भी कहा जाता है।

व्यापार- इस काल की सर्वाधिक प्रभावशाली सेना अश्वसेना थी। अरब तथा मध्य एशिया से अश्वों का आयात होता था। स्थानीय व्यापारी समूहों को **कुदिरई चेट्टि(घोड़े के व्यापारी)** कहते थे। 1498 ई. में

पुर्तगाली लोग भी इस व्यापार में सम्मिलित हो गए थे। विजयनगर रत्नों, वस्त्रों और मसालों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था।

राज्य का चरमोत्कर्ष - विजयनगर पर 1485 ई. तक सङ्गम राजवंश का शासन रहा था। 1485 ई. से 1503 ई. तक सत्ता सुलुव राजवंश के पास रही थी। तदनन्तर तुलुव राजवंश ने राज्य का नेतृत्व किया था। कृष्णदेवराय इसी वंश के शासक थे, जिन्होंने रायचूर दोआब, 1514 ई. में उड़ीसा व 1520 ई. में बीजापुर के सुल्तान को परास्त किया था। कृष्णदेव राय के काल में विशाल देवालयों का निर्माण तथा **'नगलपुरम'** नामक उपनगर स्थापित किया गया था। 1542 ई. में अराबुद (अराविदु) राजवंश का विजयनगर पर नियन्त्रण हो गया, जो 17वीं सदी तक रहा था। 1565 ई. में विजयनगर (प्रधानमन्त्री रामराय) तथा बीजापुर, अहमदनगर व गोलकुण्डा की संयुक्त सेनाओं के मध्य तालीकोटा (राक्षस तांगडी) का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। अब विजयनगर साम्राज्य का मूल केंद्र परिवर्तित होकर पेनुकोण्डा और बाद में तिरुपति के पास चन्द्रगिरि हो गया था, जिसका संचालन अराविदु राजवंश ने किया था। विजयनगर की सम्पन्नता के बारे में डोमिंगो पेस ने कहा कि 'विजयनगर मुझे रोम जैसा विशाल प्रतीत हुआ। यह अन्यान्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है'।

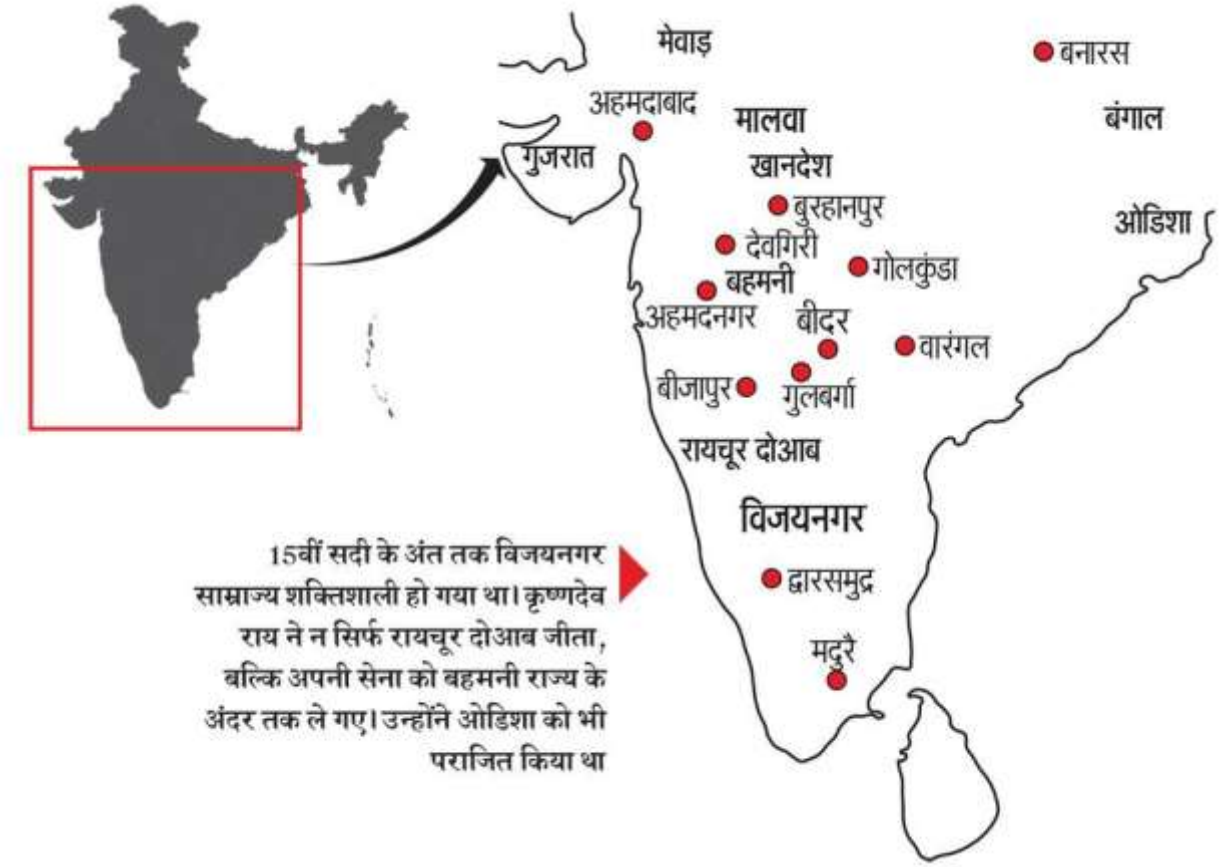

मानचित्र- 7.1 विजय नगर साम्राज्य

जलसंसाधन- इस राज्य के उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित तुङ्गभद्रा नदी प्रमुख रूप से जल का स्रोत रही है। पर्वतीय जलधाराएँ इस नदी में सम्मिलित होती हैं। इन जल धाराओं पर बाँध बनाकर कुंड निर्मित किये गए थे। जल प्रबन्धन की दृष्टि से यहाँ 15 वीं सदी का महत्त्वपूर्ण कुण्ड 'कमलपुरम' जलाशय है और हिरिया नहर के भग्नावशेष भी देखे जाते हैं।

नगर नियोजन- प्राचीन विजय नगर साम्राज्य बहुविधि दृष्टि से उन्नत था। 15वीं सदी में फारस से आए दूत अब्दुर रज्जाक ने वहाँ के दुर्गों का वर्णन करते हुए दुर्ग की सात पंक्तियों का उल्लेख किया है। इन पंक्तियों से शहर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र तथा जङ्गलों को भी घेरा गया था। विशिष्ट स्थापत्य कला से युक्त प्रवेशद्वार थे। ये प्रवेश को नियन्त्रित किया करते थे। प्रवेशद्वारों से होकर जाने वाली सुदीर्घ सड़के थीं। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने कुछ जगहों को शहरी केन्द्र निर्धारित किया है, जहाँ व्यापारी व आमजनों के आवास थे। साठ से भी अधिक मन्दिरों से युक्त राजकीय केन्द्र बस्ती के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित थे। इन मंदिरों और सम्प्रदायों को राजाश्रय प्राप्त था। तीस से अधिक भग्नावेशों की पहचान महलों के रूप में हुई है।

महानवमी डिब्बा- विजयनगर राज्य में दो प्रभावशाली मंच थे, जिन्हें सभा मण्डप और महानवमी डिब्बा कहा जाता था। महानवमी डिब्बा में नवरात्र में अनुष्ठान किया जाता था। अन्य भवनों में **लोटस भवन** सबसे सुन्दर भवनों में से एक है। **राम मंदिर** अतिदर्शनीय है। राज परिवार द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता था।

चित्र- 7.4 विरुपाक्ष मन्दिर

धार्मिक केन्द्र- रामायण में वर्णित बाली और सुग्रीव के राज्य की रक्षा यही पहाड़ियाँ करती थीं। राज्य के संरक्षक विरुपाक्ष (भगवान शिव) से विवाह हेतु पम्पादेवी ने यहीं तप किया था। इस काल में यहाँ के मन्दिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। विजयनगर के राजाओं ने पूर्व परम्पराओं को अपनाकर, उन्हें परिष्कृत किया था। रायगोपुरम (राजकीय प्रवेशद्वार) बहुत सुन्दर होते थे। मनोहर मण्डप, दीर्घस्तम्भों से युक्त गलियारे देवालयों को सुशोभित करते थे। विरुपाक्ष देवालय के समक्ष बना मण्डप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में निर्मित कराया था।

इतिहास की दृष्टि- 1980 के दशक में अभिलेखन प्रयोग तथा गहन सर्वेक्षण से विजयनगर से प्राप्त अवशेषों के सूक्ष्म लेखन की परियोजना आरम्भ हुई थी। जॉन एम.फ्रिट्ज, जार्ज मिशेल और एम. एस. नागराज राव ने लिखा विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तम्भ, टेक (ब्रेकेट), धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अन्दरुनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाये और सम्भवतः चटकीले रङ्गों से चित्रित थे। यहाँ के यात्रावृत्तों के शब्द चित्र तत्कालीन साम्राज्य के पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहयोगी हैं। पेस के बाजार चित्रण में उल्लेख है कि- "गली में कई व्यापारी रहते हैं, वहाँ आप माणिक्य, हीरे-पन्ने, मोती, वस्त्र तथा हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे, पायेंगे। हर शाम को एक मेला देख सकते हैं, जहाँ से कई सामान्य घोड़े, टट्टू, नींबू, सन्तरे, अंगूर, उद्यान में उगने वाली प्रत्येक वस्तु और लकड़ी मिलती है"। इस प्रकार हम पाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से काफी समृद्ध था।

इसे भी जानें-

- 1986 ई. में हम्पी को राष्ट्रीय महत्त्व का स्थल घोषित किया गया था।
- राजा कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित विट्ठलस्वामी, हजारा स्वामी, चिदम्बरम् आदि मन्दिर वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं।
- विजय नगर साम्राज्य में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड भाषा और साहित्य का विकास हुआ था।
- कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद नामक ग्रन्थ की रचना की थी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के आठ महान कवियों को राजाश्रय प्राप्त था, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था।
- उस समय प्रसिद्ध विद्वान सायणाचार्य ने वेदों पर भाष्य लिखे थे।

सारणी 7.2

विजयनगर साम्राज्य

सङ्गम राजवंश

क्र.	शासक	शासन काल
1.	हरिहर राय प्रथम	1336-1356
2.	बुक्क राय प्रथम	1356-1377
3.	हरिहर राय द्वितीय	1377-1404
4.	विरुपाक्ष राय	1404-1405
5.	बुक्क राय द्वितीय	1405-1406

6.	देव राय प्रथम	1406-1422
7.	रामचन्द्र राय	1422
8.	वीर विजय बुक्क राय	1422-1424
9.	देव राय द्वितीय	1424-1446
10.	मल्लिकार्जुन राय	1446-1465
11.	विरुपाक्ष राय द्वितीय	1465-1485
12.	प्रौढ़ राय	1485
	शाल्व राजवंश	
13.	शाल्व नृसिंह देव राय	1485-1491
14.	थिम्म भूपाल	1491
15.	नृसिंह राय द्वितीय	1491-1505
	तुलुव राजवंश	
16.	तुलुव नरस नायक	1491-1503
17.	वीरनृसिंह राय	1503-1509
18.	कृष्ण देव राय	1509-1529
19.	अच्युत देव राय	1529-1542
20.	सदाशिव राय	1542-1570
	अराविडु राजवंश	
21.	आलिया राम राय	1542-1565
22.	तिरुमल देव राय	1565-1572
23.	श्रीरङ्ग प्रथम	1572-1586
24.	वेंकट द्वितीय	1586-1614
25.	श्रीरङ्ग द्वितीय	1614-1614
26.	रामदेव अरविडु	1617-1632
27.	वेंकट तृतीय	1632-1642
28.	श्रीरङ्ग तृतीय	1642-1646

मुगलकालीन समाज- 16वीं-17वीं सदी में भारत में लगभग 85 प्रतिशत लोग ग्रामीण थे। लघु खेतिहर और भूमिहार दोनों ही कृषि से सम्बन्ध रखते थे। उनके मध्य सहयोग, स्पर्धा तथा संघर्ष के सम्बन्ध थे। इन कृषि सम्बन्धों के जाल से गाँव का समाज निर्मित होता था। मुगल राज्य अपनी आमदनी का बहुत बड़ा भाग कृषि उत्पादन से वसूलता था। ग्रामीण समाज पर नियन्त्रण के प्रयास में राज्य कर्मचारी अधिकाधिक राजस्व वसूलते थे। कृषकों की प्रारम्भिक इकाई गाँव थी। कृषक जुताई, बुआई, कटाई में वर्ष पर्यन्त लगा रहता था। अनेक ऐसे भूभाग भी थे, जहाँ शुष्क भूमि और पहाडियों वाले क्षेत्र थे। इनमें कृषि नहीं हो सकती थी। इसके अतिरिक्त अधिकांश क्षेत्र वनों से आवृत थे।

इसे भी जानें-

- मुगलकाल में दो प्रकार के किसान थे- खुदकाश्त एवं पाहीकाश्त।
- खुदकाश्त उसी गाँव के निवासी थे।
- वे किसान जो दूसरे गाँव से आकर ठेके पर कृषि करते थे, पाहीकाश्त कहलाते थे।
- भारत में सर्वप्रथम तम्बाकू का पौधा दक्षिण पहुँचा, फिर वहाँ से 17वीं सदी में उत्तर भारत आया था।

1. **कृषक और उनकी भूमि-** मुगलकालीन फारसी स्त्रोतों में किसान के लिये रैयत (बहुवचन रिआया) या 'मुजारियान' शब्द का प्रयोग करते हैं। उत्तर भारत में किसानों की दशा अच्छी नहीं थी। कृषि व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त पर आधारित थी।कृषि योग्य भूमि की अधिकता, श्रमिकों की उपलब्धता, कृषकों की सक्रियता से खेती का अनवरत विकास होता चला गया था। कृषि का प्रथम उद्देश्य उदर पोषण था। अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में चावल तथा कम बारिश वाले क्षेत्रों में गेहूँ, ज्वार, बाजरें की खेती की जाती थी। उस समय सिंचाई के कृत्रिम उपाय करने पड़ते थे। मुख्य रूप से दो फसलें खरीफ (पतझड़) तथा रबी (बसन्त) में होती थी। किन्तु जहाँ सिंचाई के अन्य संसाधन विद्यमान थे, वहाँ तीन फसलें भी ली जाती थीं। क्षेत्रवार फसलों के प्रकार व उत्पादन में विभिन्नता थी। इसी समय भारत में मक्का, टमाटर, आलू, अनानास, पपीता आदि कृषि प्रारम्भ हुई थी
2. **ग्राम्य जीवन-** अधिकांश भूमि पर किसानों का अधिकार होता था। उस समय ग्राम्य जीवन में सामाजिक अस्तित्व की रक्षा हेतु अनेक समुदाय होते थे। इन समुदायों के तीन प्रमुख घटक- खेतिहर किसान, पञ्चायत, गाँव का मुखिया थे। खेतिहर किसान अनेक समूहों में विभक्त थे। सामाजिक हैसियत में विविधता के दर्शन होते थे। 17वीं सदी की एक पुस्तक में राजपूतों, जाटों को किसानों के रूप में चित्रित किया गया है। पशुपालन, बागवानी से प्राप्त लाभ के कारण अहीर, गुर्जर, माली आदि जातियाँ सामाजिक सोपान में आगे बढ़ गई थीं। पञ्चायत का प्रमुख मुखिया कहलाता था, जिसका चुनाव गाँव में बुजुर्गों की सहमति से होता था तथा अनुमोदन जमींदार द्वारा किया जाता था। मुखिया को गाँव के बुजुर्ग पदच्युत कर सकते थे। पटवारी मुखिया की मदद के लिए होता था,

जो पञ्चायत की आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करता था। ये खर्च हर व्यक्ति द्वारा प्रदत्त धन से होता था। ये पंचायतें काफी शक्ति सम्पन्न थी। मराठों के अभिलेखों से विदित होता है कि गाँव में 25 प्रतिशत घर दस्तकारी से जुड़े थे। रङ्गरेंजी, वस्त्रछपाई, मृदभाण्ड पकाना, कृषि उपकरणों को बनाना या मरम्मत करने का काम दस्तकारी के अन्तर्गत आता था। ग्रामीण उनका पारिश्रमिक विविध प्रकार से देते थे। दस्तकारी की वस्तुओं का विनमय अनाज या भूमि के रूप में होता था। पारिश्रमिक देने की दर का निर्धारण पञ्चायत करती थी। ऐसी जमीन महाराष्ट्र में दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई थी। 18वीं सदी के स्त्रोतों से ज्ञात होता है कि बङ्गाल के जमींदार उनके पारिश्रमिक के लिए दस्तकारों को रोज का भत्ता तथा खाने के लिए नगदी देते थे, इसे जजमानी व्यवस्था कहते थे। उत्पादन क्रिया में स्त्री-पुरुष समवेत सहभाग करते थे। पुरुष वर्ग खेत की जुताई तथा बुआई, निराई, कटाई, छटाई आदि का कार्य स्त्रियाँ करती थीं। मध्ययुगीन हिन्दुस्तानी कृषि परम्परा, घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुख्य आधार था। कताई,बुनाई, मृदभाण्ड हेतु मिट्टी तैयार करना, रङ्गरेजी जैसे दस्तकारी के काम महिलाओं के श्रम पर आश्रित थे। वस्तु के वाणिज्यीकरण में महिलाओं का श्रम महत्वपूर्ण था। कृषक और दस्तकार महिलाएँ खेतों के साथ बाजारों में भी कार्य करती थीं। प्रतिष्ठित परम्पराओं के आधार पर परिवार का मुखिया पुरुष होता था। किन्तु महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी। कुलीन स्त्रियों को पारिवारिक सम्पदा का अधिकार प्राप्त था, जिसका वह विक्रय कर सकती थीं।

इसे भी जानें-

- 19वीं सदी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने हिन्दुस्तानी गावों को एक **लघु गणराज्य** के रूप में देखा, जहाँ लोग भाईचारे का सम्यक पालन करते थे। जाति और लिङ्ग के आधार पर गहरी विषमता थी। गाँव के शक्तिशाली लोगों को न्याय का अधिकार प्राप्त था। गाँव और शहरों के मध्य व्यापारिक सम्बन्धों का परिणाम ही नकदी लेनदेन था।
- आर्थिक सर्वेक्षणों के अनुसार 1600 से 1700 ई. के मध्य भारत की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ हो गई थी।

3. **वन और कबीले-** मध्यकाल में झारखण्ड, पूर्वी भारत, मध्य भारत, भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में अपार वन सम्पदा थी। तत्कालीन कृतियों में वनवासियों को जङ्गली की संज्ञा दी गई थी। परन्तु जङ्गली शब्द से असभ्य जैसा आशय बिल्कुल नहीं था। इन लोगों के जीवनयापन का आधार जङ्गली उत्पाद, शिकार या खेती था। बसन्त में जङ्गली उत्पाद का एकत्रीकरण, गर्मी में मछली पकड़ना, वर्षा में कृषि, शरद में मत्स्य, आखेट आदि कार्य होता था। मुगल राजनीति में शिकार अभियान द्वारा धनी और निर्धन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। कृषि हेतु जङ्गलों का निर्मूलन किया गया था। वाणिज्यिक कृषि का प्रभाव, बाह्य कारक के रूप में, जङ्गलीं लोगों पर पड़ा था। हाथी, शहद,

लाख आदि का निर्यात किया जाता था। भारत अफगानिस्तान के मध्य कुछ कबीले व्यापार कार्य करते थे, यथा- पञ्जाब का लोहानी कबीला। उस काल में वनवासी लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन हुए थे। इन वनवासी लोगों के अनेक सरदार जमींदार बन गए और इनमें से कुछ राजा बन गए थे। उन लोगों द्वारा अपने ही कुल के लोगों की एक सेना बनाई गई थी। उदाहरण के लिए सिंध क्षेत्र की कबीलाई सेना में 6000 अश्वारोही, 7000 पदचर सैनिक थे। अहोम राजाओं (असम) के अपने पायक (पदाति सेना) थे, जिन्हें भूमि के स्थान पर सेना में काम करना पड़ता था। अहोम नरेशों ने जङ्गलों पर एकाधिकार कर लिया था।

4. **भू-राजस्व प्रणाली-** भू-राजस्व प्रणाली में जमीदारों का स्थान प्रमुख था। जमींदार स्वयं कृषि नहीं करते थे, अपितु श्रमिकों से कृषि करवाते थे। जिन्हें ऊँची प्रतिष्ठा के कारण, विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त थीं। वे राज्य को कुछ विशेष सेवाएँ देते थे। उनकी व्यक्तिगत विस्तृत भूमि ही उनकी आय का आधार थी। राजपूत और जाट जमींदारों ने उत्तर भारत में विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया था। भूमि से प्राप्त राजस्व मुगल राज्य में अर्थ का आधार था।

इसे भी जानें-

- राजस्व वसूली हेतु दीवान (वित्तीय व्यवस्था का लेखक व निरीक्षक) होता था। भू-राजस्व प्रबन्ध दो प्रकार के थे- प्रथम कर निर्धारण, दूसरा वास्तविक वसूली। निर्धारित रकम के लिए 'जमा' शब्द और प्राप्त वसूली हेतु हासिल शब्द प्रचलित था। अकबर ने अमील गुजार (राजस्व अधिकारी) को नकद कर वसूलने का आदेश दिया था। अमीन एक मुलाजिम था, जिसका प्रमुख कार्य प्रान्तों में राजकीय नियम-कानूनों का पालन करवाना था। मुगल प्रशासन तन्त्र के शीर्ष में एक सैन्य नौकरशाही तन्त्र था, वही मनसबदारी व्यवस्था थी।

5. **व्यापार-** 16वीं, 17वीं सदी में सबसे मजबूत सत्ता मुगल साम्राज्य की थी। उनके व्यापारिक सम्बन्ध मिग (चीन), सफावी (ईरान), ऑटोमन (तुर्की) से थे। साम्राज्य की सुदृढ़ता ने चीन में भूमध्य सागर के सुविशाल मार्ग तक व्यापार संवर्धन में सहयोग किया था। अन्वेषी पर्यटनों से **नई दुनिया** के प्रकाशन से यूरोप के साथ एशिया के व्यापार में अभिवृद्धि हुई थी। 16वीं से 18वीं सदी के मध्य भारत में चाँदी के रुपयों के प्रचलन से भारतीय मुद्रा की स्थिति सुदृढ़ थी।

मुगलकालीन इतिहास के स्त्रोत- 16वीं और 17वीं सदी की कृषि के बारे में जानकारी हमें प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकों से मिलती है, जो तत्कालीन मुगल साहित्यकारों द्वारा लिखी गई थीं। 'बाबरनामा' और अबुल फजल कृत '**आइन ए अकबरी**' एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थ है, जिसमें राजस्व वसूली, राज्य और जमींदारों के सम्बन्ध आदि का लेखा-जोखा वर्णित है। आइने अकबरी के अनुसार, अकबर

सामाजिक मेल-जोल स्थापित कर शासन करता था। 17वीं-18वीं सदी के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से प्राप्त अभिलेख हमें सरकारी आय की जानकारी प्रदान करते हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अनेक दस्तावेज पूर्वी भारत के कृषि सम्बन्धों का महत्वपूर्ण रूप प्रस्तुत करते हैं। इन स्रोतों से उस समय के कृषक, जमींदार और राज्य के मध्य विवाद का पता चलता है। कृषक वर्ग के पढ़े-लिखे न होने के कारण उनकी वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं के बराबर मिलती है।

अबुल फ़जल की आइन ए अकबरी- अकबर के निर्देश पर अबुल फ़जल ने इसका लेखन प्रारम्भ किया था, जो 1589 ई. से प्रारम्भ होकर, 1598 ई. में इसे पूर्ण हुआ था। यह इतिहास लेखन की एक बडी परियोजना थी, जिसका परिणाम तीन जिल्दों में प्रणीत अकबर नामा था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा का लेखन कार्य पूर्ण किया था। नस्तलिक शैली अकबर की पसंदीदा शैली थी। लेखक किसी घटना के लेखन के समय उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे, जिस पर चित्रकार भावुक चित्रांकन करता था। अबुलफजल ने चित्रकारी को जादुई कला कहा है।

मुगल शासक- मुगल शब्द की व्युत्पति मङ्गोल शब्द से हुई है। पितृपक्ष से तैमूर के वंशज होने के कारण ये खुद को तैमूरी कहते थे। बाबर मातृपक्ष से चंगेजखाँ का रिश्तेदार था। बाबर को फरगना के उजबेकों ने खदेड़ दिया था इसलिए वह पहले काबुल तत्पश्चात 1526 ई. में भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूँ ने मुगल राज्य का विस्तार किया था परन्तु अफगान नेता शेरशाह सूरी से चौसा के युद्ध(1539 ई.) में परास्त होने के कारण, उसे ईरान के शासक तहमास्प के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। 1555 ई. में हुमायूँ ने सूरों को परास्त कर अपना साम्राज्य वापिस प्राप्त कर लिया था,इसके एक वर्ष पश्चात हुमायूँ की मृत्यु हो गई थी। जलालुद्दीन अकबर 1556 ई. में भारत का बादशाह बना था। उसने साम्राज्य विस्तार के साथ एक समृद्ध राज्य निर्मित कर उसे सशक्त किया था। उसने हिन्दूकुश पर्वत पर्यन्त साम्राज्य विस्तार किया व ईरान के सफावियों और तूरान (मध्य एशिया) के उज़वेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर रोक लगाई थी।

सारणी 7.3
काल रेखा- प्रमुख मुगल बादशाह

बाबर	1526-30 ई.
हुमायूँ	1530-56 ई.
शेरशाह सूरी (सूरी वंश)	1540- 1545 ई.
जलालुद्दीन अकबर	1556-1605 ई.
जहाँगीर	1605-1627 ई.
शाहजहाँ	1628- 1658ई.
औरगंजेब	1658-1707 ई.

मुगलकालीन इतिहास लेखन- मुगल शासकों द्वारा निर्मित कराए गये इतिवृत्त, उनके दरबारियों द्वारा फारसी भाषा में लिखे गए थे। अतः इन इतिवृतों में मुगल शासकों का महिमा मण्डन किया गया है।

इतिवृत्तों में बादशाह केन्द्रित घटनाएँ राजवंश, दरबार, युद्ध और प्रशासन तन्त्र रहा है। तुर्की इनकी मातृभाषा थी। बाबर ने अपने संस्मरण तुर्की भाषा में लिखे थे। उस समय फारसी के हिन्दवी के साथ आपसी सम्पर्क से उर्दू भाषा का उदय हुआ था। अकबरनामा फारसी में लिखा गया जबकि बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गय था। महाभारत को रज्मनामा (युद्धों का ग्रन्थ) नाम से फारसी में अनूदित कराया गया था। मुगलकालीन समस्त ग्रन्थ पाण्डुलिपियों में थे, जो हस्तलिखित थीं। पाण्डुलिपि एक बौद्धिक सम्पदा होती थी। इन पाण्डुलिपियों के लेखकों को पुरस्कार और पदवियाँ दी जाती थीं।

सुलह-ए-कुल नीति- मुगल इतिवृत्त में हिन्दू, जैन, जरतुश्ती और मुसलमान समाविष्ट सुलह ए कुल (पूर्णशान्ति) के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधार शिला कहा गया है। इसमें सभी धर्मों की स्वाधीनता के बावजूद राज्य शासन को क्षति न पहुँचाने का निर्देश दिया गया है। अबुल फज़ल ने सत्ता को एक सामाजिक अनुबन्ध बताते हुए कहा कि- 'राजा, प्रजा के चार तत्त्वों जीवन, धन, सम्मान, विश्वास की सुरक्षा करता है इसलिए वह आज्ञापालन तथा संसाधनों से अपने भाग की अपेक्षा रखता है। जहाँगीर ने कहा कि, राज्यारोहण के अनन्तर मैंने जो पहला आदेश दिया वह न्याय की जंजीर को लगाने का था।

केन्द्रीय प्रशासन- मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में बादशाह का स्थान सर्वोच्च था। उस काल में राजधानी नगर मुगल राज्य का हृदय होते थे। 16वीं-17वीं सदी में मुगल राजधानियाँ स्थानान्तरित होने लगी थीं। अकबर द्वारा 1570 ई. के लगभग फतेहपुर सीकरी को और 1585 ई. में लाहौर को राजधानी बनाया था। विजय और राज्यारोहण के समय शासक बड़ी-बड़ी पदवियाँ धारण करते थे। मुगल शासक सुयोग्य लोगों को उपाधियाँ प्रदान करते थे। उपहार के तीन भाग थे जामा, पगड़ी, पटका। रत्नजडित आभरण, पद्ममुरस्सा (रत्नों वाले अलंकार) आदि उपहार में सम्मिलित थे। मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अङ्ग अधिकारियों के समूह का था, जिसे अभिजात वर्ग कहते थे। इस वर्ग की नियुक्ति विविध धार्मिक समूहों से होती थी। 1560 ई. के पश्चात हिन्दुस्तानी मूल के दो समूह-राजपूत और भारतीय मुसलमान शाही सेवा में भाग लेते थे। अधिकारियों के दो प्रकार के पद थे- जात (मनसबदार) और सवार, जो इंगित करते हैं, कि इनके अधीन कितने घुड़सवार अपेक्षित थे। सेनापति अश्वारोहियों की भर्ती करता था। उन्हें अस्त्र-शस्त्र से युक्त करता था तथा प्रशिक्षित करता था। दरबारी लेखक प्राप्त अर्जियों, फरमानों के आलेख तैयार करते थे। वकील दरबार की कार्यवाहियों का लेखा तैयार करते थे।इन लेखों में दान, उपस्थिति, पदवीदान, उपहार, बादशाह द्वारा पूछताछ आदि का उल्लेख होता था। समाचार वृन्तान्त और शाही अभिलेख डाक द्वारा एक कोने से दूसरे कोने तक प्रेषित होते थे। कागज लेकर हरकारे (पथमार) रात-दिन भागते थे।

प्रान्तीय प्रशासन- केन्द्र के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु प्रान्त होते थे, जहाँ वजीरों के अधीन दीवान, बख्शी, सद्र होते थे। प्रान्त का प्रमुख सूबेदार (गवर्नर) होता था, जो बादशाह को प्रतिवेदन देता था। इनके अतिरिक्त उप जिला के स्थानीय प्रशासन में कानूनगो (राजस्व रक्षक), चौधरी (राजस्व सङ्ग्राहक) और काजी होते थे।

मुगल विदेश नीति- ईरान व तूरान के पडोसी देशों और मुगल राजाओं के सम्बन्ध अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया से अलग करने वाले हिन्दूकुश पर्वत की नियत परिधि के नियन्त्रण पर आधारित थे। मुगल साम्राज्य का प्रयत्न रहा है कि युद्धक चौकियों बिशेषकर काबुल व कन्धार पर नियन्त्रण कर, आक्रांताओं के आक्रमण से बचना था। मुगलों ने ऑटोमन साम्राज्य के नियन्त्रित भागों में यात्री और व्यापारीयों आवागमन के लिए उनसे सम्बन्ध स्थापित किए थे। बादशाह धर्म तथा व्यापारिक मामलों के सम्मिलन का प्रयास करता था। मुगल बादशाह ने लालसागर के अदन, मोखा आदि बंदरगाहों को बहुमूल्य चीजों के निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया था व इनकी आय फकीरों में बँटवा देता था। मुगल काल में जेसुइट धर्म प्रचारकों, पर्यटकों, व्यापारियों के विवरण से यूरोप को भारत के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त हुई थी। 15वीं सदी के अन्त में हिन्दुस्तान तक समुद्री मार्ग से पुर्तगाली व्यवसायियों ने समुद्र किनारे बसे शहरों में व्यापार केन्द्र संस्थापित किए थे। पुर्तगाली शासक सोसाइटी आफ जीसस (जेसुइट) के धार्मिक प्रचारकों की सहायता से ईसाई धर्म के प्रसार का इच्छुक था। जेसुइट आदर्श समूह के प्रति बादशाह अकबर ने उदात्त सम्मान प्रकट किया था।

इसे भी जानें-

- बादशाहनामा में बादशाह के बैठने के स्थान तख़्त-ए-मुरस्सा (रत्नजड़ित सिंहासन) पर प्रकाश डाला गया है। इसमें एक छतरी, बारह कोणीय खम्भों में टिकी है। ऊँचाई में यह गुम्बद तक 10 फुट है।
- ईद, शब-ए-बारात और होली के अवसर पर राज्यारोहण का वार्षिकोत्सव आयोजित होता था।
- मुगलकाल में शाही परिवार को हरम कहा जाता था।

यात्रियों के दृष्टिकोण- लगभग 10वीं से 17वीं सदी के मध्य विदेशी आक्रमणकारियों के साथ, उनके दरबारी, साहित्यकार व अन्य विद्वान लोग भी आते थे। भारत में पहला विदेशी यात्री चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में 'मेगस्थनीज' आया था, जिसने अपने पुस्तक 'इण्डिका' में भारतीय इतिहास का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त टालमी, प्लिनी (नेचुरल हिस्ट्री) यूनानी यात्री भी भारत आए थे। चीनी यात्रियों में सर्वप्रथम फाह्यान, चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में और ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। मध्यकालीन भारत में अलबरूनी, इब्नबतूता, बर्नियर आदि प्रसिद्ध यात्री थे।

1. **अलबरूनी** (1024 - 30 ई.)- भारत आने वाले अरबयात्रियों में अलबरूनी प्रमुख था। इसका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म शहर में हुआ था, जो महमूद गजनवी के समकालीन था। अलबरूनी एक शिक्षाविद, बहुभाषी एवं अरबी इतिहासकार था। उसने भारतीय विद्वानों से यहाँ के धर्म, दर्शन, संस्कृति और संस्कृत भाषा एवं साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया व संस्कृत भाषा, खगोल, विज्ञान, गणित और चिकित्सा सम्बधी कई ग्रन्थों का अनुवाद भी किया था। अलबरूनी ने '**किताब-उल-हिन्द**' की रचना की थी, जिसमें भारतीय धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल-विज्ञान, कीमिया (धातुओं को स्वर्ण में बदलने की विधि), भार-तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला आदि विषयों का वर्णन है। भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्य के बारे में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। वह अपने लेखन की शुरुआत प्रश्न पूछकर करता था।

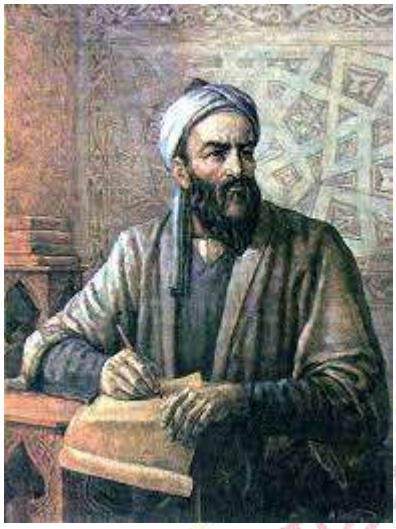

चित्र- 7.5 अलबरूनी

अलबरूनी का भारतीय समाज के बारे में विचार- अलबरूनी ने भारतीय प्राचीन साहित्य, वेद- पुराण, वेदांग, संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन किया था। ऋग्वेद के 10वें मण्डल के पुरूष सूक्त के अनुसार वर्ण व्यवस्था का सटीक वर्णन किया है, जो जातीय नहीं था। **ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्यद्दैश्य पदभ्यायं शूद्रोऽजायत॥** अलबरूनी ने चारों वर्णों की तुलना प्राचीन फ़ारस के निम्न चार वर्गों से की है। 1. शासक व घुडसवार वर्ग 2. भिक्षु व विद्वत वर्ग 3. पुरोहित 4. किसान व शिल्पकार वर्ग। अलबरूनी भारतीय प्राचीन संस्कृत साहित्य वेद, वेदांगों, उपनिषद, भगवद्गीता, मनुस्मृति आदि ग्रन्थों से बहुत अधिक प्रभावित था।

2. **इब्नबतूता-** इब्नबतूता, जिसे एक **विश्वयात्री** की संज्ञा दी जाती है, विद्वान, लेखक, जिज्ञासु और बहुभाषी था। उसका जन्म तांजियर (मोरक्को) में 24 फरवरी, 1304 ई. हुआ था। उसने 21 वर्ष की आयु में अपनी यात्रा शुरु की थी। उसने अपने जीवनकाल में लगभग 75000 मील की यात्रा पूरी की थी। इब्नबतूता ने पुस्तकीय ज्ञान के बजाय यात्राओं के अनुभवों से ज्ञान अर्जित किया था। वह भारत यात्रा (1332-33 ई.) से पहले अफ्रीका एवं पश्चिमी एशियाई देशों की यात्रा कर चुका था। उसके यात्रा वृत्तांत का नाम '**रिहला**' है, जिसमें उसने अपने यात्रा अनुभवों का वर्णन किया है। इब्नबतूता भारत में सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में पहुँचा था। दिल्ली के सुलतान मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने दूत के रूप में उसे चीन जाने का आदेश दिया था। वह बङ्गाल, आसाम से सुमात्रा होते हुए

चीन के **जायतुन** (वर्तमान में ग्वांगझू) शहर पहुँचा था। चीन यात्रा के कारण उसकी तुलना यूरोपीय यात्री **'मार्क पोलो'** से की जाती है।

इब्नबतूता का भारत वर्णन- विश्वयात्री इब्नबतूता की कृति **'रिहला'** के अध्ययन से पता चलता है कि उसके मन में विश्व को जानने की तीव्र लालसा थी, इसलिए उसने तत्कालीन विश्व के विकसित देशों की यात्रा की थी। इब्नबतूता 14वीं सदी में भारत आया था। वह भारतीय उप महाद्वीप की अनेक वस्तुओं

चित्र- 7.6 इब्नबतूता

के बारे में नहीं जानता था। जब भी उसे कोई नई वस्तु दिखाई देती तो उसके बारे में वह पूर्ण विवरण रखता था। इब्नबतूता ने भारत में पहली बार नारियल व पान को देखा था। उस समय भी दिल्ली एक समृद्ध शहर था और अरबी लोग दिल्ली को **देहली** कहते थे। इब्नब्तूता ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के पहनावे और खान-पान का वर्णन भी किया है। इब्नबतूता यहाँ की डाक प्रणाली को देखकर अचम्भित हुआ था क्योंकि यहाँ की डाक व्यवस्था बहुत तेज थी। उदाहरण के लिए सिन्ध से पाँच दिन में डाक दिल्ली पहुँच जाती थी, वैसे आदमी को दिल्ली पहुँचने में पचास दिन लगते थे। उस समय भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थीं। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलुक कहा जाता था, इसके लिए प्रत्येक चार मील की दूरी पर चौकियां स्थापित होती थी तथा इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। पैदल डाक व्यवस्था में जब संदेशवाहक यात्रा प्रारंभ करता था, तो उसके एक हाथ में छड़ तथा दूसरे हाथ में पत्र होता था। वह क्षमतानुसार तेज दौड़ता जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते, तो वे तैयार हो जाते थे। ज्यों ही संदेशवाहक आता, दूसरा सन्देशवाहक, उससे पत्र लेकर दौड जाता था। यह व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से तेज थी।

अन्य फारसी यात्री- मध्ययुगीन भारत में फारस, अरब एवं यूरोपीय देशों से अनेक यात्री भारत आये थे। इनमें अब्दुर रज्जाक समर कंदी, जिसने 1440 ई. के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 ई. में व्यापक रूप से यात्राएँ की थी।

3. **फ्रांस्वा बर्नियर-** फ्रांस्वा बर्नियर एक कुशल राजनितिज्ञ व चिकित्सक था। फ्रांस निवासी बर्नियर दारा शिकोह का निजी चिकित्सक था। बर्नियर ने भारत की यात्रा 1656-68 ई. तक की थी। उसने

तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन अपनी पुस्तक 'ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर' में किया है। वह मुगल दरबारियों एवं भारतीय शासकों को बलिष्ठ व बुद्धिजीवी मानता था।

बर्नियर का भारत वर्णन- बर्नियर के भारत आगमन के समय किसानों एवं मजदूर वर्ग की स्थिति दयनीय थी। सम्पूर्ण भूमि राज्य की होती थी,किसान तो उस भूमि पर केवल खेती करते थे।उन्हें मात्र खाने लायक अनाज दिया जाता था। भारतीय समाज में दो वर्ग थे, अमीर और गरीब। मुगलकाल में ग्रामीण जन-जीवन में सामाजिक व आर्थिक अन्तर था। उस समय भारतीय समाज में एक नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ था, जो शासक वर्ग के लिए भूमि से लगान आदि वसूलने का कार्य करते थे और शासक वर्ग द्वारा सैनिकों को प्रत्येक उपयोगी वस्तु उपलब्ध करवाई जाती थी।भारत से मलमल, रेशम जरी, कसीदाकारी, गलीचे, मसाले, नील आदि का निर्यात किया जाता था। बर्नियर के इतिहास लेखन से यूरोपीय शासकों को सबक मिलता है कि उस समय के मुगल शासन में अमीर-गरीब का भेद अत्यधिक होने के कारण एक दिन इस शासन व्यवस्था का पतन होगा। यदि यूरोपीय लोग भी भारत में मुगल शासन प्रणाली का अनुसरण करेंगे, तो यह उनके लिए हितकर नहीं होगी। मुगल काल में शिल्पकारों, दस्तकारों, कुम्भकारों, स्वर्णकारों, चर्मकारों आदि लोगों को राजकीय प्रश्रय न के बराबर था। उनसे बलपूर्वक काम करवाया जाता था तथा काम नहीं करने पर उन्हें दण्डित किया जाता था। बर्नियर ने वर्णन किया है कि 17वीं सदी में यहाँ की पन्द्रह प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती थी।वह मुगलकालीन शहरों को **'शिविर'** कहता था। जब मुगल शासक इन शहरों मे आते थे तो इन शहरों का विकास तीव्र गति से होता था और उनके जाने बाद वे पतनोन्मुख हो जाते थे।इन शहरों सभी वर्गों के लोग जैसे चिकित्सक, वास्तुकार, लेखक, वकील आदि अपनी-अपनी बस्तियों में रहते थे। बर्नियर ऐसा यात्री था, जिसने सर्वप्रथम हमारे राजकीय कारखानों का विस्तृत वर्णन किया है।

चित्र- 7.6 फ्रांस्वा बर्नियर

मध्यकालीन भारत में आने वाले यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में तत्कालीन भारत में स्त्रियों, मजदूरों और दासों की स्थिति, सतीप्रथा आदि का वर्णन किया था। मध्ययुगीन भारत में महिलाएं व्यापार-वाणिज्य में भी योगदान देती थीं। अफ्रीकन यात्री इब्नबतूता ने भी भारतीय समाज में दास प्रथा का वर्णन किया था। युद्ध बन्दियों को दास बनाया जाता था।दासों के शहरों में बाजार होते थे। वहाँ पर उनका व्यापार होता था।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. ह्वेनसांग .....के समय भारत आया।
   अ. चन्द्रगुप्त मौर्य ब. हर्षवर्धन स. राज्यवर्धन द. विक्रमादित्य
2. विजय नगर साम्राज्य की स्थापना.....ने की थी।
   अ. कृष्णदेवराय ब. चन्द्रगुप्त मौर्य स. हरिहर व बुक्का द. पुष्यमित्र
3. शाहजहाँ का शासन काल..... था।
   अ 1628 -1658 ई. ब. 1600-1628 ई.
   स. 1628 -1640 ई. स. कोई नहीं
4. अकबर ने 1585 ई. में.....को राजधानी बनायी।
   अ. दिल्ली ब. लाहौर स. फतेहपुर सीकरी द. जयपुर
5. हम्पी को राष्ट्रीय स्मारक.....को घोषित किया गया।
   अ. 1984 ई. ब. 1986 ई. स. 1988 ई. द. 1900 ई.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. मुगलकाल में कानूनगो ..... को कहा जाता था। (राजस्व रक्षक/राजस्व सङ्ग्राहक)
2. दीन-ए-इलाही ..... द्वारा चलाया गया। (हूमायूँ/अकबर)
3. मुगलकाल में अभिवादन का सर्वोच्च रूप ..... था। (सिजदा/नमदा)
4. इब्नबतूता ने ..... नाम से पुस्तक लिखी। (दास कैपिटल/रिहला)
5. बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को ..... कहा। (शिविर/आवास)

सत्य/असत्य बताइए -

1. टोडरमल अकबर के वित्त मन्त्री थे। सत्य/असत्य
2. हिन्दू शब्द का प्रयोग सिन्धु नदी के आस-पास के निवासियों के लिए होता था। सत्य/असत्य
3. हम्पी को 1976 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। सत्य/असत्य
4. बर्नियर के ग्रन्थ का नाम ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर है। सत्य/असत्य
5. अश्व डाक व्यवस्था को 'उलुक' कहा जाता था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए -

1.	बाबर	क. 1526-30 ई.
2.	हूमायुँ	ख. 1530-56 ई.
3.	अकबर	ग. 1556-1605 ई.
4.	राजा कृष्णदेवराय	घ. 1332-33 ई.
5.	इब्नबतूता	ङ 1509-1529 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. राजा भोजराज किस वंश का शासक था।
2. हम्पी किस राज्य में अवस्थित है ?
3. आइन-ए-अकबरी के लेखक कौन थे ?
4. मुगल राज्य का हृदय किसे कहा जाता था ?
5. अलबरूनी की कृति का क्या नाम हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. हम्पी की खोज तथा उसके भग्वावशेषों के बारे में लिखिए।
2. महानवमी डिब्बा से क्या आशय है ?
3. मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण कीजिए।
4. इब्नबतूता के अनुसार तत्कालीन डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
5. बर्नियर के तत्कालीन भू स्वामित्व के बारे में विचारों से अवगत कराइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. राजा भोज परमार उपलब्धियों के बारे में विस्तार से समझाइए।
2. विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था और व्यापार पर प्रकाश डालिए।

परियोजना-

1. विजय नगर साम्राज्य के ऐतिहासिक मन्दिरों की सूची बनाकर उनके ऐतिहासिक महत्त्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
2. उन विदेशी यात्रियों और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों की सुची बनाइये, जिनसे मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है।

अध्याय – 8

भारत में उपनिवेशवाद और परिणाम

इस अध्याय में- बङ्गाल की राजस्व व्यवस्था, औपनिवेशिक शासन में आदिवासी आन्दोलन, एक नवीन राजस्व पद्धति, कपास, दक्षिण दंगा आयोग, 1857 का आन्दोलन, सञ्चार-माध्यम, आन्दोलन के नेता, वैकल्पिक सत्ता की खोज, विद्रोह की छवियाँ, औपनिवेशिक नगर, नगरीकरण, अठारहवीं सदी में नगरों में परिवर्तन, नवीन नगरों का स्वरूप, नवीन नगरों का सामाजिक जीवन, नगर नियोजन और भवन निर्माण।

भारत में औपनिवेशिक शासन से आशय पुर्तगाली, डच, फ्रान्सीसी एवं ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा आगे चलकर ब्रिटिश शासन की स्थापना से है। इस अध्याय में हम भारत में ब्रिटिश शासन की प्रमुख नीतियों के परिणामस्वरूप घटित घटनाओं का अध्ययन करेंगे।

बङ्गाल की राजस्व व्यवस्था- भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन की स्थापना प्लासी युद्ध (1757 ई.) के पश्चात बङ्गाल में हुई थी। अङ्ग्रेजी शासन ने बङ्गाल में सर्वप्रथम ग्राम प्रबन्धन, भूमि अधिकार व्यवस्था तथा नवीन राजस्व प्रणाली स्थापित की थी।1793 ई. में 'इस्तमरारी बन्दोबस्त' कार्नवालिस द्वारा बङ्गाल में लागू किया गया था। इस बन्दोबस्त के अन्तर्गत एक नियत राशि का भुगतान जमींदार द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को करना होता था। जमींदार यदि इस राशि का भुगतान नहीं कर पाता था, तो उसकी क्षतिपूर्ति उसकी सम्पदाओं की नीलामी से कम्पनी प्राप्त करती थी। कम्पनी के अधिकारीयों को इस कानून से आशा थी कि, बङ्गाल विजय की समय से उत्पन्न अनेक समस्यायें हल हो जाएँगी। 1770 ई. के दशक तक गाँवों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई और कृषि उपज घटने लगी थी। अब कम्पनी ने कृषि के प्रोत्साहन हेतु सम्पत्ति के अधिकार और राजस्व दरों का निर्धारण करने का निश्चय किया था। कम्पनी के इस नए बन्दोबस्त के अनुसार जमींदार अब भू-स्वामी नहीं था। वह केवल राजस्व समाहर्ता था। 18वीं सदी में फसल मूल्य में कमी और राजस्व दर की असमानता के कारण इस बन्दोबस्त ने जमीदारों की शक्ति को सीमित कर दिया था। जमींदारों की दशा दयनीय हो चुकी थी। वहीं धनी किसान (जोतदार) अपनी स्थिति सुदृढ करते जा रहे थे। जमींदारों की अपेक्षा

सारणी 8.1
विदेशी कम्पनियों का भारत आगमन

कम्पनी का नाम	वर्ष
पुर्तगाली	1498
डच	1602
फ्रान्सीसी	1664
ब्रिटिश	1600

जोतदारों की शक्ति गाँवों में अधिक थी। गरीब, ग्रामीण जोतदारों के सीधे नियन्त्रण में रहते थे। जमींदार द्वारा लगान बढ़ाने पर जोतदारों द्वारा विरोध किया जाता था। जमींदारों ने नीलामी की समस्या से बचने के लिए अनेक रास्ते अपनाए थे, जिनमें प्रथम महिलाओं को जमीदारी देना था क्योंकि कम्पनी के नियमानुसार स्त्रियों की सम्पत्ति को छीना नही जा सकता था। उदाहरण के लिए बर्दबान के राजा ने जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया था। कर बचाने का दूसरा उपाय जमींदार के लोग ही भू सम्पदा को बार-बार खरीद कर, उसे बचाने का कार्य करते थे।

चित्र- 8.1 वर्दमान के राजा का कलकत्ता स्थित राजमहल

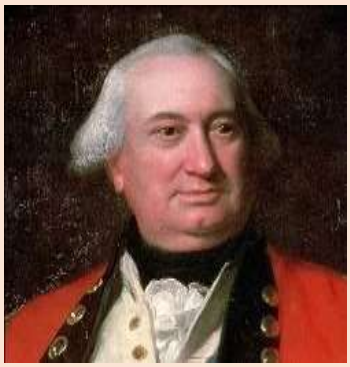

चित्र- 8.2 लार्ड कार्नवालिस

पाँचवीं रिपोर्ट- 1813 ई. में ब्रिटिश संसद में पाँचवी रिपोर्ट, जो भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के बारे में थी। इसमें किसानों और जमींदारों की अर्जियाँ, विभिन्न जनपदों के कलेक्टरों के प्रतिवेदन, राजस्व विवरण आदि थे। 1760 के दशक के अन्तराल में जब कम्पनी ने बङ्गाल में शासन की स्थापना की तो इंग्लैण्ड उसकी कार्यप्राणाली पर दृष्टि रख रहा था। वे कम्पनी के इस अधिकार कानून को रद्द करवाना चाहते थे। लार्ड कार्नवालिस ने बङ्गाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त लागू किया था।

औपनिवेशिक शासन में आदिवासी आन्दोलन- औपनिवेशिक शासन की स्थापना के पश्चात बङ्गाल में सिंचित भूमि के अतिरिक्त सूखा क्षेत्र, जङ्गल, चरागाहों आदि में कृषि कार्य प्रारम्भ हुआ था। राजस्व दस्तावेजों में पहाड़ों में रहने वालों को पहाड़िया कहा जाता था। उनके निवास राजमहल की पहाड़ियों के आसपास थे। वनोपज तथा झूम कृषि ही इनके गुजारे का आधार था। पहाड़िया समुदाय के लोग पेडों को नहीं काटते थे। उए लोग आक्रामक स्वभाव के होते थे इसलिए अनेक बार जमींदार इन्हें धन देकर शान्त करते थे।कम्पनी, पहाड़िया समुदाय को स्थायी रूप से बसाकार खेती करवाना चाहती थी परन्तु उनकी यह योजना असफल हुई तो कम्पनी का ध्यान संथाल जनजाति की ओर गया था। 1780

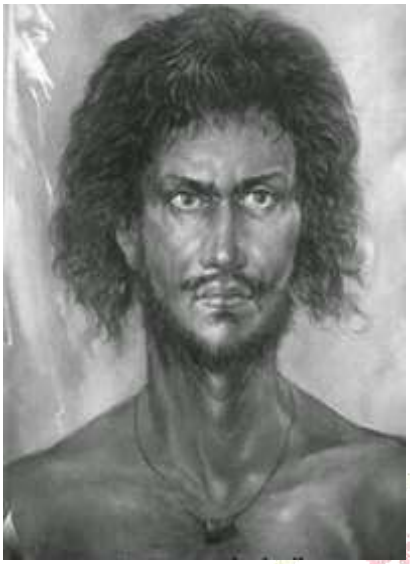

चित्र- 8.3 सिन्धु मांझी संथाल नेता

के दशक में संथाल जनजाति बङ्गाल में जमींदारों के यहाँ किराए पर कृषि करती थी।अब ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें राजमहल की पहाड़ियों के आस-पास कृषि कार्य के लिए बसाना प्रारम्भ किया था। 1838 ई. में इनकी 40 बस्तियाँ थीं, जो 1851 ई. में बढ़कर 1473 हो गईं थी। कृषि क्षेत्र के विस्तार से कम्पनी के राजस्व में भी अभिवृद्धि हुई थी। संथाल लोग बसने योग्य स्थान की खोज में बिना रूके चलते रहते थे। दामिन इ कोह (जङ्गली-पहाडी क्षेत्र) में आकर मानो उनकी यह यात्रा पूर्ण हुई थी। संथालों की भूमि पर सरकार ने भारी लगान लगा दिया था। जमींदार भी दामिन पर दावा करने लगे थे, नाराज संथालों ने आन्दोलन (1855-56 ई.) कर दिया था। परिणामस्वरूप 5500 वर्गमील क्षेत्र भागलपुर तथा वीरभूमि जिले से अलग कर संथाल परगना बना दिया गया था। बङ्गाल के कृषकों-जमींदारों, राजमहल के पहाड़िया और संथालों के जीवन में परिवर्तनों के अनन्तर हम वहाँ के आन्दोलनों पर दृष्टिपात करते हैं तो राज्याधिकारीयों द्वारा इन आन्दोलनों का दमन क्रूरतम् तरीके से किया था। 19वीं सदी में दक्षिण भारतीय प्रान्तों में भी कृषकों ने साहूकारों और अनाज व्यापारियों के विरुद्ध आन्दोलन किए थे। इनमें 1875 ई. में दक्षिण और गल्लामण्डी पूना के बडेगाँव, अहमदनगर के आन्दोलन प्रमुख हैं।इन आन्दोलनों में ऋणपत्र और बहियों को जला दिया गया था।

इसे भी जानें-

- 'रैयत' शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था।
- हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं में 'बेनामी' शब्द का प्रयोग फर्जी (कम महत्त्व) के व्यक्ति के लिए किया जाता था।जबकि की इस शब्द का वास्तविक अर्थ 'गुमनाम' होता है।
- उस समय 'लठियाल' शब्द का प्रयोग जमींदारों के लठैत लोगों के लिए किया जाता था।
- संथाल समुदाय का प्रमुख नेता 'विरसा मुण्डा' था, जिसे संथाल जनजाति अपना भगवान मानती है।
- ऐसा व्यक्ति जो ऋण देने के साथ-साथ व्यापार कार्य करता था, उसे साहुकार कहा जाता था।

एक नवीन राजस्व पद्धति- इस्तमरारी बन्दोबस्त बङ्गाल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में लागू नहीं किया गया था। इसका प्रमुख कारण 1810 ई. के अनन्तर कृषि मूल्य तथा उपज मूल्य मे वृद्धि थी। अतः औपनिवेशिक शासन के विस्तार के साथ ही राजस्व वसूलने की नवीन शैलियाँ या पद्धतियां विकसित हुई थी। 1820 के दशक में दक्षिण और मुम्बई में प्रथम राजस्व बन्दोबस्त लागू हुआ था, जिसे 'रैयतवाड़ी बन्दोवस्त' कहा जाता है। इस राजस्व बन्दोवस्त के अन्तर्गत भूमि से होने वाली औसत आय के अनुमान

के आधार पर, राजस्व सीधे रैयत से प्राप्त किया जाता था। इस व्यवस्था में प्रत्येक तीस वर्ष बाद भूमि का सर्वेक्षण कर पुन: राजस्व दर निर्धारित की जाती थी। किन्तु राजस्व के अत्यधिक होने से अनेक कृषक गाँव से पलायित हो गये। किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे। फिर भी राजस्व कलेक्टर अति कठोरता तथा निर्दयता से राजस्व वसूलते थे। अनेक किसान, साहूकार का ऋण अदा नहीं कर पाए तो, साहूकारों ने उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया था। शासन की नीतियों ने किसानों को साहूकारों के हाथ की कठपुतली बना दिया था।

चित्र- 8.4 संथाल आन्दोलन

सारणी 8.2 कालरेखा- औपनिवेशिक शासन	
ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बङ्गाल में दीवानी प्राप्त	1765 ई.
ब्रिटिश संसद में रेग्यूलेटिंग एक्ट पारित हुआ	1773 ई.
बङ्गाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त	1793 ई.
बम्बई और दक्षिण में रैयतवाड़ी बन्दोवस्त	1820 ई.
संथाल आन्दोलन	1855-56 ई.
दक्षिण में आन्दोलन	1875 ई.

कपास- 1860 ई. से पूर्व ब्रिटेन में आयात की जाने वाली तीन-चौथाई कपास अमेरिका से आती थी। किन्तु अमेरिकी गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन में कपास का आयात बन्द हो गया था। 1857 ई. में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ, 1859 ई. में मेनेचस्टर कॉटन कम्पनी बनी थी, जिनका लक्ष्य पूरे विश्व में कपास को प्रोत्साहन देना था। उस समय भारत इसका अच्छा विकल्प बना था। परिणामस्वरूप भारत में कपास की कृषी को बढ़वा दिया गया था। अब ब्रिटेन में आयात होने वाले कपास का 90% भाग भारत से निर्यात होता था।

दक्षिण दंगा आयोग- जब किसानों पर ऋण में वृद्धि हो गई तो साहूकारों ने ऋण देने से मना कर दिया था तो किसान संघ अपने जीवन स्तर सुधारने की चिन्ता को लेकर क्रोधित हो उठे थे। उस समय कर्ज देने के कुछ नियम थे, जैसे- ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा, जबरन वसूली नहीं होगी आदि। भारत सरकार के दबाव के कारण बम्बई सरकार ने एक जाँच आयोग का गठन किया था। 1878 ई. में इस

आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, जिसे 'दक्कन दंगा रिपोर्ट' कहा जाता है। दक्कन दंगा आयोग द्वारा निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि मूलधन सौ रुपये पर दो हजार से भी अधिक ब्याज लगाया गया था। यह शासकीय प्रतिवेदन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु बहुमुल्य उद्गम सिद्ध हुआ था।

1857 का आन्दोलन-1857 का आन्दोलन, मेरठ छावनी के सैनिकों ने 10 मई, 1857 के दिन मङ्गल पाण्डेय के नेतृत्त्व में प्रारम्भ किया था। इस आन्दोलन के सैनिक 11 मई की सुबह लाल किले के द्वार पर पहुँच गये थे। वहाँ उन्होंने बादशाह बहादुरशाह जफर को अपनी आपबीती सुनाई थी। बादशाह और स्थानीय लोगों के समर्थन से क्रान्तिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इस आन्दोलन के समाचार ने उत्तर भारतीय छावनियों को भी प्रभावित किया था। अब यह आन्दोलन व्यापक रूप ले चुका था। प्रारम्भ में अङ्ग्रेजी सेना इस आन्दोलन पर नियन्त्रण करने में असफल रही थी। एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा 'ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया' था।

चित्र- 8.5 मंगल पाण्डेय

सञ्चार-माध्यम- सभी छावनियों के सैनिकों के मध्य सञ्चार माध्यमों में समानता थी। 7वीं अवध 'इर्रेग्युलर कैवेलरी' ने नवीन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि 'हमने अपने धर्म की रक्षा के लिये यह निर्णय कर लिया है और 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के आदेश की प्रतिक्षा कर रहे हैं'। इस समय सेना में आन्दोलन के स्वर बुलंद हो रहे थे। सैनिक विद्रोह के कर्ता-धर्ता स्वयं थे।

आन्दोलन के नेता- नेतृत्व और सङ्गठन हेतु आन्दोलनकारियों ने तत्कालीन नेताओं से सम्पर्क किया था। मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली में बहादुर शाह जफर से आन्दोलन के नेतृत्व को स्वीकार करवाया था। कानपुर में नाना साहेब पेश्वा, झाँसी में महारानी लक्ष्मीबाई, आरा (बिहार) में कुँवरसिंह, अवध में वाजिद अली शाह के युवा बेटे बिरजिस कद्र आदि ने आन्दोलन का नेतृत्त्व किया था। बड़ोते परगना (उत्तर प्रदेश) में शाहमल, आदिवासी काश्तकार गोनू ने छोटा नागपुर के सिंहभूमि में आन्दोलन का नेतृत्व किया था। अहमदुल्ला शाह ने

चित्र- 8.6 रानी लक्ष्मी बाई

अङ्ग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था। उनके आगे-पीछे लोग ढोल पीटते हुए चलते थे, इसलिए जनता उन्हें डंका शाह कहती थी।

इस आन्दोलन के मध्य अनेक प्रकार की अफवाहें फैलीं, जिनके कारण लोगों में अङ्ग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में विद्रोह की भावना ने जन्म लिया था, जैसे- एन्फील्ड राइफल के कारतूसों में लगी चर्बी की बात, आटे में गाय और सुअर की हड्डियों के चूरे की अपवाह आदि। इसी समय एक भविष्यवाणी ने भी तूल पकड़ा कि प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष पूर्ण होते ही 23 जून 1857 ई. को अङ्ग्रेजी शासन भारत में से समाप्त हो जाएगा। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ अङ्ग्रेजी शासन के लिए नई बात नहीं थी। अङ्ग्रेजी सरकार इन बातों का कारण अशिक्षा को मानती थी। इसलिए विलियम बेंटिक के नेतृत्व में कम्पनी सरकार ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों के माध्यम से भारतीय समाज में 1820 ई. के दशक से नीति निर्माण का कार्य

चित्र- 8.7 नाना सहेब पेशवा

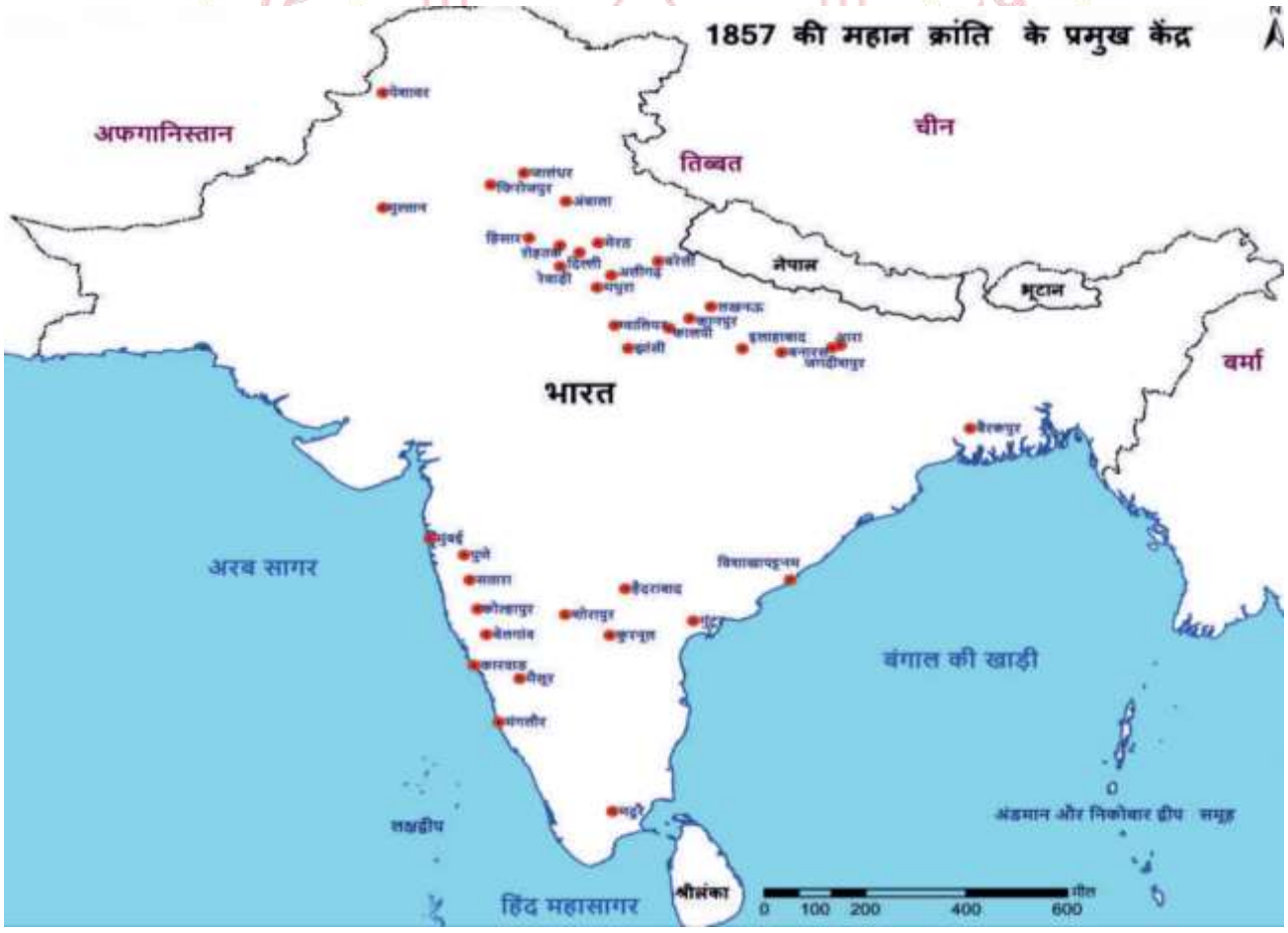

मानचित्र- 8.1 1857 की क्रान्ति के प्रमुख केन्द्र

प्रारम्भ कर दिया था। इस दिशा में 1829 ई. में सती प्रथा समाप्त करने तथा हिन्दू विधवा विवाह को वैधता देने वाला कानून बनाया था। दत्तक व्यवस्था को अवैध घोषित कर अङ्ग्रेजों ने अवध, झाँसी और सतारा जैसी अनेक रियासतों पर अधिकार कर लिया था। 1801 ई. में अवध पर सहायक सन्धि थोपी गई थी। सन्धि की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर 1856 ई. में अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश शासन का अङ्ग बना दिया था।

वैकल्पिक सत्ता की खोज- भारत की जनता को अङ्ग्रेजी राज ने विपत्ति मे डाल दिया था । अङ्ग्रेजी राज के कारण भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ढाँचा बिखर गया था। हिंदू-मुस्लिम दोनों ही कुटिल अङ्ग्रेज नीति से आक्रांत थे। भू-राजस्व नीति ने भू स्वामियों की भूमि और वैदेशिक व्यापार ने शिल्पियों की जीविका छीन ली थी। अङ्ग्रेज, आन्दोलनकारियों को बर्बर लोगों का झुण्ड मानते थे। क्रान्तिकारियों ने अङ्ग्रेजी राज्य से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु का विरोध किया था। क्रान्ति के दौरान अङ्ग्रेजी साम्राज्य नष्ट हो जाने पर दिल्ली, लखनऊ तथा कानपुर जैसे स्थानों पर आन्दोलनकारियों ने अनेक स्थानों पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की थी। यद्यपि यह व्यवस्था दीर्घकालीन न रही तथापि 18वीं सदी की यह सर्वाधिक साहसिक घटना सिद्ध हुई थी।

विद्रोह की छवियाँ- क्रान्तिकारी विचारधारा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। अङ्ग्रेज इतिहासकारों के अप्रमाणिक अभिलेखों के प्रकाश में तत्कालीन प्रशासक और सैनिकों की चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं तथा राजकीय इतिहास में इसके विवरण दर्ज हैं। इन अभिलेखों से अङ्ग्रेज अधिकारियों के अन्दर डर और आन्दोलनकारियों के सन्दर्भ में उनके विचारों का बोध होता है। फिरंगियों द्वारा चित्रित चित्रों में अङ्ग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों के दमन करने वाले अङ्ग्रेज नायकों का यशोगान किया गया है। 1859 ई. में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा निर्मित चित्र '**रिलीफ ऑफ लखनऊ** 'इसका ज्वलन्त उदाहरण है। भारत में अपनी औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की बातों को पढ़कर, ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध की माँग करने लगी थी। अङ्ग्रेज, अपनी सरकार से अपनी औरतों और बच्चों की सुरक्षा की माँग करने लगे थे। अङ्ग्रेज कलाकारों ने बढ़ा-चढ़ाकर इन घटनाओं की चित्रात्मक प्रस्तुति की थी। अङ्ग्रेजी शासकों ने क्रान्तिकारियों की निर्मम हत्याएँ की थीं। अनेक आन्दोलनकारियों को तोपों के मुँह पर बाँधकर उड़ा दिया गया था।न जाने कितनों को फाँसी दी गई, कितनों को गाड़ियों के नीचे कुचला गया, कितनों को भट्ठी में झोंक दिया गया था।

इसे भी जानें-

- फिरंगी शब्द का प्रयोग भारतीय लोगों द्वारा पश्चिम के लोगों का मजाक उड़ाने एवं अपमानजनक दृष्टि से किया जाता था।
- सहायक सन्धि के द्वारा सर्वप्रथम हैदराबाद रियासत को अङ्ग्रेजी साम्राज्य का अङ्ग बनाया गया था।

परिणाम- 1857 की क्रान्ति से 20वीं सदी के राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला था। राष्ट्रवादी चिन्तन का मूल आधार 1857 ई. का आन्दोलन था, जिसे प्रथम स्वाधीनता सङ्ग्राम कहा जाता है। इस क्रान्ति में देश के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। घोड़े की लगाम तथा दूसरे हाथ में तलवार लिये भारत माता की मुक्ति की लड़ाई में महारानी झाँसी (लक्ष्मीबाई) को एक क्रान्तिकारी कुमारी की तरह चित्रित किया गया है, जो ब्रिटिश सैनिकों का मर्दन करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। यह चित्रकारी तत्कालीन विचारधारा को ही प्रस्तुत नहीं करती अपितु हार्दिक संवेदनाओं को भी प्रतिबिम्बित करती है।

औपनिवेशिक नगर- भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद कारखानों , सूती वस्त्र मिलों, रेल आदि के विकास के कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिला था। लोग रोजगार के लिए नगरों की ओर पलायन करने लगे थे। औपनिवेशिक शासन के प्रारम्भ में प्रेसीडेन्सी शहर- बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का अधिक विस्तार हुआ था।

नगरीकरण- ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लोग 1639 ई. में मद्रास में और 1690 ई. में कलकत्ता में बसे थे। 1661ई. में ब्रिटेन के राजा ने बम्बई को भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिया था। ये नगर प्रारम्भ से ही नगरीकरण के केन्द्र रहे हैं।ये नगर मत्स्य और सूती वस्त्र उद्योग तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी की व्यापारिक सक्रियता से इस काल में व्यापार के बड़े केन्द्र के रूप में विकसित हुए थे।

पूर्व औपनिवेशिक काल में नगर- औपनिवेशिक शासन से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, वनों में संग्रहण, पशुचारण से लोग अपना जीवन-यापन करते थे जबकि कस्बों में शिल्पी, व्यापारी, शासक, प्रशासक निवास करते थे। प्राय: किलेबन्दी कस्बों और नगरों की होती थी। नगरवासी अपने को ग्रामीण निवासियों से श्रेष्ठ मानते थे। यद्यपि नगरों और गाँवों में सामंजस्य रहता था। नगरों में असुरक्षित होने पर लोग गाँव की ओर पलायन करते थे। 1857 के स्वाधीनता आन्दोलन के समय दिल्ली की जनता ने मुगल बादशाह का साथ दिया था। इसलिए ब्रिटिश शासन ने दिल्ली की जनता पर निर्मम अत्याचार किए, इस कारण उस समय दिल्ली से बहुत अधिक पलायन हुआ था। आगरा, दिल्ली तथा लाहौर शाही तन्त्र एवं साम्राज्य के केन्द्र थे, इन्हीं शहरों में कुलीन, सम्राट व जागीरदार रहते थे। दक्षिण भारतीय नगरों मदुरई तथा काँचीपुरम में देवालय मुख्य केन्द्र थे। इन नगरों में धार्मिक पर्वों में प्रायः मेले लगते थे।

अठारहवीं सदी में नगरों में परिवर्तन- 18वीं सदी में राजनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से प्राचीन नगर पतन की ओर जाने लगे थे और नए नगर विकासोन्मुख होने लगे थे। मुगल राजधानी आगरा तथा दिल्ली की चमक फीकी पड़ गई थी। लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, पुणे, नागपुर,सूरत, बड़ौदा और तंजौर आदि व्यापारिक नगरों का अभ्युदय हो चुका था। अनेक नगर वित्तीय गतिविधियों के कारण समृद्ध हुए थे, तो कुछ का युद्ध, लूट-मार तथा राजनीतिक अस्थिरता से पतन हुआ था। अङ्ग्रेजों ने अपनी

प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिये नगरों के मानचित्र बनवाए थे। इन मानचित्रों से हमें पहाड़ियों,खेतों, नदियों, नालों, रेगिस्तान आदि का के साथ-साथ व्यावसायिक संभावनाओं का भी परिचय हो जाता है। कहीं के भूदृश्य को समझने हेतु मानचित्र अनिवार्य होते हैं। नक्शे के द्वारा क्षेत्र पर अच्छा प्रबन्धन सम्भव होता है। अत: औपनिवेशिक सत्ता ने मानचित्र रचना पर बल दिया था। तत्कालीन मानचित्रों में अनेक जानकारियाँ तो मिलती हैं, साथ ही अङ्ग्रेजी शासकों की विचारधारा में निहित भेदभाव का दर्शन भी होता है। जैसे- नगरों में निर्धनों की बस्तियों को मानचित्र में चित्रित नहीं किया गया था क्योंकि शासकों की दृष्टि में वे महत्वहीन थे।

जनगणना के सम्यक अध्ययन उपरान्त कुछ रोचक बातें स्पष्ट होती हैं। सन् 1800 के अनन्तर नगरीकरण की गति धीमी रही थी। 19वीं तथा 20वीं सदी के पहले दो दशकों तक देश की पूरी जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का भाग अत्यल्प था। 1900 ई.से 1940 ई. के मध्य नगरीय जनसंख्या 10% से वृद्धि कर लगभग 13% हो गई थी। संसाधनों की प्रचुरता के कारण कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बड़ी तेजी से विशाल नगरों के रूप में परिणित हो गए थे।

नवीन नगरों का स्वरूप- मद्रास, कलकत्ता और बम्बई 18वीं सदी में उत्तम बन्दरगाह बन गए थे। कम्पनी ने अपने कारखाने एवं भंडारगृह इन नगरों में बनाए थे। यूरोपीय कम्पनियों के मध्य स्पर्धा के कारण इन नगरों की किलेबन्दी की गई थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास), फोर्ट विलियम (कलकत्ता) और बम्बई फोर्ट (बम्बई) आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश लोग निवास करते थे। हिन्दुस्तानी वणिक, कामगार और कारीगर इन किलों के बाहर रहते थे। रेलवे के जाल ने 19वीं सदी के मध्य सम्पूर्ण भारत को जोड़ दिया था। फलस्वरूप देहात के क्षेत्र भी इन बन्दरगाहों और नगरों से जुड़ गए थे। चर्म, ऊनी, सूती वस्त्र उद्योग कानपुर में तथा स्टील उद्योग का विकास जमशेदपुर में हुआ था। पक्षपात तथा औपनिवेशिक नीतियों ने भारत को औद्योगिक देश नहीं बनने दिया था। भारत की राजनैतिक सत्ता भारतीय राजाओं के हाथ से कम्पनी के अधीन हो गई थी। सागर तट पर गोदाम, व्यापारिक केन्द्र, जहाजरानी उद्योग हेतु बीमा कंपनियाँ, बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना होने लगी थी।

इसे भी जानें-

- भारत में मानचित्र निर्माण के लिए 1878 ई. में सर्वे ऑफ इण्डिया का गठन किया गया था।
- अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास सन् 1872 में किया गया था।
- 1881 से प्रति 10वर्षीय जनगणना स्थायी रूप से प्रारम्भ हुई थी।
- यूरोपीय आवासीय स्थल को 'ह्वाइट टाउन' तथा भारतीय निवास स्थल को 'ब्लैक टाउन' कहते थे।
- सर्वप्रथम व्यापारी क्रियाकलापों का केन्द्र कम्पनी ने सूरत को बनाया था।

पहाड़ी स्टेशन- औपनिवेशिक नगरीय प्रगति का एक विशेष उदाहरण हिल स्टेशनों का विकास था। ये स्टेशन ब्रिटिश फौज की आवश्यकता होते थे। ये हिल स्टेशन पर्वतीय सैरगाह, सैन्य ठहराव, सीमा सुरक्षा तथा आक्रमण हेतु महत्वपूर्ण थे । यहाँ की जलवायु यूरोप की शीतल जलवायु के समान होने के कारण अङ्ग्रेज इन स्थानों में रहने के इच्छुक थे। ग्रीष्म ऋतु में वायसराय अपने दल के साथ इन पहाड़ी सैरगाहों में ही डेरा जमाते थे। इस कड़ी में गोरखा युद्ध (1815-16 ई.) के मध्य शिमला की स्थापना हुई थी। अङ्ग्रेज-मराठा युद्ध (1818 ई.) के समय अङ्ग्रेजों ने माउन्ट आबू का विकास किया था। 1835 ई. में दार्जिलिङ्ग को सिक्किम के राजा से छीन लिया गया था।

चित्र- 8.8 कोलकाता में चलती ट्रामा

नवीन नगरों का सामाजिक जीवन- नए नगर भारतीयों के लिए आश्चर्यजनक थे क्योंकि यहाँ जिन्दगी की दौड़-भाग थी। यहाँ श्रेष्ठ सम्पन्नता के साथ, गहन निर्धनता के दर्शन होते थे। यातायात के विविध साधनों के साथ ट्रेनों, बसों के आने से जीवन में गति आई, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज तथा पुस्तकालय जैसे संस्थान प्रारम्भ हुए थे। पत्र-पत्रिकाओं, आत्मवृत्तों और पुस्तकों के माध्यम से मध्यवर्गीय स्त्रियों ने खुद को अभिव्यक्त किया था।

विनोदनी दासी (1863-1941ई.)- बङ्गाली रङ्गमंच में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों की जानी मानी हस्ती थीं। इन्होंने नाटककार और निर्देशक गिरीशचन्द्र घोष (1844-1912 ई.) के साथ काम किया। कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना में इनकी अहम भूमिका थी। 1910-1913 ई. के मध्य इन्होंने 'आभार कथा' नाम से आत्मकथा लिखी थी।

चित्र- 8.9 विनोदनी दासी

नगर नियोजन और भवन निर्माण- कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास ये तीनों नगर पहले के हिन्दुस्तानी नगरों से भिन्न थे। प्रारम्भ से ही नगर नियोजन का कार्य ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में था। 1639 ई. में उन्होंने मद्रासपट्टम में व्यापारिक चौकी स्थापित की थी, जिसे लोग चेनापट्टनम भी कहते थे। फ्रेन्च ईस्ट इण्डिया कम्पनी से स्पर्धा के कारण अङ्ग्रेजों ने मद्रास की किलेबन्दी कर, नगर नियोजन का कार्य भी किया था। 1761 ई. में फ्रांसीसियों की हार के पश्चात यह व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हुआ

था। 1757 ई. में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अङ्ग्रेजों ने कलकत्ता के सुतानाती, कालेकाता और गोविन्दपुर इन तीनों स्थानों को जोड़कर एक विशाल किला बनाया था। 1798 ई. में गवर्नर जनरल वेलेजली ने कलकत्ता में 'गवर्नमेंट हाउस' नामक महल बनवाया था। 1857 ई. में अनेक नगर आन्दोलनकारियों के केन्द्र बन गये थे। अत: आन्दोलन के अनन्तर अङ्ग्रेजों ने इन स्थानों को अपने लिये सुरक्षित बनाया था। आरम्भ में बम्बई सात टापुओं का क्षेत्र था किन्तु बढ़ती जनसंख्या के साथ टापू जुड़ते गए और बम्बई नगर का स्वरूप विस्तृत होता गया था। भारतीय व्यापारियों ने बम्बई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक क्षेत्रों से जोड़ा था। 19वीं सदी के मध्य से रेलवे, उद्योग-धन्धों, जहाजरानी, स्थापत्य कला के विस्तार से बम्बई व अन्य नगरों का चहुँमुखी विकास हुआ था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान उद्योग-धन्धों, सूती वस्त्र मिलों, नए रोजगार सृजन के कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे इन नगरों में आधुनिक सुविधाएँ विकसित हुई थी।

सारणी 8.3 काल रेखा- औपनिवेशिक शासन की प्रमुख घटनाएँ	
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना	1773 ई.
एशियाटिक सोसायटी की स्थापना	1784 ई.
कार्नवालिस संहिता का निर्माण	1793 ई.
बम्बई प्रेसीडेन्सी	1818 ई.
भारत में रेल लाइन का निर्माण	1853 ई.
बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना	1857 ई.
बम्बई में प्रथम चलचित्र का प्रदर्शन	1896 ई.
दिल्ली को राजधानी बनाया गया	1911 ई.

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. बङ्गाल में इस्तमरारी बंदोबस्त.....में लागू हुआ था।
   अ. 1732 ई. ब. 1700 ई. स. 1800 ई. द. 1825 ई.
2. सात टापुओं का नगर.....को कहते हैं।
   अ. दिल्ली ब. मुम्बई
   स. चेन्नई द. कोलकाता

3. सती प्रथा के विरूद्ध.....का कानून बनाया था।

अ. वेलेजली ब. डलहौजी

स. बैंटिक द. डूप्ले

4. सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन प्रारम्भ.....में हुआ था।

अ. राजस्थान ब. पञ्जाब

स. बङ्गाल द. मेघालय

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन की स्थापना ..... में हुई। (दिल्ली/पश्चिम बङ्गाल)
2. सर्वप्रथम राजस्व बन्दोबस्त ..... में लागू हुआ। (मुम्बई/सूरत)
3. 1857 के विद्रोह की शुरुआत ..... से हुई। (मेरठ/कानपुर)
4. बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना..... हुई थी। (1818 ई./1857 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. 1801ई. में अवध पर सहायक सन्धि थोपी गई थी। सत्य/असत्य
2. मेरठ से क्रान्ति की शुरुआत 10 मई, 1857 को हुई थी। सत्य/असत्य
3. भारत सोवियत संघ का उपनिवेश था। सत्य/असत्य
4. भारत में जनगणना 1872 ई. में प्रारम्भ हुई थी। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. आरा	क. वाजिद अली शाह
2. कानपुर	ख. कुंवर सिंह
3. अवध	ग. नाना साहब पेशवा
4. दिल्ली	घ. बहादुर शाह जफर

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. औपनिवेशिक शासन से क्या अभिप्राय है?
2. मुम्बई में पहला राजस्व बन्दोबस्त कब लागू हुआ था?
3. कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था??
4. अङ्ग्रेजों ने माउन्ट आबू का विकास कब किया था?
5. कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. इस्तमरारी बन्दोबस्त से क्या आशय है?
2. संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरूद्ध विद्रोह क्यों किया था?

3. 'व्हाइट टाउन' और 'ब्लैक टाउन' से क्या आशय था?

4. औपनिवेशिक शासन में नगरीकरणों का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. 1857 के आन्दोलन के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए।

2. अठारहवीं सदी में नगरों के विस्तार को समझाइए।

परियोजना-

1. आप नगर या ग्राम में स्थानीय प्रशासन कौन-कौन सी सेवाएँ प्रदान करता है।

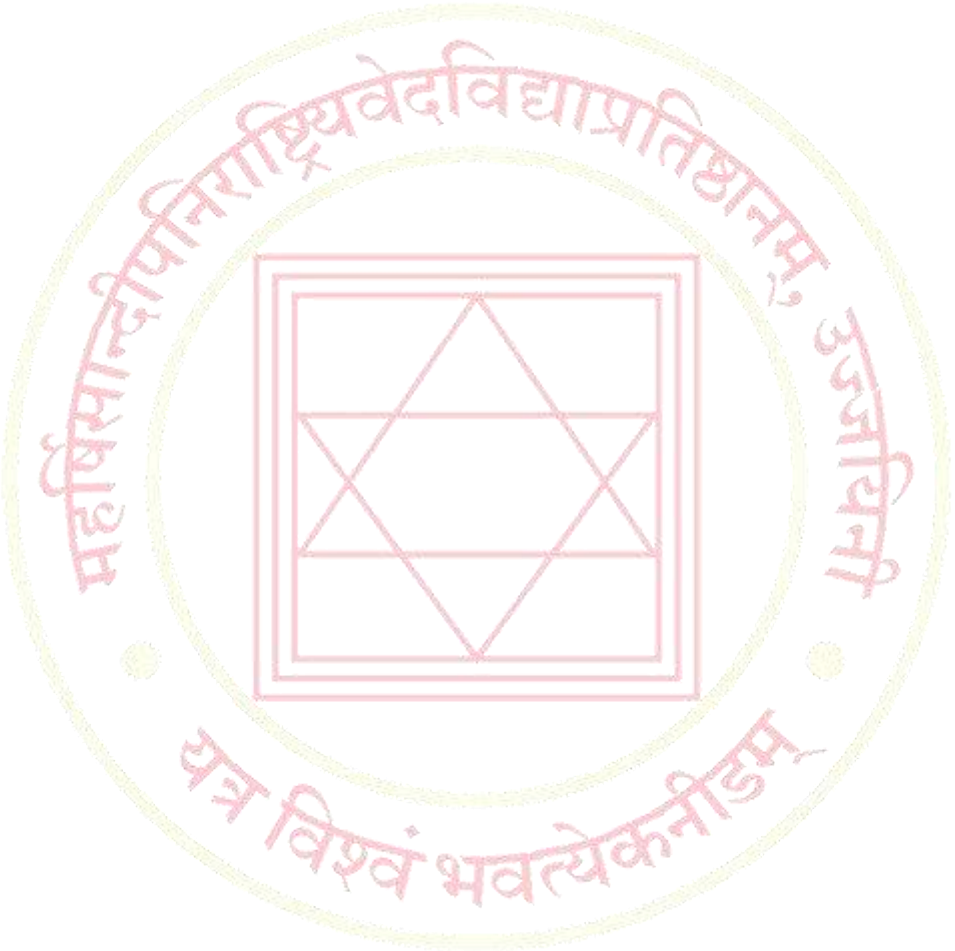

अध्याय - 9

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और महात्मा गाँधी

इस अध्याय में- असहयोग आन्दोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आन्दोलन, आजादी के बाद गाँधीजी, भारत विभाजन, विभाजन के कारण, विभाजन की रूपरेखा, विभाजन का परिदृश्य, विभाजन का मूल्यांकन, संविधान का निर्माण, संविधान, संविधान का अवलोकन, अधिकार और शक्तियों का निर्धारण।

जो महान व्यक्तित्व इतिहास का निर्माण करता है, इतिहास उसे अपने दीर्घजीवी कलेवर में अमर बना देता है। व्यक्ति को अपने जीवन चरित्र और महनीय कार्यों के कारण ही इतिहास में स्थान मिलता है। गाँधीजी स्वाधीनता सङ्ग्राम के सबसे अच्छे प्रभावशाली और सम्मानित नेता हैं। गाँधी जी दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष बिताने के उपरान्त जनवरी 1915 ई. में भारत आए थे। इतिहासकार 'चन्दन देव नेसन के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका ने ही गाँधी जी को महात्मा बनाया था'। गाँधीजी, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। उन्होंने सर्वप्रथम गाँधीजी को भारत को अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए भारत भ्रमण की सलाह दी थी। गाँधीजी की 1916 ई. में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी, जिसमें उन्होंने मजदूरों और गरीब वर्ग पर ध्यान न देने के कारण, सभ्रान्त वर्ग को फटकारा था।

चित्र- 9.1 महात्मा गाँधी

असहयोग आन्दोलन- अङ्ग्रेजों ने रोलेट एक्ट 1919 ई. के द्वारा प्रेस पर नियन्त्रण कर लिया था। इस एक्ट के में बिना किसी पूछताछ के किसी भी भारतीय को कारावास का प्रावधान था। रोलट एक्ट के विरुद्ध गाँधी जी ने देशव्यापी बन्द का आन्दोलन चलाया था। इस आन्दोलन के दौरान महात्मा गाँधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 अप्रैल, 1919 को अङ्ग्रेज ब्रिगेडियर डायर ने जालियाँवाला बाग, अमृतसर में चल रही शान्तिपूर्ण सभा में गोली चलवाकर चार सौ से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी, इसे जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड कहा जाता है। इसी कालखण्ड में मुहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में ऑटोमन साम्राज्य पर तुर्की सुल्तान या खलीफा के अधिकारों को लेकर अङ्ग्रेजी सरकार के विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन (1919 – 1920 ई.) चलाया जा रहा था। इस आन्दोलन का समर्थन

कांग्रेस ने भी किया था। गाँधीजी का मानना था कि असहयोग व खिलाफत आन्दोलन को साथ मिलाने से हिन्दू और मुस्लिम मिलकर औपनिवेशिक साम्राज्य को समाप्त कर देंगे, इसलिए 1 अगस्त, 1920 ई. को असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ था। आन्दोलन के फलस्वरूप विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, स्कूल, कॉलेज, न्यायालयों में लोगों ने जाना बंद कर दिया और मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। असहयोग आन्दोलन से औपनिवेशिक सरकार काँप गई थी। फरवरी, 1922 ई. में किसानों ने चौरी-चौरा में पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें 22 सिपाही मारे गये थे। इस हिंसक घटना के कारण महात्मा गाँधी ने यह आन्दोलन वापस ले लिया था।

इसे भी जानें-

- गाँधीजी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह और अहिंसात्मक विरोध की तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था।
- नील आन्दोलन चम्पारन (1917 ई.) व खेड़ा किसान आन्दोलन (1918 ई.) की सफलता ने गाँधीजी को राष्ट्रीय नेता बना दिया था।
- शासकीय लेखा के अनुसार 1921 ई. में 396 हड़तालें हुईं, जिनमें 6 लाख मजदूर सम्मिलित हुए तथा 70 लाख कार्य दिनों की हानि हुई थी।

गाँधीजी लोकमान्य नेता- महात्मा गाँधी ने 1922 ई. तक भारतीय राष्ट्रवाद के परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया था। अब उनके वस्त्र, भाषा, रहन-सहन श्रमिकों जैसे थे इसलिए वे सर्वहारा वर्ग के प्रिय नेता बन गए थे। गाँधीजी की सादगी और चरखा अभियान ने जनसम्पर्क को विशेष गति प्रदान की थी। लोग उन्हें चमत्कारिक व्यक्ति मानने लगे थे। इस प्रकार गाँधीजी, अब राष्ट्र के सर्वमान्य नेता बन गए थे। आमजन उन्हें गाँधी बाबा, गाँधी महाराज और महात्मा शब्दों से सम्बोधित करने लगे थे। गाँधीजी को महात्मा शब्द से सम्बोधित करने वालों में राजवैध जीवराम कालिदास, स्वामी श्रद्धानन्द (1915 ई.) तथा रवीन्द्र नाथ टैगोर (1919 ई.) थे।

नमक सत्याग्रह- 1924 ई. में महात्मा गाँधीजी के जेल से छूटने के पश्चात उन्होंने समाज में जन जागृति लाने का कार्य प्रारम्भ किया था। 1928 ई. में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने भारत की स्थिति जाँचने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा था। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण देश भर में इसका विरोध किया था।

चित्र- 9.2 दाण्डी यात्रा

1929 ई. के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित

किया था। 26 जनवरी, 1930 ई. को राष्ट्रध्वज फहराकर, सम्पूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उस समय महात्मा गाँधी ने कहा कि 'ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक निन्दनीय कानूनों में से एक, नमक उत्पादन और विक्रय पर सरकार का एकाधिकार है। भारतीयों को नमक बनाने से रोका जाना साम्राज्य की क्रूरतम नीति का एक उदाहरण है'। इस कानून के विरोध में 12 मार्च, 1930 ई. को महात्मा गाँधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दाण्डी तक पैदल यात्रा की थी। 6 अप्रैल, 1930 ई. को गाँधीजी ने दाण्डी में अपने हाथ से नमक बनाकर, नमक कानून का उल्लघंन किया था। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण भारत में नमक कानून तोड़े गए थे तथा अनेक सरकारी अधिकारियों ने अपने पद से त्याग-पत्र देकर इस आन्दोलन में सम्मिलित हो गए थे। जनवरी,1931ई. में महात्मा गाँधी के कारावास से मुक्त होने पर गाँधीजी और तत्कालीन वायसराय इर्विन में एक समझौता पर सहमति बनी थी,जिसे 'गाँधी-इर्विन समझौता' (1931 ई.) कहा जाता है। इस समझौते में सविनय अवज्ञा आन्दोलन वापस लेने, सारे कैदियों की मुक्ति, तटीय क्षेत्रों में नमक उत्पादन की आज्ञा देना आदि सम्मिलित था। 1931 ई. में गाँधीजी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे परन्तु इस सम्मेलन का परिणाम शून्य रहा और गाँधी जी खाली हाथ वापिस लौट आए थे। गाँधीजी द्वारा अब तक राष्ट्रहित में किए प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत में शासन सुधारों के लिए मजबूर होना पड़ा था। जिसकी अभिव्यक्ति ब्रिटिश संसद में पारित भारत शासन अधिनियम 1935 ई. है। इस् अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तों को स्वायत्तता दी गई थी। दो वर्ष पश्चात् देश में सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं थी। सितम्बर, 1939 ई. में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने के कारण कांग्रेस ने निर्णय लिया कि यदि युद्धोपरान्त अङ्ग्रेज भारत को आजादी देने के लिए सहमत हों तो कांग्रेस युद्ध में उनकी मदद करेगी, किन्तु शासन ने उनके इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। अतः 1939 ई. में कांग्रेसी मन्त्रीमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिए थे।

भारत छोड़ो आन्दोलन- अगस्त, 1942 ई. में गाँधीजी ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए 'अङ्ग्रेजों भारत छोडो' आन्दोलन चलाया था। इस आन्दोलन के प्रारम्भ में ही गाँधीजी को बन्दी बना लिया गया था। अब इस आन्दोलन की कमान नवयुवकों के हाथों में आ गई थी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर प्रतिरोधी क्रियाकलाप चला रहे थे। अङ्ग्रेजी सरकार को इस आन्दोलन को दबाने में एक वर्ष से अधिक समय लगा था। यह एक ऐसा जन आन्दोलन था, जिसमें लाखों भारतीय सम्मिलित हुए थे। विश्वयुद्ध की समाप्ति के अन्तिम चरण में जून, 1944 ई. में महात्मा गाँधी को जेल से मुक्त कर दिया गया था।

आजादी के बाद गाँधीजी- आजदी के पूर्व ही भारत विभाजन के कारण साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ हो चुके थे। 15 अगस्त, 1947 ई. को जब दिल्ली में स्वतन्त्रता का पर्व मनाया जा रहा था तब गाँधीजी बङ्गाल में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कलकत्ता में उपवास पर थे। गाँधीजी का मानना था कि मैंने ऐसी आजादी की कल्पना भी नहीं की थी, जो राष्ट्रीय विभाजन से भी पूर्ण नहीं हो पाई थी। हिन्दू-मुस्लिम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। गाँधी जी ने सिक्खों, हिन्दुओं और मुसलमानों में भाईचारे की स्थापना करने का आह्वान किया था। अनेक मनीषियों ने आजादी के बाद के महीनों को गाँधीजी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। 30 जनवरी, 1948 ई. को दैनिक प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे नामक एक युवक ने गाँधीजी की इहलीला समाप्त कर दी थी।

इसे भी जानें-

- भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान गाँधीजी ने करो या मरो का नारा दिया था।
- भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर में स्वतन्त्र सरकारों की स्थापना हुई थी।

गाँधी जी उन पत्रों को हरिजन (1931ई.) नामक समाचार पत्र में प्रकाशित करते थे, जो पत्र उनके लिए लोग लिखते थे। इन पत्रों में लिखने वालों की गुस्सा, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, आशा, निराशा प्रस्फुटित होती थी। शासक, विद्रोही तत्वों पर कड़ी दृष्टि रखते थे और शासकीय लेखा भी तत्कालीन परिदृश्य के चित्रण में सहायक होते हैं। बीसवीं सदी के आरम्भ में गृह विभाग द्वारा निर्मित पाक्षिक प्रतिवेदन अध्ययन की दिशा में अति महत्वपूर्ण रहा है। नमक सत्याग्रह की पाक्षिक रिपोर्टों पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि इस समय गाँधीजी व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था।

चित्र- 9.3 प्रार्थना सभा

सारणी 9.1
काल रेखा- महात्मा गाँधी के जीवन से सम्बधित प्रमुख घटनाएँ

दक्षिण अफ्रीका से वापसी	1915 ई
चम्पारन आन्दोलन	1917 ई.
खेड़ा और अहमदाबाद(गुजरात) आन्दोलन	1918 ई.
रॉलट सत्याग्रह	1919 ई.
बारदोली(गुजरात) आन्दोलन	1928 ई.
सविनय अवज्ञा आन्दोलन	1930 ई.
साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिए अभियान	1946 ई.

भारत विभाजन- मुस्लिम लीग की विभाजन की शर्त के कारण भारत का विभाजन कर पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया था। विभाजन से उपजी व्यापक हिंसा के कारण स्वतन्त्रता का स्वरूप विकृत हो गया था। संस्मरणों से विदित होता है कि विभाजन के वक्त लाखों लोग हताहत हुए थे। महिलाओं के साथ दुष्कृत्य हुए थे। लोगों की स्थायी-अस्थाई सम्पत्ति छिन जाने के कारण लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। इन साम्प्रदायिक दंगों में लगभग 2 से 5 लाख लोग मारे गए थे। अधिकांश लोग मकानों, खेतों, व्यवसाय आदि से वंचित हो गए थे। विभाजन के उपरोक्त परिणामों के कारण एक देश से दूसरे देश में लोगों का अत्यधिक पलायन हुआ था। अब इन परिवर्तनों के मध्य एक नवीन भारत का उदय हुआ था।

इसे भी जानें-

- मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ई. में हुई थी। सर्वप्रथम 1930 ई. के मुस्लिम लीग अधिवेशन में मुहम्मद इकबाल ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के लिए स्वायत्तशासी मुस्लिम राज्य की माँग की थी। पाकिस्तान शब्द का उल्लेख पहली बार रहमत अली ने 1933 और 1935 के अपने दो लेखों में किया था।

विभाजन के कारण- भारत विभाजन के प्रमुख कारण निम्न हैं-

1. **रूढ़िवादी शक्तियाँ-** पत्रकार एम.आर. मर्फी के अनुसार, "पाकिस्तान में इस प्रकार की रुढ़ छवियों की कमी नहीं है। कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एकश्वेरवादी और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिन्दू काले, कायर, बहुईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। ये छवि तो विभाजन पूर्व ही निर्मित हुई हो चुकी थी"। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तानी समर्थकों ने मानवता की सीमाओं का उल्लघंन करके भारत एवं भारतीय लोगों के बारे में नकारात्मक छवि बनाई थी, जो विभाजन का एक प्रमुख कारण बनी थी।
2. **प्रान्तीय चुनाव-** 1937 ई. के प्रान्तीय चुनावों में कांग्रेस की 11 में से 7 राज्यों में सरकार बनी थी। मुस्लिम लीग संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी परन्तु स्पष्ट बहुमत होने के कारण कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की माँग को ठुकरा दिया था। नाराज मुस्लिम लीग ने ध्रुवीकरण की राजनीति कर भारत को विभाजन की ओर ले गई थी।
3. **पाकिस्तान का प्रस्ताव-** 23 मार्च, 1940 ई. को भारत में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के लिए मुस्लिम लीग ने स्वायत्तता का प्रस्ताव देते हुए, मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान की माँग की थी।

विभाजन की रूपरेखा-1945 ई. में हुई वार्ता के अनुसार अङ्ग्रेज एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा बनाने पर सहमत हुए थे, जिसमें सेनापति और वायसराय के अतिरिक्त सभी भारतीय सदस्य होंगे। जिन्ना इस बात पर अड़ गये कि मुस्लिम सदस्यों के चुनाव का अधिकार मात्र मुस्लिम लीग के पास होगा। राष्ट्रवादी

इसे भी जानें-

- **आर्य समाज(1875 ई.)-** 19वीं सदी के आखिरी दशक और बीसवीं सदी के प्रारम्भ में **हिन्दू सुधार आन्दोलन** के रूप में आर्य समाज पञ्जाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान में विज्ञान की अर्वाचीन शिक्षाएँ जोड़ना चाहता था।
- **यूनियनिस्ट पार्टी(1923 ई.)-** पञ्जाब में हिन्दू (सनातन), सिख, मुस्लिम, भू स्वामियों, का हित संरक्षण करने वाली '**यूनियनिस्ट पार्टी**' थी। इसकी स्थापना सर छोटूराम और सिकन्दर हयात खान ने की थी। यह पार्टी 1923 ई. से 1947 ई. तक विशेष शक्तिशाली थी।
- **हिन्दू महासभा-** हिन्दू महासभा की स्थापना 1915 ई. में विनायक दामोदर सावरकर, पंडित मदनमोहन मालवीय और लाला लाजपतराय ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य समाज में एकता की भावना को जागृत करना था।

मुसलमानों का एक बड़ा समूह कांग्रेस का समर्थन करता था, जिसका नेतृत्व मौलाना आजाद कर रहे थे। अतः जिन्ना की बात को तवज्जो नहीं दी गई थी।भारत में राजनीतिक रूपरेखा तैयार करने हेतु ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने मार्च 1946 ई. में तीन सदस्यों वाला एक प्रतिनिधि समूह (कैबिनेट मिशन) दिल्ली भेजा था। इस मिशन ने भारत में त्रिस्तरीय महासंघ बनाने का सुझाव दिया था। इस महासंघ में भारत का एकीकृत स्वरूप स्थापित कर, केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत विदेश, रक्षा, सञ्चार विभाग देने का प्रस्ताव था। प्रान्तीय सभा को तीन भागों में विभक्त किया गया था-1. हिन्दू बहुल प्रान्तों को समूह 'क'। 2. पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रान्तों को समूह 'ख'। 3. पूर्वोत्तर मुस्लिम बहुल प्रान्तों को समूह 'ग' । सभी प्रमुख दलों ने इस निर्णय का स्वीकार कर लिया।

विभाजन का परिदृश्य- मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना से समर्थन वापस लेकर, अलग पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय लिया था । अब मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र निर्माण के लिए 16 अगस्त, 1946 ई. को '**प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस**' घोषित किया था। उस दिन कलकत्ता में भड़के दंगे में हजारों लोग मारे गए थे। मार्च, 1947 ई. तक उत्तर भारत के अनेक भागों में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। कांग्रेस हाईकमान ने पञ्जाब को मुस्लिम बहुल और हिन्दू-सिक्ख बहुल दो भागों में विभाजन का प्रस्ताव दिया था। मार्च, 1947 ई. वर्ष पर्यन्त भीषण खून खराबा होता रहा था। पैंडरेल मून नामक एक अङ्ग्रेज अधिकारी ने लिखा कि 11 मार्च 1947 में सम्पूर्ण

चित्र- 9.4 विभाजन का दृश्य

अमृतसर में मारकाट और आगजनी हो रही थी, शासन तन्त्र ध्वस्त था। अक्टूबर, 1946 में पूर्वी बङ्गाल के मुस्लिम, हिन्दुओं को निशाना बना रहे थे। गाँधी जी पैदल गाँव-गाँव पहुँचे मुसलमानों को हिन्दुओं की रक्षा करने को कहा था। इसके पश्चात गाँधीजी, दिल्ली तथा बिहार के गाँव-गाँव में शान्ति का सन्देश को लेकर घूमे थे। विभाजन के समय महिलाओं के साथ अनाचार हुए थे। महिलाओं ने जो इस विभाजन में भुगता वह उनके लिए एक मानसिक प्रताड़ना थी। अब परिवर्तित माहौल में नए पारिवारिक अनुबंध विकसित होने लगे थे। 1946 - 48 ई. में बङ्गाल से लगभग सभी हिन्दुओं और सिक्खों को भारत की ओर भगा दिया गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद के अनेक परिवार पचास-साठ के दशकों में पाकिस्तान जाकर बसते रहे थे। अधिकतर उर्दूभाषी लोग, जिन्हें अप्रवासी (मुहाजिर) कहते हैं, सिन्ध के कराँची में बस गये थे। कुछ बङ्गाली हिन्दू, पूर्वी पाकिस्तान में जबकि बङ्गाली मुसलमान, पश्चिम बङ्गाल में रूक गए थे। बङ्गाली मुसलमानों ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धान्त को नकारते हुये 1971-72 ई. में अलग राष्ट्र बांग्लादेश की स्थापना की थी।

विभाजन काल में लोग परस्पर मदद भी कर रहे थे यथा- खुशदेव सिंह तपेदिक विशेषज्ञ एक सिख डॉक्टर थे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन, आश्रय तथा सुरक्षा दी थी। लोगों में उनके मानवीय भाव तथा सहृदयता के प्रति गम्भीर निष्ठा उत्पन्न हुई थी ।इन बातों का उल्लेख 'लव इज स्ट्राँगर देन हेट, ए रिमेम्बरेंस ऑफ 1947 संस्मरण में है।

विभाजन का मूल्यांकन- मौखिक वृत्तों, संस्मरणों, डायरी, पारिवारिक इतिहास तथा आत्म कथाओं के अध्ययन से विभाजन की परेशानियों का पता चलता है। लाखों लोग विभाजन को एक काले वातावरण के रूप में देखते हैं। विभाजन अनपेक्षित परिवर्तन का काल था, जिसमें मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तथा सामाजिक समायोजन अपेक्षित था। स्मृतियों पर आश्रित मौखिक स्त्रोत समग्र घटनाक्रम का बारीकी से प्रस्तुतीकरण करते हैं। इनके अतिरिक्त लघुकथा, उपन्यास, कविता तथा फिल्में विभाजन की घटनाओं को गम्भीर अन्तर्दृष्टि से प्रस्तुत करती हैं। विभाजन से सम्बन्धित साहित्य का लेखन अनेक भाषाओं जैसे- हिन्दी, उर्दू, सिन्धी, बङ्गाली, असमिया, अङ्ग्रेजी, पञ्जाबी में हुआ है। राजिन्दर सिंह बेदी, इन्तेजार हुसैन, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, राही मासूम रजा, नारायण भारती, सन्त सिंह सेखो, नरेन्द्रनाथ मिश्रा, फैज अहमद, अमृता प्रीतम, दिनेश दास आदि लेखकों ने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है।

अन्त में कहा जा सकता है कि 1947 ई. की घटनाएँ मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिन्दू-मुस्लिम विवाद में सुदीर्घ इतिहास से सूक्ष्मतया से जुड़ी हुई हैं। हिन्दू (सनातन) और मुसलमानों में अनेक सांस्कृतिक आदान-प्रदान होते रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते विभाजन के उपरान्त

बिगड़ते चले गए हैं। देश का विभाजन एक ऐसी साम्प्रदायिक राजनीति का आखिरी बिन्दु था, जो बीसवीं सदी में आरम्भ हुई थी।

संविधान का निर्माण- भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम का परिष्कृत रूप कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संविधान दिसम्बर 1946 से नवम्बर 1949 ई. के मध्य लिखा गया, जिसमें प्रत्येक बिन्दु पर संविधान सभा में सुदीर्घ चर्चाएँ हुई। संविधान सभा के 11 सत्र तथा 165 दिनों की बैठक हुई।

संविधान सृजन के प्रथम वर्ष उथल-पुथल युक्त रहे। 15 अगस्त, 1947 ई. को देश को आजादी के साथ विभाजन का दंश भी मिला। सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से आजादी हेतु नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के प्रयास लोगों की स्मृति में जीवित थे। आजादी पर्व में जहाँ लोग आनन्द विभोर थे, वहीं पाकिस्तानवासी हिन्दू व सिखों के लिए यह संकट तथा अस्तित्व निर्मूलन का क्षण था। वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गये थे। लोगों ने नए पड़ाव की तलाश में दर्दनाक यात्रायें की। बहुत से लोग तो गंतव्य तक नहीं पहुँच सके।

संविधान- भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से 1946 ई. से प्रारम्भ होकर 1949 ई. में पूर्ण हुई थी। इस समयावधि में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव, प्रारूप को लेकर लम्बी चर्चा, भारतीय जनमानस की इच्छा, अधिकारों का निर्धारण और शक्तियाँ, भाषा आदि को लेकर व्यापक विचार-विमर्श हुआ था। संविधान निर्माण में सहमति बनाने एवं कार्यों के उचित निष्पादन के लिए समितियों और उपसमितियों का गठन किया गया था।संविधान निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया को समझने के लिए हम निम्न बिन्दुओं का अध्ययन करेंगे।

1. **परिवर्तन का समय-** 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत स्वतन्त्र तो हो गया था परन्तु विभाजन की पीड़ा, साम्प्रदायिक दंगे, रियासतों के विलय की समस्याएँ आदि देश की राजनीति के लिए परिवर्तनकारी थीं। 1946 ई. में संविधान के सदस्यों के चयन के लिए भारतीय प्रान्तों में चुनाव सम्पन्न हुए थे । इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी, जिससे नाराज मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर पाकिस्तान की माँग जारी रखी थी। विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों में से 6 महत्वपूर्ण सदस्य थे। इनमें नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और राजेन्द्र प्रसाद कांग्रेस से थे। इन तीनों के अतिरिक्त बी.आर.अम्बेडकर, के.एम.मुंशी और अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर थे। इसके अतिरिक्त दो प्रशासनिक अधिकारी बी.एन.राव (सरकार के सलाहकार) तथा एस.एन.मुखर्जी भारतीय संविधान के प्रमुख योजनाकार थे। संविधान में देश के भावी स्वरूप, भारतीय भाषाओं, आर्थिक व्यवस्था, नैतिक मूल्य, मूलाधिकार और कर्त्तव्यों आदि का विस्तृत खाका खींचा गया।

संविधान का अवलोकन- 13 दिसम्बर, 1946 ई. को भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भारत को एक **स्वतन्त्र, सम्प्रभु गणराज्य** घोषित किया गया था। जनता को न्याय, समानता, स्वतन्त्रता का आश्वासन मिला व कहा गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किये जायेंगे। नेहरूजी ने कहा था कि 'सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हमें भारतीय जनता के दिलों में समाहित आकाँक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए'। समाज सुधारकों ने 19वीं सदी में बाल विवाह का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन किया था। 1919 ई. में कार्यपालिका को प्रान्तीय विधायिका के प्रति आंशिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया था। 1935 ई. में गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट में उसे पूर्णरूपेण विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। ऐसे विषयों को संविधान में प्रभावी रूप से समाहित किया गया था।

इसे भी जानें-

- नेहरूजी ने संविधान का उद्देश्य और राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था।
- सरदार पटेल ने अनेक प्रतिवेदनों के प्रारूप लेखन के साथ ही परस्पर विरोधी विचारों के मध्य सहमति उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाई थी।
- संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद थे, जिन्होंने रचनात्मक चर्चाओं के माध्यम से सभी सदस्यों को अपना पक्ष रखने के अवसर दिए थे।
- भारतीय संविधान सभा की चर्चाओं का मुद्रित अभिलेख 11 खण्डों में प्रकाशित हुए थे।

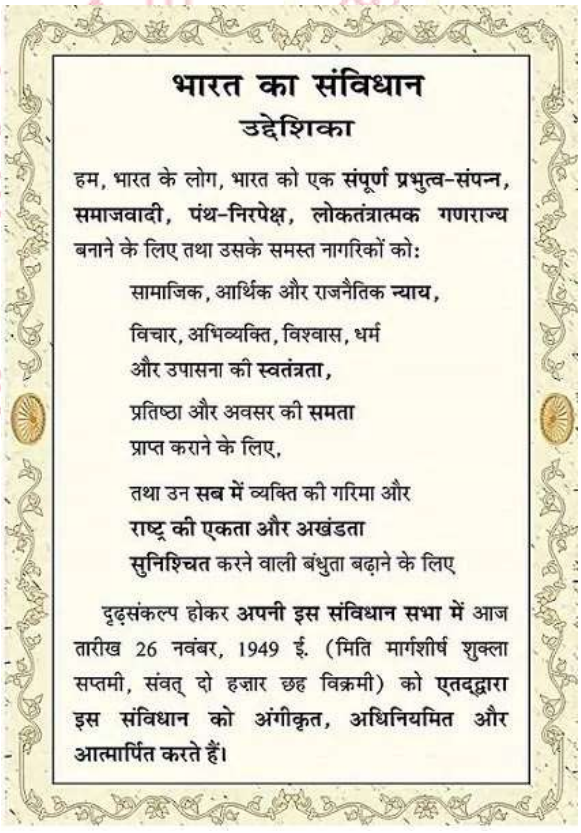

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

चित्र- 9.5 संविधान की प्रस्तावना

अधिकार और शक्तियों का निर्धारण- नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करना, संविधान निर्माताओं के समक्ष बड़ी चुनौती थी। उत्पीड़ित समूहों और अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार जैसे विषयों का हल लम्बी परिचर्चाओं के द्वारा किया गया था। पं. नेहरू ने कहा कि 'संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकाङ्क्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है'। 27 अगस्त, 1947 ई. को मद्रास के बी.पोकर बहादुर ने कहा कि 'ऐसे राजनीतिक ढाँचे की

आवश्यकता है, जिसमें अल्पसंख्यक भी दूसरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें, जहाँ मतभेद न हो तथा अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व हो। मुस्लिम समुदाय की प्रभावशाली भागीदारी के लिये पृथक निर्वाचिका अपेक्षित है'। सभी मुसलमान पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे। बेगम ऐज़ाज रसूल के कहा कि 'पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यकों से कट जायेंगे'। समाजवादी विचारक एन.जी. रंगा ने कहा कि 'अल्पसंख्यक शब्द आर्थिक आधार पर व्याख्यायित होना चाहिए'। रंगा की दृष्टि में गरीब ही असली अल्पसंख्यक थे, जिनके उन्नयन की बड़ी आवश्यकता थी।

इसे भी जानें-

- संविधान सभा के सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी का मानना था कि संविधान सभा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से प्रभावित है।
- अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार हस्तगत कर लेने का अधिकार दिया गया है।

संविधान सभा में गरमा-गरम चर्चा हुई कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की क्या शक्तियाँ होनी चाहिए। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू आदि शक्तिशाली केन्द्र के पक्षधर थे। संविधान के प्रारूप में तीन सूचियाँ बनी थीं।

1. केन्द्रीय सूची के सारे विषय केन्द्र के अधीन थे।
2. राज्य सूची के विषय राज्य सरकारों के अधीन थे।
3. समवर्ती सूची के विषय केन्द्र और राज्य दोनों के अधिकार में थे।

मद्रास के सदस्य के. सन्तनम ने राज्यों के अधिकारों का पक्ष रखा था। उनका मत था कि राज्यों के साथ केन्द्र को सुदृढ़ बनाने हेतु शक्तियों का वितरण आवश्यक है। केन्द्र को यदि अधिक उत्तरदायित्व दे दिए गए तो वह उनका ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर पाएगा। राजकोषीय प्रबन्ध प्रान्तों को कमजोर कर देगा, क्योंकि भू-राजस्व के अतिरिक्त अधिकांश कर केन्द्र सरकार के अधिकार में हैं। उस समय हो रही हिंसा की चर्चा करते हुए, अनेक सदस्यों ने कहा कि केन्द्र की शक्ति में वृद्धि होनी चाहिए, जिससे वह साम्प्रदायिक संघर्ष को रोक सके तथा देश के विकास हेतु नीतिगत निर्णय ले सके।

भाषा- संविधान सभा में भाषा को लेकर लम्बी बहस हुई थी। चूँकि देश के विविध भागों में पृथक-पृथक भाषा-भाषी थे। कांग्रेस हिन्दी और उर्दू के मेल से बनी हिन्दुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की पक्षधर थी। गाँधी जी को लगा था कि यह भाषा, हिन्दू-मुस्लिम और उत्तर-दक्षिण को जोड़ सकती है। आर.वी. धुलेकर ने कहा कि, हिन्दी को संविधान निर्माण की भाषा बनाया जाना चाहिए। इस पर किसी सदस्य ने कहा कि संविधान सभा के सभी सदस्य हिन्दी नहीं समझते हैं, तो उन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि, "इस सदन

में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिन्दुस्तानी नहीं जानते, वे सदस्यता के पात्र नहीं है। उन्हें चले जाना चाहिए"।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान गम्भीर विवादों तथा चर्चाओं से गुजरते हुए, बना है। संविधान के अनेक प्रावधान विदेशी संविधानों का गहन अध्ययन कर, गृहित किए गए हैं। व्यस्क मताधिकार, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद आदि इसके मौलिक गुण हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. रोलट एक्ट .....आया था।

अ. 1919 ई. में ब. 1819 ई. में स. 1918 ई. में द. कोई नही.

2. जलियांवाला हत्याकाण्ड को.....ने अंजाम दिया था।

अ. वेलेजली ब. डायर स. डूप्ले द. फ्रांसिस

3. संविधान में ..... सूचियों का उल्लेख है।

अ. 2 ब. 3

स. 4 द. 5

4. संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव.....ने प्रस्तुत किए थे।

अ. गाँधीजी ब. डॉ. अम्बेडकर

स. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द. जवाहर लाल नेहरू

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत छोडो आन्दोलन ..... में प्रारम्भ हुआ था। (अगस्त 1942/अगस्त 1947)
2. राजेन्द्र प्रसाद का सम्बन्ध ..... पार्टी से था। (जनसंघ/कांग्रेस)
3. विभाजन के पश्चात संविधान सभा में ..... सदस्य थे। (299/325)
4. संविधान सभा की चर्चाओं का मुद्रित अभिलेख.....खण्डों में प्रकाशित हुआ था।(11/12)

सत्य/असत्य बताइए-

1. नमक सत्याग्रह 1930 ई. में हुआ था। सत्य/असत्य
2. मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सत्य/असत्य
3. नील आन्दोलन (चम्पारण) 1918 ई में हुआ। सत्य/असत्य
4. समवर्ती सूची के विषय केन्द्र और राज्य दोनों के अधिकार में थे। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1.	दाण्डी	क. बिहार
2.	चम्पारण	ख. पञ्जाब
3.	जलियाँवाला बाग	ग. गुजरात
4	साम्प्रदायिक दंगे	घ. बङ्गाल

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. किन आन्दोलनों ने गाँजी को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया था ?
2. आमजन महात्मा गाँधीजी को किन-किन नामों से बुलाते थे ?
3. हिन्दू महा सभा की स्थापना किसने की थी?
4. अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन है ?
5. प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. 'उद्देश्य प्रस्ताव' में किन आदर्शों पर बल दिया गया था ?
2. दाण्डी यात्रा पर टिप्पणी लिखिए ?
3. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के बारे में आप क्या जानते हैं?
4. विभाजन से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व पर विस्तृत प्रकाश डालिए।
2. विभाजन से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए ।

परियोजना-

1. वर्तमान में भारतीय संविधान में हुए परिवर्तनों की सूची बनाते हुए । किसी एक परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिए।

अध्याय - 10

भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव

इस अध्याय में- विश्व व्यापिनी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, योग, योग का महत्व, आयुर्वेद, आयुर्वेद का दैनिक जीवन में महत्व, शल्य चिकित्सा, प्राचीन विरासत, प्राचीन ग्रन्थों का प्रभाव, वेद, वेदों का महत्व, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, गाँधीजी के विचार एवं दर्शन, गाँधीजी एवं युवा पीढ़ी, प्रौद्योगिकी विकास।

विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति हमारी वैदिक सनातनी संस्कृति है। विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी कही जाने वाली वैदिक संस्कृति का उद्गम स्त्रोत वैदिक वाङ्मय हैं। वैदिक वाङ्मय में समस्त प्रकार की सभी विद्याओं का उल्लेख किया गया है। इन विद्याओं के बल पर भारत विश्व गुरु बना था। आज भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है इसलिए इसे विश्व व्यापिनी कहा जाता है।

विश्व व्यापिनी भारतीय संस्कृति- प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति थी, जो विश्व व्यापी रही है। हमारे पूर्वजों का लक्ष्य **'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'** अर्थात् सम्पूर्ण विश्व को सभ्य व सुसंस्कृत बनाना था। मानवता के इस सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत प्राचीनकाल से ही सक्रिय रहा है। इसके प्रमाण हमें वैदेशिक पुरास्थलों एवं साहित्यों में भी प्राप्त होते हैं। उनमें कुछ का अध्ययन एवं निम्न बिन्दूओं के अन्तर्गत करेंगे-

1. बेबीलोन में 1760 ईसा पूर्व कस्सी शासन में सूर्य के लिए शूरियस तथा मरुत के लिए मरुतस् शब्द का प्रचलित था, जो मूलत: वैदिक वाङ्मय के शब्द हैं।
2. 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, जो तुर्की में बोगाज कुई से प्राप्त हुआ था में हित्ती और मित्तनी शासकों के बीच संधि हुई थी। इसके साक्षी वरूण, मित्र तथा नासत्य देवता थे, जो वैदिक देवता हैं।
3. अनेक भारतीय चिन्ह, यंत्र, तथा मयूर पंख मुर्की वाले कंगन, सूर्य बिम्ब अरायुक्त रथ ईराक,इरान, साइप्रस, यूनान, मिश्र आदि देशों में पहुँचे थे।
4. पुराणों में अमेरिका को पाताल देश कहा गया है। इसका दृष्टान्त हमें पुरातत्त्ववेत्ता हरिभाऊ वाकणकर के एक अमेरीकी यात्रा वृतांत से मिलता है। जहां वे रेड इंडियन बस्ती में एक युवक से मिलकर उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम सीची वीचा बताया था। जब वाकणकरजी ने उसे उसके नाम से सम्बोधित किया तो उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि अमेरीकन ऐसे शब्दों का इतना शुद्ध

उच्चारण नहीं करते थे वाकणकरजी ने उत्तर दिया मैं अपर इण्डिया से आया हुँ और तुम अण्डर इण्डिया के हो। वाकणकरजी ने वहाँ एक पूजाघर को देखा जहाँ उनको वैदिक श्येनचित (बाज) आकृति की वेदी मिली थी, जिसमें वे लोग अपनी भाषा में मन्त्र के अन्त में हुआ-हुआ बोल रहे थे, जो स्वाहा शब्द का ही अपभ्रंश है। इसका दूसरा उदाहरण मैक्सिको के युकाटान प्रान्त के जवातुको नामक स्थान पर स्थित सूर्य मन्दिर के अन्दर स्थित शिलालेख में 'मय भाषा' में लिखा है कि मैं महानाविक **वसूलीन** शक संवत 845 में यहाँ पर आया था और भगवान सूर्य की मैंने पूजा की थी। यह घटना कोलम्बस के अमेरिका पहुँचने से पहले लगभग 550 वर्ष पूर्व की है। इन तथ्यों की पुष्टि मैक्सिको शासन द्वारा प्रकाशित अधिकृत इतिहास से होती है। जिसमें लिखा है- Those who first arrived on the continent later to be known as America. Where Groups of man driven by that mighty current that set out from India towards the east. अर्थात् जिसे अमेरिका कहा जाता है। उस भूखण्ड पर भारत के पूर्व किनारे से मानव समूहों ने अपनी प्रभावी संस्कृति के साथ प्रवेश किया था।

भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार संसार के पूर्व दिशा के देशों में भी था। जिसका अध्ययन हम पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्राचीनकाल में पृथिवी के अधिकांश भाग पर भारतीय संस्कृति ने जीवन शैली का ज्ञान दिया था। आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति को अपना रहा है। विश्व में भारतीय संस्कृति के योगदान का हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत अध्ययन करेंगे।

आध्यात्मिकता- आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति का सार तत्व है। धर्म और ईश्वर की श्रद्धामय और निष्ठायुक्त भावना को आध्यात्मिकता कहते हैं। आध्यात्मिकता सनातनी जीवन की आधारशिला है। यह भौतिकवाद से परे हटकर मानव का जीवन सादा तथा संयमी बनाती है। इसी ने भारतीय संस्कृति को विश्व में अलौकिक तथा अमर बनाया है। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृत:। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता: पुरा॥(17.23) यज्ञदानतप: कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् । यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ (18.5) श्रीमद्भवद्गीता के इन श्लोकों में तप, आहार, यज्ञ, दान, त्याग, कर्म आदि के त्रिविध भेद बतलाकर यह समझाया है कि किस प्रकार ये कर्म मानव जीवन के परम लक्ष्य (मोक्ष) के साधक हैं। आध्यात्मिकता से ओत–प्रोत लंगोटी धारण किए, ऋषि महर्षियों के आगे चक्रवर्ती सम्राट भी नतमस्तक रहते थे। आध्यात्मिक भावना से ओत-प्रोत राजा की प्रजा सुखी व आज्ञाकारी रहती थी। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि "यदि मानव के पास प्रत्येक वस्तु है, पर आध्यात्मिकता नहीं तो क्या लाभ ?" उनकी दृष्टि में यह परा प्रकृति आत्मा उतनी सत्य है, जितना की पाश्चात्य व्यक्ति

की इन्द्रियों के लिए कोई भौतिक पदार्थ। भारत में आध्यात्मिकता की भावना आश्रम-धर्म से उत्पन्न हुई है। चारों पुरूषार्थों की प्राप्ति के लिए, व्यक्ति को आश्रम धर्म का पालन करना होता था। भारतीय संस्कृति के आधार पर, जो जीवन प्रणाली निर्मित हुई है, उसकी प्रगति आध्यात्मिकता की ओर, पूर्णत्व की ओर, ईश्वरतत्व की ओर है। हमारे जीवन का अन्तिम लक्ष्य, ईश्वर को अपने कर्म समर्पित करते हुए मोक्ष (परम शक्ति) की प्राप्ति करना है। इसी सन्दर्भ में गीता में कहा गया है। **शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः। सन्यासयोगयुक्तात्मा विभुक्तौ मामुपैष्यसि''॥**(9.28) इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने पर, सन्यास योग से युक्त हुए मनवाला तू शुभाशुभ फलस्वरूप कर्म बन्धन से मुक्त हो जाएगा, उनसे मुक्त हुआ मेरे को प्राप्त होगा।

योग- महर्षि पतञ्जलि को 'योग शास्त्र' का अधिष्ठाता माना जाता हैं। महर्षि पतञ्जलि ने योग के आठ अङ्ग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बतलाए हैं। आज पूरा विश्व भारतीय योग की महत्ता को स्वीकार करता है। मानसिक और शारीरिक समस्यायों से निजात पाने के लिए लोगों ने इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लिया है।

योग का महत्व- वर्तमान समय में योग की पहुँच प्रत्येक देश, राज्य, नगर, ग्राम तक पहुँच चुकी है। भारत में ही नहीं विश्व अधिकांश विश्वविद्यालयों में योग के संकाय खुल रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययन कर रहें हैं। योग के प्रचार-प्रसार में भारत सरकार का आयुष मन्त्रालय और अनेक योग संस्थान कार्य कर रहे हैं। योग से कई असाध्य बीमारियों का उपचार होता है। पश्चिम की भौतिकवादी संस्कृति ने मानव को तनाव, अवसाद, कुण्ठा आदि मनोविकारों में जकड़ लिया है, इनकी निवृत्ति योग के द्वारा हो सकती है। महर्षि पंतजलि कृत **योग दर्शन** में लिखा है कि '**योगश्चित्तवृतिनिरोधः**' चित्त की वृत्तियों का नियन्त्रण ही योग है। अत: यह हमारा कर्तव्य व उत्तरदायित्व है कि हम वैज्ञानिक आधार पर योग की शरण लेकर शरीर एवं मन को पूर्ण रूपेण स्वस्थ रखें।

आयुर्वेद- आयुर्वेद शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, आयुष और वेद। आयुष का अर्थ जीवन और वेद का अर्थ विज्ञान से हैं। इस प्रकार आयुर्वेद शब्द का अर्थ है- जीवन का विज्ञान। जीवन को ठीक प्रकार से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है क्योंकि यह विज्ञान केवल रोगों की चिकित्सा या रोगों का ज्ञान ही प्रदान नहीं करता अपितु जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान देता है। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षि चरक ने **चरक संहिता** में कहा है कि 'जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु एवं दु:ख आयु का वर्णन हो, उस आयु के लिए हितकर (पथ्य) व अहितकर (अपथ्य) द्रव्य, गुण, कर्म का भी वर्णन हो एवं आयु का मान (प्रमाण या अवधि) व उसके लक्षणों का वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं।

आयुर्वेद का दैनिक जीवन में महत्व- आपने दादी-नानी के देसी नुस्खों के बारे में तो सुना होगा और जानते होंगें कि हम अपने दैनिक जीवन में घरेलू चीजों से छोटी-मोटी बीमारियों का उपचार भी करते हैं। हम अपने बुजुर्गों से पीढ़ी दर पीढ़ी घर में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के औषधीय गुणों के विषय में सीखते चले आ रहे हैं। हमें अपने घर के आँगन अथवा रसोई घर में ऐसे अनेक पदार्थ मिल जाते हैं, जिन्हें हम औषधि के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम आयुर्वेदीय पद्धति को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद के सिद्धान्त सार्वभौम हैं। जिस प्रकार जीवन सत्य है, उसी प्रकार ये सिद्धान्त और नियम भी सभी स्थानों पर मान्य और सत्य हैं। इनमें **'सर्व भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः'** का भाव निहित है।

इसे भी जानें-

- प्राचीन काल में भारत की संस्कृति बहुत उच्च स्तर की थी। हमारे ऋषि-मुनियों के अनुसंधानों और खोज से प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति अपने चरम स्तर पर थी। उस समय भारत को विश्व गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था।
- सम्पूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष 21 जून को 'अन्ताराष्ट्रीय योग दिवस' मनाया जाता है। यौगिक क्रियाओं द्वारा 'जीवेम शरदः शतम्, पश्येम शरदः शतम्' तथा 'श्रृणुयाम शरद: शतम्' सम्भव है।
- आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता हैं,जो प्राचीनता का द्योतक है।

आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति होने के साथ-साथ एक सम्पूर्ण जीवन पद्धति व साधना पद्धति भी है। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे आयुर्वेद के ग्रन्थों को क्षति पहुँचाई गई थी, जिससे आयुर्वेद के प्रभाव में कमी आई थी परन्तु वर्तमान समय में आयुर्वेद के बारे लोगों में जागृति आई है। आज केरल, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इसके अनुसंधान केन्द्र स्थापित हुए हैं, जहाँ देश ही नहीं विदेश से भी रोगी उपचार के लिए आते है। आयुर्वेद निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर है । हाल ही में Covid-19 (कोरोना) महामारी के दौरान विश्व के चिकित्सा जगत में आयुर्वेद के नुस्खों को इसके उपचार में उपयोगी माना है। भारत सरकार के आयुष मन्त्रालय द्वारा जारी अपनी एडवाइजरी में कहा कि गर्म पानी, तुलसी, अदरक, गिलोय , कालीमिर्च, हल्दी के सेवन करने से कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है।

शल्य चिकित्सा- शल्य चिकित्सा का जन्म भी भारत में ही हुआ है। इस विज्ञान के अन्तर्गत शरीर के अंगों की चीड़-फाड़ कर उन्हें ठीक किया जाता है। महर्षि सुश्रत को इसका प्रणेता माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रन्थ **'सुश्रुतसंहिता'** में विभिन्न शल्य क्रियाओं का वर्णन किया है, जिन्हें बाद में पश्चिमी देशों ने अपनाया है।

शून्य- महर्षि आर्यभट्ट ने गणित के सबसे महत्वपूर्ण अंक शून्य का महत्त्व विश्व को सर्वप्रथम समझाया था। वैदिक वाङ्मय में 10 खरब तक की संख्याओं का उल्लेख आया है। यजुर्वेद के इस मन्त्र में संख्या वर्णन है- **इमामेऽअग्नऽइणृ घमेव सन्त्वे का चदश चदश चदश चतशतञ्च शतञ्च सहस्रञ्च सहस्रञ्चयुतञ्च नियुतञ्च नियुतञ्च प्रयुतञ्च बंदञ्चभ्य समुद्रञ्च द्यञ्चतश्च परार्द्धश्चेतामेऽअग्नऽइष्टकाधेनत्व सन्त्व मुत्रामुष्कमेंल्लोके।** भास्काचार्य की 'लीलावती' में भी उल्लेख है कि 'जब किसी अंक में शून्य से भाग दिया जाता है, तब उसका फलक्रम अनन्त आता है'।

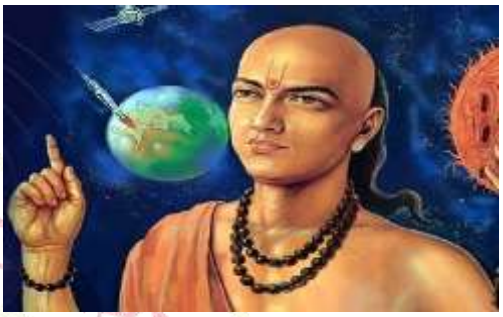

चित्र- 10.1 आर्य भट्ट

ज्योतिष शास्त्र- ज्योतिष की घटनाओं से ही पता चलता है कि यह पृथिवी गोल है तथा इसके घूर्णन से ही दिन-रात होते हैं। आर्यभट्ट ने सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण के कारण भी बताए हैं। वैदिक वाङ्मय में उस अनन्त भी का भी वर्णन है, जिसमें **उड़न तश्तरियाँ** हैं।

संस्कृत- संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। विश्व की अनेक भाषाएँ संस्कृत भाषा से प्रभावित हैं। इन भाषाओं में प्राय: संस्कृत भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं।

सामाजिक जीवन दृष्टि- विश्व की किसी भी सभ्यता में ऐसा सामाजिक सङ्गठन नहीं मिलता, जैसा भारत में है। हमारे यहाँ पर 4 प्रत्यक्ष देव हैं- **मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव** (तैत्तिरीयोपनिषद) अर्थात् माता, पिता, गुरु और अतिथि को देवता माना गया है।

विश्व बन्धुत्व और राष्ट्रीय एकता की भावना- हमारी संस्कृति का मूल आधार विश्व बन्धुत्व की भावना रहा है। हम सारे संसार को अपना घर मानते हैं- **यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्** अर्थात् जहाँ सम्पूर्ण संसार एक घोंसला (घर) है। वेदों में वर्णन है **'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'** अर्थात् यह सम्पूर्ण जगत निश्चित रूप से ब्रह्म ही है। सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है। हम वसुधैव कटुम्बकम् की भावना से रहते हैं। हम सबका हित एवं कल्याण चाहते हैं- सर्वे भवन्तु सुखिन: अर्थात् सभी सुखी हों, जैसे उच्च विचार वाले लोग जहाँ निवास करते है, निश्चित रूप से वह देश विश्व गुरु कहलाता है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। यहाँ विभिन्न धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ रहते है, जो भारत को अतुल्य बनाते हैं।

प्राचीन विरासत- प्राचीन भारत ऋषि-मुनियों एवं गुरुकुलों का देश रहा है, जो आध्यात्मिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम काल में सोने की चिडियाँ के रूप में प्रसिद्ध रहा है। देश को तंत्र-मन्त्र-यंत्र, शास्त्रीय संगीत (दीपक राग, वर्षा राग) योग ध्यान, पारलौकिकता, पुर्नजन्म, टेलीपैथी, दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बुटियाँ

(छुई-मुई, संजीवनी बूटी, घृत कुमारी, सर्पगंधा, अश्वगंधा आदि) एक्यूप्रेशर, पारस, पुष्पक विमान आदि के लिए जाना जाता है। ये हमारी प्राचीन विरासत के अभिन्न अङ्ग रहे हैं।

प्रकृति पूजा- हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है। **क्षिति जल पावक गगन समीरा.....**के सिद्धान्त में हमारी आस्था रही है। हमारी संस्कृति में जल, वायु, अग्नि, पर्वत, नदी ,कुआँ, वनस्पति एवं पशु-पक्षी कीट, की भी पूजा का प्रावधान रहा है। वैदिक मन्त्रों से शास्त्रानुकुल पद्धति में शँख, तुलसी, गंगाजल, गौमूत्र, गौदुग्ध, विशुद्ध गौघृत आदि को उच्च स्थान दिया गया है, जो हमारे प्रकृति प्रेम की भावना को प्रदर्शित करता है। हमारे तीज-त्यौहार, व्रत, पञ्चाङ्ग आदि परम्पराओं पर आधारित हैं। छठ, चौथ, चन्द्र और जीवित पुत्रिका व्रत, अन्नकूट, वट सवित्री, होलिका दहन, नवरात्री पूजन, कन्या पूजन आदि इसके उदाहरण हैं। भारत तपस्या, अश्वमेघ यज्ञ, भैरव पूजा, नाग पञ्चमी, भागवत पाठ, पुराणों एवं वेदों की ऋचाएँ, किन्नर, यक्ष, नगर देवता , ग्राम देवता, कुल देवता, अग्निहोत्र, हवनकुण्ड एवं हवन पद्धतियाँ के लिए विख्यात है। यहाँ के शङ्कराचार्य एवं मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ, स्वयंवर पद्धति, आदिवासियों में प्रचलित उपासना एवं उपाचार पद्धति को कौन नहीं जानता है। यहाँ तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीम, चैतन्य महाप्रभु आदि के द्वारा ईश्वर की महिमा लोक कंठ में विद्यमान है। भारत में परमहंस-विवेकानन्द, द्रोणाचार्य-अर्जुन, विश्वामित्र-राम, चाणक्य-चन्द्रगुप्त जैसे गुरु शिष्य की जोड़ी का गौरव रहा है।

श्रीमद्भागवद्गीता में धर्म की व्याख्या- यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत। अभ्युत्थानं त धर्मस्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। (4.7) **और** बुद्ध के पञ्चशील सिद्धान्त आज भी प्रासंगिक है। हमारी तमाम जीवन पद्धतियाँ, विधियाँ, परम्परा सन्तुलन के प्रतीक रहे हैं, जो समग्रता या समावेशी होने के परिचायक हैं।

प्राचीन ग्रन्थों का प्रभाव- हमारे वैदिक वाङ्मय में विज्ञान, खगोल, नैतिक शिक्षा, राजनीतिक, आर्थिक, ज्योतिष, व्याकरण, भूगोल आदि सभी विषयों का अध्ययन प्राचीन काल से ही समाविष्ट है।

वेद- विश्व का सबसे प्राचीन वाङ्मय वेद हैं। वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता हैं। वेद किसी व्यक्ति विशेष की कृति नहीं है। वेद अपौरूषेय हैं। वेदों की संख्या चार है।

1. **ऋग्वेद-** ऋग्वेद विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंन्थ है। पतञ्जली ने इसकी 21 शाखाएँ बतलाई गई है। इनमें शाकल, वाष्कल, शाङ्खायन , माण्डूकायन, आश्वालयन प्रमुख हैं। ऋग्वेद में 10 मण्डल व 1028 सूक्त हैं। ऐतरेय एवं शाङ्खायन इसके ब्राह्मण ग्रन्थ हैं तथा ऐतरेय, कौषितकि, बाष्कल आदि इसके उपनिषद हैं।

2. **यजुर्वेद-** इसमें कर्मकाण्ड, अनुष्ठान आदि का वर्णन है। इसकी दो शाखाएँ कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद हैं। महर्षि पंतजलि ने 101 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें से 5 शाखाएँ- काठक, माध्यन्दिनी, काण्व, तैत्तिरीय, कपिष्ठल वर्तमान में उपलब्ध हैं। शतपथ, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल आदि इसके ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। वृहदारण्यक,तैत्तिरीय,ईशावास्योपनिषद् आदि यजुर्वेद के उपनिषद् हैं।

चित्र- 10.2 चार वेद

3. **सामवेद-** सामवेद में गायन सम्बन्धित मन्त्र हैं। इसकी वर्तमान में तीन शाखाएँ उपलब्ध है- राणायनीय, कौथुम, जैमिनीय। प्रौढ, वंश, षड्विंश, सामविधान, देवताध्याय, जैमिनीय इसके ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। छान्दोग्य इसका उपनिषद् है।

4. **अथर्ववेद-** इस वेद का संकलन सबसे बाद में हुआ था। इसमें अर्थ व्यवस्था, तन्त्र, मन्त्र,जादू टोने आदि का वर्णन है। प्राचीन काल में इसे **अथर्वाङ्गिरस** कहा जाता था। अथर्ववेद की वर्तमान में पैप्पलाद व शौनक दो शाखाएँ उपलब्ध हैं। गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रन्थ है एवं मुण्डक, माण्डूक्य, प्रश्नोपनिषद इसके उपनिषद् हैं।

वेदों का महत्व- धार्मिक दृष्टि से वेद सर्वोपरि हैं। वेदों के जिज्ञासु वेदों को ही परम प्रमाण मानते हैं- **'धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः'(मनु स्मृति** 2.13) दार्शनिक दृष्टि से सभी आस्तिक दर्शन अपना मूल स्रोत वेद को मानते हैं। वेदान्त में श्रुति को प्रत्यक्ष कहा है क्योंकि उसके प्रमाण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी विभिन्न संस्थाओं का मूल आविर्भाव भारतीय परम्परा के अनुसार वेदों से ही हुआ है। वर्ण व्यवस्था का मूल पुरूष सूक्त में है। तैत्तिरीय संहिता में 300 व्यवसायों का वर्णन है। राष्ट्र रक्षा, उसके विविध उपायों, विभिन्न शासन प्रणालियों, संस्थाओं और सिद्धान्तों का विवरण वेदों में है । एक परिवार में विभिन्न व्यवसाय वाले लोग किस प्रकार सुख शान्ति और सोमनस्य (प्रेम) से रह सकते है, इसकी जानकारी ऋग्वेद के इस मन्त्र से मिलती है- **कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षणी नना। नानाधियो वसूयवो ऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्द्रो परि स्रव।।** (9.112.3) अर्थात् में मन्त्र समूहों की रचना करने वाला कवि हूँ। मेरा पुत्र वैद्य है , मेरी कन्या बालू से जौ सेकती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न लोग एक साथ रहते हैं। विश्व के अनेक देशों के विद्वान भी वेदों के ज्ञान एवं गुणों से प्रभावित हुए हैं।

ब्राह्मण ग्रन्थ- ब्राह्मण ग्रन्थ इतिहास, धर्म-संस्कृति, प्राचीन विज्ञान, सृष्टि प्रक्रिया, आचार दर्शन, भाषा शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से भारतीय वाङ्मय की विशिष्ट निधि हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों की सर्वाधिक उपादेयता यज्ञ संस्था के उद्भव और विकास को समझने की दृष्टि से है। ब्राह्मण ग्रन्थ वैदिक और लौकिक साहित्य के मध्य सेतु स्वरूप हैं ।

आरण्यक- ये वेदों के गद्य खण्ड है। इनका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय प्राण विद्या तथा प्रतीकोपासना है। सम्प्रति में 6 आरण्यक उपलब्ध हैं। ऐतरेय, शाङ्खायन, वृहदाराण्यक, तैत्तिरीय, कौषीतकि, तलवकार प्रमुख आरण्यक हैं। नैतिकता तथा आचार दर्शन की दृष्टि से आरण्यक ग्रन्थ मानव समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

उपनिषद्- वैदिक वाङ्मय का तीसरा महत्वपूर्ण भाग उपनिषद् हैं। उपनिषद् का अर्थ है गुरु के समीप (रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति के लिए) बैठना अर्थात् उपनिषद् साहित्य में जीवन और जगद् का रहस्योद्घाटन हैं। उपनिषदों में भारतीय धर्म और दर्शन की सभी परवर्ती पद्धतियों का मूल निहित है। ब्राह्मण ग्रन्थों और आरण्यकों को कर्मकाण्ड और उपनिषदों को ज्ञानकाण्ड कहा जाता है। उपनिषदों पर आज तक जितनी भाषावृतियाँ व टीकाएँ लिखी गई हैं, कदाचित उतनी किसी दूसरे साहित्य पर लिखी गई हों। वास्तव में उपनिषदों का प्रत्येक वचन अमर और प्रतापमय वाणी है।अत: स्पष्ट है कि वैदिक वाङ्मय में उपनिषद् सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। पाश्चात्य धर्मावलम्बियों और विचारकों के लिए भी ये प्रबल आर्कषण व अध्ययन के केन्द्र रहे हैं।

इसे भी जानें-

- प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र का उल्लेख ऋग्वेद तृतीय मण्डल में है।
- जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने वेदों से प्रभावित होकर कहा कि यावत स्थास्थन्ति गिरय: सरितश्च महीतले। तावद् ऋग्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति।। अर्थात् जब तक पृथिवी पर पहाड़ व नदियाँ रहेगीं, तब तक विश्व में वेद की महिमा रहेगी।
- दारा शिकोह (शाहजहाँ का पुत्र) उपनिषदों से अत्यन्त प्रभावित था।
  विदेशी महिला एनीबेसेन्ट ने भारतीयता ग्रहण करने के बाद कहा था कि 'व्यक्तिगत रूप से मैं उपनिषद् को मानव चेतना का सर्वोच्च फल मानती हूँ'।

चित्र- 10.3 वाल्मीकि

विद्वानों ने उपनिषदों की संख्या 108 बतलाई है।ईशावास्य, केनोपनिषद्, कठोपनिषद्, प्रश्नोपनिषद्, मुण्डकोपनिषद्, माण्डूक्य उपनिषद्, ऐतरेय उपनिषद्, छान्दोग्य उपनिषद्, बृहदारण्यक उपनिषद् एवं श्वेताश्वतर उपनिषद् प्रमुख हैं।

महाकाव्य- जिस प्रकार युनानी संस्कृति में **इलियड** और **औडेसी** का स्थान है, उसी प्रकार प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में **रामायण और 'महाभारत'** का स्थान है। प्राचीन आर्यों की धार्मिक अनुश्रुति और परम्परा वेदों,

ब्राह्मणों और उपनिषदों में संग्रहित है, उसी प्रकार उनकी ऐतिहासिक गाथाएँ आख्यान और अनुश्रुति, रामायण और महाभारत में संगृहित है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। रामायण आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। रामायण में पारिवारिक जीवन के उच्चतम आदर्शों व एक आदर्श राजा, पत्नि, भाई, मित्र के कर्तव्यों का विशद् विवेचन किया गया है।

महाभारत (जयसंहिता) को भारतीय ज्ञान का विश्वकोष कहा जाता है, जिसकी रचना **महर्षि वेदव्यास** ने की थी। विश्व के सबसे बड़े इस महाकाव्य में एक लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत में एक ओर तो राजनीति का विशद् वर्णन हैं, दूसरी और नैतिक आचरण का क्रियात्मक विवेचन, तीसरी ओर ऋषियों, देवी-देवताओं एवं वीर धार्मिक नरेशों का यशोगान और कौरव-पाण्डवों की नीति-अनीति का व्याख्यान है।

चित्र- 10.4 महर्षि वेद व्यास

गाँधीजी के विचार एवं दर्शन- महात्मा गाँधीजी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं अनुकरणीय हैं, जितने अपने समय में थे। गाँधीजी जी का बचपन, उनके सामाजिक एवं राजनीतिक विचार, सर्वोदय, सत्याग्रह, खादी ग्रामोद्योग, महिला शिक्षा, अस्पृश्यता, स्वालम्बन एवं अन्य सामाजिक चेतना के विषय आज के युवाओं के शोध एवं शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र हैं। मैं अपने पुत्र मुकुल को संस्कृत का पाठ पढ़ा रहा था, किन्तु उसका मन नहीं लग रहा था। मैनें उबाऊ वातावरण को बदलने के लिए उससे कहा कि अच्छा एक पहेली बताओ। एक धोती, हाथ में लकड़ी, आँखों पर चश्मा। मेरी पहेली के पूरा होने से पहले वह बोल पड़ा- गाँधीजी! सरलता की पराकाष्ठा का व्यक्तित्व एवं जीवन वर्तमान के सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्ताराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उतना ही प्रासंगिक हैं, जितना सौ साल पहले था। हम विकास के पथ पर कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाएँ परन्तु गाँधीजी के सिद्धान्तों एवं उनके दर्शन को नकारना असम्भव है। जब भी भारतीय समाज की बात होती है तो गाँधीजी दर्शन के बिना अधूरी रहती है।

इसे भी जानें-

- रामायण पर आधारित गोस्वामी तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस' अवधी भाषा में लिखा हुआ है जो आज हर भारतीय के घर में आसानी से मिल जाता है, जो इसके प्रभाव को जनमानस में स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। महाभारत को पञ्चम वेद माना जाता है।

वर्तमान में गाँधी दर्शन की महत्ता एवं उपयोगिता- गाँधीजी जी के दर्शन का मुख्य आधार सत्य और अंहिसा है। गाँधीजी कहते थे कि **बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो**। वे अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाले को बड़ा दोषी मानते थे। वर्तमान आईटी प्रोफेशनल के लिए गाँधीजी मैंनजमेंट

गुरु हैं। वे हमेशा आर्थिक मजबूती के पक्षधर रहे हैं। गाँधीजी ने हमेशा पूँजीवादी विचारधारा का विरोध किया था। उनकी अर्थव्यवस्था के केन्द्र बिन्दु गाँव थे। ग्रामीण बेरोजगारों का शहर की ओर पलायन करना भारत की ज्वलन्त समस्या है। इसका निराकरण सिर्फ कुटीर-उद्योग लगाकर ही किया जा सकता है।

गाँधीजी का मानना था कि समाज में शांति की स्थापना तभी सम्भव है, जब व्यक्ति भावनात्मक समानता एवं आत्मसंतोष प्राप्त कर लेगा। उन्होंने युवाओं के लिए स्वराज्य को सबसे बड़ा आत्मानुशासन, सत्याग्रह को सबसे बड़ा व्रत, अहिंसा को सबसे बड़ा अस्त्र व शिक्षा को सबसे बड़ी नैतिकता माना है। आज उच्च शिक्षित वर्ग से ये पूछा जाये कि आपके जीवन में क्या गाँधी दर्शन की प्रासंगिकता है ? तो अधिकतर का जवाब होगा हाँ । गाँधीजी की जीवनी 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' हमारे अन्दर आत्मबल एवं ऊर्जा का सञ्चार करती है। गाँधीजी के सत्य, अंहिसा एवं सविनय अवज्ञा को सम्पूर्ण विश्व वर्तमान समय में भी मानता है।

गाँधीजी एवं युवा पीढ़ी- भारतीय युवा हमेशा से गाँधीजी के चिन्तन का केन्द्र बिन्दु रहा है। वर्तमान युवा पाश्चात्य प्रभावों से प्रभावित हैं, ऐसी परिस्थितियों में गाँधीजी के विचारों की सर्वाधिक आवश्यकता आज के युवाओं को है। गाँधीजी हमेशा युवाओं से रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा रखते थे। गाँधीजी ने हमेशा से युवाओं को वंचित समूहों के उत्थान के लिए प्रेरित किया था। वे व्यक्तिगत घृणा के हमेशा विरोधी रहे हैं। उनका कथन था- **'हमें, शैतान से प्यार करते हुए शैतानी से घृणा करनी होगी'**। गाँधीजी जी युवाओं को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा औजार मानते थे। आज भारत में युवाओं के सामने ऐसे आदर्श व्यक्तियों की कमी है, जिसे वो अपना रोल मॉडल बना सकें। सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा देने में गाँधीजी के सिद्धान्त एवं उनका दर्शन हमारे युवाओं का मार्गदर्शक है। उस समय के साहित्य पर भी गाँधीजी दर्शन का स्पष्ट प्रभाव था।

इसे भी जानें-

- मैथिलीशरण गुप्त की भारत भारती, प्रेमचन्द्र की रङ्गभूमि, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, रामधारीसिंह दिनकर की मेरे नगपति मेरे विशाल, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी आदि साहित्यक रचनाएँ गाँधी दर्शन से प्रेरित रही हैं।
- जी.एस.एल.वी. मार्क-2 प्रोजेक्ट के सफल हो जाने से अब भारत सेटेलाइट प्रतिस्थापित करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है।

प्रौद्योगिकी विकास- वर्तमान में भारतीयों ने प्रौद्योगिकी ज्ञान में बहुत उन्नति की है। 1974 ई.और 1998 ई. के परमाणु परीक्षण, सेटेलाइट प्रक्षेपण और 24 सितम्बर, 2014 ई.में भारत ने अपने प्रथम प्रयास में **मङ्गलयान** को **मङ्गल ग्रह** की कक्षा में पहुँचाना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं।

निष्कर्ष- भारतीय संस्कृति को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य पुरातन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। आधुनिक समय में दयानन्द सरस्वती, स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, पं. मदनमोहन मालवीय आदि अनेक प्रबुद्ध जनों ने इसकी ख्याति की ध्वजा विश्व पटल पर फहराई है। देश में अनेक मठ आश्रमों एवं मन्दिरों के द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, इसके उदाहरण हमें काशी, मथुरा, वृन्दावन, पुष्कर, अयोध्या, उज्जैन, तिरूपति आदि धार्मिक शहरों में मिलते हैं। पश्चिमी राष्ट्र शान्ति एवं शुकुन की खोज में भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं तथा आश्रमों, मठों, योग केन्द्रों की स्थापना कर रहे हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. अन्ताराष्ट्रीय योग दिवस.....को मनाया जाता है।
   - अ. 30 जून
   - ब. 21 जून
   - स. 5 जुलाई
   - द. 11 मई
2. ऋग्वेद के उपवेद का नाम..... है।
   - अ. धनुर्वेद
   - ब. सामवेद
   - स. आयुर्वेद
   - द. उपर्युक्त सभी
3. पुराणों में अमेरिका को ..... कहा गया है।
   - अ. पाताल लोक
   - ब. स्वर्गलोक
   - स. मृत्युलोक
   - द. इनमें से कोई नहीं
4. गाँधीजी ने सबसे बड़ी नैतिकता.....को माना है।
   - अ. अहिंसा
   - ब. शिक्षा
   - स. व्रत
   - द. सत्याग्रह

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. उपनिषद् ..... हैं। (105/108)
2. महाभारत को ..... नाम से भी जाना जाता है। (जय संहिता/विजय संहिता)
3. अर्जुन के गुरु ..... थे। (द्रोणाचार्य/परमहंस)
4. गाँधीजी की आत्मकथा ..... है। (सत्य के साथ मेरे प्रयोग/ हरिजन)

सत्य/असत्य बताइए -

1. भारत ने वर्ष 2015 में मङ्गलयान भेजा था। सत्य/असत्य
2. गाँधीजी ने सत्याग्रह को सबसे बड़ा व्रत बताया था। सत्य/असत्य

3. कोरोना को कोविड-19 नाम दिया गया। सत्य/असत्य

4. महर्षि पतञ्जलि को योग दर्शन के प्रणेता हैं। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए -

1.	ऋग्वेद	क. ईशावास्योपनिषद्
2.	यजुर्वेद	ख. वास्कल उपनिषद्
3.	सामवेद	ग. माण्डूक्य उपनिषद्
4.	अथर्ववेद	घ. छान्दोग्य उपनिषद्

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक कौन थे ?
2. हमारे प्राचीन महाकाव्यों के नाम लिखिए।
3. रामायण की रचना किसने की थी?
4. प्रमुख ब्राह्मण ग्रन्थों के नाम बताइए।
5. विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. आध्यात्मिकता किसे कहते है ?
2. योग के विभिन्न अंगों का वर्णन करो ?
3. रामायण में निहित आदर्शों को स्पष्ट कीजिए।
4. आयुर्वेद का दैनिक जीवन में क्या महत्व है ?
5. आरण्यक ग्रन्थों के बारे में लिखिए ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में गाँधी दर्शन की महत्ता का उल्लेख कीजिए ।
2. हमारे दैनिक जीवन में योग और आयुर्वेद के महत्त्व को समझाइए?

परियोजना-

1. संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रन्थों की सूची बनाइए।

वेद विभूषण द्वितीय वर्ष

राजनीति शास्त्र

अध्याय - 11

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस

इस अध्याय में- शीत युद्ध, सीमित परमाणु परीक्षण एवं अस्त्र नियन्त्रण की प्रमुख सन्धियाँ, दो ध्रुवीयता और गुटनिरपेक्षता, नव अन्ताराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, भारत और शीत युद्ध, दो ध्रुवीयता का अन्त, सोवियत संघ का विघटन, संघर्ष और तनाव, विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, नई विश्व व्यवस्था का आरम्भ।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में अमेरिका और सोवियत रूस का महाशक्तियों के रूप में उदय हुआ था, जो परस्पर एक-दूसरे की विचारधारा की विरोधी थीं। इनमें से एक पूँजीवाद की समर्थक थी, तो दूसरी साम्यवाद की। इन महाशक्तियों ने विश्व को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित किया था, जिसका विस्तृत अध्ययन हम शीत युद्ध, दो ध्रुवीयता का अन्त, अमेरिकी वर्चस्व बिन्दुओं के अन्तर्गत करेंगे।

शीत युद्ध- जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अगस्त, 1945 ई. में अमेरिका के परमाणु आक्रमण के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध का अन्त हुआ था। इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली और जापान) की हार हुई और मित्र राष्ट्रों (सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रान्स आदि) की विजय हुई थी। अमेरिका यह जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में यह परमाणु हमला आवश्यक नहीं था। इस कार्यवाही को विश्व में अमेरिकी शक्ति के परचम को लहराने तथा सोवियत संघ को एशिया और अन्य क्षेत्रों, सैन्य और राजनीतिक लाभ से वंचित करने के रूप में देखा जाने लगा था। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मित्र-राष्ट्रों में पड़ी फूट के कारण विश्व के राजनीतिक मंच पर सोवियत संघ व अमेरिका का महाशक्तियों के रूप में उदय हुआ। आपसी प्रतिस्पर्धा ने अन्ताराष्ट्रीय राजनीति में **'शीत युद्ध'** नाम से नए विचार को जन्म दिया था, जिसे वैचारिक या कागजी युद्ध भी कहा जाता है। शीत युद्ध का काल 1947 से 1990 ई. तक माना जाता है। दोनों ही महाशक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में शामिल होकर परस्पर वाक् संघर्षों, चालबाजियों, स्वहित चिन्तन के साथ एक- दूसरे को कमजोर बनाने के प्रयत्न में कर रही थीं।

ग्रीब्स के अनुसार- शीतयुद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है, जो सशस्त्र सैन्य युद्ध से कुछ अलग हटकर है।

मानचित्र- 11.1 शीतयुद्ध के दौरान यूरोप दो प्रतिद्वन्द्वी गठबन्धनों में बट गया था

शीतयुद्ध की विशेषताएँ- शीतयुद्ध दो महाशक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष के बीच शक्ति सन्तुलन और तनाव शैथिल्य का कारण बना था। शीत युद्ध, वैचारिक स्तर पर सम्पूर्ण विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को एक सूत्र में बाँधने की सैद्धान्तिक श्रेष्ठता की लड़ाई थी। दो ध्रुवीय सिद्धान्त के अन्तर्गत उदारवादी लोकतन्त्र और पूँजीवादी विचारधारा का नेतृत्त्व अमेरिका कर रहा था। वहीं दूसरी ओर पूर्वीगुट जो समाजवाद और साम्यवाद के लिए प्रतिबद्ध था का नेतृत्त्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वन्दिता और तनाव के बाद भी शीतयुद्ध भयावह युद्ध स्थिति को टालने में मददगार रहा था।

अपरोध- अपरोध से तात्पर्य रोक और सन्तुलन से है। शीतयुद्ध काल में दोनों महाशक्तियों और सम्बन्धित गुटीय देशों के पास एक-दूसरे के मुकाबले परस्पर नुकसान पहुँचाने की क्षमता थी। ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता था। इस कारण गहन प्रतिद्वन्दिता के बाद भी शीतयुद्ध रक्तरंजित युद्ध का रूप न ले सका।

दो ध्रुवीयता- द्वितीय विश्वयुद्ध के अनन्तर दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न भागों में अपना प्रभाव बढ़ाने लगीं थी। लगभग सम्पूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अमेरिका और पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया था। अप्रैल, 1948 ई. में पश्चिमी गुट, के 12 देशों ने स्वयं को उत्तर अटलांटिक संधि द्वारा सङ्गठित किया था, जिसे 'नाटो' कहा जाता है।

1955 ई. में सोवियत संघ के नेतृत्त्व वाले पूर्वी गुट ने वार्सा सन्धि के द्वारा स्वयं को सङ्गठित किया था, जिसे वार्सा सन्धि गुट कहा गया था। इस गुट का उद्देश्य नाटों संघ में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। गुटीय विस्तार के लिए महाशक्तियों ने कुछ देशों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया था।

शीतयुद्ध के क्षेत्र - शीत युद्ध के क्षेत्र से तात्पर्य द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात महाशक्तियों और उनके गुटों के मध्य कुछ क्षेत्रों में हुए खूनी संघर्ष, महाशक्तियों में राजनयिक असंवाद और बढ़े वैमनस्य के बाद भी विश्वव्यापी युद्ध का रूप धारण न करने से है। उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच भारत की मध्यस्थता, कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस काल में महाशक्तियों ने अन्ताराष्ट्रीय मामलों में संयम और जिम्मेदारी का व्यवहार किया और शीतयुद्ध का क्षेत्र बदलता रहा।

सीमित परमाणु परीक्षण एवं अस्त्र नियन्त्रण की प्रमुख सन्धियाँ- परमाणु परीक्षणों को प्रतिबन्धित करने वाली **सीमित परमाणु परीक्षण सन्धि** (L.T.B.T.) अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के हस्ताक्षर के साथ 10 अक्टूबर, 1963 ई. को सम्पन्न हुई थी। 1967 ई. से पूर्व परमाणु शक्ति सम्पन्न पाँच देशों- अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन को परमाणु हथियार रखने और विस्फोट करने का अधिकारी माना गया था। 1 जुलाई, 1968 ई. को वाशिंगटन, लन्दन और मास्को में **परमाणु अप्रसार सन्धि** (N.P.T.) पर सहमति बनी थी और यह 5 मार्च, 1970 ई. से यह प्रभावी हो गई थी।

सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता श्रृंखला- इसका प्रथम चरण 1969 ई. के नवंबर में प्रारम्भ हुआ था। 26 मई, 1972 ई. को मास्को में अमेरिका और सोवियत संघ ने **परमाणु मिसाइल परिसीमन सन्धि** तथा **सामरिक घातक हथियारों के परिसीमन** पर अन्तरिम समझौते के अन्तर्गत हस्ताक्षर किए थे। द्वितीय चरण का आरम्भ नवम्बर 1972 ई. में प्रारम्भ हुआ था। 18 जून, 1979 ई. को अमेरिका और सोवियत संघ ने वियना में सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन सन्धि पर हस्ताक्षर किए थे। तृतीय चरण 31 जुलाई 1991 में **सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण-I सन्धि** पर अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए थे। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण- II सन्धि पर 3 जनवरी, 1993 ई. को मास्को में रूस और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षर किए थे।

दो ध्रुवीयता और गुटनिरपेक्षता- दो बड़े राजनीतिक गुटों में विभाजित विश्व, शीतयुद्ध काल में वैश्विक शान्ति के लिए बड़ी चुनौती था। इस काल में एशिया और अफ्रीका तथा लातिनी अमेरिका के नव स्वतन्त्र देशों को गुटनिरपेक्षता के रूप में तीसरा विकल्प मिला था। यह महाशक्तियों की गुटबन्दी में शामिल न होने का आन्दोलन है। इस आन्दोलन की जड़ें युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्त्र के अब्दुल नासिर की मित्रता में निहित थीं। इसका प्रथम सम्मेलन 1961 ई. में बेलग्रेड

में हुआ था, जिसमें मात्र 25 देश शामिल थे। 2016 के वेनेजुएला में सम्पन्न सत्रहवें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे, जो गुट निरपेक्ष आन्दोलन की अन्ताराष्ट्रीय लोकप्रियता को दर्शाता है।

नव अन्ताराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में शामिल अधिकांश देश विकासशील थे, जिनका उद्देश्य स्वयं को आर्थिक रुप से उन्नत बनाकर गरीबी स्तर से उबरने का था। इस परिप्रेक्ष्य के साथ अन्ताराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था। 1972 ई. में अंकटाड में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास सम्मेलन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्रावधान किया गया कि विकासशील देशों को अब अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण प्राप्त होगा। इन देशों की पहुँच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी।पश्चिमी देशों से आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी तथा ऐसे देशों के अन्ताराष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों की भूमिका बढ़ेगी।

भारत और शीत युद्ध- शीत युद्ध काल में भारत की भूमिका दो रूपों में रही थी। प्रथम, भारत सजग और सचेत रहकर गुटबन्दी से दूर रहा था। दूसरा, नवोदित राष्ट्रों के भी गुटबन्दी में शामिल होने का पुरजोर विरोध किया था। गुटनिरपेक्षता की नीति के अन्तर्गत भारत ने शीतयुद्ध काल में प्रतिद्वन्दिता और गुटबन्दी की जकडन को ढीला करते हुए, अन्ताराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, साथ ही सदस्य देशों को भी इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया था। अतः लोगों ने गुटनिरपेक्षता को अन्ताराष्ट्रीय राजनीति में एक उदार आदर्श माना था। गुटनिरपेक्ष नीति के कारण ही भारत अनेक ऐसे निर्णय ले सका, जो उसके हित में रहे और कोई भी महाशक्ति न तो अनुचित दबाव डाल पायी और न ही भारत की अनदेखी कर पाई थी। अपनी गुट निरपेक्ष नीति के कारण वर्तमान में रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रारम्भ में भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने में सफल रहा था। अतः स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता अन्ताराष्ट्रीय आन्दोलन और भारत की विदेश नीति की मूलभावना में विद्यमान रही है।

दो ध्रुवीयता का अन्त- 1917 ई. की बोल्शेविक क्रान्ति विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, जिसने रूस में नव राजनीतिक एवं आर्थिक सोवियत व्यवस्था को जन्म दिया था। वैचारिक रूप से साम्यवाद का सोवियत संघ और पूँजीवाद का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। सोवियत संघ के प्रभाव वाले पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना हुई थी। दक्षिण-एशिया के चीन में 1949 ई. में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। 1949 ई. में विभाजित पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के केन्द्र बर्लिन में 1961 ई. में 150 किमी. लम्बी दीवार खड़ी की गई थी, जो शीतयुद्ध का प्रतीक थी।

सोवियत प्रणाली क्या थी?- सोवियत प्रणाली से आशय समाजवादी और समतामूलक समाज के आधार पर साम्यवादी शासन व्यवस्था से है। 1917 ई. के वाल्शेविक क्रान्ति के पश्चात 15 गणराज्यों को, जहाँ

60 से अधिक राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहते थे, मिलाकर सोवियत संघ स्थापित हुआ था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरकार के नियन्त्रण में थी। बुनियादी आवश्यकताओं- शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य लोककल्याण की सामग्रियों को सरकार न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराने लगी थी। कोई बेरोजगार नहीं था। समय के साथ सोवियत व्यवस्था में नौकरशाही का बन्धन कड़ा होकर, शासन व्यवस्था सत्तावादी बन गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुशता के कारण जनजीवन कठिन हो गया था। जनता स्वयं को उपेक्षित और दमित समझने लगी थी। हथियारों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सोवियत संघ, अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा था, परन्तु इस प्रयास में वह आर्थिक रूप से पिछड़ता भी जा रहा था। 1970 के दशक से वहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी।

सोवियत संघ का विघटन- 1988 ई. में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने पश्चिमी देशों से सम्बन्ध सामान्य करने और देश को लोकतान्त्रिक स्वरूप देने तथा अन्य सुधार करने का निर्णय लिया था। अब पूर्वी यूरोप के देशों की जनता, अपनी कम्युनिस्ट सरकारों और सोवियत संघ के नियन्त्रण का विरोध करने लगी थी। परन्तु गोर्बाचेव सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और कम्युनिस्ट सरकार गिरने लगी थीं। इन घटनाओं के कारण सोवियत संघ की केन्द्रीय व्यवस्था कमजोर हो गई थी। 1991 ई. में तख्तापलट को कम्युनिस्ट गरम पन्थियों ने बढ़ावा दिया था। नए उभरते नेता बोरिस येल्तसिन ने इसका विरोध किया था। रूसी गणराज्य में आम चुनाव जीतने के बाद उन्होंने केन्द्रीयकृत नियन्त्रण को मानने से इन्कार कर दिया था। 25 दिसम्बर, 1991 ई. को सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 नए देश बन गए थे। उसके तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा कर दी थी। 1994 ई. में बुडापेस्ट में हुए एक समझौते के अन्तर्गत परमाणु सम्पन्न देश रूस, अमेरिका, ब्रिटेन ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारन्टी देकर उसके परमाणु हथियार नष्ट करवा दिए थे। उसी रूस ने आज यूक्रेन पर हमला कर दिया है। सोवियत विघटन के बाद बोरिस येल्तसिन, दमित्री मेदवेदेव व ब्लादिमीर पुतिन अब तक रूस के राष्ट्रपति रहे हैं।

रूस में शॉक थेरेपी- शॉक थेरेपी में आघात द्वारा रोगी का उपचार किया जाता है। नए रूस में व्यवस्था परिवर्तन एवं कायापलट की दृष्टि से लागू की गई राजनीतिक, आर्थिक तथा लोकतान्त्रिक नीतियों को शॉक थेरेपी कहा गया है। इसके फलस्वरूप समाजवाद का स्थान पूँजीवाद ने ले लिया है।

संघर्ष और तनाव- सोवियत संघ के विघटन के पश्चात बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप के कारण चेचेन्या, दागिस्तान, तजाकिस्तान और किरगिस्तान आदि की स्थिति संघर्ष और तनावपूर्ण हो गई थी। इस संघर्ष का मुख्य कारण इन गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों के विशाल भण्डार आर्थिक लाभ के क्षेत्र हैं। अतः इन क्षेत्रों में बाह्य शक्तियों और तेल कम्पनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। 11 सितम्बर, 2001

ई. के बाद अमेरिका ने किराये के सैनिक अड्डे बनाने के लिए पश्चिमी और मध्य एशियाई देशों को अत्यधिक राशि का भुगतान किया है। इराक युद्ध के समय इन क्षेत्रों से उसने हवाई उड़ान की अनुमति ली थी। ये राज्य रूस के निकट हैं अतः रूस इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव मानता है। चीन के हित भी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।

विश्व में अमेरिकी वर्चस्व- वर्चस्व से आशय दूसरों के व्यवहारों को नियन्त्रित करने वाली क्षमताओं से है, जिसके द्वारा हम इच्छानुसार कार्य करा सकने में समर्थ होते हैं। वर्चस्व अमूर्त होता है, इसे अनुमान और प्रभावों से समझा जा सकता है। 1990 ई. के खाड़ी युद्ध के समय ही स्पष्ट हो गया था कि सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका अन्य देशों से बहुत आगे है। शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ, इसलिए 1991 ई. के बाद के काल को अन्ताराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व या एकल ध्रुवीय विश्व का काल कहा जाता है। विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व को हम निम्न बिन्दुओं से समझ सकते हैं।

- **अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश (सीनियर) ने 1990 के दशक की वैश्विक घटनाओं को 'नई विश्व व्यवस्था' कहा था।**
- **ऑपरेशन इराकी फ्रीडम- संयुक्त राष्ट्र संघ की अवेहलना करते हुए,19 मार्च, 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से इराक पर आक्रमण किया था। अमेरिका के इस युद्ध को 'ऑपरेशन इराकी फ्रीडम' कहा जाता है।**
- **इस युद्ध में अमेरिकी गठबन्धन के 40 से अधिक देश सम्मिलित हुए थे। अमेरिका ने इस युद्ध का उद्देश्य इराक द्वारा सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से रोकना बताया था। लेकिन इस हमले के पीछे अमेरिका का मुख्य उद्देश्य इराक के तेल भण्डारों पर नियन्त्रण कर, इराक में अपनी मनपसन्द सरकार बनाना था।**

1. **सैन्य वर्चस्व-** सैन्य शक्ति के चार प्रमुख कारक युद्ध तकनीकी, सेना व शस्त्र, गुप्तचर विभाग और सैन्य नेतृत्व होते हैं। इन सभी क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य शक्ति विश्व की सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्ति है। विश्व के 12 शक्तिशाली देशों का अपनी सैन्य क्षमताओं के विकास पर, जितना खर्च होता हैं, उससे कहीं अधिक अमेरिका का रक्षा बजट होता है। अतः सैन्य और रक्षा विकास के क्षेत्र में अन्य देश अमेरिका के समकक्ष अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। अमेरिका ने अनेक बार अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जैसे - इराक और अफगानिस्तान पर आक्रमण परन्तु वह इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था स्तापित करने में असफल रहा है।
2. **आर्थिक वर्चस्व-** आर्थिक वर्चस्व से आशय वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेष समझ से है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में खुले बाजार में अन्य प्रतियोगी देशों को लाभ तो मिलता है परन्तु व्यवस्था को बनाए

रखने में उनका कोई व्यय नहीं होता है। आर्थिक सम्पन्नता और संसाधन वर्चस्व के प्रमुख अङ्ग हैं। संसाधन के रूप में भू-विस्तार, जनसंख्या, खाद्यान्न, खनिज सामग्री और औद्योगिक विकास शामिल हैं। समुद्री व्यापार, समुद्री मार्ग, इण्टरनेट, हवाई-मार्ग, सार्वजनिक वस्तुओं से वैश्विक तन्त्र का निर्माण होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विश्वभर में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका और यूरोपीय संघ की लगभग 15.5% की हिस्सेदारी है। आज दुनिया के अधिकांश देशों का व्यापार अमेरिका के साथ होता है।

3. **सांस्कृतिक वर्चस्व-** आज अमेरिकी वर्चस्व का एक कारण सांस्कृतिक और वैचारिक उपस्थिति है। वर्तमान में विचारधारा के रूप में उदारवाद, लोकतन्त्र, खानपान के क्षेत्र में पेप्सी, फास्ट-फूड, मेक्डॉनल्ड, खरीददारी के क्षेत्र में शापिंग माल्स, पहनावे में जिन्स आज लोगों में अतिलोकप्रिय हैं, जो अमेरिकी संस्कृति के प्रमुख भाग हैं। आज विविध रूपों में अमेरिका की उपस्थिति सम्पूर्ण विश्व में है।

नई विश्व व्यवस्था का आरम्भ- 1990 ई. में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। इराक को समझाने की राजनैतिक कोशिशें असफल होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत की स्वतन्त्रता के लिए इराक पर बल प्रयोग की अनुमति दी थी, जिसे **ऑपरेशन डेजर्ट** कहा गया था।इस युद्ध में अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक सफलता से इराक पर नए शस्त्रों का सफल प्रयोग किया था। पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी थी। अमेरिका ने इस युद्ध में जितना व्यय किया था, उससे अधिक लाभ उसे जर्मनी, जापान और अरब देशों से मिला था।

यूगोस्लाविया द्वारा अपने कोसोवो प्रान्त में अलबीनियाई नागरिकों के आन्दोलन का दमन करने के लिए पर कार्यवाही की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन ने इसे मानवाधिकार का उल्लघंन मानकर नाटो सेना ने 1999 ई. में यूगोस्लाविया पर आक्रमण कर कोसोवो पर अधिकार कर लिया था। इस समय की दूसरी बड़ी सैन्य कार्यवाही 1998 ई. में नैरोबी और दारे-सलाम में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी के जवाब में अमेरिका ने अंतार्राष्ट्रीय कानूनों को ठुकराते हुए सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी थीं। इस घटना क्रम के अन्तराल में अन्तार्राष्ट्रीय बिरादरी चुप रही थी। पलटवार करते हुए अलकायदा ने 11 सितम्बर, 2001 ई. को अपने 19 अपहर्ताओं की मदद से चार व्यावसायिक अमेरिकी विमानों का अपहरण कर, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर और अर्लिंगटन के पेंटागन भवन को विमानों की टक्कर से उड़ा दिया था। इस घटना से अमेरिका के साथ सम्पूर्ण विश्व सकते में आ गया था । इसके जवाब में अमेरिका ने **आपरेशन एन्ड्यूरिंग फ्रीडम** व 2003

ई. में 'आपरेशन इराकी फ्रीडम' चलाया था। इस विवरण से स्पष्ट होता कि विश्व राजनीति में किस प्रकार सभी क्षेत्रों में अमेरिकी वर्चस्व बना हुआ है। इसी कारण इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। वर्चस्व का प्रयोग भी इसीलिए किया गया कि है कि अन्ताराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का एकमात्र केन्द्र अमेरिका है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. नाटो की स्थापना.....में हुई थी।
   अ. 1949 ई. ब. 1950 ई. स. 1951 ई. द. 1952 ई.
2. शीतयुद्ध.....में हुआ था।
   अ. भारत-अमेरिका ब. भारत-पाकिस्तान
   स. सोवियत संघ-अमेरिका द. रूस-जपान
3. बर्लिन की दीवार.....है
   अ. रूस में ब. अमेरिका मे
   स. जर्मनी में द. इटली में
4. 1988 ई. में सोवियत संघ की राष्ट्रपति..... बने थे।
   अ. पुतिन ब. मिखाइल गोर्बाचेव
   स. येल्तसिन द. किम जोंग
5. सोवियत संघ का विघटन ..... हुआ।
   अ. 1987 ब. 1991 स. 2001 द. 2002

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. .....के समय को शीत युद्ध का काल कहते हैं। (1947-1990 ई./ 1940-1980 ई.)
2. अपरोध से तात्पर्य रोक और.....से है। (सन्तुलन/ असन्तुलन)
3. परमाणु अप्रसार सन्धि..... प्रभावी हुई थी। (1970 ई./1978 ई.)
4. .....में 'आपरेशन इराकी फ्रीडम' चलाया था। (2004 ई./ 2003 ई.)

सत्य/असत्य बताइए -

1. भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। सत्य/असत्य
2. 1917 ई. की बोल्शेविक क्रान्ति विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है सत्य/असत्य
3. बर्लिन की दीवार को शीतयुद्ध का प्रतीक माना जाता था। सत्य/असत्य
4. अलकायदा ने 11 सितम्बर, 2001 ई. को अमेरिका पर आतकी हमला किया था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए -

1.	प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन	क. 2001ई.
2.	अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पार्क पर हमला	ख. 1945 ई.
3.	हिरोशिमा व नागासाकी पर हमला	ग. 1999 ई.
4.	कोसोवो संकट	घ. 1961 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. शीतयुद्ध से आशय क्या है ?
2. बुडापेस्ट समझौते में कौन-कौनसे देश शामिल थे ?
3. सोवियत संघ को अब किस नाम से जाना जाता है ?
4. वर्साय सन्धि कब समाप्त हुई ?
5. इराक ने अमेरिका के शहरों पर कब हमला किया ?

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. अपरोध के बारे में आप क्या जानते हैं?
2. शीतयुद्ध के प्रमुख कारण बताइए?
3. गुटनिरेपक्ष आन्दोलन के बारे में आप क्या जानते हैं?
4. सोवियत प्रणाली क्या थी ?
5. परमाणु अप्रसार सन्धि (NPT) क्या है ?

दीर्घउत्तरीय प्रश्न -

1. शीतयुद्ध के समय भारत की भूमिका को समझाइए ?
2. वर्तमान समय में विश्व पर अमेरिकी वर्चस्व को समझाइए ?

परियोजना-

1. गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों की सूची बनाइए।

अध्याय – 12

विश्व के प्रमुख सङ्गठन

इस अध्याय में- अन्ताराष्ट्रीय सङ्गठन, विश्व के प्रमुख अन्ताराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सङ्गठन, अन्ताराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO), विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO), उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संगठन, दक्षिण-पूर्व एशियाई सन्धि संगठन (सीटो), केन्द्रीय सन्धि संगठन (CENTO), यूरोपीय संघ (EU), दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र सङ्गठन (ASAN), ओपेक, जी-20 ।

अन्ताराष्ट्रीय सङ्गठन- ऐसे सङ्गठन जिनका कार्य क्षेत्र तथा सदस्यों की उपस्थिति विश्वस्तरीय मामलों तक विस्तृत हो, अन्ताराष्ट्रीय सङ्गठन कहलाते हैं। अन्ताराष्ट्रीय सङ्गठनों की दो श्रेणियाँ होती हैं, 1. शासकीय सङ्गठन 2. अशासकीय सङ्गठन। इन सङ्गठनों का उद्देश्य वैश्विक समस्याओं का शान्तिपूर्ण व आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना होता है। अन्ताराष्ट्रीय जगत में कुछ ऐसे भी क्षेत्रीय सङ्गठन हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में शान्ति, सहकारी व्यवस्था तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विश्व के प्रमुख अन्ताराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सङ्गठन-

संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation)- संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 ई. को हुई थी। इस सङ्गठन के निर्माण में विश्व के तीन बड़े नेताओं- रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके 51 संस्थापक सदस्य देशों में भारत भी एक था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं।

चित्र- 12.1 संयुक्त राष्ट्र संघ का

संयुक्त राष्ट्र संघ के अङ्ग- संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अङ्ग हैं - महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, अन्ताराष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा सचिवालय।

1. **महासभा** (Genaral Assembly)- महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व के 193 देश इस महासभा के सदस्य है। इस सभा में प्रमुख मुद्दों पर निर्णय के लिए दो-तिहाई तथा शेष मुद्दों पर सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क (अमेरिका) में है।

2. **सुरक्षा परिषद** (Security Council)- विश्व के 15 देश सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, जिनमें पाँच सदस्य स्थायी होते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं,जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। शेष 10 देश अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है।

इसे भी जानें-

- वर्तमान में पुर्तगाल निवासी अन्तोनियो मनुएल दे ओलिवीरा गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं।
- 30 जनवरी, 2020 को WHO ने COVID-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था।

3. **न्यास परिषद** (Trusteeship Council)- न्यास परिषद की स्थापना उन राज्यों के पर्यवेक्षण के लिए की गई थी, जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी स्वायत्त शासन स्थापित नहीं हो सका था। कुछ समय पूर्व ही इस परिषद के अन्तर्गत भूमण्डलीय पर्यावरण व संसाधन प्रणाली को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। न्यास परिषद में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य शामिल हैं।

4. **अन्तराष्ट्रीय न्यायालय** (International Court of Justice)- अन्तराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून, 1945 को हुई। इसका मुख्यालय हेग में है, जिसमें कुल 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्ष के लिए होता है। इनके चुनाव में निर्णय आमसभा और सुरक्षा परिषद के पूर्ण बहुमत द्वारा होता है।

5. **आर्थिक-सामाजिक परिषद** (Ecomnic & Social Council)- आर्थिक-सामाजिक परिषद की स्थापना 1945 ई. में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अङ्ग सामान्य सभा को अन्तराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 54 है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।

इसे भी जानें-

- वीटो से आशय किसी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान करने से होता है।
- इसका प्रयोग करने के उपरान्त वह प्रस्ताव अमान्य हो जाता है। वीटो प्राप्त सदस्य देशों द्वारा अनेक बार निजी स्वार्थों के लिए इसका दुरुपयोग होने के कारण इसकी आलोचना होती है।
- वैश्विक मंच पर भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की माँग उठती रहती है। भारत ने इसके लिए जर्मनी, जापान और ब्राजील साथ मिलकर जी-4 नामक सङ्गठन बनाया है।

6. **सचिवालय** (Secretariat Council)- सचिवालय,संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक अङ्ग है, जिसका मुख्यालय अमरीका के न्यूयार्क शहर में है। महासचिव इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर 5 वर्ष के लिए की जाती है। इसका

मुख्य कार्य अन्ताराष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, शान्ति एवं रक्षा कार्यों का प्रबन्धन करना, अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों के क्रियाकलापों की जाँच करना और सदस्य सरकारों से वार्तालाप करना है।

सारणी 12.1
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्वतन्त्र संस्थाओं की सूची

क्रं.	संस्था	मुख्यालय	स्थापना वर्ष
1.	खाद्य एवं कृषि सङ्गठन (FAO)	रोम (इटली)	1945 ई.
2.	अन्ताराष्ट्रीय नागर विमानन सङ्गठन (ICAO)	मान्ट्रियल (कनाडा)	1947 ई.
3.	अन्ताराष्ट्रीय श्रम सङ्गठन (ILO)	जेनेवा(स्विटजरलैंड)	1946 ई.
4.	अन्ताराष्ट्रीय मॉनीटरी फंड (IMF)	वाशिंगटन (सं.रा.स.)	1945 ई.
5.	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन (UNESCO)	पेरिस (फ्रांस)	1946 ई.
6.	विश्व बैंक (WB)	वाशिंगटन (सं.रा.अ.)	1945 ई.
7.	विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO)	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	1948 ई.
8.	विश्व मौसम सङ्गठन (WMO)	जेनेवा (स्विटजरलैंड)	1950 ई.

विश्व बैंक की स्थापना 1944 ई. में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी. सी. में है। इसके वर्तमान में कुल 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के पुनर्निर्माण और विकास में मदद करना है।

अन्ताराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)- अन्ताराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ई. में हुई थी। यह एक अन्ताराष्ट्रीय संस्था है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखती है। यह सङ्गठन अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय वांशिगटन डी.सी. (संयुक्त राज्य अमेरिका) में है। वर्तमान में इस सङ्गठन के प्रबन्ध निदेशक डामनिक स्ट्रॉस हैं। आई. एम. एफ. की विशेष मुद्रा एस. डी. आर. (स्पेशल ड्राइंग राइटस) हैं।

विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO)- विश्व व्यापार सङ्गठन की स्थापना 1 जनवरी, 1995 ई. को गेट (GATT) नामक संस्था का विलय करके की गई थी। विश्व व्यापार सङ्गठन एक अन्ताराष्ट्रीय सङ्गठन है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, पारदर्शी व अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था स्थापित करना है।

विश्व व्यापार सङ्गठन का मुख्यालय जेनेवा (स्विटजरलैंड) शहर में है। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO)- विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 ई. को हुई थी।इसका मुख्यालय भी जेनेवा (स्विटजरलैंड) में है। इस सङ्गठन का मुख्य उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करना है। इसके वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। इसका भारतीय मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।

उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संगठन (North Atlantic Treaty Organization) -उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ई. में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। इस संगठन में वर्तमान में कुल 30 सदस्य देश हैं। नाटो का मूल उद्देश्य मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को राजनीतिक और सैन्य माध्यम से सुरक्षित रखना है। 2020 ई. में उत्तरी मैसीडोनिया इस संगठन का तीसवाँ सदस्य राष्ट्र बना। बोस्निया, हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिये इच्छुक देश हैं।

दक्षिण-पूर्व एशियाई सन्धि संगठन (सीटो)- दक्षिण-पूर्व एशियाई सन्धि संगठन का गठन सितंबर 1954 ई. में मनीला में हुई दक्षिण-पूर्व एशिया सामूहिक रक्षा संधि के आधार पर 1955 ई. में हुआ था। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैण्ड में था। इस संधि पर आस्ट्रेलिया, फ्रान्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, थाईलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य साम्यवादियों की विस्तारवादी नीति से दक्षिण पूर्व एशिया की रक्षा करना था।-जून 1977 में इसे भंग कर दिया गया।

केन्द्रीय सन्धि संगठन (CENTO)- 1955 ई. में तुर्की, इराक, ब्रिटेन, पाकिस्तान और ईरान द्वारा साझा राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए रक्षात्मक दृष्टि से बगदाद सन्धि की गई थी। इस सन्धि का मुख्य उद्देश्य साम्यवादी घुसपैठ को रोकना और मध्य-पूर्व क्षेत्रों में शान्ति को बढ़ावा देना था। 1958 ई. में मिस्र-सीरियाई संघ, इराकी क्रान्ति और लेबनान में नागरिक की घटनाओं ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया। इसके प्रत्युत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेबनान में हस्तक्षेप करने के औचित्य के रूप में 1957 ई. के आइजनहावर सिद्धान्त का आह्वान किया। 1959 ई. में इराक द्वारा सन्धि से बाहर निकल जाने के पश्चात बगदाद सन्धि का नाम बदलकर केन्द्रीय सन्धि संगठन (CENTO) कर दिया गया था, जिसका मुख्यालय अंकारा, तुर्की में स्थापित किया गया था। 1979

ई. तक इस संगठन के सदस्यों को लगने लगा था कि अब उनकी सुरक्षा को मजबूत करने में CENTO की कोई भूमिका नहीं है, अत: औपचारिक रूप से इस संगठन को भंग कर दिया गया।

यूरोपीय संघ (EU)- यूरोप महाद्वीप में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा शक्ति लेकर रोम की संधि के अन्तर्गत 1957 ई. में 6 देशों ने 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' का गठन किया था। 1986 ई. तक 12 देश इस **आर्थिक समुदाय** के सदस्य बन चुके थे। 1 नवम्बर, 1993 में मास्ट्रिच सन्धि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम **यूरोपीय संघ** कर दिया गया था। वर्तमान में इस सङ्गठन के 27 सदस्य राष्ट्र हैं। इस सङ्गठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है तथा इसकी मुद्रा का नाम यूरो है। यह सङ्गठन विश्व की दुसरी सबसे बडी सेना और रक्षा बजट रखता है।

मानचित्र- 12.1 दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र सङ्गठन (ASAN)

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र सङ्गठन (ASAN)- 8 अगस्त, 1967 ई. को दक्षिण–पूर्व एशिया के पाँच देशों- इन्डोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैण्ड ने बैंकाक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र सङ्गठन (आशियान) की स्थापना की थी। बाद में म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम भी इस सङ्गठन के सदस्य बने थे। इस सङ्गठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। 2003 ई. में आसियान सङ्गठन ने सुरक्षा,

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आसियान के विजन दस्तावेज 2020 ई. को अन्ताराष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक बहिर्मुखी भूमिका के रूप में प्रमुखता दी गई है। यह एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय सङ्गठन है, जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनैतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए राजनैतिक मंच उपलब्ध कराता है।

साफ्टा- दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (South Asian Free Trade Area- SAFTA)- साफ्टा सन्धि, 1993 ई. में दक्षिण-एशियाई देशों में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत, भूटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, आदि इसके सदस्य देश हैं। इस सन्धि को 2006 ई. में प्रभावी रूप से लागू किया गया था।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (South Asian Association for Regional Co-operation)- सार्क की स्थापना ढाका (बांग्लादेश) में 8 दिसम्बर, 1985 ई. में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालद्वीव ने की थी। इस सङ्गठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति में वृद्धि करना है। सार्क का मुख्यालय काठमाण्डू (नेपाल) में स्थित है। सार्क के अब तक 14 सम्मेलन हो चुके हैं। 2007 ई. में अफगानिस्तान को भी इसकी सदस्यता प्रदान की गई थी।

ओपेक (Organaization of the Petroleum Exporting Countries)- पेट्रोलियम निर्यातक देशों के सङ्गठन को संक्षेप में ओपेक कहतें हैं, जिसकी स्थापना 1960 ई. में बगदाद (इराक) में ईरान, इराक, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय वियना (आस्ट्रिया) में है। ओपेक का उद्देश्य सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का एकीकरण और समन्वय करने के साथ उपभोक्ताओं को खनिज तेल की कुशल आर्थिक व नियमित आपूर्ति करना तथा तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। वर्तमान में ओपेक के कुल 14 सदस्य देश हैं। इसमें विश्व के 10 प्रमुख गैर तेल निर्यातक देशों के सम्मिलित होने से इसे ओपेक प्लस भी कहा जाता है।

इसे भी जानें-

- ओपेक सदस्य देश- सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो और कतर हैं। 2018 ई. में कतर इस सङ्गठन से बाहर हो गया है।
- ओपेक+ देश- अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान हैं।

जी-20 - एशियाई वित्तीय सङ्कट के पश्चात वित्त मन्त्रियों, केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1999 ई. में जी-20 की स्थापना एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट को दृष्टिगत करते हुए जी-20 को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक विस्तृत किया गया था। अन्तार्राष्ट्रीय आर्थिक " के रूप में "सहयोग के प्रमुख मंच2009 ई. में जी-20को नामित किया गया था। आज इस संगठन के एजेण्डे में आर्थिक मुद्दों के साथ ही व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचारविरोध - शामिल किया गया है। जी-20 में 19 देशअर्जेंटीना -, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

चित्र- 12.1 जी 20

20-17वाँ जीशिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में इण्डोनेशिया के बाली में जुलाई तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। .ई 2023 दिसम्बर 30 में सम्पन्न हुआ था। .ई 2022 भारत का जी-20 की अध्यक्षता का विषय के प्राचीन संस्कृत पाठ "वसुधैव कुटुम्बकम" - से लिया गया है। अनिवार्यत :यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों के साथ पृथिवी और ब्रह्माण्ड में उनके परस्पर सम्बन्धों की पुष्टि करता है। भारत के लिए जी-20 की अध्यक्षता का "अमृतकाल"प्रारम्भ है। जी-20 का प्रतीक चिह्न भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवन्त रङ्गोंकेसरिया -, सफेद, हरे और नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। इस प्रतीक चिह्न के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है। "भारत"

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन का मुख्यालय.....है।

अ. जेनेवा ब. रोम स. पेरिस द. मैड्रिड

2. अन्ताराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या.....होती है।

अ. 10 ब. 15

स. 20 द. 25

3. वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य..... देश हैं।

अ. 190 ब. 191

स. 192 द. 193

4. निम्न में से.....सार्क का सदस्य नहीं हैं।

अ. मालद्वीव ब. ईरान

स. भारत द. नेपाल

5. सार्क की स्थापना ..... हुई थी।

अ. 1980 ई. ब. 1981 ई.

स. 1985 ई. द. 1990 ई.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. संयुक्त राष्ट्र संघ ..... को स्थापित हुआ। (1944 ई./ 1945 ई.)
2. सार्क का मुख्यालय ..... में स्थित है। (दिल्ली/काठमाण्डू)
3. कोविड-19 को ..... ने वैश्विक महामारी घोषित किया। (WHO/WTO)
4. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के सङ्गठन को..... कहते हैं। (ओपेक/साफ्टा)

सत्य/असत्य बताइए-

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। सत्य/असत्य
2. ओपेक का मुख्यालय वियना में है। सत्य/असत्य
3. अन्ताराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 ई. में हुई थी। सत्य/असत्य
4. यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1.	विश्व बैंक	क. जेनेवा
2.	अन्तार्राष्ट्रीय श्रम सङ्गठन	ख. पेरिस
3.	विश्व खाद्य एवं कृषि सङ्गठन	ग. वॉशिंगटन
4	युनेस्को	घ. रोम

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी?
2. संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अङ्ग कौन-कौनसे हैं ?
3. सार्क का मुख्यालय हैं ?
4. साफ्टा की स्थापना कब हुई थी?
5. जी-20 में कुल कितने सदस्य है?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य लिखिए ।
2. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए ?
3. यूरोपीय संघ पर टिप्पणी लिखिए?
4. सार्क के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
5. साफ्टा (SAFTA) के बारे आप क्या जानते हैं?

दीर्घउत्तरीय प्रश्न-

1. संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और अंगों का विस्तृत वर्णन कीजिए?
2. आसियान की स्थापना के उद्देश्य, सिद्धान्त व सदस्य देशों का उल्लेख कीजिए ?

परियोजना-

1. आसियान और दक्षेस राष्ट्रों को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए।

अध्याय - 13

समकालीन विश्व (सुरक्षा और पर्यावरण)

इस अध्याय में- सुरक्षा, सुरक्षा की पारम्परिक धारणा, सुरक्षा की अपारम्परिक धारणा मानवाधिकार, भारत की सुरक्षा नीति, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण, विश्व की साझी सम्पदा और सुरक्षा, साझी जिम्मेदारी पर देशों की अलग-अलग भूमिका, पर्यावरण मुद्दे पर भारत का पक्ष, पर्यावरण आन्दोलन एक या अनेक, संसाधनों की भू-राजनीति, मूलवासी और उनके अधिकार।

प्राचीन काल से संसार में शान्ति और सुरक्षा का महत्त्व रहा है। सामान्यतः सुरक्षा को राष्ट्रीय हितों से जोड़कर देखा जाता है। सुरक्षा सम्बन्धी आन्तरिक नीतियों को गोपनीय रखा जाता है। वर्तमान में सुरक्षा के साथ पर्यावरण भी विश्व राजनीति में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। इस अध्याय में हम विश्व के सन्दर्भ में सुरक्षा एवं पर्यावरण के मुद्दों का अध्ययन करेंगे।

सुरक्षा- आज शान्ति स्थापना के मार्ग में आने वाली समस्याओं को सुरक्षा से जोड़कर देखा जाने लगा है। अतः वर्तमान में सुरक्षा की अवधारणा का क्षेत्र व्यापक हो गया है। इसके मूल में तीन बिन्दु हैं- 1. आमजन की स्वतन्त्रता और शान्तिपूर्ण जीवन-यापन 2. राष्ट्र में शान्ति स्थापना 3. विश्व में शान्ति स्थापना। जब हम विश्व में राष्ट्रों के मध्य शान्ति स्थापना की बात करते हैं, तो विश्व में बढ़ रहे शस्त्रों की होड़ में शस्त्र-नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। असुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आतंकवाद, गृहयुद्ध, जातीय एवं नस्लीय संघर्ष, गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी एवं प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही मानवाधिकार ऐसे मुद्दे है, जो मानव को भयग्रस्त करते हैं।

सुरक्षा को सीमित दायरे में देखा जाए तो समाज में सभी के व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। व्यापक दृष्टिकोण से सुरक्षा से आशय उन गम्भीर खतरों से है, जिन्हें रोका नहीं गया तो वैश्विक मानव समुदाय के लिए भारी क्षति पहुँचने की सम्भावना बनी रहेगी। सुरक्षा को लेकर दोनों दृष्टिकोणों को व्यवहार में लाया जाता है। सुरक्षा की दो प्रचलित, पारम्परिक और अपारम्परिक धारणाएँ है।

1. **सुरक्षा की पारम्परिक धारणा-** पारम्परिक सुरक्षा की धारणा से आशय राष्ट्र की बाह्य और आन्तरिक सुरक्षा से होता है।

क. **सुरक्षा की पारम्परिक बाह्य धारणा-** सुरक्षा की पारम्परिक बाह्य धारणा से तात्पर्य राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा से होता है। पारम्परिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक

खतरनाक माना जाता है। इस अवधारणा की मान्यता है कि किसी भी राष्ट्र को विशेषतः खतरा सीमा के बाहर से होता है, क्योंकि अन्ताराष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसी कोई केन्द्रीय शक्ति या सत्ता नहीं है, जो देशों के ऐसे कार्य-व्यवहारों को, जिससे किसी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो, को रोकने में सक्षम हो। अतः अन्ताराष्ट्रीय राजनीति में सभी देशों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है।

ख. **सुरक्षा की पारम्परिक आन्तरिक धारणा-** इस अवधारणा से तात्पर्य देश के आन्तरिक सुरक्षा से होता है। जैसे- गृहयुद्ध, सरकार के प्रति असन्तोष आदि। अधिकांश देश अपनी आन्तरिक सुरक्षा को लेकर कमाबेश आश्वस्त होना चाहते हैं इसलिए वे अपना ध्यान आन्तरिक सुरक्षा पर भी केन्द्रित करते हैं। जनसंख्या नियन्त्रण, अलगाववादी शक्तियाँ, आतंकवाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद आदि चुनौतियाँ देशों की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सदैव ही घातक रही हैं।

सुरक्षा के पारम्परिक उपाय- सुरक्षा के पारम्परिक उपायों में निःशस्त्रीकरण, अस्त्र नियन्त्रण, विश्वास बहाली आदि आते हैं। सुरक्षा के पारम्परिक तौर-तरीकों को विश्व जनमत स्वीकार करता है। निःशस्त्रीकरण सुरक्षा के उपायों में प्रचलित है। विश्व समुदाय इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि विश्व के देशों को रासायनिक एवं जैविक हथियारों के निर्माण और प्रयोग से बचना चाहिए। अस्त्र नियन्त्रण के अन्तर्गत 1972 ई. की एंटी बैलेस्टिक मिसाइल सन्धि (ABM) एवं परमाणु अप्रसार सन्धि (1968 ई.) भी परमाणु हथियारों को सीमित करने में सफल रही है। विश्वास बहाली भी सुरक्षा का एक अचूक उपाय है, जिसके द्वारा युद्धोन्माद एवं प्रतिद्वन्दिता को नियन्त्रित अथवा समाप्त किया जा सकता है।

इसे भी जानें-

- 1972 ई. की जैविक हथियार सन्धि (BWC) तथा 1992 ई. की रासायनिक हथियार सन्धि (CWC) के द्वारा जैविक और रासायनिक हथियारों के निर्माण और रखने पर प्रतिबन्ध लगाया है।

2. **सुरक्षा की अपारम्परिक धारणा-** सुरक्षा सम्बन्धी अपारम्परिक धारणा के प्रतिपादकों का मानना है कि सिर्फ राज्य की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण व्यक्तियों, समुदायों या समूची मानवता की सुरक्षा की आवश्यकता है। अतः सुरक्षा की अपारम्परिक धारणा को मानवता की रक्षा या विश्व सुरक्षा भी कहा जाता है। मानवता की रक्षा एवं विश्व रक्षा प्रायः एक-दूसरे के पूरक होते हैं।

असुरक्षा के नए स्त्रोत- विश्व भर में व्यापक आंतकवाद, मानवाधिकार हनन, निर्धनता, बीमारियाँ (कोरोना, एड्स आदि) आदि असुरक्षा के नए खतरों की ओर इशारा कर रहे हैं।

मानवाधिकार- मानवाधिकारों को प्राय: तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

1. राजनीतिक अधिकार- राजनीतिक अधिकार के अन्तर्गत विचार अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी आदि आते हैं।
2. सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार- इसके अन्तर्गत मानव के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार आते हैं।
3. जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार- इन अधिकारो के अन्तर्गत जातियों एवं जनजातियों आदि के अधिकार आते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्ताराष्ट्रीय समुदाय को अधिकार दिया है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकता है। इराक पर आक्रमण एवं तिमोर संघर्ष के मूल में मानवाधिकारों की रक्षा करना ही रहा है। सुरक्षा की दृष्टी से वैश्विक निर्धनता भी एक बड़ी चुनौती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या गरीबी का बड़ा कारण है। 21वीं सदी के आरम्भ में शेष दुनिया की अपेक्षा दक्षिणवर्ती देशों में अधिक लोग हताहत हुए हैं। इन सब में सामान्य कारण सशस्त्र संघर्ष था। विविध संक्रामक महामारियाँ जैसे- एड्स, टी.वी, बर्ड फ्लू, आदि विविध प्रकार के आवागमन एवं सैन्य अभियानों से अनेक देशों में तेजी से फैल रहीं हैं। एबोला, हेपेटाइटिस बी एवं सी, कोराना जैसी महामारियाँ मानव रक्षा के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। प्राकृतिक आपदाएँ, वैश्विक तापवृद्धि, समुद्र का बढ़ता जलस्तर भी खतरे की ओर संकेत कर रहे हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्ताराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।

भारत की सुरक्षा नीति- भारत में सदैव से ही बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से विविध खतरे विद्यमान रहे हैं। सुरक्षा नीति की दृष्टि से चार बड़े घटक हैं-

1. पहला घटक, सशक्त सैन्य क्षमता है। स्वतन्त्रता के बाद से ही भारत पर पड़ोसी देशों द्वारा आक्रमण होते रहे हैं। अत: भारत ने 1974 ई. और 1998 ई. में परमाणु परीक्षण किया व स्वयं को सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाया है।
2. दूसरा घटक, अन्ताराष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ करना है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत ने निःशस्त्रीकरण, एशियाई एकता, अन्ताराष्ट्रीय घटनाओं एवं विवादों को संयुक्त राष्ट्रसंघ के सहयोग से निदान करने की प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है।
3. तीसरा घटक, आन्तरिक समस्याओं क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से उभरे तनावों एवं संघर्षों से निपटना है।

4. चौथा घटक, आन्तरिक एवं बाह्य अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता है। आज भारत सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षित सुधारों के साथ एशिया महाद्वीप की दूसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है।

चित्र- 13.1 अण्टार्कटिका महाद्वीप का एक दृश्य

वैश्विक राजनीति में पर्यावरण- पर्यावरण के अन्तर्गत जल, वायु, भूमि, मानव तथा वन्य जीवों, वनस्पतियों तथा सम्पदाओं में पाए जाने वाले अन्तर्सम्बन्धों को शामिल किया गया है। विश्व राजनीति में आज निर्धनता, महामारी, प्राकृतिक आपदाएँ तथा पर्यावरण चर्चा के केन्द्र में हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के मूल में हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक सम्पदाएँ और संसाधन हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एच. एस. ट्रूमैन ने 1945 ई. में कहा था कि "सभी राज्यों का लक्ष्य विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए।" 1972 ई. में क्लब ऑफ रोम ने अपनी पुस्तक 'लिमिट्स टू ग्रोथ' में उल्लिखित किया है कि विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों मिट्टी, जल, जङ्गल और वनस्पतियों का दोहन यदि इसी प्रकार चलता रहा तो, हमारे संसाधन शीघ्र ही खत्म हो जाएँगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 ई. के आँकड़ो के अनुसार दो अरब चालीस करोड़ की आबादी स्वच्छता की सुविधाओं से वंचित है। 63.3 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो रहा है। यह स्थिति विकासशील देशों में और भी अधिक है।

प्राकृतिक वनों की तेजी से हो रही कटाई के कारण जल और वायु का सन्तुलन बिगड़ने के साथ जैव विविधता को भारी क्षति पहुँच रही है। ओजोन परत का तेजी से क्षरण हो रहा है। इस कारण पारिस्थितिकी तन्त्र पर भारी संकट मँडराया हुआ है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे मानव वास के कारण इन क्षेत्रों में प्रदूषण का भारी संकट पैदा हो रहा है।

आज पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित मुद्दे विश्व राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों ने 1960 के दशक में राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अनेक अन्ताराष्ट्रीय संस्थाओं ने पर्यावरणीय समस्याओं और संरक्षण कार्यक्रमों पर सम्मेलन और अध्ययन को बढ़ावा देना प्रारम्भ किया है।

विश्व की साझी सम्पदा और सुरक्षा- विश्व की साझी सम्पदा से तात्पर्य संसार भर की वे सम्पदाएं हैं, जिन पर किसी राज्य या व्यक्ति का एकाधिकार नही होता है। इनमें महासागर, राज्य सीमा क्षेत्र से बाहर का समुद्री क्षेत्र, दक्षिण ध्रुव प्रदेश (अंटार्कटिका), बाह्य अन्तरिक्ष आकाश, वायुमण्डल एवं मानवकृत साझी सम्पदा इण्टरनेट भी शामिल हैं। मानवता की साझी विरासत कही जाने वाली इन पर्यावरणीय सम्पदाओं की सुरक्षा के लिहाज से 1959 ई. की अंटार्कटिका सन्धि, 1987 ई. का मांट्रियल प्रोटोकाल और 1991 ई. का अन्टार्कटिका प्रोटोकाल महत्वपूर्ण हैं। 1980 के दशक में अंटार्कटिका के अन्तरिक्ष में ओजोन परत छिद्र की खोज बड़े पर्यावरण संकट को दर्शाने वाली घटना है।

इसे भी जानें-

- अण्टार्कटिका एक महाद्वीपीय क्षेत्र के रूप में 1 करोड़ 40 लाख वर्ग कि.मी. में विस्तृत है। विश्व के कुल निर्जन भाग का 26% भाग यह महाद्वीप है। अण्टार्कटिका का 90% स्थलीय भाग हिमाच्छादित है। विश्व के स्वच्छ जल का 70% भाग इसी महाद्वीप में है। अण्टार्कटिका महाद्वीप में सूक्ष्म शैवाल, कवक,लाइकेन आदि वनस्पतियों के साथ समुद्री स्तनधारी जीव, मछलियाँ और पक्षी भी शामिल हैं। यहाँ पाई जाने वाली क्रिल मछली समुद्री आहार श्रृंखला का केन्द्र है। विश्व जलवायु के सन्तुलन बनाने में इस महाद्वीप का महनीय योगदान है। अण्टार्कटिका प्रदेश विश्व की साझी सम्पदा मानी जाती है। अण्टार्कटिका और पृथिवी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशिष्ट क्षेत्रीय नियमों के अधीन हैं। 1959 ई. के बाद इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट, पर्यटन गतिविधियों तक सीमित रहा है। परन्तु इसके कुछ भाग में मानव गतिविधि बढ़ने कारण यह क्षेत्र प्रदुषित हो रहा है।

साझी जिम्मेदारी पर देशों की अलग-अलग भूमिका- पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर विकसित देशों का मानना है कि पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी विश्व के सभी देशों की बराबर है, जबकि विकासशील देशों का कहना हैं कि पारिस्थितिकी को सर्वाधिक क्षति विकसित देशों के औद्योगिक विकास से हुई है। अत: इसकी भरपाई में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। पर्यावरण की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी मुख्य रूप से विकसित देशों की मानी गई है। इसे ही साझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारी का सिद्धान्त कहा गया है।

विश्व पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षा के लिए 5 जून, 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। 1975 ई. से पर्यावरण सुरक्षा आन्दोलनों में तेजी आई व पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास किए गये जैसे-

1. सयुंक्त राष्ट्रसंघ के पर्यावरणीय कार्यक्रमों द्वारा जारी घोषणा पत्र में निश्चित किया गया कि जन सञ्चार के साधनों द्वारा लोगों को पर्यावरणीय शिक्षा से अवगत कराया जाए।

2. 1982 ई. संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने प्रकृति के लिए विश्व घोषणा पत्र सर्वसम्मति से पारित किया था।
3. पर्यावरण विकास के लिए 1983 ई. में विश्व पर्यावरण (बर्टलैण्ड) आयोग की स्थापना की गई थी।
4. 1992 ई. में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पृथिवी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था।
5. जनवरी, 1997 ई. मे ग्लोबल एन्वायरमेंट आउटलुक नामक द्विवार्षिक पत्रिका का नैरोबी में विमोचन किया गया था। इसमें विश्व के सात क्षेत्रों में सात प्रकार की पर्यावरण अभिवृत्तियों का उल्लेख है।
6. नई दिल्ली में भूमण्डलीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तीन दिवसीय गोष्ठी का आयोजन हुआ था।
7. राजस्थान के तिलोनिया में अन्ताराष्ट्रीय पर्यावरण केन्द्र नैरोबी द्वारा अन्ताराष्ट्रीय बैठक की गई थी, जिसमें 38 देशों के 100 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की थी।
8. 1 से 11 दिसम्बर, 1997 ई. में जापान के क्योटो में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।
9. जलवायु परिवर्तन विषय पर 1998 ई. में अर्जेंटिना के ब्यूनस आइरिस में चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया था।
10. 2002 ई. को द्वितीय पृथिवी सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था।
11. दिसम्बर, 2009 ई. में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा डेनमार्क के कोपेन हेगन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजन किया गया था। इसमें विकसित देशों को 25% गैस उत्सर्जन कम करने तथा विकासशील देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित हुआ था।

पर्यावरण मुद्दे पर भारत का पक्ष- 1997 ई. के क्योटो प्रोटोकाल पर भारत ने 2002 ई. में हस्ताक्षर किए थे। इस प्रोटोकाल में भारत समेत विकासशील देशों को बाध्यकारी शर्तों से मुक्त रखा गया है। भारत ने 2005 ई. की जी-8 की

सारणी 13.1
पावन वन प्रान्त के उपनाम

राज्य	उपनाम
राजस्थान	वानी, केंकड़ी, ओरान
झारखण्ड	जहेरा, थान, सरना
मेघालय	लिङ्गदोह
केरल	काव
उत्तराखण्ड	देवभूमि, थान
महाराष्ट्र	देव रहतिस

बैठक में स्पष्ट किया कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन दर विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में न्यूनतम हैं। 2016 ई. को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन भारत ने किया था।

भारत में शताब्दियों से ग्रामीण समुदायों ने साझी सम्पदा पर अपने अधिकार और दायित्व सुनिश्चित किये हैं। राजकीय अधिकार वाले भू-वन्य क्षेत्रों का संरक्षण ग्रामीण समुदायों द्वारा किया जाता है। इन क्षेत्रों को देवस्थान के रूप में पहचाना जाता है। परम्परानुसार इन क्षेत्रों में जङ्गलों को नहीं काटा जाता है।

पर्यावरण आन्दोलन एक या अनेक- पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक अन्ताराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की भूमिका आन्दोलन के रूप में जीवन्तता, विविधता तथा शक्तिशाली सामाजिक जागृति के रूप में प्रसिद्ध हुई है। विकासशील देशों में इन आन्दोलनों का भारी दबाव है। उदाहरणार्थ भारत में सुन्दलाल बहुगुणा का चिपको आन्दोलन, मेधा पाटेकर का नर्मदा बाँध आन्दोलन, राजेन्द्र सिंह का वर्षा जल संग्रहण आन्दोलन आदि हैं, जो अहिंसा पर आधारित हैं।

संसाधनों की भू-राजनीति- आज पेट्रोलियम पदार्थ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अङ्ग हैं। संसार भर में ऊर्जा एवं उपभोक्ता उत्पादों में 95% पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है। यूरोपीय शक्तियों के विश्व में प्रसार का कारण साधन संसाधन ही रहे हैं। विकसित देशों ने शीतयुद्ध के समय से ही संसाधन सम्पन्न क्षेत्रों, समुद्री मार्गों के आस-पास सैन्य तैनाती, संसाधनों के भंडारण एवं संसाधन सम्पन्न देशों में हितसाधक सरकारों की बहाली, बहुराष्ट्रीय निगमों एवं अन्ताराष्ट्रीय समझौतों का समर्थन किया है। विश्व की महाशक्तियों की दृष्टि सदैव इन संसाधन सम्पन्न देशों पर रही है।

संसाधन के रूप में जल की अहम एवं अनिवार्य भूमिका है। सम्भावना है कि साझे जल-संसाधन 21वीं सदी में संघर्ष का कारण हो सकते हैं। 'जल युद्ध' शब्द इसी ओर संकेत कर रहा है। 1950-60 के दशक में इजरायल, सीरिया तथा जार्डन के मध्य का संघर्ष इसका उदाहरण है।

मूलवासी और उनके अधिकार- संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वर्किंग कमेटी ने मूलवासी उन्हें कहा है, जो वंश परम्परा से उसी देश में रह रहे हैं और जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मूलवासियों की संख्या लगभग 30 करोड़ है। विश्व राजनीति में बराबरी का अधिकार प्राप्त करने के लिए इन मूलवासियों की आवाज विभिन्न मंचों से उठाई जा रही है। विश्व भर में लम्बे समय से उपेक्षा का शिकार रहे, इन मूलवासियों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए 1975 ई. में मूल निवासी

विश्व परिषद नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन हुआ था। 1982 ई. में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मूलवासी वर्किंग कमेटी बनाई गई थी।

भारत में मूलवासियो को अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) कहा जाता है। भारत में कुल जनसंख्या का 8% मूलवासी हैं। भारत में कुछ घुमन्तू जातियों को छोड़कर शेष आदिवासी कृषि कार्यों से अपना जीवन यापन कर रहे है, जिन्हें संवैधानिक सुरक्षा भी प्राप्त है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. मानव जाति को.....से खतरा है।
   - अ. परमाणु अस्त्र-शस्त्र
   - ब. आतंकवाद
   - स. प्राकृतिक आपदाओं
   - द. उपर्युक्त सभी
2. वैश्विक साझा सम्पदा में.....शामिल है।
   - अ. वायुमण्डल
   - ब. अंटार्कटिका
   - स. समुद्र
   - द. उपर्युक्त सभी
3. स्टॉकहोम सम्मेलन .....में हुआ था।
   - अ. 1992 ई.
   - ब. 1972 ई.
   - स. 1988 ई
   - द. 1982 ई.
4. अन्ताराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस.....को मनाया जाता है।
   - अ. 5 मई
   - ब. 5 जून
   - स. 5 सितम्बर
   - द. 5 दिसम्बर

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. 1992 ई. में पृथिवी सम्मेलन ..... हुआ। (रियो डी जेनेरियो/वेलिङ्गटन)
2. सुरक्षा की बाह्य पारम्परिक धारणा से आशय ..... सुरक्षा से है। (राष्ट्रीय/अन्तार्राष्ट्रीय)
3. क्षेत्रवाद, जातिवाद आदि ..... समस्याएँ है। (बाह्य/आन्तरिक)
4. .....में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मूलवासी वर्किंग कमेटी बनाई गई थी। (1982 ई./1990ई.)

सत्य/असत्य बताइए -

1. जनसंख्या वृद्धि गरीबी का प्रमुख कारण है। सत्य/असत्य
2. 21वीं सदी में संघर्ष का कारण जल हो सकता है। सत्य/असत्य
3. चिपको आन्दोलन के प्रवर्तक सुन्दरलाल बहुगुणा थे। सत्य/असत्य
4. भारत में कुल जनसंख्या का 8% मूलवासी हैं। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजए-

1.	विश्व पर्यावरण आयोग	क. 1992 ई.
2.	परमाणु अप्रसार सन्धि	ख. 1983 ई.
3.	जैविक हथियार सन्धि	ग. 1972 ई.
4.	रासायनिक हथियार सन्धि	घ. 1968 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. सी.टी.बी.टी का पूरा नाम लिखिए?
2. विश्व सुरक्षा से क्या आशय है?
3. पर्यावरण में क्या-क्या शामिल है ?
4. भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए थे?
5. कोपेन हेगेन सम्मेलन कब आयोजित हुआ था?

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. वर्तमान में मानव कौन-कौन से खतरों से भयभीत है ?
2. गरीबी, विश्व सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरा है?
3. सुरक्षा के पारम्परिक उपाय क्या-क्या हैं ?
4. ग्रामीण समुदाय पर्यापरण को कैसे संरक्षित कर रहा है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. पर्यावरण सम्बन्धी भारत के पक्ष का विश्लेषण कीजिए?
2. सुरक्षा से क्या आशय है? सुरक्षा के लिए चार नए खतरों को समझाइए ?

परियोजना-

1. अपनी कक्षा में वर्तमान के वैश्विक खतरों पर चर्चा कीजिए और उनको हल करने के सुझाव दीजिए।

अध्याय – 14

स्वतन्त्र भारत की चुनौतियाँ

इस अध्याय में- राष्ट्रीय एकीकरण, भारत का विभाजन एवं स्वतन्त्रता, नए भारत की चुनौतियाँ, विभाजन का परिणाम, देशी रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन, भारत में लोकतन्त्र की स्थापना और प्रथम आम चुनाव, प्रथम तीन चुनावों में कांग्रेस प्रभुत्व, कांग्रेस एक विचार धारा, जनसंघ एक विचार धारा, कांग्रेस में उत्तराधिकार की चुनौतियाँ, गैर कांग्रेसवाद, आपातकाल की पृष्ठभूमि, न्यायपालिका से संघर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक अभ्युदय, अयोध्या प्रकरण, नई सहमति का उदय।

औपनिवेशिक शासन के दौरान ही भारत के एकीकरण का विचार, हमारे राजनीतिक मनीषियों के चिन्तन में था। उन्होंने इस दिशा में प्रयास करना भी प्रारम्भ कर दिया था। स्वतन्त्र भारत में एकीकरण के पश्चात शासन प्रणाली में दलगत राजनीति को अपनाया गया, जिससे भारतीय राजनीति में कई प्रकार के परिवर्तन हुए थे। इनके बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे।

राष्ट्रीय एकीकरण- राष्ट्र उन व्यक्तियों का समूह है, जो एक जाति, भाषा से सम्बन्धित होते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण, देश की एकता व अखण्डता को बनाए रखने तथा एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण हेतु नागरिकों द्वारा महसूस की गई एकजुटता है। राष्ट्र निर्माण के चार प्रमुख तत्व- राष्ट्रीय भावना, उचित जनहित सत्ता, राष्ट्रीय समुदाय का स्वतन्त्र अस्तित्व और विविधता में एकता की स्थापना है।

भारत का विभाजन एवं स्वतन्त्रता- ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 'भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम' द्वारा लॉर्ड माउण्टबेटन ने 3 जून, 1947 को भारत विभाजन की घोषणा कर दी थी। 14 अगस्त, 1947 के संध्या के क्षणों में पाकिस्तान के रूप में नए राष्ट्र की घोषणा के साथ ही रात्रि 12 बजे भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा की गई थी। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 ई. को भारत स्वतन्त्र हुआ था। इस विभाजन के बीज मुस्लिम लीग के 'द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त' की साम्प्रदायिक नीति में निहित थे। क्योंकि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तत्कालीन भारत में रह रहे हिन्दू और मुस्लिमों को दो विपरीत संस्कृति और सभ्यता वाले समुदायों के रूप में देखते थे।

नए भारत की चुनौतियाँ- भारत को लगभग 200 वर्षों के उपनिवेशी शासन से मुक्ति 15 अगस्त 1947 ई. को प्राप्त हुई थी । प्रधानमंत्री नेहरू ने अपना प्रथम राष्ट्र सम्बोधन दिया, जो 'ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी' (भाग्यवधू से चिर-परिचित भेंट) नाम से प्रसिद्ध है। उन्होनें कहा कि "स्वतन्त्रता प्राप्ति की हमें भारी

कीमत भारत के विभाजन, साम्प्रदायिक हिंसा एवं विस्थापन के रूप में चुकानी पड़ी है। इन कठिन परिस्थितियों में भारत को विकास के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ना होगा"। पं.नेहरू ने भारत के समक्ष उपस्थित तीन विशिष्ट चुनौतियों को रेखांकित कर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था- पहली चुनौती भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर, नए भारत का निर्माण करना था। दूसरी चुनौती लोकतन्त्र की स्थापना की थी, जो स्वतन्त्रता और समानता का पोषक है। तीसरी चुनौती नए प्रगतिशील राष्ट्र, भारत में सभी के लिए न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुता तथा सभी को सामाजिक एवं धार्मिक सुरक्षा और अवसरों की समानता के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक विकास के संसाधन उपलब्ध कराना था।

विभाजन का परिणाम- विभाजन के परिणामस्वरुप मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञात स्थानान्तरण भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों का कत्ल किया गया था। स्थानान्तरण, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अधिक हुआ था। विभाजन के कारण स्वतन्त्रता के बाद भी लाखों लोग शरणार्थी बने और वर्षों तक शरणार्थी शिविरों में जीवन-यापन को विवश हुए थे। विभाजन में लगभग 80 लाख लोग विस्थापित व लगभग 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए थे। एक बड़ी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई, फिर भी भारत में 12% मुस्लिम आबादी शेष थी। धर्म आधारित विभाजन में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों- जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि के साथ व्यवहार की कठिनाई भी थी।

चित्र- 14.1 शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार में शामिल अधिकांश नेता, गैर सरकारी सङ्गठन एवं राष्ट्रवादी नेता, नागरिक समानता के पक्षधर थे। वे मानते थे कि कोई भी नागरिक, किसी भी धर्म का हो, सभी को बराबरी का अधिकार है। भारत की मूल भावना सर्वधर्म समभाव की अभिव्यक्ति धर्मनिरपेक्ष भारत के रूप में हुई है। विस्थापितों के पुनर्वास एवं सहायता के लिए भारत सरकार एवं

इसे भी जानें-

- दैनिक समाचार पत्र मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा- "पटेल न केवल स्वतन्त्रता सङ्ग्राम के सङ्गठनकर्त्ता थे, अपितु संघर्ष समाप्त होने पर नए भारत के निर्माता भी थे। एक ही व्यक्ति एक साथ सफल विद्रोही और सफल राजमर्मज्ञ नहीं होता है। सरदार पटेल इसका अपवाद थे"।

स्वयंसेवी सङ्गठनों ने भोजन-पानी की व्यवस्था की थी। मन्दिरों, गुरुद्वारों धर्मशालाओं, खाली पड़ी सरकारी इमारतें, स्कूल आदि विस्थापितों की शरणस्थली बने थे। भारत सरकार द्वारा इन शरणार्थियों

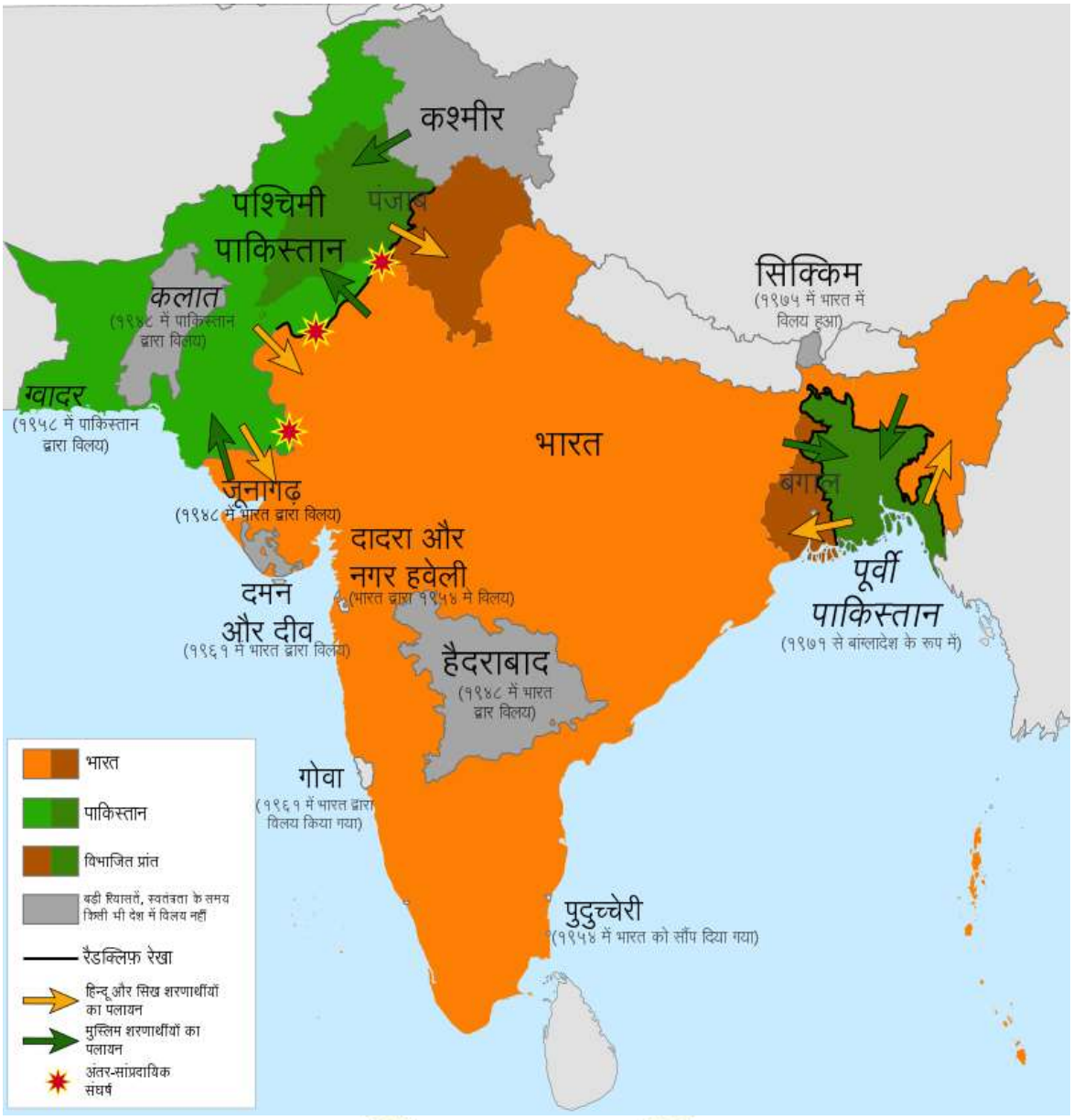

मानचित्र- 14.1 भारत विभाजन और बाद

को सरकारी नौकरियाँ दी गई थी और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया गया था ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कुछ लोगों को जमीन-जायदाद, मकान-दुकान का आवंटन सरकार द्वारा किया गया था। धीरे-धीरे इन विस्थापितों ने स्वयं को स्थापित कर लिया था। वास्तव में ये शरणार्थी नहीं पुरुषार्थी थे।

देशी रियासतों का विलय- स्वतन्त्र भारत में 565 देशी रियासतें एवं रजवाड़े थे, जिन पर राजाओं का शासन था। अब इन देशी रियासतों का भारत में विलय आवश्यक माना गया था, क्योंकि भारत की

एकता, अखण्डता और अस्तित्व के लिए ये रजवाड़े खतरा थे। 15 अगस्त, 1947 के बाद ये रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के अतिरिक्त अपनी आजादी की घोषणा के लिए स्वतन्त्र थे।

भारत सरकार का दृष्टिकोण- आजादी के तुरन्त बाद कुछ राजाओं जैसे- त्रावणकोर, हैदराबाद ने तो अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी थी। भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे।

विलय की समस्या के समाधान के लिए सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में राज्य-विभाग की स्थापना की गई थी । राज्य विभाग ने रजवाड़ों के विलय के लिए **विलय पत्र** बनाया था। 15 अगस्त, 1947 ई. से पूर्व ही जम्मू-कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर, सभी रियासतों ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मणिपुर में वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त पर भारत में पहली बार 1948 ई. में चुनाव हुआ था। 1947 ई. में जम्मू-कश्मीर व जूनागढ़ तथा 1948 ई. में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया था।इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वी पी. मेनन की चतुराई और कूटनीति ने अखण्ड भारत के सपने को साकार किया था।

इसी प्रकार भारत में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेशों चन्द्रनगर (1950 ई.), पांडिचेरी, यनौन, माहे तथा कारीकाल (1954 ई.) को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। 1953 ई. में भारतीय सेना ने दादर और नगर हवेली पर अधिकार कर लिया था। 18 दिसम्बर, 1961ई. को पुर्तगाल से गोवा, दमन और दीव को भारतीय सेना ने मुक्त करा लिया था। इस प्रकार भारत को रजवाड़ों और अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्ति मिली थी।

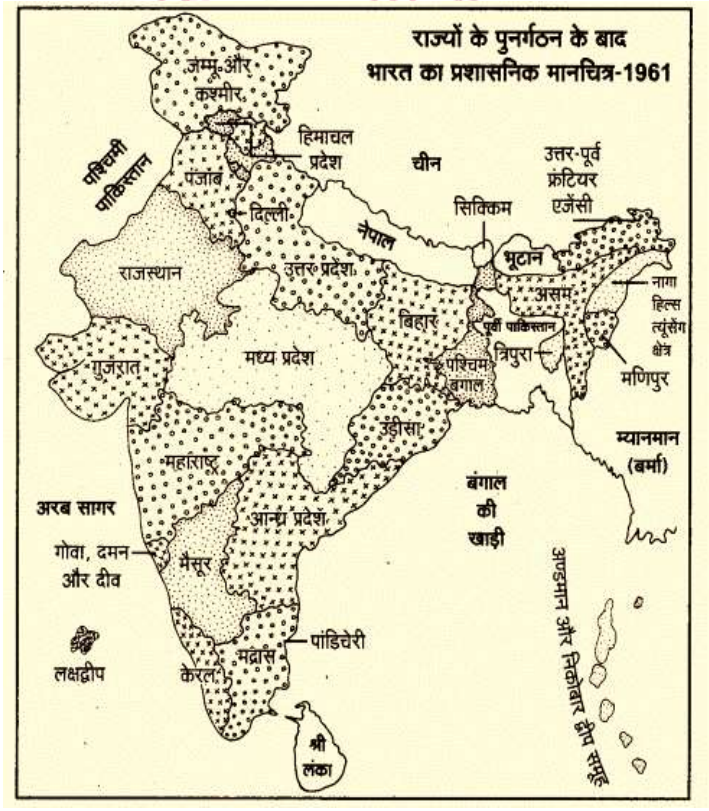

मानचित्र- 14.2 भारत 1961

राज्यों का पुनर्गठन- 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया था। आजादी के बाद केन्द्र सरकार ने 1952 ई. में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आन्ध्रप्रदेश राज्य का गठन किया था। अब देश के अन्य भागों से भी भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की माँग उठने लगी थी। 1953 ई.

फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 ई. में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और 14 राज्य तथा 6 केन्द्र शासित बनाये गए थे। 1960 ई. में मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात, 1966 ई. में पञ्जाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, 1972 ई. असम से अलग होकर मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों का गठन हुआ था। 1987 ई. में मिजोरम और अरुणाचल का गठन हुआ था। नागालैण्ड का गठन 1963 ई. में ही हो चुका था। आगे के वर्षों में क्षेत्रीय संस्कृति और असन्तुलित विकास के मुद्दे उभरे और 2000 ई. में छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तराखण्ड राज्य का पुनर्गठन हुआ। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून, 2014 को हुआ है। इनके अतिरिक्त देश में नए और छोटे राज्यों, जैसे पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, हरित प्रदेश की माँग तेजी से हो रही है।

इसे भी जानें-

- महात्मा गाँधी ने भाषाई राज्य बनाने के बारे में कहा था कि" यदि प्रान्तों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिन्दुस्तानी को सभी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अङ्ग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और व्यर्थ"।

भारत में लोकतन्त्र की स्थापना और प्रथम आम चुनाव- भारतीय संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत कर, इसके कुछ प्रावधानों को तत्काल लागू कर दिया गया था। 24 जनवरी, 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर भारतीय गणतन्त्र की घोषणा कर दी गई। भारतीय गणतन्त्र में संवैधानिक सरकार के गठन की आवश्यकता थी, फलस्वरूप जनवरी, 1950 ई. में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। विशाल देश भारत में निष्पक्ष चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती थी। सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था।

इसे भी जानें-

- 1940 ई. में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की माँग रखी थी।
- भारत में प्रथम आम चुनाव के समय केवल 15% मतदाता साक्षर थे।
- कुल 3200 विधायकों, 489 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने थे।
- भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे।
- टाइम्स ऑफ इण्डिया ने लिखा कि 'इस चुनाव ने उन सभी आलोचकों के सन्देहों पर पानी फेर दिया है, जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार को देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे'।

इस चुनाव प्रक्रिया में छः माह का समय लगा था। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए, तो सभी ने इसे निष्पक्ष और सफल चुनाव कहकर प्रसंशा की थी। भारत का यह प्रथम आम चुनाव भारत ही नहीं विश्व के लोकतान्त्रिक इतिहास में मील का पत्थर बन गया था। **प्रथम तीन चुनावों में कांग्रेस प्रभुत्व-** भारत में प्रथम तीन आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का

वर्चस्व रहा था। इन चुनावों में कांग्रेस को केन्द्र और राज्यों में भारी सफलता मिली थी। 1952 ई. के संसदीय चुनाव में लोकसभा की कुल 489 सीटें थी, जिनमें 364 सीटों पर कांग्रेस, 16 सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी तथा 3 सीटों पर भारतीय जनसंघ पार्टी ने जीत हासिल की थी। 1957 ई. के दूसरे आम चुनाव में लोकसभा की कुल 494 सीटों में से कांग्रेस को 371, कम्युनिस्ट पार्टी को 27 तथा भारतीय जनसंघ को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 1962 ई. के तीसरे आम चुनाव में भी 494 सीटों पर हुए मतदान में 361 सीटें कांग्रेस, 29 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी तथा 14 सीटों पर भारतीय जनसंघ को जीत प्राप्त हुई थी। भारत में आरम्भिक दौर में कांग्रेस पार्टी की प्रभुता भारतीय शासन एवं राजनीति में रही थी। स्वतन्त्रता पूर्व से ही इस पार्टी का जनाधार देश भर में फैला हुआ था। स्वतन्त्रता सङ्ग्राम में अगुवा होने का बड़ा लाभ कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में प्राप्त हुआ था। जबकी अन्य दलों के पास ऐसा कोई विशेष आधार नही था।

कांग्रेस एक विचार धारा- 28 दिसम्बर 1885 ई. को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव ए.ओ.ह्यूम एवं अध्यक्ष व्योमेश चन्द्र बनर्जी थे। स्थापना के समय कांग्रेस का उद्देश्य नवशिक्षित, कामकाजी, और व्यापारिक वर्गों के हितों की रक्षा करना था। सर्वप्रथम बालगंगाधर तिलक ने विदेशी शासन का बहिष्कार, स्वराज आदि को कांग्रेस के लक्ष्यों में सम्मिलित किया था। गाँधीजी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता सङ्ग्राम में कांग्रेस का सामाजिक जनाधार बढ़ा था। स्वतन्त्रता आन्दोलन में कांग्रेस एक मंच के रूप में थी, जहाँ समाज के सभी वर्ग, धर्म, समूह और विचारधारा के लोग एकजुट होते थे।स्वतन्त्रा के पश्चात कांग्रेस ने इन विचारधाराओं को अपने में प्रतिष्ठित किए रही, जो दलीय राजनीति के रूप में उसकी सफलता का कारण बनी थी।

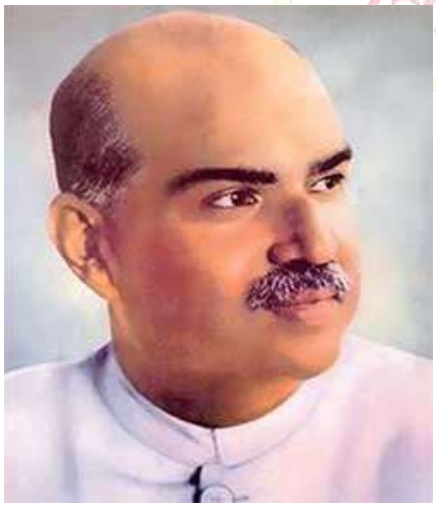

चित्र- 14.2 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

जनसंघ एक विचार धारा- भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ई. में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इस दल के जडें आजादी के पूर्व से ही सामाजिक सङ्गठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (1922 ई.) एवं हिन्दू महा सभा में खोजी जा सकती हैं। जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। जनसंघ के प्रमुख नेताओं में श्री दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री बलराज मधोक आदि हैं। जनसंघ का ही परिवर्धित रूप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय (जन्म: 25 सितम्बर 1916–11 फरवरी 1968)- पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिन्तक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानववाद विचारधारा प्रस्तुत की थी। वे एक समावेशी, मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में अनेक लेख लिखे, जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए है।

चित्र- 14.3 पं. दीनदयाल उपाध्याय

कांग्रेस में उत्तराधिकार की चुनौतियाँ- मई, 1964 में प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज ने विचार- विमर्श कर लालबहादुर शास्त्री को प्रधानमन्त्री बनाया था। इसी काल में भारत-चीन युद्ध, खाद्यान्न संकट एवं भारत-पाक युद्ध से देश की जर्जर अर्थव्यवस्था एवं सैन्यशक्ति को सुदृढ करने के लिए प्रतिबद्ध शास्त्रीजी ने **'जय जवान जय किसान'** का नारा दिया था। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री समझौते के लिए ताशकन्द गए थे और 10 जनवरी, 1966 को उनका पार्थिव शरीर भारत वापस लौटा था। एक बार पुनः कांग्रेस में उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हुआ। अब दो प्रमुख दावेदार - मोरारजी देसाई और श्रीमती इन्दिरा गाँधी थीं। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस की बागडोर इन्दिरा गाँधी के हाथ में आई थी। इसी बीच 1967 ई. में चौथा आम चुनाव हुआ, जिसमें इन्दिरा मन्त्रिमण्डल के आधे से अधिक मन्त्री और दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे अर्थात् इस चुनाव में कांग्रेस का जनाधार पूर्व के चुनाव से काफी कम रहा और कुछ राज्यों मे कांग्रेस विरोधी मोर्चे बने थे।

चित्र- 14.4 श्रीमती इन्दिरा गाँधी

गैर कांग्रेसवाद- इन विषम परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव, भारत की दलीय राजनीति पर पड़ना स्वाभाविक था। विपक्षी दल जन-विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। उनका मानना था कि उनके विभाजित मतों के कारण कांग्रेस

इसे भी जानें-

- कांग्रेस में वैचारिक विभेद वाले अनेक गुट थे, जैसे - नरम दल व गरम दल, परन्तु अपनी सहनशीलता और विभिन्न गुटों के मध्य तालमेल बैठाने के विशिष्ट गुण ने कांग्रेस को अद्भुत शक्ति प्रदान की थी। इसी कारण चुनावी प्रतिस्पर्धा के प्रथम दशक में कांग्रेस ने सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई थी। भारतीय राजनीति के इस कालखण्ड को कांग्रेस प्रणाली कहा गया है।

पुनः सत्ता में आई है। अतः वैचारिक मतभेद भुलाकर विपक्षी दल एक जुट होने लगे थे। समाजवादी चिन्तक और नेता डॉ.राममनोहर लोहिया ने इसे **गैर कांग्रेसवाद** कहते हुए, इसके पक्ष में अपना तर्क देते हुए कहा कि "कांग्रेस का शासन लोकतान्त्रिक हितों और गरीबों के हितों के विरुद्ध है। अतः सभी गैर कांग्रेसी दल एकजुट हों, ताकि लोकतन्त्र को वापस लाया जाए व गरीबों का हक उन्हें दिलाया जाए"।

इसे भी जानें-

- 1967 ई. में पश्चिम बङ्गाल के दार्जिलिङ्ग जिले के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में एक किसान विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्त्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय नेता कर रहे थे। धीरे-धीरे यह आन्दोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया था। इसे नक्सलवादी विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्त्व प्रारम्भ में चारू मजूमदार ने किया था। वर्तमान में भारत के 9 राज्यों के लगभग 75 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं।

कांग्रेसी सिंडिकेट- नेहरू के पश्चात कांग्रेस सङ्गठन में एक अनौपचारिक समूह उठ खड़ा हुआ था, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। इसके प्रमुख नेता कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज, बम्बई के एस.के. पाटिल, मैसूर के एस. निजलिङ्गप्पा, आन्ध्रा के एन. संजीव रेड्डी और पश्चिम बङ्गाल के अतुल्य घोष थे। इन्दिरा गाँधी 1966 से 1977 ई. तथा 1980 से 1984 ई. तक भारत की प्रधानमंत्री रही थीं। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना, भूमि सुधार, प्रिवीपर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पर्यावरण संरक्षण, 1971 के युद्ध में विजय जैसे प्रमुख कार्यों का श्रेय आपको है।

आपातकाल की पृष्ठभूमि- 1967 ई. के बाद भारतीय राजनीति में बड़े परिवर्तन देखे गए थे। इन्दिरा गाँधी की राजनीतिक सुदृढता और लोकप्रियता विशेषतः 1970 के दशक के पूर्वार्द्ध में बढ़ी थी। न्यायपालिका और कार्यपालिका में संघर्ष बढा था। सरकार के आर्थिक और सामाजिक सुधारों को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताया था। वहीं सरकार ने न्यायालय पालिका को एक यथास्थितिवादी संस्था बताते हुए, आरोपित किया कि यह जनहित के कार्यक्रमों में बाधा पैदा कर रही है।

चित्र- 14.5 लोकनायक जय प्रकाश नारायण

सम्पूर्ण क्रान्ति का आह्वान- 1974 ई. में गुजरात, बिहार में महँगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलित छात्रों को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो गया था। अन्ततः जून 1975 में गुजरात में हुए उपचुनाव में कांग्रेस हार गई थी। आन्दोलित छात्रों के आग्रह पर **जयप्रकाश नारायण** ने एक अहिंसक और राष्ट्रव्यापी आन्दोलन खड़ा किया और सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया था। इसी समय असन्तुष्ट सरकारी कर्मचारियों

एवं रेल कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी थी। 1974 ई. की रेल हड़ताल का नेतृत्व जार्ज फर्नांडीज कर रहे थे। 1975 ई. में जे.पी. ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया था। इस आन्दोलन में जे.पी. को इन्दिरा गाँधी का विकल्प माना जा रहा था। राष्ट्रकवि 'रामधारी सिंह दिनकर' की 'सिंहासन खाली करो की जनता आती है' रचना को अधिक लोकप्रियता मिली थी।

न्यायपालिका से संघर्ष- इस काल के प्रमुख संवैधानिक मुद्दे थे- क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? क्या नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों को संशोधन द्वारा कम करना उचित है? केशवानन्द भारती केस की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का एक बुनियादी ढाँचा है और संसद इन ढाँचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। 1973 ई. में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति में वरिष्ठता की परम्परा का त्याग भी संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा था। इस संघर्ष में बड़ा मोड़ तब आया जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन्दिरा गाँधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था।

आपातकाल की घोषणा- 1971 ई. में इन्दिरा गाँधी के विरुद्ध प्रत्याशी रहे राजनारायण ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में इन्दिरा गाँधी द्वारा चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के विरुद्ध याचिका दायर की थी। 12 जून, 1975 ई.को उच्च न्यायालय ने इन्दिरा गाँधी के निर्वाचन को अवैध बताया और अगले छः माह तक दोबारा उनके निर्वाचन पर रोक लगा दी। अर्थात् वे अब प्रधानमन्त्री नहीं रह सकती थीं। 25 जून, 1975 ई. को विशाल जनसमूह ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमन्त्री से इस्तीफे की माँग की थी। सरकार ने देश में अशान्ति और गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 26 जून 1975 ई. को आपातकाल घोषित कर दिया था। आपातकाल की घोषणा के साथ आन्दोलन का दमन किया गया था।देश में हड़तालों और प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी गई थी। सामाजिक सङ्गठन 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' को प्रतिबन्धित कर दिया गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए थे।

शाह जाँच आयोग- मई, 1977 ई. में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी.शाह के नेतृत्व में आपातकाल के समय हुई ज्यादतियों की जाँच हेतु आयोग गठित किया था। इस आयोग के निष्कर्षों, पर्यवेक्षणों और सिफारिशों को स्वीकार कर, सरकार ने संसद में विचार के लिए प्रस्तुत किया था। आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। परन्तु कुछ समय उपरान्त ही पार्टी में सत्ता की खींचतान शुरू हुई, जिसके कारण सरकार गिर गई और जुलाई, 1979 ई. में चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने लेकिन यह अल्पमत की सरकार भी ज्यादा दिन

टिक नहीं पाई थी। इसी बीच 1880 ई. में मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, एक बार फिर इन्दिरा गाँधी देश की प्रधानमंत्री (1980-84 ई.) बनी थीं।

1977 ई. के बाद पिछड़ा वर्ग का मुद्दा भारतीय राजनीति को प्रभावित करने लगा था। 1977 ई. में लोकसभा के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों में भी गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थीं। पिछड़े वर्ग के नेताओं द्वारा पिछड़े वर्ग आरक्षण के मुद्दे को हवा दी गई थी । फलस्वरूप केन्द्र की जनता पार्टी सरकार ने 1979 ई. में बी.पी. मण्डल की अध्यक्षता में 'मण्डल आयोग' का गठन किया था।

इसे भी जानें-

- भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ई. में अटलबिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई थी।
- 31 अक्टूबर, 1984 ई. को इन्दिरा गाँधी के अङ्गरक्षकों ने उनकी गोली मार कर हत्या कर दी थी।

1990 का दशक- दिसम्बर, 1984 के आठवें आम चुनाव में कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत के साथ लोकसभा की 415 सीटें प्राप्त की थी और राजीव गाँधी प्रधानमन्त्री (1984-89 ई.) बने थे। इस दौरान देश की राजनीति में बड़े परिवर्तन आए थे, जिनका गहरा प्रभाव भविष्य की भारतीय राजनीति पर पड़ा था। अगले आम चुनाव (1989 ई.) में कांग्रेस की भारी पराजय के साथ केन्द्र की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढा था।पहली बार 'राष्ट्रीय मोर्चा' नाम से केन्द्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह (1989-1990) के नेतृत्व में भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन से पहली गठबंधन सरकार बनी थी। इस सरकार द्वारा मण्डल आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया था। परन्तु यह सरकार अल्पकालिक सिद्ध हुई थी। तदुपरान्त कांग्रेस के बाह्य समर्थन से चन्द्रशेखर 11वें प्रधानमन्त्री (1990-91 ई.) बने थे। जासूसी करवाने के आरोप में कांग्रेस द्वारा सरकार से समर्थन वापिस ले लिया गया और 6 मार्च, 1991ई. को यह सरकार भी गिर गई थी।

शाहबानो प्रकरण- 1985 ई. में तलाकशुदा महिला शाहबानो द्वारा अपने पूर्व पति से गुजारा-भत्ते के लिए न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया था। इस निर्णय को मुस्लिम समुदाय ने इस्लामिक कानून में हस्तक्षेप माना और मुस्लिम नेताओं की माँग पर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम- 1986 को संसद से पास कर कानून बनाया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया था, जिसका महिला सङ्गठनों, बुद्धिजीवियों एवं राजनेताओं द्वारा घोर विरोध हुआ था।

1991 ई. में पुनः मध्यावधि चुनाव हुए, इस काल की एक बड़ी घटना चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु गए राजीव गाँधी की लिट्टे समूह द्वारा जघन्य हत्या रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन में आंशिक सुधार हुआ था और जैसे-तैसे नरसिम्हा राव के नेतृत्व में केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने के साथ कांग्रेस के वर्चस्व का अन्त हो गया था। सरकारों द्वारा बुनियादी तौर पर आर्थिक सुधारों को लागू किया गया जिनकी शुरुआत राजीव गाँधी सरकार से हुई और नरसिम्हा राव सरकार में इसमें बड़े बदलाव देखे गए थे। इस कालखण्ड को आर्थिक उदारीकरण का प्रारम्भ कहा गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक अभ्युदय- अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय भारतीय राजनीति में एक परिवर्तनकारी घटनाक्रम सिद्ध हुआ है। भारतीय क्रान्ति दल एवं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े जाति समूहों में व्यापक और शक्तिशाली जनाधार था। 1978 ई. में **बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्पलाइज संघ** का गठन हुआ था। इस संघ ने अनुसूचित जाति, जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के राजनीतिक सत्ता के पक्ष को मजबूती से प्रकट किया था। परिणामस्वरूप 1980 के दशक में दलित-शोषित समाज संघर्ष समिति समेत अनेक दलित जातियों के राजनीतिक सङ्गठनों का उदय हुआ। इसी संघर्ष समिति का परवर्तित स्वरूप 'बहुजन समाज पार्टी'(1984 ई.) का गठन कांशीराम की अगुवाई में हुआ था। 1989 ई. और 1991 ई. के चुनावों में उत्तर प्रदेश में बसपा को भारी सफलता मिली थी। इसी के साथ भारत के कई भागों में दलित और पिछड़ा वर्ग की राजनीति के चलते अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठन हुआ और प्रतिस्पर्धा की राजनीति के साथ जातिवादी प्रवृत्तियाँ राजनीति में उभरने लगी थीं।

गठबन्धन राजनीति का युग- 1989 ई. के चुनावों से भारतीय राजनीति में गठबन्धन सरकारों का लम्बा दौर चला और केन्द्र में 11 गठबन्धन सरकारें बनी थीं। 1989 ई. में 'राष्ट्रीय मोर्चा सरकार', 1996 और 1997 ई. में 'संयुक्त मोर्चा सरकार', 1998 और 1999 ई. में 'राजग सरकार', 2004 और 2009 ई. में 'संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (संप्रग) सरकार इसके उदाहरण है। 2014 व 2019 ई. में राजनीतिक प्रवृत्ति में बदलाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को आम चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था परन्तु केन्द्र में गठबन्धन के रूप में राजग सरकार कायम है।

चित्र- 14.6 अटल बिहारी वाजपेयी

अयोध्या प्रकरण- अयोध्या का राम मन्दिर प्राचीनकाल से ही हिन्दू समुदाय की धार्मिक आस्था का केन्द्र रहा है। अयोध्या सप्त मोक्षपुरियों में से एक है। नवम्बर, 1989 ई. में मन्दिर का विधिवत शिलान्यास हुआ था।राम मन्दिर निर्माण की घोषणा होते ही हिन्दू और मुस्लिम सङ्गठन अपने-अपने समुदायों को एकजुट करने लगे थे। मुस्लिम समुदाय द्वारा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया था। अन्य हिन्दू सङ्गठनों राष्ट्रीय स्वयं संघ और विश्व हिन्दू परिषद आदि ने हिन्दुओं को प्रतीकात्मक रूप से एकजुट करने का कार्यक्रम चलाया था। 6 दिसम्बर, 1992 ई. में कारसेवा आयोजित की गई थी। देश में तनाव का माहौल था। सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार को विवादित स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का आदेश दिया था। अयोध्या पहुँचे रामभक्तों ने विवादित ढाँचे को ढहा दिया था। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने आधिकारिक रूप से इस घटना पर अफसोस जताया था। इस घटना की जाँच के लिए केन्द्र सरकार ने लिब्राहन आयोग(1992 ई.) का गठन किया था। 30 सितम्बर 2010 ई. को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में राम मन्दिर के दावे को सही ठहराया था। विध्वंश हो चुके ढाँचे के नीचे के हिस्से को रामलला को तथा 2.77 एकड़ भूमि को तीन हिस्सों में बाँटकर सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया था। 9 मई, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति का आदेश दिया था। 9 नवम्बर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने विवादित स्थल को राम जन्मभूमि माना व मस्जिद के लिए अयोध्या में अन्यत्र 5 एकड़ भूमि देने का निर्णय दिया था।

नई सहमति का उदय- 1989 ई. के बाद के दौर को भारतीय लोकतन्त्र की दलीय राजनीति में कांग्रेस के पतन और भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के रूप में देखा जाता है। 1990 के दशक के बाद जो राजनीतिक समीकरण बने, उनमें मुख्यतः चार प्रकार के राजनीतिक दल उभरे- प्रथम कांग्रेस गठबन्धन दल, दूसरा भाजपा गठबन्धन दल, तीसरा वाम मोर्चा दल, चौथे इन गठबंधनों से अलग दल। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता बहुकोणीय हुई है। इस परिवर्तन का कारण वैचारिक घालमेल है। चुनावी राजनीति में 1989 ई. से ही कांग्रेस पस्त नजर आ रही थी परन्तु 2004 ई. और 2009 ई. के चुनावों में कांग्रेस गठबन्धन को सत्ता प्राप्ति में सफलता मिली थी। परन्तु 2014 ई. के चुनावों में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। तब से अभी तक भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन का दूसरा सफल कार्यकाल जारी है।

संघर्षों और कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर अधिकांश राजनीतिक दलों में व्यापक सहमति है। जैसे- नई आर्थिक नीति (उदारीकरण) को लेकर राजनीतिक दलों में एक आम सहमति बनी है। पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को लेकर सकारात्मक रूप में एक आम सहमति बनी है। पिछले दो दशकों में क्षेत्रीय दलों ने केन्द्रीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।इस दौर की गठबन्धन राजनीति में दलों के मध्य वैचारिक मतभेदों के बाद भी एकजुट होकर सत्ता में भागीदारी पर जोर रहा है। ये बदलाव भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं और आगामी राजनीति इन्हीं परिवर्तनों की सीमा में आकार लेगी। राजनीतिक दल सहमति की सीमा में कार्य कर रहे हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. लॉर्ड माउण्टबेटन ने..... को भारत विभाजन की घोषणा कर दी थी।
   - अ. 3 जून, 1947 ई.
   - ब. 5 जुलाई, 1947 ई.
   - स. 15 अगस्त, 1947 ई.
   - द. 6 दिसम्बर, 1947 ई.
2. राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन .....में किया गया था।
   - अ. 1956 ई.
   - ब. 1972 ई.
   - स. 1981 ई.
   - द. 1990 ई.
3. भारतीय लोकतन्त्र के आरम्भ में..... दल का वर्चस्व था।
   - अ. भारतीय जनसंघ
   - ब. कांग्रेस
   - स. साम्यवादी दल
   - द. स्वतन्त्र दल
4. नेहरु का उत्तराधिकार .....को प्राप्त हुआ।
   - अ. डॉ.राजेन्द्र प्रसाद
   - ब. लालबहादुर शास्त्री
   - स. डॉ. राधाकृष्णन
   - द. इन्दिरा गाँधी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. आपातकाल ..... लगा। (25 जून, 1975/26 जून, 1976)
2. पृथक् राष्ट्र की माँग ..... अधिवेशन में रखी गई। (मुम्बई/लाहौर)
3. देश के एकीकरण में ..... की मुख्य भूमिका थी। (सरदार पटेल/राजेन्द्र प्रसाद)
4. भारतीय जनसंघ की स्थापना..... हुई थी। (1951 ई./1955 ई.)

सत्य/असत्य बताइए -

1. स्वतन्त्रता के समय भारत में 565 देशी रियासतें थीं। सत्य/असत्य
2. 2 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा की। सत्य/असत्य
3. भारत-पाक युद्ध 1965 में हुआ था। सत्य/असत्य
4. प्रथम आम चुनाव1952 ई. में हुए थे। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1.	महाराष्ट्र	क. 2014 ई.
2.	छत्तीसगढ	ख. 1960 ई.
3.	तेलंगाना	ग. 2000 ई.
4.	गोवा	घ. 1987 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. देशी रियासतों के विलय में किसकी मुख्य भूमिका थी ?
2. 'जय जवान-जय किसान का नारा' किसने दिया था?
3. राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था?
4. मण्डल आयोग का गठन कब हुआ था?
5. शाह आयोग की स्थापना क्यों की गई थी?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं?
2. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को समझाइए।
3. नए भारत के सामने कौन-कौनसी चुनौतियाँ थीं ?
4. कांग्रेसी सिंडिकेट से क्या आशय है ?
5. आपातकाल की घोषणा के बाद सरकार ने कौनसे दमनकारी कार्य किए थे ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के मूलाधारों की विवेचना कीजिए।
2. आपातकाल की विस्तृत विवेचना कीजिए ?

परियोजना-

1. भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की कार्यकाल सहित सूची बनाइए।

अध्याय - 15

स्वतन्त्र भारत में जनान्दोलन एवं क्षेत्रीय आकाङ्क्षाएँ

इस अध्याय में- जन आन्दोलनों की प्रकृति, चिपको आन्दोलन, दल आधारित आन्दोलन, राजनीतिक दलों से स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन, प्रमुख स्वयं सेवी सङ्गठन एवं जन आन्दोलन, जन आन्दोलनों से सीख, क्षेत्रीय आकाङ्क्षाएँ, भारत सरकार का दृष्टिकोण, जम्मू-कश्मीर मुद्दा, उग्रवाद और प्रभाव, द्रविड़ आन्दोलन, पञ्जाब में सिक्ख आन्दोलन, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम का विलय, समाहार।

आजादी के बाद भी भारत में कई प्रकार के आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ है। ये आन्दोलन पर्यावरण, कृषि, मजदूरों की समस्या, राजनीतिक पिछड़ेपन और विभिन्न क्षेत्रीय असमानताओं के कारण हुए हैं। इनमें से प्रमुख आन्दोलनों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे।

जन आन्दोलनों की प्रकृति- भारतीय लोकतन्त्र का उदय, जन आन्दोलनों का ही परिणाम रहा है। 19वीं-20वीं सदी में अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे जनान्दोलन हुए हैं। इन आन्दोलनों में समाज के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़-चढ़ कर सहभागिता की थी। सन् 1970 के दशक में समाज के विविध वर्गों- किसान, छात्र, महिला तथा दलित जनों को लगने लगा कि देश की लोकतान्त्रिक सरकार उनकी आवश्यकताओं और माँगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण जन आन्दोलनों की भूमिका बढ़ी, साथ ही जनभावनाओं को व्यक्त करने के तरीकों में भी परिवर्तन आया था।

चिपको आन्दोलन- 1972 ई. में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जङ्गलों की अवैध और अबाध कटाई को रोकने हेतु यह प्रारम्भ हुआ था। 1974 ई. में चमोली की गोपेश्वर निवासी 23 वर्षीय विधवा **गौरा देवी** को लोगों को सङ्गठित कर, इस आन्दोलन को आरम्भ करने का श्रेय है। वृक्षों की कटाई के विरोध में लोग वृक्षों से चिपक जाते थे। अतः इसे **चिपको आन्दोलन** कहा गया है। इस आन्दोलन को चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने में प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुन्दरलाल बहुगुणा और चण्डी प्रसाद भट्ट ने अहम भूमिका निभाई थी।

इसे भी जानें-

- इस आन्दोलन के दौरान सरकार को वन-नीति बदलने के लिए नारा दिया गया- 'हिम पुत्रियों की हैं ललकार, वन नीति बदले सरकार'। 'वनजागे, वनवासी जागे'।
- 1977 ई. में वनों को संरक्षित करने के लिए नारा दिया गया- 'क्या है जङ्गल के उपकार मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार'।

दल आधारित आन्दोलन- 20वीं सदी के आरम्भिक दशकों में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चिन्तन मंथन के परिणामस्वरुप अनेक सामाजिक आन्दोलन जैसे- जाति विरोधी आन्दोलन, अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन, किसान आन्दोलन, मजदूर आन्दोलन हुए थे। 1950-60 के दशक में पश्चिम बङ्गाल और आन्ध्रप्रदेश में किसान, साम्यवादी दलों के नेतृत्व में सङ्गठित हुए तथा भारत के विभिन्न प्रान्तों में कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन जारी रखा है।

राजनीतिक दलों से स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन- 1970 से 80 के दशक में लोगों का राजनीति और राजनीतिक दलों से मोहभंग हो गया था फलस्वरूप अनेक गैर राजनीतिक समूह उभरे। इनकी प्रकृति सामाजिक सेवा कार्यों के सङ्गठित स्वरूप वाली थी, इस कारण इन्हें स्वयंसेवी सङ्गठन कहा गया है। ऐसे सङ्गठनों की स्थानीय और क्षेत्रीय सक्रियता से स्थानीय मुद्दों और लोकतन्त्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी में आश्चर्यजनक और कारगर वृद्धि हुई, साथ ही लोकतान्त्रिक सरकारों की सोच और कार्य में भी परिवर्तन हुआ था।

प्रमुख स्वयं सेवी सङ्गठन एवं जन आन्दोलन-

दलित पैन्थर्स- 1972 ई. में **दलित पैन्थर्स** नामक एक सङ्गठन बना, जिसका उद्देश्य दलित वर्ग में चेतना जगाकर उनके विरुद्ध हो रहे अन्यायों का विरोध करना तथा उन्हें उनके अधिकार दिलाना था। आरम्भिक वर्षों में महाराष्ट्र में जातीय असमानता को लेकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले दलित युवाओं ने जनान्दोलन चलाया था। इस सङ्गठन ने जनान्दोलन के रूप में संविधान प्रदत्त आरक्षण एवं सामाजिक न्याय की नीतियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन की माँग की व सरकारों के ध्यान को आकर्षित किया था। इस सङ्गठन ने अपने वृहद् एजेंड़े में जाति प्रथा की समाप्ति, भूमिहीन कृषकों, औद्योगिक मजदूरों एवं समस्त वंचित समूहों को सङ्गठित किया है ।

भारतीय किसान यूनियन- 1978 ई. में भारतीय किसान यूनियन (बी.के.यू.) गठित हुआ था। 1980 के दशक में उभरे किसान आन्दोलन में सरकार की कृषि नीतियों का विरोध किया गया था। पहला बड़ा किसान आन्दोलन 1988 ई. में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला मुख्यालय के सामने हुआ था। इस आन्दोलन के प्रभाव से सरकार ने किसानों की माँगे मान ली थीं। 1990 के दशक में जब सरकार के उदारीकरण की नीति से नकदी फसलों के बाजार पर संकट आया तो भारतीय किसान यूनियन ने 'महेन्द्र सिंह टिकैत' के नेतृत्व में बड़ा किसान आन्दोलन किया था, जिसकी अनगूँज दिल्ली तक पहुँची थी। 1990 के दशक के प्रारम्भ में भारतीय किसान यूनियन ने स्वयं को राजनीतिक दलों से दूर रखा परन्तु आज यह यूनियन राजनीति में सक्रिय है।

नेशनल फिशवर्कर्स फोरम (N.F.F.)- भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में मछुआरा समुदायों की आजीविका का मुख्य स्रोत समुद्री मत्स्य आखेट है। जब प्रान्तीय सरकारों ने मत्स्य दोहन हेतु **बाटम ट्राउलिङ्ग** प्रौद्योगिकी की अनुमति प्रदान की तो मछुआरों पर आजीविका का संकट खड़ा हो गया था। मछुआरों के स्थानीय सङ्गठन अपनी आजीविका के लिए सरकारों के विरूद्ध संघर्ष करते हैं। उदारीकरण के दौर में मछुआरों ने स्थानीय 'नेशनल फिशवर्कर्स फोरम' नामक राष्ट्रीय मंच बनाया था। इस फोरम को केन्द्र सरकार से कानूनी लड़ाई में 1997 ई. में सफलता मिली थी। 2002 ई. में विदेशी कम्पनियों को मत्स्य आखेट के लिए लाइसेंस देने के विरोध में इस सङ्गठन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी। इस फोरम ने पारिस्थितिकीय और मछुआरों के जीवन की रक्षा के लिए विश्व के समानधर्मी सङ्गठनों के साथ मिलकर कार्य करना प्रारम्भ किया है।

ताड़ी विरोधी आन्दोलन- 1992 ई. में आन्ध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरगंटा गाँव में यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। इस आन्दोलन में महिलाओं ने बहुत अधिक संख्या में भाग लिया था। नेल्लोर की महिलाएँ ताड़ी और शराब की दुकानों को बन्द करने के लिए सर्वप्रथम आगे आई थी। उनका मुख्य उद्देश्य पुरुषों की शराब की लत को समाप्त करना था। साधारण सा दिखने वाला ताड़ी विरोधी आन्दोलन, व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया था। महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले इस आन्दोलन में पहली बार महिलाओं ने घरेलू हिंसा के मुद्दों को खुले मंच पर रखा था।

इसे भी जानें-

- भारत सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए 74वें संविधान संशोधन में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
- महिलाओं के साथ घरेलु हिंसा की रोकथाम के लिए घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 को 26 अक्टूबर, 2006 ई. में लागू किया था।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन- गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बाँध का निर्माण गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को पेयजल, सिंचाई, जलविद्युत आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था। समय-समय पर इस बाँध के विस्तार के कारण 250 गाँव इसके डूब क्षेत्र में आ रहे थे, इसलिए 1988-89 ई. में इन गाँवों के लोगों के पुनर्वास को लेकर एक बड़ा आन्दोलन हुआ था, जिसे 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' कहा जाता है।

चित्र 15.1 सरदार सरोवर बाँध

यह आन्दोलन एक अहिंसक आन्दोलन था, जिसमें भारत के स्वयंसेवी सङ्गठनों सहित बाबा आम्टे, मेधा पाटेकर, अरून्धति रॉय, अनिल पटेल आदि समाजसेवी लोग सम्मिलित हुए थे।

जन आन्दोलनों से सीख- समय-समय पर उठ खड़े होने वाले विविध जनान्दोलन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में गैर- दलीय राजनीति का अहम भाग हैं। समाज के गहरे विभेदकारी तनावों और जनाक्रोश को इन जनान्दोलनों ने सकारात्मक दिशा देते हुए, लोकतन्त्र की रक्षा के साथ सक्रिय जन भागीदारी के नव प्रयोग से भारतीय लोकतन्त्र के जनाधार को बढ़ाया है।

क्षेत्रीय आकाङ्क्षाएँ- भारत, स्वतन्त्रता के पश्चात जब राष्ट्र निर्माण के लिए लोकतान्त्रिक मार्ग पर जैसे-जैसे आगे बढ़ा, वैसे-वैसे क्षेत्रीय स्वायत्तता का भाव आन्दोलित होने लगा था। क्षेत्रीय आकाङ्क्षाओं की पूर्ति के लिए लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में हिंसक संघर्ष प्रारम्भ कर दिए थे। 1980 के दशक में क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँगें देश के कोने-कोने से उठने लगी थी। असम, पञ्जाब, मिजोरम, नागालैण्ड, जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय आन्दोलन उभरने लगे थे। सरकार ने संवैधानिक सीमा में रहकर संघर्षों पर विराम लगा कर, विवादित मुद्दों को हल कर दिया था।

भारत सरकार का दृष्टिकोण- भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप में एकता और विविधता के मध्य सन्तुलन स्थापित करने वाले सेतु निर्माण का प्रयास किया गया है। विविधता के प्रश्न पर भारत का दृष्टिकोण सदैव लोकतान्त्रिक रहा है, जहाँ क्षेत्रीय आकाङ्क्षाओं को राष्ट्र निर्माण के सापेक्ष माना गया है। स्वतन्त्रता के बाद से ही देश को विभाजन और विस्थापन, देशी रियासतों के विलय, राज्यों के पुनर्गठन जैसी समस्याओं से दो-चार होना पड़ा था। आजादी के बाद से ही जम्मू-कश्मीर का मामला व पूर्वोत्तर में नागालैण्ड, असम और मिजोरम में अलगाववादी आन्दोलन, 1950 के दशकोत्तर में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए विविध आन्दोलन ऐसे ही उदाहरण हैं।

जम्मू-कश्मीर मुद्दा- जम्मू-कश्मीर का पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद के केन्द्र में रहने के साथ ही सुरक्षा के बाह्य एवं आन्तरिक पहलू भी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी और मैदानी क्षेत्रों का मिश्रण है। यहाँ हिन्दू ,मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख जैसे अनेक धार्मिक एवं भाषाई समुदाय के लोग रहते हैं। जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतन्त्र राज्य चाहते थे। अक्टूबर, 1947 ई. में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को कश्मीर पर अधिकार करने के लिए भेजा था। राजा हरि सिंह ने भारत से

इसे भी जानें-

- केन्द्र सरकार द्वारा 5 अगस्त, 2019 ई. को राज्यसभा व 6 अगस्त, 2019 ई. को लोकसभा में इस पुनर्गठन विधेयक को पारित किया था।
- 9 अगस्त 2019 ई. को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात धारा 370 और 35A को समाप्त कर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम से दो केन्द्र शासित प्रान्तों का गठन किया था।

मदद की गुजारिश की थी। भारतीय सेना ने कश्मीर से कबायलियों को बलपूर्वक बाहर खदेड़ दिया था। इस सैन्य कार्यवाही के पूर्व ही महाराजा ने जम्मू-कश्मीर के भारत संघ में विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

मानचित्र- 15.1 जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख

भारत में जम्मू-कश्मीर के विलय के बाद से ही वहाँ की राजनीति बाह्य एवं आन्तरिक कारणों से विवादित एवं संघर्षमय रही है। कबायली आक्रमण के समय जम्मू-कश्मीर राज्य का एक भाग पाकिस्तान के नियन्त्रण में चला गया था। भारत इसे अवैध अधिग्रहण मानता है और पाकिस्तान इसे **आजाद कश्मीर** कहता है। यह मुद्दा आजादी के बाद से ही दोनों राष्ट्रों के बीच संघर्ष का बड़ा कारण है। आन्तरिक विवादों का प्रमुख कारण भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त विशेष राज्य का दर्जा था।

उग्रवाद और प्रभाव- 1987 ई. में जम्मू और कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबन्धन को मिली भारी सफलता को जनमानस चुनावी धांधली मानने लगा था। इसी बीच 1989 ई. आते-आते यह राज्य उग्रवाद की चपेट में आ गया था। उग्रवादी आन्दोलनों के जरिये अलग राष्ट्र के नाम पर लोगों को एकजुट किया जाने लगा था। ऐसे सङ्गठनों को पाकिस्तान से नैतिक, भौतिक और सशस्त्र सैन्य सहायता प्रदान की जा रही थी। यहाँ के आमजन को भारी हिंसा और विस्थापन का सामना करना पड़ा था। आरम्भिक वर्षों में उग्रवाद को जनसमर्थन मिला परन्तु अब आमजन क्षेत्रीय शान्ति की कामना करने लगे हैं। केन्द्र सरकार ने इस राज्य को केन्द्र शासित प्रदेश बनाकर अपने अधिकार में ले लिया है, जिससे यहां आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है तथा जम्मू-कश्मीर व लद्दाख चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर हैं। इन सबके मध्य बहुलता युक्त धर्म निरपेक्ष संस्कृति आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है।

द्रविड़ आन्दोलन- यह भारत के सभी क्षेत्रीय आन्दोलनों में सबसे सशक्त आन्दोलन था। इस आन्दोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्त्ता प्रसिद्ध समाजसेवी ई. वी. रामास्वामी नायकर **पेरियार** थे। इस आन्दोलन का एक पक्ष स्वतन्त्र द्रविड़ राष्ट्र की माँग शान्तिपूर्ण ढंग से कर रहा था। इस आन्दोलन से द्रविड़ मुनेत्र कडगम नामक क्षेत्रीय राजनीतिक दल का उदय हुआ है। यह दल द्रविड़ गौरव की प्रतिष्ठा पर बल देता था। राजभाषा हिन्दी के विरूद्ध 1965 ई. के आन्दोलन ने इसे जनलोकप्रिय बनाया था।

पञ्जाब में सिक्ख आन्दोलन- पञ्जाब में क्षेत्रीय आकाङ्क्षाएँ धार्मिक और राजनीतिक आन्दोलनों के रूप में प्रकट हुई थीं। आजादी के पूर्व ही अकाली दल, गुरुद्वारों पर नियन्त्रण के लिए आन्दोलन कर चुका था। इस दल का एक पक्ष तो अलग खालिस्तान की माँग तक कर चुका था। 1966 ई. में भाषायी आधार पर हिमाचल, हरियाणा और पञ्जाब प्रान्तों का गठन हुआ था । 1967 ई. और 1977 ई. में पञ्जाब प्रान्त में अकाली दल ने गठबन्धन सरकार बनाई थी। 1973 ई. में आनन्दपुर साहिब में हुए सम्मेलन में अकाली दल के एक गुट ने स्वायत्तता की माँग के अन्तर्गत कहा कि, 'भारत सरकार का नियन्त्रण केवल सुरक्षा, विदेश, यातायात, सञ्चार और मुद्रा मामलों तक सीमित रहेगा'। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू न किया जाए। हरियाणा और हिमाचल को पञ्जाब प्रान्त में शामिल किया जाए। 1980 ई. में अकाली दल की सत्ता चली गई और दरबारा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हार से निराश अकाली दल ने पञ्जाब तथा पड़ोसी राज्यों के मध्य जल बँटवारे को लेकर आन्दोलन चलाया और चरमपंथियों ने खालिस्तान की माँग की थी। इसी के साथ ही वहाँ सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भ हो गया था। अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर खालिस्तानी उग्रवाद का केन्द्र बन गया था। इसे चरमपन्थियों से मुक्त कराने के लिए जून, 1984 ई. में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन 'ब्लूस्टार' चलाया गया था। स्वर्ण मन्दिर को चरमपंथियों से मुक्त तो करा लिया गया था परन्तु मन्दिर की भारी क्षति हुई थी। इससे सिक्खों की धार्मिक-भावनाएँ आहत हुई थीं। इसे सिक्खों ने स्वयं के धार्मिक विश्वास पर हमला माना था। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी की सैन्य कार्यवाही के विरुद्ध सिक्ख समुदाय में भारी रोष उत्पन्न हुआ था। 31 अक्टूबर, 1984 ई. को प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण देशभर में सिक्ख विरोधी हिंसा भड़क उठी थी। 1990 ई. के मध्योत्तर में पञ्जाब उग्रवाद से मुक्त होकर शान्ति की ओर बढ़ रहा है।

पूर्वोत्तर भारत- पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों असम, नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को संयुक्त रूप से **सेवन सिस्टर्स** कहा जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरे देश की 4% जनसंख्या निवास करती है। चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश की अन्ताराष्ट्रीय सीमा होने के कारण इस क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के तीन प्रमुख राजनीतिक मुद्दे हैं- स्वायत्तता की माँग, अलगाववादी आन्दोलन और बाहरी लोगों का विरोध। 1970 के दशक में स्वायत्तता की माँग तथा 1980 के दशक में अलगाववादी तथा वहाँ लोगों के विरोध के मुद्दे गंभीर रूप से उभरे थे।

असम प्रान्त में भाषा को लेकर गैर-असमियों के प्रति वहाँ के मूल निवासियों में असन्तोष उपजा था। भारत सरकार को मिजोरम और नागालैण्ड में अलगाववादी माँगों का लम्बे समय तक सामना

करना पड़ा था। 1959 ई. में असम प्रान्त के मिजो क्षेत्र में पड़े अकाल के समय सरकारी कुप्रबन्धन के चलते वहाँ अलगाववादी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था। लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रन्ट बना था, जिसने 1966 ई. में आजादी के लिए सशस्त्र आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। पाक समर्थित मिजो फ्रन्ट ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे बनाए थे। 1986 ई. में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और लालडेंगा पहले मुख्यमन्त्री बने थे। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सर्वाधिक शान्त क्षेत्र होने के साथ कला, साहित्य और विकास क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर रहा है।

मानचित्र- 15.2 पूर्वोत्तर भारत

1951 ई. में नागालैण्ड में अलगाववादियों के एक समूह ने अङ्गमी जापू फिजो के नेतृत्व में स्वयं को भारत से स्वतन्त्र घोषित कर दिया था। हिंसक विद्रोह के बाद नागा लोगों के एक पक्ष ने सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया परन्तु दूसरे पक्ष ने इसे मानने से इन्कार कर दिया था। अभी भी नागालैण्ड की समस्या का समाधान शेष है।

- 1967 ई. में प्लेन ट्राइब्स काउंसिल ऑफ असम (PTCA) की स्थापना के समय बोरो और अन्य मैदानी जनजातियों के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश 'उदयचल' की माँग उठी थी। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने 1987 ई. में एक अलग राज्य बोडोलैंड के लिए बोडो आन्दोलन प्रारम्भ किया था। 1993 ई. के बोडो समझौते के साथ यह आन्दोलन समाप्त हो गया था। इस समझौते के अन्तर्गत बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था।
- बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) अनौपचारिक रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर पाँच जिलों से मिलकर बना है। यह एक निर्वाचित निकाय द्वारा प्रशासित होता है, जिसे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के रूप में जाना जाता है। फरवरी 2003 ई. में हस्ताक्षरित एक शांति समझौते की शर्तों के अन्तर्गत यह अस्तित्व में आया था। जनवरी 2020 में हस्ताक्षरित एक समझौते द्वारा इसकी स्वायत्तता को और बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में रॉबिन शर्मा बोडोलैंड के अध्यक्ष हैं।

असम में 1979 ई. से 1985 ई. तक का 'असम आन्दोलन' अप्रवासियों के विरुद्ध स्थानीय समुदायों द्वारा चलाया गया था। इनकी माँग थी कि 1951 ई. के बाद राज्य में आये अप्रवासियों को असम से बाहर निकाला जाए। 1985 ई. में भारत सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के नेताओं के मध्य हुए समझौते में उनकी माँगें मान ली गई थीं। आसू ने स्वयं को **असम गण परिषद** नामक राजनीतिक दल के रूप में सङ्गठित कर 1985 ई. में सरकार बनाई थी। त्रिपुरा में भी अलग राज्य टिप्रोलैण्ड की माँग हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के मूलवासी भी चकमा शरणार्थियों को लेकर आन्दोलित है, जो एक गम्भीर समस्या है।

सिक्किम का विलय- स्वतन्त्रता काल से ही सिक्किम भारत द्वारा नियन्त्रित और संरक्षित था। राजा चोग्याल यहाँ के सम्राट थे। 1974 ई. में विधानसभा के प्रथम लोकतान्त्रिक चुनाव में सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली थी। सिक्किम कांग्रेस के सहयोग से अप्रैल, 1975 ई. में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था।

समाहार- क्षेत्रीय आकाङ्क्षाओं से सम्बद्ध विवेचनाओं से स्पष्ट है कि सात दशकों के बाद राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के मुद्दों का समाधान पूर्णतः नहीं हो पाया है। क्षेत्रीय आकाङ्क्षाएँ नित-नूतन रूप में उभर रही हैं। कहीं स्वायत्तता, कहीं अलगाववाद, तो कहीं विकास के मुद्दे निरन्तर उठते रहे हैं। ये मुद्दे विशेषतः 1980 ई. के बाद के काल खण्डों में भारतीय लोकतान्त्रिक राजनीति की क्षमताओं की अग्निपरीक्षा साबित हुए हैं। क्षेत्रीय आकाङ्क्षाओं की घटनाएँ लोकतान्त्रिक राजनीति का महत्त्वपूर्ण भाग हैं। लोकतन्त्र में क्षेत्रीय दलों एवं समूहों को केन्द्रीय राजव्यवस्था में सहभागी बनाना भी आवश्यक है। भारत का संवैधानिक ढाँचा लचीला, लोकधर्मी और सर्वसमावेशी है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. चिपको आन्दोलन.....को हुआ था।
   अ. 1970 ई. ब. 1972 ई. स. 1974 ई. द. 1976 ई.
2. मछुआरों के राष्ट्रीय सङ्गठन का नाम..... है।
   अ. फिश मंच ब. फिश संघ
   स. फिश सङ्गठन द. नेशनल फिशवर्कर्स फोरम
3. बोडो आन्दोलन ..... राज्य से सम्बन्धित है।
   अ. उत्तराखण्ड ब. केरल
   स. बिहार द. असम

4. शिरोमणि अकाली दल .....राज्य से सम्बन्धित है।

अ. हरियाणा ब. पञ्जाब स. हिमाचल प्रदेश द. राजस्थान

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. खालिस्तानी आन्दोलन का सम्बन्ध ..... से है। (पञ्जाब/राजस्थान)
2. जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ..... में विलय चाहते थे। (भारत/पाकिस्तान)
3. ताडी आन्दोलन का सम्बन्ध ..... से है। (तेलंगाना/आन्ध्रप्रदेश)
4. अप्रैल, 1975 ई. में सिक्किम को भारत का.....राज्य बनाया गया था। (22वां/25वां)

सत्य/असत्य बताइए-

1. चकमा शरणार्थियों का सम्बन्ध अरुणाचल प्रदेश से है। सत्य/असत्य
2. दलित पैंथर्स सङ्गठन उत्तरप्रदेश में सक्रिय था। सत्य/असत्य
3. स्वर्ण मन्दिर अमृतसर में है। सत्य/असत्य
4. वर्तमान में रॉबिन शर्मा बोडोलैंड के अध्यक्ष हैं। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. चिपको आन्दोलन	क. ई. वी. रामास्वामी नायकर
2. द्रविड आन्दोलन	ख. महेन्द्र सिंह टिकैत
3. किसान आन्दोलन	ग. चारू मजूमदार
4. नक्सलवादी आन्दोलन	घ. सुन्दरलाल बहुगुणा

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. चिपको आन्दोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन-कौन थे?
2. सेवन सिस्टर्स के नाम से किन राज्यों जाना जाता है ?
3. दलित पैंथर्स के प्रमुख उद्देश्य क्या थे ?
4. द्रविड़ आन्दोलन के नेतृत्वकर्त्ता कौन थे ?
5. धारा 370 एवं 35A जम्मू-कश्मीर से कब समाप्त की गई थी?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. जनान्दोलनों से आप क्या समझते हैं ?
2. नेशनल फिशवर्कर्स फोरम की स्थापना क्यों और कब की गई थी?
3. ताडी आन्दोलन पर टिप्पणी लिखिए।
4. असम आन्दोलन पर टिप्पणी लिखिए।
5. नागा विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. पूर्वोत्तर भारत की चुनौतियों का वर्णन कीजिए।
2. कश्मीर समस्या के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए।

परियोजना-

1. छात्र भारत में हुए क्षेत्रीय आन्दोलनों की सूची बनाकर, किसी एक आन्दोलन के कारण और समाधान पर अपने विचार प्रकट कीजिए।

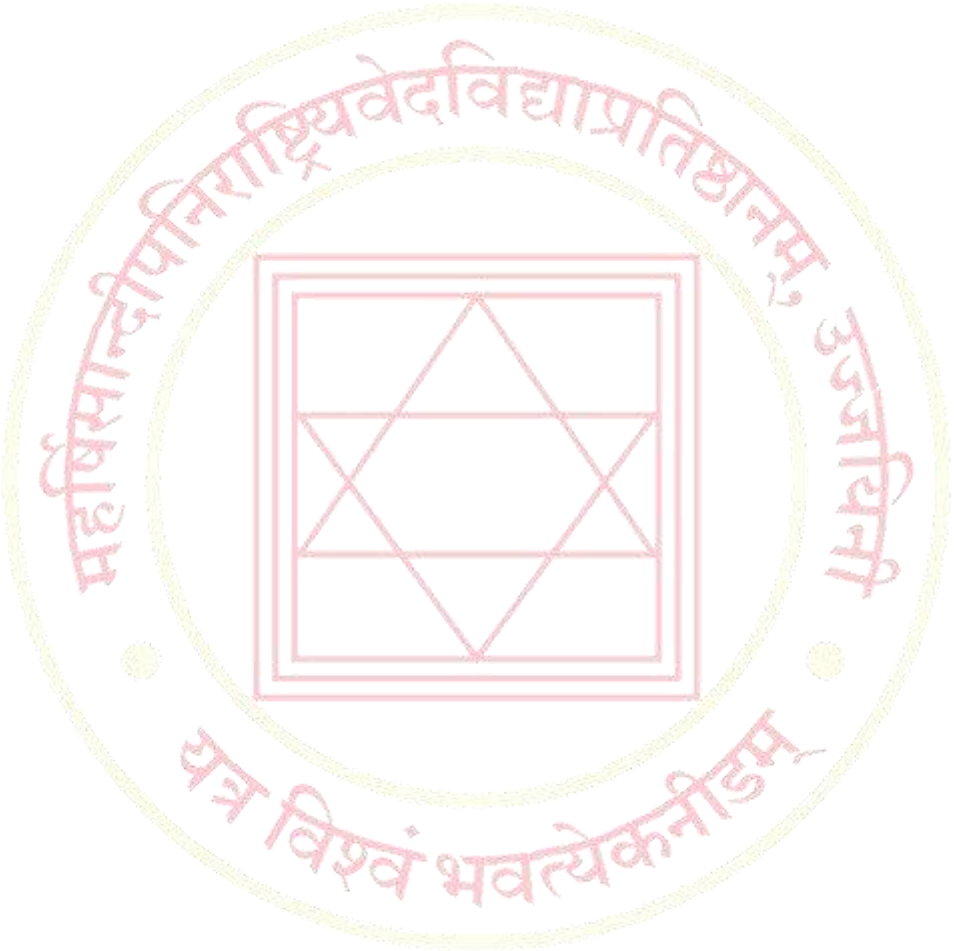

अध्याय - 16

भारत में नियोजित विकास एवं विदेश नीति

इस अध्याय में- राजनीतिक निर्णय और विकास, विकास की धारणाएँ, नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन, योजना आयोग, आरम्भिक कदम, विकेन्द्रित नियोजन, विकास नीति पर विवाद, नियोजित विकास के परिणाम, नियोजन के आधार, भूमि सुधार, खाद्य संकट, बाद के परिवर्तन, भारत की विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, एफ्रो-एशियाई एकता, भारत की परमाणु नीति।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात, योजना आयोग ने देश के विकास के लिए पञ्चवर्षीय योजानाएँ बनाई थीं। इन योजनाओं के माध्यम से भारत प्रगति की ओर अग्रसर हुआ था। मानव जीवन में व्यक्तिगत कारणों से कई बार उसका व्यवहार नियन्त्रित होता है, उसी प्रकार, एक देश की विदेश और विकास नीति पर भी घरेलु और अन्ताराष्ट्रीय वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उस समय विश्व के राजनीतिक पटल पर अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में दो महा शक्तियों का उदय हो चुका था। भारत के सामने उस समय समस्या थी कि वह अमेरिका या रूस के साथ खडा हो या फिर अलग से कुछ करे। भारत ने इस समय किसी भी महाशक्ति का साथ न देकर, विकासशील देशों का गुटनिरपेक्ष सङ्गठन बनाया था। इस सङ्गठन का प्रमुख उद्देश्य विश्व में शान्ति स्थापित करना और आपस में आर्थिक मदद करना था। इस अध्याय में हम भारत की नियोजित विकास नीति और विदेश नीति का विस्तृत अध्ययन निम्नानुसार करेंगे।

राजनीतिक निर्णय और विकास- भारत के ओडिशा राज्य में लौह अयस्क के विशाल भण्डार हैं। जब विश्व में इस्पात की माँग बढ़ी तो निवेश की दृष्टि से ओडिशा राज्य प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा था। इस्पात निर्माण की अनेक राष्ट्रीय एवं अन्ताराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उद्योग स्थापना के लिए राज्य सरकार ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार का मानना था कि इससे आवश्यक पूँजी निवेश तथा रोजगार के संसाधनों का विकास होगा। लोहा अयस्क के भण्डार अधिकांशतः आदिवासी बहुल क्षेत्रों में थे। अत: आदिवासियों ने आजीविका छिन जाने एवं विस्थापन के भय से सरकार के विरूद्ध प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया था। पर्यावरणविदों को उद्योगों से पर्यावरण के प्रदूषित होने का भय था। केन्द्र सरकार को भय था कि यदि उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो देश में पूँजी निवेश में बाधा पहुँचेगी और विश्व में गलत संदेश जायेगा।

राजनीति हितों के सन्दर्भ में निश्चय ही अन्तिम निर्णय राजनीतिक होना चाहिए परन्तु वर्तमान और भविष्य के जनहितों एवं अन्य लाभ-हानि का भी ध्यान रखना होता है। लोकतन्त्र में ऐसे निर्णयों में विशेषज्ञों की राय जानना व जनभावनाओं को जनप्रतिनिधियों द्वारा समझा जाना चाहिए। स्वतन्त्र भारत में आर्थिक विकास के मॉडल के अनुरूप ओडिशा में इस्पात की राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियों की स्थापना की तरह अनेक ऐसे निर्णय लिए गए, जिनमें अन्य मुद्दे त्याज्य नहीं थे। क्योंकि सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत में उन्नति का अर्थ, आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय भी है। इस बात पर भी आम सहमति थी कि विकास के मुद्दों को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के विश्वास पर नहीं छोड़ा जा सकता है। अतः सरकार की ऐसे मामलों में प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। परन्तु आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में सरकार की भूमिका निश्चित ना होने के कारण, इस प्रश्न पर गहरे मतभेद थे।

वामपंथ एवं दक्षिणपंथ- वामपंथ ऐसे लोगों की ओर संकेत करता है, जो आर्थिक रूप से निर्धन और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभ पहुँचाने वाली सरकारी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथ उन लोगों की ओर संकेत करते हैं, जो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रशस्ति पर बदल देते हैं तथा कम से कम सरकारी हस्तक्षेप चाहते हैं।

विकास की धारणाएँ- समाज में सभी वर्गों के लोग विकास चाहते हैं। परन्तु विकास के मायने सभी वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं। इसलिए विकास से जुड़े सभी मुद्दे, चर्चा और विवादों से दूर नहीं हो सकते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात विकास के मुद्दों पर खूब चर्चा-परिचर्चा हुई है। इस समय लोग पश्चिम के देशों के विकास को मानक मानते थे। इस अर्थ में औद्योगिकरण को आधुनिकता बताया गया था। लोगों का मानना था कि विकासपथ पर बढ़ने के लिए विश्व के सभी देशों को आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। विकास की दृष्टि से आधुनिकीकरण की भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्कबुद्धि को समानार्थी माना जाता है। इसी धारणा के आधार पर दुनिया के देशों को विकसित और विकासशील श्रेणी में रखकर चर्चा की जाती है।

भारत ने विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के आदर्श को चुना है। इस व्यवस्था में उत्पादन के दो क्षेत्र- सार्वजनिक और निजी होते हैं। इस व्यवस्था में समाजवादी और पूँजीवादी दोनों के लक्षण निहित हैं। योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रमुखता दी गई थी।

नियोजन- अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए 1940-50 के दशक में नियोजन के विचार को वैश्विक जनसमर्थन प्राप्त हुआ था। क्योंकि 1930 की विश्वव्यापी मन्दी के शिकार यूरोपीय देश, 1930-40 के

दशक में सोवियत संघ तथा युद्ध की विभीषिका झेल चुके जर्मनी और जापान ने विभिन्न कठिनाइयों के बाद भी आर्थिक प्रगति कर ली थी। इन सबके मूल में नियोजन था। भारत भी स्वतन्त्रता के बाद नियोजित अर्थव्यवस्था के मार्ग पर आगे बढ़ा है।

भारत में आर्थिक नियोजन- 1938 में ही पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कर लिया गया था। इस समिति ने माना था कि आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है तथा मूल उद्योगों, खनिज तेल और जलमार्गों पर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए तथा जमींदारी उन्मूलन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 1944 ई. में जी.डी.बिड़ला समेत आठ उद्योगपतियों ने बम्बई प्लान बनाया था। इस प्लान में उद्योगों की दो श्रेणियाँ- आधारभूत उद्योग और सामान्य उद्योग बताई गई थी। अधिक पूँजी की लागत वाले आधारभूत उद्योगों एवं बीमा कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित करने की सिफारिश की गई थी। इसी क्रम में कम्यूनिस्ट नेता एम.एन.राय की जनता योजना में सहकारी कृषि पर बल दिया गया था।

योजना आयोग- स्वतन्त्रता के पश्चात 1950 ई. में प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग अन्य संवैधानिक निकायों से भिन्न है। यह एक सलाह देने वाला आयोग है। इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी होती है, जब उन्हें मन्त्रिमण्डल की मंजूरी प्राप्त हो। योजना आयोग के प्रस्ताव में योजना सन्दर्भित नीतियों के लिए निम्न बिन्दु दिये गये हैं-

इसे भी जानें-

- 1 जनवरी 2015 ई. को योजना आयोग की जगह नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है।

क. स्त्री और पुरुष, सभी नागरिकों को आजीविका के साधनों का बराबर अधिकार हो।

ख. सामुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियन्त्रण को इस तरह बाँटा जायेगा कि उससे सर्वसामान्य की भलाई हो; और

ग. अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केन्द्रित हो जायें और जनसामान्य की भलाई बाधित हो।

आरम्भिक कदम- स्वतन्त्रता के पश्चात भारत, नियोजित अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने के लिए सोवियत संघ की तर्ज पर पञ्चवर्षीय योजनाओं को चुना था। इसके अन्तर्गत निर्णय लिया गया कि विकास के लिए भारत सरकार ऐसे अभिलेख तैयार करेगी, जिसमें आने वाले पाँच वर्षों के लिए उसकी आय-व्यय की योजना होगी। इस योजनानुसार केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा बजट को गैर योजना व्यय और योजना व्यय में विभक्त किया गया था। गैर योजना बजट को वार्षिक मदों के आधार पर तथा योजना

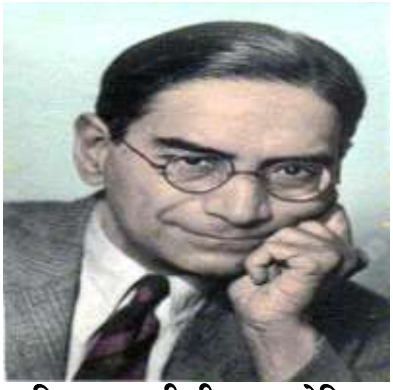

चित्र- 16.1 पी.सी. महालनोबिस

व्यय में पाँच वर्षों की अवधि में बजट को व्यय करना होता है। पञ्चवर्षीय योजना लागू किये जाने का सबसे बड़ा लाभ था कि सरकारों के सामने देश की अर्थव्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा होने के साथ ही लम्बे समय तक सरकारें हस्तक्षेप कर सकती थीं। 1951 ई. से 2017 ई. तक भारत सरकार द्वारा कुल 12 पञ्चवर्षीय योजनाएँ तथा 3 वार्षिक योजनाएँ (1966 ई. से 1969 ई.तक) संचालित हुई हैं।

विकेन्द्रित नियोजन- नियोजन का तात्पर्य न केवल बड़ी परियोजनाओं और उद्योगों मात्र से है और न ही सभी योजनाओं में नियोजन के केन्द्रीकृत होने की आवश्यकता है। विकास और नियोजन की दृष्टि से भारत का "केरल मॉडल" विकेन्द्रित नियोजन का बड़ा उदाहरण है। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन और प्रभावी खाद्य वितरण की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है। प्रतिव्यक्ति आय कम होने के साथ ही औद्योगिक आधार अपेक्षाकृत कम रहा है। परन्तु आयु प्रत्याशा बढ़ने के साथ ही शिशु और मातृ, मृत्यु दर और जन्मदर भी कम रही है। केरल राज्य में साक्षरता 100% है। 1987-1991 ई. के मध्य सरकार ने **'नवलोकतान्त्रिक पहल'** के द्वारा विकास, विज्ञान तथा पर्यावरण के मामले में शत प्रतिशत साक्षरता का संयुक्त अभियान चलाया था। इसका उद्देश्य लोगों को स्वयंसेवी सङ्गठनों द्वारा विकास के कार्यक्रमों से सीधे जोड़ने का है।

इसे भी जानें-

- भारत में प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के प्रमुख योजनाकार के. एन. राज थे।
- द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के योजनाकार पी.सी.महालनोबिस थे। ये महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद् थे, जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (1931 ई.) की स्थापना की थी।

चित्र- 16.2 जे.सी. कुमारप्पा

विकास नीति पर विवाद- स्वतन्त्रता पश्चात भारत में प्रारम्भिक विकास काल में अपनाई गयी रणनीतियों में दो मुद्दों- कृषि बनाम उद्योग और निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र पर बड़े प्रश्न खड़े हुए थे। भारत में कृषि और उद्योगों में कहाँ अधिक संसाधन लगाये जाएँ? इस प्रश्न पर अर्थशास्त्री जे.सी. कुमारप्पा (जे.सी कार्नेलियस) ने ग्रामीण उद्योगों पर बल देने वाली एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की थी। भारत के नियोजित विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के अन्तर्गत बड़े और छोटे उद्योगों का श्रेणी विभाजन कर भारी उद्योगों पर सरकार

के पूर्ण नियन्त्रण के साथ कृषि सम्बन्धी एवं अन्य उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखा गया था। परन्तु मूल्य और उत्पादन को नियन्त्रित करने के लिए परमिट को आवश्यक कर दिया गया था।

नियोजित विकास के परिणाम- नियोजित विकास के आरम्भिक प्रयासों से भारत को आर्थिक उन्नति और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में आंशिक सफलता हासिल हुई थी। परन्तु अनेक राजनीतिक समस्याएँ भी प्रकट हुई थीं। असमान विकास से लाभान्वित हुए लोग राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे थे। इससे सार्वजनिक कल्याण और विकास प्रभावित हुआ था।

नियोजन के आधार- नियोजित विकास की नीति से ही भारत की विकास यात्रा के आरम्भिक काल में बड़ी और विविध परियोजनाएँ जैसे- भाखड़ा-नांगल बाँध, हीराकुंड बाँध आदि बड़ी परियोजनाएँ प्रारम्भ की गई थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों जैसे- इस्पात एवं तेलशोधक कारखाने, रक्षा उत्पादन आदि के कार्य प्रारम्भ किये गए थे। सञ्चार एवं परिवहन क्षेत्र में भी प्रगति हुई थी। भारत के विकास मार्ग में ऐसे कार्य मजबूत नींव सिद्ध हुए थे।

भूमि सुधार- इसी अवधि में भूमि सुधार के लिए सरकार द्वारा गम्भीर प्रयास किए गए थे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इस दिशा में सरकार का बड़ा कदम था। भूमि की जोत बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे भू-खण्डों को मिलाने के प्रयास किये गए तथा सरकार द्वारा भूमिहीनों के लिए भू-आवंटन के कानून बनाए गए। यद्यपि इसमें सरकार को आंशिक सफलता ही मिल पाई थी।

खाद्य संकट- भारत में 1960 के दशक में निरन्तर अवर्षण के कारण सूखा पड़ जाने से अन्नोत्पादन में भारी गिरावट आई थी। अत: कृषि में भारी गिरावट आने के कारण देश में खाद्य संकट पैदा हो गया था। इसी बीच भारत ने दो युद्धों का सामना भी किया था। इस दौर में भारत में विदेशी मुद्रा संकट के साथ आर्थिक मंदी व्याप्त थी। इस आर्थिक संकट का गहरा प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ा था। सरकार को खाद्यान्न आयात के साथ विदेशी मदद भी लेनी पड़ी थी। अब खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार को हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति जैसे बड़े प्रयास करने पड़े थे।

बाद के परिवर्तन-1955 ई. के **'आवड़ी अधिवेशन'** में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के समाजवादी राज्य का उद्देश्य स्पष्ट हो गया था। उनकी की मृत्यु के बाद **कांग्रेस-प्रणाली** में अनेक कमियाँ उभरने लगी थी। इन्दिरा गाँधी युग में 1969 ई. में चौदह एवं 1980 ई. में छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। समाजवादी उद्देश्यों पर आधारित जनकल्याणकारी एवं गरीबी निवारण के अनेक कार्यक्रम चलाये गए थे। राजनीतिक पार्टियों एवं विशेषज्ञों के बीच सरकार की ये नीतियाँ भारी बहस का मुद्दा बनी हुई थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग घाटे में थे, सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था। इस काल खण्ड में भारत की अर्थव्यवस्था की गति 3–3.5 प्रतिशत मात्र रही थी। लोगों का

सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा अपेक्षित विकास का स्वप्न भंग हो चुका था। अतः 1980 के दशक में योजनाकारों ने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम करने का निर्णय किया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना प्रारम्भ किया गया था। यह आर्थिक उदारीकरण आरम्भिक दौर था।

हरित क्रान्ति- हरित क्रान्ति के अन्तर्गत 1967-68 ई. में खाद्यान्न उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी थी। कृषि के आधुनिकीकरण से भूमि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई थी। सरकारी समर्थन मूल्य पर उपज को खरीदने की गारंटी दी गई थी। कृषि क्षेत्र में भारी परिवर्तनों से देश के विभिन्न भागों में लोग लाभान्वित हुए थे। भारत में हरित क्रान्ति का श्रेय **सी सुब्रमण्यम** को दिया जाता है।

श्वेत क्रान्ति- 1970 ई. में श्वेत क्रान्ति (ऑपरेशन फ्लड) के द्वारा सहकारी दुग्ध उत्पादन का आन्दोलन गुजरात के आणंद नगर से प्रारम्भ हुआ था। सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के राष्ट्रव्यापी तन्त्र से जोड़ा गया था, जिससे सहकारी दुग्ध उत्पादकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई थी। श्वेत क्रान्ति से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। महिला सरकारी डेयरी समूहों में भी वृद्धि हुई है। श्वेत क्रान्ति का श्रेय वर्गीज कुरियन को जाता है।

भारत की विदेश नीति- भारत ने अपने पड़ोसी देश से ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के समक्ष अपनी पुरातन सनातनी संस्कृति की विश्व बन्धुत्व की भावना से कार्य किया है। हमेशा से ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है क्योंकि हमारी संस्कृति का मूल आधार वसुधैव कुटम्बकम रहा है। भारत को विकट और चुनैतीपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तार्राष्ट्रीय परिस्थितियों में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त उपजी परिस्थितियों में भारत ने अपनी विदेश नीति में स्वयं की एवं अन्य देशों की सम्प्रभुता का आदर और शान्ति तथा सुरक्षा का लक्ष्य रखा था, जो संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों में निहित है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्त्वों का अध्ययन हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत करेंगे।

इसे भी जानें-

- भारतीय विदेश नीति के संवैधानिक सिद्धान्त- संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों में कहा गया है-

1. अन्तार्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ।
2. राष्ट्रों के बीच न्यायसङ्गत और सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाना।
3. सङ्गठित लोगों के एक-दूसरे से व्यवहारों में अन्तार्राष्ट्रीय विधि और सन्धि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना।
4. अन्तार्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्था द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना।

गुटनिरपेक्षता- स्वतन्त्रता प्राप्ति से पुर्व ही हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के सम्बन्ध विश्व के अनेक देशों के नेताओं के साथ थे। इन सम्बन्धों का प्रभाव स्वतन्त्रता के पश्चात हमारी विदेश नीति पर भी पड़ा था।

किसी देश की विदेश नीति में उसके बाह्य और आन्तारिक सम्बन्धों की झलक होती है। स्वतन्त्रता आन्दोलन के उदात्त विचारों से हमारी विदेश नीति भी प्रभावित थी। आजाद भारत की विदेश नीति का विश्व में शान्ति स्थापित करना महनीय प्रयास था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया था। उस समय दो महाशक्तियों के उदय के कारण विश्व में उपजे तनाव को कम करने के लिए भारत ने सार्थक प्रयास कर, संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति- अभियानों में अपनी सेना भेजी थी।भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श मानकर , विश्व में सन्तुलन बनाने का प्रयास किया था। जैसे- 1956 ई. के स्वेज नहर के विवाद के समय भारत ने मिश्र का पक्ष लिया था। भारत ने विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रति आश्वस्त किया था।

एफ्रो-एशियाई एकता- नेहरू एफ्रो-एशियाई एकता के पक्षधर थे। मार्च, 1947 ई. में नेहरू के नेतृत्त्व में एशियन रिलेशन्स कान्फ्रेन्स आयोजन हुआ था। भारत ने अफ्रीका की रङ्ग-भेद नीति और नस्लवाद का सदैव विश्व मंच पर विरोध किया था । 1949 ई. में इण्डोनेशिया की आजादी के समर्थन में एक अन्तार्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर,अनौपनिवेशीकरण का प्रबल समर्थन किया था।

इसे भी जानें-

- 1946 ई. से 1964 ई. तक भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने सम्पभुता की रक्षा, क्षेत्रीय अखण्डता को बनाए रखना और तीव्र आर्थिक विकास मुख्य उद्देश्य बताए थे।

भारत की परमाणु नीति- भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के दशक में डॉ. होमी जहाँगीर भाभा के निर्देशन में प्रारम्भ् हो चुका था।स्वतन्त्रता के पश्चात भारत शान्तिपूर्ण उद्देश्यों में प्रयोग के लिए अणु ऊर्जा का विकास करना चाहता था। परन्तु उस समय परमाणु शक्ति सम्पन्न देश जो सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य भी थे, 1968 ई. की परमाणु अप्रसार सन्धि को विश्व के अन्य राष्ट्रों पर थोपना चाहते थे। भारत ने इस सन्धि का कड़ा विरोध किया था। मई 1974 ई. में भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने कहा कि इसका प्रयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा। 1995 ई. में जब परमाणु अप्रसार सन्धि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया तो भारत ने इसका विरोध किया था और व्यापक परमाणु परीक्षण सन्धि(CTBT) पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। मई 1998 ई. में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण में जताता गया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति को प्रयोग में लाने की क्षमता है। भारत की परमाणु

चित्र- 16.3 डॉ. होमी जहाँगीर भाभा

नीति में यह बात दोहराई गई की भारत वैश्विक स्तर पर लागू भेद-भाव हीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है।

चित्र- 16.4 डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम और डॉ. आर. चिदम्बरम

1974 ई. के परमाणु परीक्षण के समय भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी थी। इस परीक्षण का संकेत मुस्कराते बुद्ध था। 1998 ई. में ऑपरेशन शक्ति के अन्तर्गत भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इस समय भारत के प्रधानमन्त्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी थे। इन परमाणु परीक्षणों के नेतृत्त्वकर्ता डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम और डॉ. आर. चिदम्बरम थे। भारत में सभी परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किए गए हैं।

विदेश नीति सदैव राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। भारतीय विदेश नीति का 1970 ई से 1990 ई.तक झुकाव सोवियत संघ के प्रति रहा था। उदारीकरण और 1991 ई. की नई आर्थिक नीति ने हमारी विदेश नीति को प्रभावित किया है। अब हमारे रणनीतिकारों ने चीन और अमेरिका के साथ बेहतर सम्बन्धों पर बल दिया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान अन्तार्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों की अपेक्षा आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसका प्रभाव हमारी विदेश नीति पर पड़ा है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. भारत की अर्थव्यवस्था..... है।

अ. समाजवादी ब. पूँजीवादी स. मिश्रित द. उदार

2. भारत में श्वेत क्रान्ति .....में आरम्भ हुई थी।

अ. 1962 ई. ब. 1965 ई. स. 1968 ई. द. 1970 ई.

3. भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण.....में हुआ था।

अ. 1967 ब. 1969

स. 1971 द. 1974

4. एशियन रिलेशन्स कान्फ्रेन्स का आयोजन .....में हुआ था।

अ. मार्च, 1947 ई. ब. अगस्त, 1947 ई.

स. मार्च, 1948 ई. द. दिसम्बर, 1946 ई.

5. ऑपरेशन शक्ति के अन्तर्गत भारत ने ..... परमाणु परीक्षण किए थे।

अ. 5 ब. 22

स. 10 द. 8

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी..... आई थी (1930ई./1965 ई.)
2. भारत ने ..... में परमाणु परीक्षण किए। (लूणकरणसर/पोकरण)
3. भारत में श्वेत क्रान्ति का जनक..... कहा जाता है। (वर्गीज कुरियन/ रामनाथ कोविन्द)
4. भारत में प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के प्रमुख योजनाकार.....थे। (के. एन. राज/के.नीलकण्ठ)

सत्य/असत्य बताइए-

1. 1944 ई. में बम्बई प्लान बनाया गया था। सत्य/असत्य
2. कांग्रेस आवड़ी अधिवेशन नेहरू के नेतृत्त्व में आयोजित हुआ था। सत्य/असत्य
3. मई 1974 ई. में भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। सत्य/असत्य
4. 1980 ई. में छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. बम्बई प्लान	क. सी. सुब्रह्मण्यम
2. प्रथम परमाणु परीक्षण	ख. घनश्यामदास बिड़ला
3. द्वितीय परमाणु परीक्षण	ग. इन्दिरा गाँधी
4. हरित क्रान्ति	घ. अटलबिहारी वाजपेयी

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. नियोजित विकास का क्या तात्पर्य है?
2. योजना आयोग की स्थापना कब की गई?
3. इण्डोनेशिया की आजादी के समर्थन में भारत ने कब सम्मेलन आयोजित किया था?
4. बुद्ध मुस्कराए किस परमाणु परीक्षण का संकेत था?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. नियोजन के आधारों से आप क्या समझते हैं?
2. हरित क्रान्ति पर टिप्पणी लिखिए।
3. गुटनिरेपक्षता पर टिप्पणी लिखिए?
4. 'नवलोकतान्त्रिक पहल' से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. नियोजित विकास के परिणाम और उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए?
2. भारत की परमाणु नीति को समझाइए।

परियोजना-

1. छात्र भारत की पञ्चवर्षीय योजनाओं की सूची बनाइए और नीति आयोग के सङ्गठन को समझाइए।

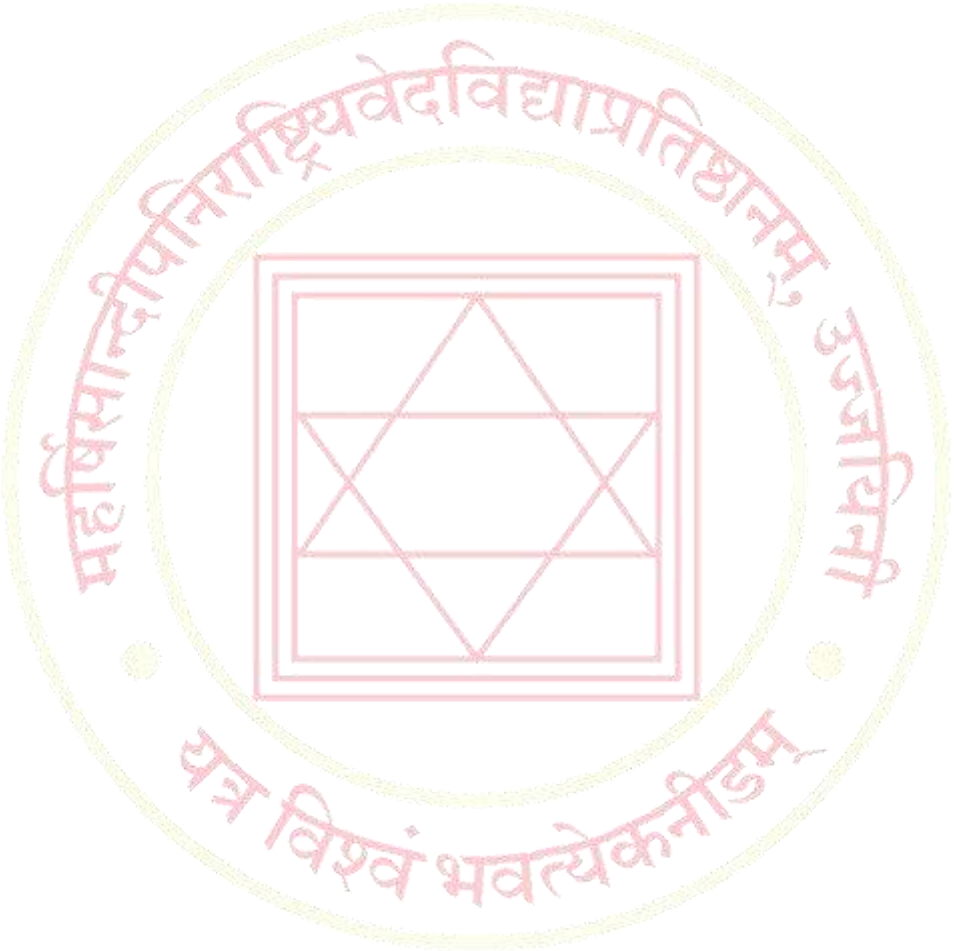

वेद विभूषण द्वितीय वर्ष

समाजशास्त्र

अध्याय- 17

भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाएँ

इस अध्याय में- समाजशास्त्र का अर्थ, सामाजिक संस्थाएँ, वैदिक समाज, औपनिवेशिक कालीन समाज, अतीत में जातियाँ, उपनिवेशवाद और जातियाँ, जाति का समकालीन रूप, संस्कृतिकरण, जनजातीय समुदाय, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय पहचान, परिवार और नातेदारी, बाजार, उपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव, पूँजीवाद को सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझना, भूमण्डलीकरण, उदारवादिता पर बहस।

वर्तमान में परिवार, जातियों, जनजातियों, बाजार आदि व्यापक सामाजिक प्रक्रियाओं को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है, जो भारतीय समाज को एक नूतन स्वरूप प्रदान कर रही हैं। मनुष्य एक सामाजिक जीव है। उसका समाज बोध, जिस परिवेश एवं समाज में वह पैदा होता है, उसी से होता है। किसी भी मनुष्य में ऐसे दृष्टिकोणों के विकास में उस सामाजिक समूह एवं वातावरण का प्रभाव होता है, जिसमें वह समाजीकृत होता है।

समाजशास्त्र का अर्थ- समाजशास्त्र से तात्पर्य समाज की शास्त्रीय ढंग से विवेचना करना है। समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत समाज के अध्ययन का आशय है कि समाज का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करना। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज का जो मानचित्र प्राप्त होता है अथवा समाज के प्रति जो समझ विकसित होती है, वह हमारा समाज बोध है। समाजशास्त्र हमारे सामाजिक मानचित्र को विस्तृतता, निष्पक्षता, पूर्णता एवं वैज्ञानिकता प्रदान करता है। समाजशास्त्र के अन्तर्गत व्यक्ति किसी भी आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक,राजनीतिक,जातीय आदि समूहों का सदस्य हो सकता है। समाजशास्त्र आपको विभिन्न समूहों के आपसी सम्बन्धों और आपके जीवन के महत्त्व के बारे में बतलाता है।

सामाजिक संस्थाएँ- सामाजिक संस्थाएँ आदिकाल से ही मनुष्य की सामूहिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ,कार्यों को सरल बना रही है। सामाजिक संस्थाओं के आपसी सम्बन्धों ने मानव जनसंख्या की विविधता को एकरूपता भी प्रदान की है। भारतीय सामाजिक संस्थाओं ने ही **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** तथा वैश्वीकरण की भावना को सार्थक रूप दिया है। जाति या वर्ण प्राचीन काल से ही एक संस्था के रूप में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का अङ्ग रहे हैं। हम यहाँ भारतीय सामाजिक संस्थाओं के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूपों को समझने का प्रयास करेंगें।

वैदिक समाज- वैदिक समाज से आशय भारत के प्राचीनतम् समाज से है, जिसका उल्लेख विश्व के प्राचीन वैदिक वाङ्मय में है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व पावन भारत भूमि पर वैदिक ज्ञान का साक्षात्कार मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने किया था। ये ऋषि निर्मल अन्तश्चेतना से युक्त पक्षपात एवं पूर्वाग्रह रहित थे।वैदिक संस्कृति द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था, मनुष्य की भौतिक एवं आत्मिक पिपाशा का समन कर परमानन्द की ओर ले जाती है। मानव के अभ्युदय तथा व्यष्टि और समष्टि के सम्पूर्ण विकास के लिए ऋषियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था प्रारम्भ की थी । मानव समाज का अङ्ग है, अतः समाज की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाना ही प्रधान धर्म है। वेद में अनेक स्थानों पर **व्रात** शब्द का प्रयोग आया है, जिसका अर्थ समुदाय है। वेदों में सामाजिक सर्वोन्नति की बात की गई है- **अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदः।** (ऋग्वेद 5.59.6) अर्थात् समाज में छोटे-बड़े का भेद मिटाकर सभी उन्नतिशील होने हों। साथ ही नैतिकता पूर्ण आचरण जिसमें बड़ों को आदर देने की भी बात की गई है- **मा ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवाः।** (1.27.13) अर्थात् हे देवो! हम बड़ों के आदर में त्रुटि न करें।

वैदिक समाज व्यवस्था त्यागपूर्वक उपभोग पर उद्धृत है। इसकी सिद्धि के लिए ऋषियों ने चातुर्य वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन कर, इन वर्णो एवं आश्रमों के कर्तव्य निश्चित किये थे। ये संस्थाएँ लोकसंग्रह और व्यष्टि की सर्वविधि उन्नति का पथ प्रशस्त करती हैं। वैदिक समाज स्वयं में व्यवस्था सापेक्ष है। मानव समूह को व्यवस्थित करने के लिए गुण-कर्म, राजव्यवस्था एवं वय के आधार पर तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ- वर्ण व्यवस्था, शासन व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित की गई थीं। ये तीनों व्यवस्थाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। इन तीनों का आधार अभ्युदय मूलक धर्म, प्रयोजन मूलक मोक्ष है और अर्थ तथा काम इसके मध्य के पड़ाव हैं। इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय की उपलब्धि ही वैदिक समाज का मूल है।

औपनिवेशिक कालीन समाज- औपनिवेशिक काल में, एक लंबे अंतराल के बाद एक बार पुनः सम्पूर्ण भारत को भौगोलिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया गया था। अब भारत का परिचय नवीन आर्थिक परिवर्तनों, आधुनिकीकरण एवं पूँजीवादी व्यवस्था से हुआ था। इन व्यवस्थाओं के कारण भारत में जो नवीन परिवर्तन हुए हैं, उसी नींव पर हम निरन्तरता पूर्वक स्वतन्त्रता के बाद भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारत में आधुनिक प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की नींव रखी थी। ब्रिटिश उपनिवेश के समय भारत में राष्ट्रवाद का आरम्भिक चिन्तन एक ऐतिहासिक घटना है। औपनिवेशिक प्रभुत्व के सम्मिलित अनुभवों ने भारत के विभिन्न भागों में समुदायों को एकजुट करने की शक्ति प्रदान करने में मदद की थी। उपनिवेशवादी एवं पाश्चात्य शिक्षा ने परम्पराओं की पुनः खोजों, राष्ट्रवाद के मूल बिन्दुओं तथा वैदिक चिन्तन स्त्रोतों की खोज को बाह्य रूप से प्रोत्साहित किया था, जबकि

इस शिक्षा का उद्देश्य उपनिवेशी सरकार के लिये सहायकों को तैयार करना था, जो पहनावे से भारतीय एवं आचरण से अङ्ग्रेज हों। इस काल में विविध सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ विकसित हुई तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर समुदायों के नवोदित चिन्तन मजबूत हुए थे। इसी समय भारत में अनेक समाज सुधारक एवं राष्ट्रवादी नेता हुए थे, जैसे- राजाराममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, पं. मदन मोहन मालवीय, मोहनदास करमचन्द्र गाँधी आदि। औपनिवेशिक शासन द्वारा शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे- उत्पादन में मशीनों एवं तकनीकी का प्रयोग, व्यापार में नवीन बाजार व्यवस्था का प्रारम्भ, द्रुतगामी परिवहन एवं सञ्चार साधनों का विकास, लोकसेवा आधारित अखिल भारतीय स्तर पर नौकरशाही का गठन, औपचारिकता तथा लिखित कानूनों का निर्माण आदि हैं।

अतीत में जातियाँ- अङ्ग्रेजी भाषा में वर्ण या जाति के लिए caste शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो पुर्तगाली के casta शब्द से बना है, जिसका अर्थ विशुद्धता है। वैसे तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ रङ्ग है। पृथिवी के समस्त जड़-चेतन जीवों में उनकी कुछ अद्वितीय विशेषता के आधार पर उन्हें पहचान प्रदान की जाती है, जिसे हम प्रजाति कहते हैं।

प्राचीन काल में सामाजिक संस्था के रूप में मनीषियों ने मानव सभ्यता को स्थिरता, निरन्तरता एवं गतिशीलता प्रदान करने के लिए कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था निर्मित की थी। समाज को चार वर्णों में क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में वर्गीकृत किया गया था। यह वर्गीकरण उनके कार्य-कौशल एवं कर्म के आधार पर हुआ था। परन्तु वैदिक काल के उत्तरार्द्ध में यही व्यवस्था जन्माधारित होकर जाति के रूप में प्रकट हुई थी। आधुनिक विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था का अनुमानित समय 3000 वर्ष ईसा पूर्व एवं जाति व्यवस्था का अनुमानित समय 900-500 वर्ष ईसा पूर्व का माना है। प्राचीन काल से ही जातियाँ भारत में विशेषत: हिन्दू समाज की संस्थात्मक विशेषता के रूप में जानी जाती हैं। समाजशास्त्रीय मानते है कि वर्ण व्यवस्था समाज का सामूहिक वर्गीकरण रहा, जबकि जातियों को क्षेत्रीय वर्गीकरण माना है। वैसे देखा जाए तो सभी समुदायों एवं धर्मों में किसी न किसी रूप में यह वर्गीकरण व्यवस्था रही है। प्रत्येक जाति का श्रेणी अधिक्रम में स्थान निश्चित था। ये जातियाँ मिलकर समाज को सम्पूर्ण बनाती थी। जातियों का सम्बन्ध विविध व्यवसायों से था। यजुर्वेद के 16वें अध्याय में 133 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख हुआ है। समाज में श्रम आधारित विभाजन था। अतीत में जो हुआ वह आधुनिक काल में आवश्यक हो, ऐसा नहीं है। परिवर्तनशील समाज में सभी व्यवस्थाएँ परिवर्तित होती रहती हैं।

उपनिवेशवाद और जातियाँ- भारत में आधुनिक काल का प्रारम्भ 19वीं सदी से माना जाता है। इसमें लगभग 150 वर्षों का औपनिवेशिक तथा 1947 से वर्तमान तक लगभग अर्धशती से अधिक वर्षों के

स्वतन्त्र भारत का इतिहास भी सम्मिलित है। स्वतन्त्रता पूर्व तथा स्वातन्त्र्योत्तर भारत में जातियों, परम्पराओं एवं प्रथाओं का गहन एवं व्यवस्थित सर्वेक्षण कर आंकड़े अभिलिखित कर प्रकाशित कराए गए थे। 1860 के दशक में भारत की जनगणना इस दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध हुई थी। 1881 ई. से भारत में प्रतिदशवर्षीय जनगणना प्रारम्भ हुई थी। 1901 ई. में हर्बर्ट रिजले ने सामाजिक अधिक्रम के आधार पर जनगणना कराकर जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रकाशन किया था। अङ्ग्रेजी शासन के उत्तरार्ध में निम्न जातियों एवं, दलित कही जाने वाली जातियों के कल्याण की दिशा में एक प्रयत्न भारतीय शासन अधिनियम, 1935 ई. द्वारा किया गया था। जातियों में निचले क्रम की जातियों एवं जनजातियों को चिह्नित कर वैधानिकता प्रदान की गई, जो सामाजिक अधिक्रम में अस्पृश्य थीं। अनुसूचियों में इन जातियों एवं जनजातियों के उल्लेखित होने के कारण आज इन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति कहा जाता है।

जाति का समकालीन रूप- 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में दलित एवं अस्पृश्य जातियों को सङ्गठित करने के प्रयास प्रारम्भ हो चुके थे। जातीय अधिक्रम में प्रगतिशील समाज सुधारकों- ज्योतिबाफूले, डॉ. भीम राव अम्बेडकर, अय्यनकाली, श्रीनारायण गुरु, ज्योतीदास, ई.वी रामास्वामी (पेरियार) ने मिल कर इस दिशा में कदम बढ़ाए थे। इस दौर में अङ्ग्रेजी सत्ता से मुक्ति के लिए जारी राष्ट्रीय आन्दोलनों ने जातीय भावनाओं के आधार पर व्यापक जनमत जुटाने में सफलता प्राप्त की थी। 1920 के दशक में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेता रहे महात्मा गाँधी और डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के विरुद्ध जारी संघर्ष को मुक्तिसङ्ग्राम से जोड़ा था।

राज्य के विकास कार्यों और औद्योगीकरण के तीव्र परिवर्तनों ने अप्रत्यक्ष रूप से जाति संस्था को प्रभावित किया था। नगरों के सामूहिक रहन-सहन ने जातीय बन्धन को ढीला किया था। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, शिक्षा के प्रसार ने व्यक्तिवाद और सामाजिक उदारवाद को बढ़ावा दिया है। परिणामत: अतिवादी जातीय व्यवहारों में कमी आई है। इस दौर में जाति संस्था, सांस्कृतिक एवं निजी क्षेत्रों में अधिक सुदृढ़ हुई है। अन्तर्जातीय विवाह भी आधुनिकीकरण एवं नए परिवर्तनों के दौर में आंशिक ही सही पर बढ़े हैं। पंक्तिभोज की भी कमोवेश यही स्थिति है। लोकतान्त्रिक परिदृश्य में जातियाँ चुनावी राजनीति के केन्द्र में रही हैं।

संस्कृतिकरण- एक प्रक्रिया के रूप में विविध वर्ग के लोग समाज में मान्यता प्राप्त धार्मिक, सामाजिक एवं घरेलू रीति-रिवाजों को अपनाकर, अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा करने का प्रयत्न करते हैं। यह औपनिवेशिक काल के पहले से ही होता आया है। परन्तु आज समानानुकरण की यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जैसे शाकाहार, उपनयन, मंत्रोच्चारण, गायत्री जप, प्रार्थनाएँ एवं धार्मिक उत्सव आदि का

मनाना है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया इन सभी स्तरों पर जारी है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं जनजातियों को विरासत में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक पूँजी प्राप्त नहीं थी। अत: आरक्षण की नीतियों और राज्य द्वारा प्रदत्त अन्य संरक्षण, उनके जीवन के लिए संजीवनी के रूप में प्राप्त हैं।

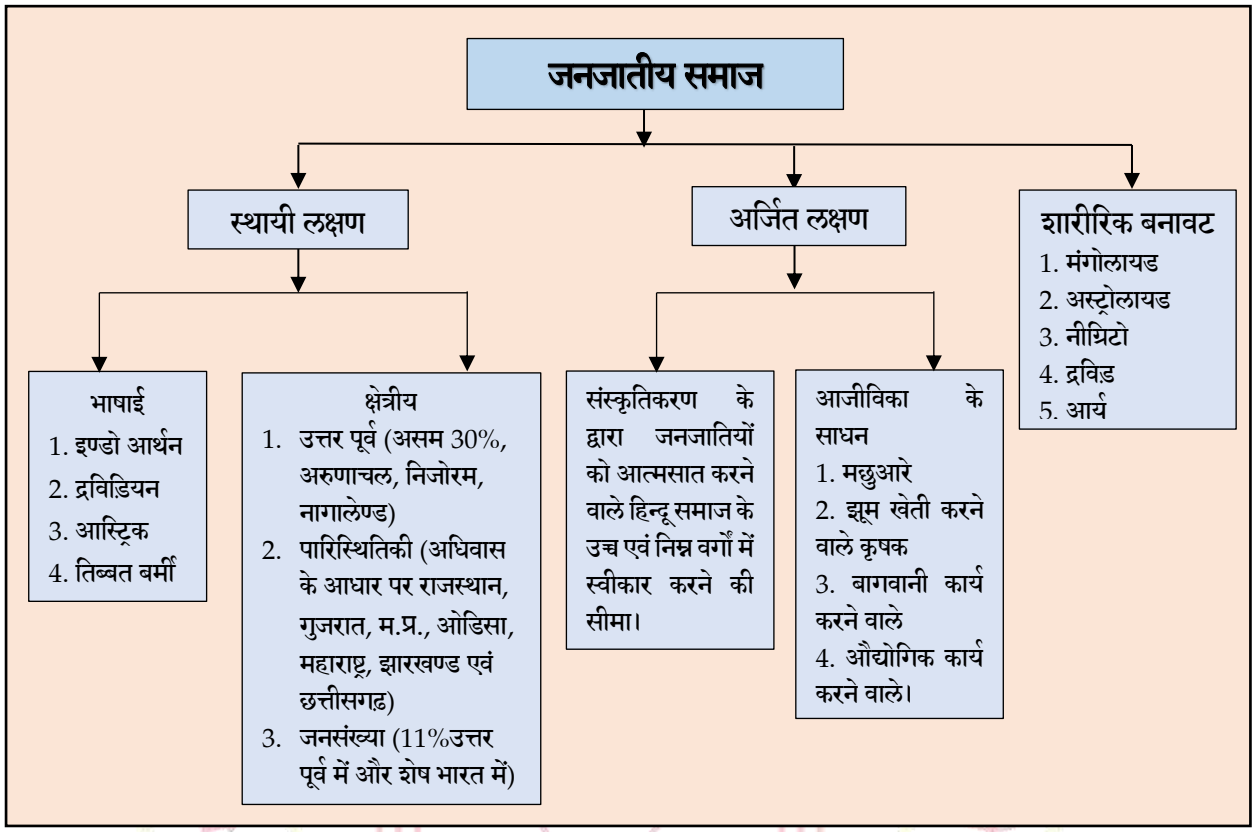

जनजातीय समुदाय- जनजाति एक आधुनिक शब्द है। इसका प्रयोग औपनिवेशिक काल में भारत में निवास कर रहे सबसे प्राचीन निवासियों के लिए किया गया है। जनजातीय समाज का वर्गीकरण उनके स्थायी एवं अर्जित लक्षणों के आधार पर किया गया है।

इसे भी जानें-

- जनजातीय समुदायों की कुल जनसंख्या का 85% भाग मध्यभारत, 12% भाग पूर्वोत्तर भारत तथा 3% भाग शेष भारत में निवास करता है।
- सम्पूर्ण जनजातीय जनसंख्या का 1% आर्य भाषाभाषी, 3% द्रविड़ भाषाभाषी, 80% तिब्बत बर्मी भाषाभाषी तथा सम्पूर्ण जनसंख्या (100%) आस्ट्रिक भाषाभाषी हैं।

स्थायी लक्षण- जनजातियों का क्षेत्र, भाषा, शारीरिक बनावट एवं पारिस्थितिकी निवासों को आधार मानकर वर्गीकरण किया गया है। पारिस्थितिकी आवासों के रूप में पहाड़ियाँ, वन, ग्रामीण मैदान तथा नगरीय औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।भाषा की दृष्टि से जनजातियों की चार श्रेणियाँ है- 1. भारतीय आर्य भाषा-भाषी 2. द्रविड़ भाषा-भाषी 3. आस्ट्रिक भाषा-भाषी 4. तिब्बती भाषा परिवार की बोली

बोलने वाले लोग। शारीरिक बनावट के आधार पर जनजातीय समाज निग्रिटो, आस्ट्रोलायड, मङ्गोलायड, द्रविड़ और आर्य समूहों में वर्गीकृत है।

अर्जित लक्षण- जनजातीय समाज का अर्जित लक्षणों के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है- प्रथम आजीविका के संसाधनों के आधार पर। द्वितीय हिन्दू समाज में समावेश अथवा दोनों के मिश्रण के आधार पर। प्रथम वर्गीकरण में जन जातीय समूह- मछुआरा, मुसहर, खाद्य-सङ्ग्राहक आखेटक, झूम खेती करने वाले कृषक, बागानों तथा औद्योगिक कामगार लोग। द्वितीय श्रेणी में वें जनजातियाँ हैं, जो या तो हिंदू समाज में समाहित हो गयी हैं या किसी भी समाज में शामिल न होकर भी साथ में रहने वाले लोगों का समूह हैं।

2011 की जनगणना में भारतीय जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% (104 मिलियन) है। प्रमुख बड़ी जनजातियाँ भील, कोल, संधाल, ओराव, मीना, बोडो और मूँज हैं। इन प्रत्येक समुदायों की जनसंख्या लगभग दस–दस लाख या उससे भी अधिक है।

स्वातन्त्र्योत्तर भारत में जनजातियों के एकीकरण और कल्याण सम्बन्धी नियमों को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है। जनजातीय कल्याण खण्ड, जनजातीय उपयोजनाएँ, पञ्चवर्षीय योजनाएँ ऐसी ही सरकारी योजनाएँ है। बुनियादी तौर से देखा जाए तो औपनिवेशिक काल से ही जनजातियों की उपेक्षा हुई है। एकीकरण और विकास के नाम पर उनके स्त्रोत वन और जमीनों को छीनकर इन समुदायों को छिन्न–भिन्न कर दिया गया है।

राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय पहचान- स्वतन्त्रता के बाद से ही सरकारों द्वारा विकास की प्रक्रिया में समाज की मुख्यधारा से जनजातियों को बलात् जोड़ने के प्रयासों से संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई है। विकास की कड़ी में जनजातीय समुदायों में भी शिक्षित मध्यम वर्ग उभरा है। आरक्षण और शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन से इन समुदायों में भी नगरीकृत व्यावसायिक वर्ग निर्मित हो रहे हैं। विश्वास है कि जनजातीय पहचान का दावा किए जाने के विविध आधार विकसित होते चले जायेंगें। जनजातीय आन्दोलन को तूल देने में दो मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं - प्रथम भूमि एवं विशेषत: वनों जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर सरकारी नियन्त्रण। द्वितीय नृजातीय सांकृतिक पहचान। ये मुद्दे अधिकांशत: साथ-साथ चलते हैं तथा कभी-कभी अलग भी होते हैं।

परिवार और नातेदारी- परिवार समाज की प्राथमिक आधारभूत इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार में जन्म के साथ पालित, पोषित, सुरक्षित और संरक्षित होता है। परिवार में माता-पिता के साथ अनेक पारम्परिक नाते जैसे- दादा-दादी, नाना-नानी, मामा-मामी, चाचा-चाची और सहोदर तथा चचेरे भाई-बहन होते

हैं। मानव की परिवार में स्नेह, सुरक्षा एवं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नैतिक रूप से होती है। परिवार हमारे समाज की सर्वाधिक प्राचीन एवं प्राथमिक संस्था है, जिसका सम्बन्ध समाज की अन्य संस्थाओं, व्यवसायों और परम्पराओं से है। यह व्यक्ति को परिष्कृत कर योग्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। एक नकारात्मक पहलू परिवार और नातेदारी में अन्याय, हिंसा, संघर्ष, भ्रूण हत्याएँ भी हैं। संरचनात्मक दृष्टि से परिवार की संरचना समाज की अन्य संरचनाओं-राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, जातीय एवं सांस्कृतिक संरचनाओं से जुड़ी होती है। परिवार हमारे निजी एवं सामाजिक जीवन के अभिन्न अङ्ग के रूप में स्वतः स्वीकृत है। परिवार की संरचना भी परिवर्तनशील है। आधाररूप परिवार में विस्तार, असन्तोष, अर्थोपार्जन या सेवाओं के लिए अन्यत्र प्रवास, सम्बन्धों एवं परिवार की अनिच्छा पर बनाये गये विवाहादि सामाजिक सम्बन्ध परिवार की संरचना को परिवर्तित करते हैं। ये परिवर्तन संस्कृति आचार-विचार एवं परिवारिक मूल्यों को भी परिवर्तित कर देते हैं।

इसे भी जानें-

- सत्ता, वंश तथा निवास के आधार पर परिवार की दो श्रेणियाँ हैं- 'पितृमूलक' और 'मातृमूलक'।
- पितृमूलक परिवारों में ज्येष्ठ पुरुष परिवार का मुखिया होता है। पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनी अधिकारों में राज्य द्वारा संशोधन करके लड़कों के समान लड़कियों को भी हक प्राप्त करने का प्रावधान हाल के वर्षों में किया गया है।
- **मातृमूलक परिवार** भी प्राचीन भारतीय परिवार का स्वरूप है। माता (स्त्री) ही ऐसे परिवारों की मुखिया होती हैं। इतिहास प्रसिद्ध राजा गौतमी पुत्र शातकर्णी इसी का उदाहरण है। आज मातृमूलक परिवार भारत के मलबार, केरल, और पूर्वोत्तर के असम आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं।

भारत में मुख्यतः परिवार के दो प्रकार प्रचलित हैं, जिस परिवार में दंपति और उनके बच्चे शामिल होते है, उसे एकल परिवार कहते है। इसके अतिरिक्त रक्त सम्बन्धी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहते हैं, तो इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। भारतीय भाषा में परिवार से तात्पर्य संयुक्त परिवारों से ही रहा है। परिवार के वर्गीकरण के मुख्यतः तीन प्रचलित आधार हैं – 1. सङ्गठन आधार 2. सत्तावंश तथा निवास आधार 3. वैवाहिक आधार।

विवाह आधार पर परिवार की तीन श्रेणियाँ है- एक पत्नी परिवार, बहुपत्नी परिवार एवं बहुपति परिवार। एक पत्नी परिवारों का प्रचलन प्राचीनकाल से ही लगभग सभी समुदायों में रहा है। इसे आदर्श परिवार माना गया है। 'बहुपत्नी परिवार' का प्रचलन भी प्राचीनकाल से ही भारत में रहा है। इसका विशेष प्रचलन राजवंशों, सामन्तों एवं जमीदारों के यहाँ था। स्वतन्त्रता के बाद हिन्दुविवाह में इसके विरुद्ध प्रावधान बनाकर इसे कठोरता पूर्वक प्रतिबन्धित कर दिया गया है। **बहुपति विवाह** भी परिवार संस्था का

एक हिस्सा रहा। ऐसे परिवारों के प्रचलित होने का कारण सम्भवत: लैंगिक असमानता थी। वर्तमान में टोडा और खस जनजातियों में ऐसे परिवार आज भी प्रचलन में हैं।

बाजार- बाजार एक सामाजिक एवं आर्थिक संस्था है, जहाँ विविध वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे मेला एवं हाट भी कहा जाता है। इनकी पहचान विशिष्ट वस्तुओं के बाजार विशेष से है जैसे- सब्जी मण्डी, लोहा मण्डी, गल्ला मण्डी आदि हैं। बाजार प्रायः साप्ताहिक होने के साथ नियत स्थलों पर लगते हैं।

18 वीं सदी में विश्व के अधिकांश भागों में ब्रिटिश उपनिवेश कायम थे। उस समय में आधुनिक अर्थशास्त्र को **राजनीतिक अर्थव्यवस्था** कहा जाता था। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशन्स' में बाजार की अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयत्न किया है। स्मिथ का मानना था कि बाजारी अर्थव्यवस्था लोगों में सौदों का एक लम्बा क्रम है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को सोचता है। ऐसे में क्रमबद्धता के कारण स्वतः ही कार्यशील स्थिर व्यवस्था निर्मित होती है जो समाज के हित में होती है। इस व्यवस्था से आर्थिक सम्पन्नता का विकास होता है। अतः स्मिथ ने **खुले व्यापार** की संज्ञा दी है। फ्रांसिसी भाषा में इसे **लेस-ए-फेयर** कहा गया है।

पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत में व्यापार तन्त्र- भारतीय इतिहास के पारम्परिक आर्थिक विवरण भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को अपरिवर्तनशील रूप में दृश्य बताते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रामीण समूह, जो स्व निर्भर थे और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अपने प्राथमिक रूप में गैर बाजारी विनिमय के आधार पर संग्रहीत थे। ऐतिहासिक शोधों से स्पष्ट होता है कि भारत में मौद्रिक अर्थव्यवस्था अङ्ग्रेजी शासन से काफी समय पूर्व से ही विद्यमान थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः विनिमय का आधार जजमानी व्यवस्था थी। परन्तु उपनिवेशी शासन से पूर्व कृषि उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक प्रचलन बड़े विनिमय तन्त्र का हिस्सा थे। प्रतीत होता है कि पारम्परिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था के बीच जो विभाजन है, वो वास्तव में घुला-मिला है।

भारत, सूती एवं रेशमी वस्त्र, मसाले, कृषि उत्पादों का व्यापार अरब एवं यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर करता था। इस व्यापार तन्त्र में एक सुव्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था भी शामिल थी। प्राथमिकता के तौर में व्यापार प्रायः स्वजाति एवं नातेदारियों में होता था। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में नाटूकोटाई चेट्टियार नाकरट्टर व्यापारियों के जाति आधारित सामाजिक तन्त्रों ने उन्हें दक्षिण-पूर्व एशिया और सीलोन में अपनी गतिविधिओं को बढ़ाने में सहायता दी थी। दक्षिण के चेट्टियार एवं उत्तर के बनिया समुदायों के लोग पारम्परिक व्यवसाय के रूप में लम्बे समय से व्यापार से जुड़े हैं। कुछ अन्य जाति और धार्मिक समूह के लोग-पारसी, सिन्धी, जैन और बोहरा व्यापार एवं वाणिज्य में शामिल हैं।

उपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव- भारत में औपनिवेशिक काल में व्यवस्था के परिवर्तन के रूप में उत्पादन, वितरण, निर्यात और कृषि क्षेत्र में बड़ा विघटन हुआ था। भारत विश्व की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से गहरे से जुड गया था, जिसने भारत को कच्चे माल का स्रोत और नए ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बना दिया था। नए यूरोपियन व्यापारिक समूहों ने भारत आकर देशी व्यापारिक समूहों से मेल-जोल बढ़ाकर व्यापार आरम्भ किया था। यूरोपीय वस्तुएँ, जो मशीनों से निर्मित होने के कारण देशी उत्पादों से सस्ती होती थी इसलिए विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा और देशी व्यापार एवं देशी उत्पाद पिछड़ते चले गए थे। भारत की अति विकसित जनहितकारी अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। इसी काल में कुछ नए उभरते व्यापारिक समुदायों ने भारत में बदलती बाजारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्वयं को सङ्गठित कर अवसर का लाभ उठाया और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया था। नए व्यापारिक समुदायों में मारवाड़ी विशेष उल्लेखनीय है, जो आज बड़े औद्योगिक घरानों के साथ-साथ अन्य छोटे-मझोले व्यापारी, दुकानदार नगरों एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक प्रवासी हैं। ये भारत की पारम्परिक अर्थव्यवस्था को अपनाकर सुदृढ़ बैंकिग व्यवस्था का संचालन कर लोगों को ब्याज पर कर्ज देने लगे हैं। इनके इस व्यापारिक सफलता का कारण दक्षिण के नाकरट्टारों की भाँति सामाजिक तन्त्र बने हैं। मारवाड़ियों की इस बैंकिग व्यवस्था का लाभ अङ्ग्रेज भी समय-समय पर लेते थे। उपनिवेशकाल के उत्तरार्द्ध एवं स्वतन्त्रता के बाद कुछ मारवाड़ियों ने स्वयं को आधुनिक उद्योगों में रूपान्तरित कर लिया है। भारत में आज भी सर्वाधिक व्यापारिक हिस्सेदारी इसी समुदाय की है। इस प्रकार भारत में नए व्यापारिक समूहों का उभरना, छोटे प्रवासी व्यापारी से बड़े उद्योगपति बनना आदि भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय महत्व को दर्शाता है।

इसे भी जानें-

- हुण्डी एक प्रकार का प्रपत्र होता था। इसके द्वारा विनिमय एवं ऋण के रूप में व्यापारियों से लेन-देन किया जाता था।

पूँजीवाद को सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझना- प्रसिद्ध आधुनिक समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने पूँजीवाद को 'पण्य' Commodity या बाजार के लिए वस्तुओं का उत्पादन बताते हुए, इसे मजदूरों की मजदूरी पर आश्रित बताया था। उनके अनुसार समस्त अर्थव्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था भी है। समाज में दो आधारभूत वर्ग-एक पूँजीपति दूसरा श्रमिक वर्ग है। पूँजीपति श्रमिकों के श्रम का उचित मूल्य न देकर उनके श्रम से 'अतिरिक्त मूल्य' निकाल लेते हैं। मार्क्स द्वारा पूँजीवाद की इस व्यवस्थित आलोचना ने 19 वीं-20 वीं सदी में अनेक नए सिद्धान्तों और विचारों को जन्म दिया है।

पण्यीकरण और उपभोग- बाजार में बिकने वाली सभी वस्तुएँ एवं सेवाएँ पण्य (Commodity) हैं। पण्य से तात्पर्य वर्तमान पूँजीवादी युग में अनेक ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाएँ, मानव अङ्ग, श्रम और कौशल

से है। पण्यीकरण की इस प्रक्रिया का भारत में भी तेजी से विकास हुआ है। अनेक ऐसी वस्तुएँ या प्रकियाएँ, जो भारत में पहले कभी भी बाजार का हिस्सा नहीं थीं, आज बाजारों में बिक रही हैं। जैसे- विवाह ब्यूरो, सामाजिक कौशल विकास केन्द्र, व्यक्तित्व विकास केंद्र आदि।

भूमण्डलीकरण- भारत के आर्थिक इतिहास में 1980-90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण का नया दौर प्रारम्भ हुआ था। इसके मूल में राज्य स्तरीय विकास, उदारवाद जैसी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन से वैश्वीकरण का काल प्रारम्भ हुआ है। भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण वह कालखंड है, जिसमें विश्व के देश पहले से ही आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तौर पर अन्तर्सम्बन्धित हैं। इसका स्वरूप बहुउद्देशीय है। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं, पूँजी, आवागमन के साधनों के साथ ही प्रौद्योगिकी-कम्प्यूटर, परिवहन तथा दूरसञ्चार एवं अन्य सुविधाओं के विकास ने भूमडलीकरण को गति प्रदान की है। वैश्वीकरण से विश्व भर में बाजारों का विस्तार और एकीकरण हुआ है, अर्थात् दुनिया भर के बाजार एक-दूसरे से इतना अन्त: सम्बद्ध हो गये कि किसी भी बाजार की गतिविधियों का प्रभाव दुनियाँ भर के बाजारों पर पड़ने लगा है। भारत भी विश्व बाजार में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योगों, व्यापार में वाह्य स्रोतों के प्रयोग के उद्योग (BPO), कॉलसेन्टर के माध्यम से निरन्तर जुड़ता जा रहा है। हमारी कम्पनियाँ पश्चिम के विकसित देशों के उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर श्रम और सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। भुमण्डलीकरण में पूँजी और वस्तुओं के साथ लोग और सांस्कृतिक उत्पाद भी दुनिया भर में शामिल हो रही हैं। ये सभी मिलकर दुनिया में नए बाजारों का निर्माण कर रही हैं, जो पहले बाजार व्यवस्था से बाहर थे। उदाहरणार्थ भारतीय योग और आयुर्वेद का पश्चिम में बाजारीकरण, पर्यटन क्षेत्र आदि सांस्कृतिक बाजार ही हैं। विश्व प्रसिद्ध राजस्थान का पुष्कर तीर्थ मेला एवं कुम्भ मेला आज अन्ताराष्ट्रीय पर्यटन मेले के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ देशी-विदेशी पर्यटकों का सम्मेलन, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों की भी अदला-बदली हो रही है।

उदारवादिता पर बहस- भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीतियों के चलते भारत भी भूमण्डलीकरण में शामिल हुआ है। उदारीकरण की प्रमुख नीतियाँ है- सरकारी विभागों का निजीकरण, पूँजी, श्रम और व्यापार में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, आयात को बढ़ावा देना और विदेशी कम्पनियों को भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन एवं उपयुक्त माहौल तैयार करना। इन परिवर्तनों को हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान में लिए बाजार के उपयोग के रूप में समझ सकते हैं।

उदारीकरण के परिणाम आर्थिक संवृद्धि के रूप में दिख रहे है। विदेशी पूँजी निवेश ने आर्थिक विकास में सहायता के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाये हैं। निजीकरण से कार्य कुशलता बढ़ने के साथ

सरकार पर दबाव कम हुआ है। यद्यपि उदारीकरण का भारत पर मिश्रित प्रभाव रहा है। कुछ विचारकों का मानना है कि उदारीकरण के चलते हमने खोया ज्यादा और पाया कम और आगे भी ऐसा ही होने की सम्भावना है। क्योंकि विदेशी उत्पादों से हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। उदारवाद के कारण ही भारत में सरकार द्वारा प्राप्त कृषि सहायता मूल्य, उर्वरक, पेट्रोलियम पर प्राप्त सब्सिडी को या तो घटा दिया गया है या खत्म कर दिया गया है। परिणामतः अधिकांश किसान कृषि क्षेत्रों से मुख मोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सरकारी रोजगार निरन्तर खत्म हो रहे हैं। निजी असङ्गठित रोजगार उभर रहें है, जहाँ श्रम का उचित मूल्य निर्धारण करने में कठिनाइयाँ हैं।

वर्तमान भारत में हाट से लेकर स्टॉक एक्सचेंज जैसे विभिन्न प्रकार के बाजार हैं, जो स्वयं एक सामाजिक संस्था होने के साथ ही अन्य सामाजिक संस्थाओं - जाति, परिवार, वर्ग से विविध रूपों में जुड़े हैं। विनिमय के आर्थिक मायने के साथ ही सांस्कृतिक और सांकेतिक सम्बन्ध भी हैं। इस बदलाव के क्षण में बाजार निरन्तर बदल रहे हैं।

परिशिष्ट - 1

एकता- समाज के लिए विविध एवं विभिन्न तत्व, जिसे एक एकीकृत इकाई में परिवर्तित किया जा सके तथा जो आपसी सहमति के साथ कार्य करने की स्थिति है।

सामाजिक संरचना- समाज के विभिन्न भागों और समूहों के लोग सङ्गठित होकर स्थायी प्रकार के नियमों, क्रियाकलापों में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं।

वर्ग- समाज के ऐसे लोगों का समूह जो एक ही प्रकार के सामाजिक और आर्थिक स्तर से संबंधित होते हैं, जैसे- कार्यशील वर्ग, उच्चवर्ग, मध्यमवर्ग, निम्नवर्ग आदि।

समुदाय- धर्म, जाति, लिङ्ग, कार्य इत्यादि संबंधित समूहों को समुदाय या बिरादरी भी कहते हैं।

वैश्वीकरण- विश्व के किसी भी भाग में होने वाले क्रियाकलाप का विश्व के लगभग सभी भागों में रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों पर पड़ने वाला प्रभाव है। **यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्** एवं **वसुधैव कुटुम्बकम्** जैसी वैश्वीकरण की संकल्पना वैदिक चिन्तन में निहित है।

एकीकरण- एक ऐसी विधा जिसके द्वारा समाज की सभी ईकाइयाँ एकता के सूत्र में गूँथी होती है।

राष्ट्र- एक निर्धारित भू-क्षेत्र में समान संस्कृति, इतिहास भाषा तथा वर्ग में रहने वाले लोगों का समुदाय 'राष्ट्र' है। ऐसे लोगों के द्वारा स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण की प्रबल इच्छा ,राष्ट्रवाद, है। **राष्ट्र धारयतां ध्रुवम्** द्वारा राष्ट्र की सुदीर्घ सरक्षता पर चिन्तन वेद में प्रस्तुत है।

सामाजिक मानचित्र- समाज में जन्म के आधार पर अवस्थीति-आयु, क्षेत्र, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा जातीय और जनसंख्यात्मक सीमाएं शामिल होती है।

जाति- जाति की सदस्यता जन्म आधारित है। विवाह समूह वाले सदस्य भी जाति में शामिल होते है। 1931ई. की जनगणना के समय हट्टन भारतीय जनगणना विभाग के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की धारा 17 के अनुसार भारत में छूआछूत के आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर रोकटोक करेगा तो उसे राज्य की ओर से दण्डित किया जाएगा। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि चारों वर्णों का निर्माण मैंने स्वयं उनके गुण कर्म के आधार किया है। अदृश्य हाथ से तात्पर्य उस बल से हैं, जो बाजारी अर्थव्यवस्था में मानव के लाभ की प्रवृत्ति को समाज लाभ में परिवर्तित कर देता है।

उदारीकरण- उदारीकरण से आशय अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में खुले बाजार की स्थापना और सरकारी हस्तक्षेप का निषेध होने से है।

उत्पादन विधि- उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के सम्बन्धों का विशिष्ट गठजोड़ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक संरचना को विकसित करता है।

खुला व्यापार- एक ऐसा बाजार है जो किसी प्रकार राष्ट्रीय या अन्य रोक-थाम से मुक्त हो।

प्रतिष्ठा के प्रतीक- विचार के प्रतिपादक मैक्स वेबर महोदय हैं। यह लोगों की सामाजिक स्थिति के अनुसार खरीदी जाने वाली वस्तुओं के बीच के सम्बन्ध को दर्शाता है। जैसे-मोबाइल फोन के ब्राण्ड, कारों, मोटर बाइक्स आदि के सामाजिक-आर्थिक अवस्था के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण है -
   - अ. प्राचीनता
   - ब. शान्ति एवं सह अस्तित्व
   - स. सहिष्णुता
   - द. उपर्युक्त सभी
2. भारतीय संस्कृति के आधार है -
   - अ. परिवार व्यवस्था
   - ब. आश्रम व्यवस्था
   - स. वेद
   - द. उपर्युक्त सभी
3. इनमें से समकालीन भारतीय समाज की विशेषता है -
   - अ. जीवन व्यवहार में परिवर्तन
   - ब. बदलता सामाजिक स्तरीकरण
   - स. भौतिकवादी जीवन
   - द. उपर्युक्त सभी
4. "चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः" कहा गया है -
   - अ. अष्टाध्यायी
   - ब. रामायण
   - स. कादम्बरी
   - द. श्रीमद्भागवतगीता

5. निम्न में से बाजार के आवश्यक तत्व हैं -

अ. क्रेता-विक्रेता　　ब. वस्तु-सेवा

स. प्रतियोगिता　　द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. मातृमूलक परिवार ..... में वर्तमान में भी है। (मालाबार/पञ्जाब)
2. बाजार को ..... भी कहा जाता है। (खस/हाट)
3. समाज की सबसे प्राचीन व प्राथमिक संस्था ..... है। (समाज/परिवार)
4. 1931ई. में भारतीय जनगणना विभाग के अध्यक्ष..... थे।(हट्टन/छुट्टन)

सत्य/असत्य बताइए -

1. सङ्गठन के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं। सत्य/असत्य
2. मानव एक सामाजिक जीव है। सत्य/असत्य
3. जनजातियों का 50% भाग मध्य भारत में निवास करता है। सत्य/असत्य
4. कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में दो आधारभूत वर्ग हैं। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए -

1.	एकल परिवार	क. पिता प्रधान हो
2.	संयुक्त परिवार	ख. माता प्रधान हो
3.	मातृ सत्तात्मक	ग. माता-पिता व अविवाहित बच्चे
4.	पितृ सत्तात्मक	घ. दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची, ताऊ-ताई एवं बच्चे

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. समुदाय से आप क्या समझते हैं ?
2. संस्कृति से क्या आशय है ?
3. समाज किसे कहते हैं ?
4. परिवार किसे कहते हैं ?
5. बाजार का अर्थ बताइए ।

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. औपनिवेशिक काल में सुचारू शासन के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
2. राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए।
3. उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं?
4. जनजातीय संस्कृति की विशेषताएँ बताइए।
5. परिवार के विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. भारतीय समाज का संक्षेप में परिचय दीजिए।
2. बाजार और अर्थव्यवस्था के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य बताइए?

परियोजना-

1. जनजातीय समाज का वर्गीकरण कीजिए।
2. परिशिष्ट को समझाइए।

अध्याय - 18

सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक विषमताएँ

इस अध्याय में- विविधता, सांस्कृतिक पहचान, समुदाय, राष्ट्र एवं राज्य का अर्थ, वेदों में राष्ट्र की संकल्पना, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता, भारत में क्षेत्रवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकार, साम्प्रदायिकता, पंथनिरपेक्षता, सत्तावादी राज्य और नागरिक समाज, जन सूचना अधिकार, सामाजिक विषमता और बहिष्कार, अस्पृश्यता, भेदभाव, आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदिवासी संघर्ष, महिलाओं की स्थिति, भारत में पुनर्जागरण एवं समाज सुधार, अन्यथा सक्षमता सम्बन्धी वर्तमान अवधारणा।

विविधता- विविधता, विविध लोगों या वस्तुओं के बीच जातीय एवं प्रजातीय विशिष्टताओं के आधार पर अन्तर को प्रकट करने वाला शब्द है। अङ्ग्रेजी में इसे Diversity कहते हैं। समुदायों की पहचान विविध सांस्कृतिक चिह्नों-भाषा, धर्म, जाति-प्रजाति, खान-पान, वेश-भूषा आदि के रूप में होती है। ये विविध सांस्कृतिक समुदाय जब किसी बड़ी सत्ता राष्ट्र या राज्य जैसी संस्था में एकीकृत होते हैं, तो सामुदायिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष कठिनाइयों का कारण हो सकती है। इसके मूल में लोगों की प्रबल सांस्कृतिक पहचाने हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधताओं और एकता के बीच अटूट रिश्ता प्राचीनकाल से ही रहा है, जो हमारी वैश्विक श्रेष्ठता और पहचान का कारण है। स्वतन्त्रता पश्चात् भारत इन विकास की विविध चुनौतियाँ का सफलतापूर्वक मुकाबला कर एक सबल राष्ट्र बनकर उभरा है।

सांस्कृतिक पहचान- लोग, विविध सांस्कृतिक पहचान वाले समुदाय के सदस्य आवश्यक रूप से होते हैं। ऐसे विविध लोग जब राष्ट्र-राज्य जैसी विशिष्ट संस्था के रूप में एक साथ निवास करने लगते हैं । इस तरह समाज सामाजिकरण की विस्तृत एवं लम्बी प्रक्रिया में व्यक्ति का अपने निकट के समुदायों अथवा समूहों परिवार,विविध रिश्तों के समूह एवं सम्बन्धित धार्मिक एवं पांथिक तथा भाषाई समुदायों में पालन-पोषण, संवाद एवं संघर्ष होता है। ये विविध समूह ही हमारा कुटुम्ब या समुदाय है, जो हमें सांस्कृतिक मूल्य प्रदान कर हमारी पहचान बनते हैं। यह पहचान जन्म और सम्बन्धों पर आधारित होती है, इन्हें प्रदत्त पहचानें कहा जाता है। प्रदत्त पहचानें, प्रबल और सर्वव्यापी होती है। सामान्यतः लोग अपनी पहचान-मातृभूमि, भाषा, परिवार जैसे सामुदायिक समूहों के प्रति समान रूप से निष्ठावान, प्रतिबद्ध होते हैं। आशा है कि मानवतावाद की विश्व में स्थापना होगी और **वसुधैव कुटुम्बकम्** का भाव सफलीभूत होगा।

समुदाय, राष्ट्र एवं राज्य का अर्थ- समुदाय को अङ्ग्रेजी में Community (कम्युनिटी) कहते हैं, जिसका अर्थ एक साथ मिलकर रहना एवं विकसित होना है। राष्ट्र, समुदायों से मिलकर बना हुआ एक बड़ा और विशिष्ट समुदाय होता है। राष्ट्र का विचार व्यक्ति की भावनात्मक एकता को दर्शाता है। परिमाणमतः लोग मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राज्य शब्द का अर्थ, एक ऐसी अमूर्त सत्ता से है, जहाँ राजनीतिक एवं विधिक संस्थाओं के समुच्चय समाहित होते हैं, साथ ही निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और उसमें रहने वाले लोगों पर अपना नियन्त्रण रखता है।

वेदों में राष्ट्र की संकल्पना- भारतीय प्राच्य ज्ञान परम्परा में मान्यता है कि जीवात्मा का निवास शरीर तथा परमात्मा का निवास समग्र ब्रह्माण्ड में है। इसी क्रम में देश स्थूल, दृश्य और सभ्यता का प्रतीक है। क्योंकि किसी भी देश को वहाँ के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों द्वारा महान बनाया जा सकता है। वैदिक ग्रन्थों में भारत राष्ट्र की संकल्पना के साथ सर्वकल्याण की महनीयता का प्रतिपादन हुआ है। अतीत में विश्व गुरु के पद पर आसीन भारत अपने आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के चलते सदैव महान रहा है। राष्ट्र की संकल्पना वेदों के अनेक मन्त्रों में निहित है, जिन्हें क्रमशः यहाँ दर्शाया जा रहा है- **ऋग्वेद-**

श्रेष्ठं यविष्ठ भारताऽग्ने द्युमन्तमा भर । वसो पुरुस्पृहं रयिम्॥ (2.7.1)

त्वं नो असि भारताऽग्ने वशाभिरुक्षाभिः। अष्टादीभिराहुतः॥ (2.7.5)

तस्मा अग्निर्भारतः शर्म यंसज्ज्योक् प्श्यात् सूर्यमृच्चरन्तम्।

य इन्द्राय सुनवामुत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम॥ (4.25.4)

भारतीळे सरस्वती या वः सर्वा उपब्रुवे। ताताश्रिये॥ (1.188.8)

भारती पवमानस्य सरस्वतीळा मही।

इमं नों यज्ञमा गमन् तिस्रो देवीः सुपंशसः॥ (9.5.8)

यजुर्वेद-

व्वृष्णऽऊर्म्मिरसिराष्ट्रदाराष्ट्रम्मेदेहिस्वाहा-व्वृष्णऽऊर्म्मिरसिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्म्मै-

देहिव्वृषसेनोसिराष्ट्रदाराष्ट्रम्मेदेहिस्वाहा-व्वृषसेनोसिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्म्मैदेहि। (10.2)

क्षत्रस्ययोनिरसिक्षत्रस्यनाभिरसि॥ मात्त्वाहि६ सीन्मामाहि६ सीꣳ ॥(20.1)

आब्रह्मन्ब्राह्मणोब्रह्मवर्च्चसीजायतामाराष्ट्रेराजन्यꣳशूरऽइषव्व्योतिव्व्याधीमहारथो-

जायतान्दोग्ग्ध्रीधेनुर्व्वोढानड्वानाशुः सप्तिꣳपुरन्धिर्य्योषाजिष्णूरथेष्ठाः सभेयोयुवास्ययजमानस्य-

व्वीरोजायतान्निकामेनिकामेन॰ पर्जन्योव्वर्षतुफलवत्त्योनऽओषधय॰ पच्च्यन्ताँय्योगक्षेमोन॰ कल्प्पताम्॥ (22.22)

सामवेद-

आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छाद्वि मातरम्। क उग्राः के ह शृण्विरे ॥२१६॥

शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते।

अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिद्देवेषु राजसि ॥४६॥

प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पु॰सः कृष्टीनामनुमाद्यस्य ।

इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्टु ॥७८॥

अर्थववेद-

अथर्ववेद के प्रथम काण्ड के अनुमान 6 का प्रथम सूत्र राष्ट्र को समर्पित है।

अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे।

तेनास्मान् ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय ॥

मयि क्षत्रं पर्णमणे मयि धारयताद् रयिम्।

अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः॥

आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन् पृथिवीमुस्रियाभिः।

अथास्मभ्यं वरुणो वायुरग्निर्बृहद् राष्ट्रं संवेश्यं दधातु ॥

येन देवं सवितारं परि देवा अधारयन् तेनेमं ब्रम्हाणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन॥ (19.3.4.1)

अतः राष्ट्र संकल्पना भारतीय द्रष्टि में कोई आयातित अवधारणा न होकर एवं भारतीयता से ओत-प्रोत सर्वकल्याण कारक है। यह उतनी ही प्राचीन है जितनी की सृष्टी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की अवधारणा भारत भूखण्ड में ही प्रादुर्भूत हुई है।

राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता- भारत, सांस्कृतिक विविधता वाला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यह विश्व का सशक्त लोकतन्त्र है। इतिहास साक्षी है कि भारत में सर्वोच्च संवैधानिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ में विविध सांस्कृतिक समूहों को मान्यता देकर, राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल प्रतिक्रिया दर्शायी है। भारत में सांस्कृतिक विविधता के अन्तर्गत खान-पान, वेश-भूषा, भाषा, धर्म, प्रजातीय आदि विविधताएँ दृष्टिगत होती है। विविधताओं के बाद भी संघ व्यवस्था को सङ्गठित बनाये रखा है। कार्य-निष्पादन की दृष्टि से अन्य लोकतन्त्रों की अपेक्षा भारतीय लोकतन्त्र विशेष प्रभावी एवं सफल रहा है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधताएँ मिल कर एक लोकतान्त्रिक राज्य-राष्ट्र का निर्माण करती हैं।

जहाँ धार्मिक, नृजाति, भाषा, लोक प्रचलित पहचानों के आधार पर नाना राज्य-राष्ट्र एकल राजकीय व्यवस्था के अधीन साथ रहते हैं।

इसे भी जानें-

- औपनिवेशक शासन काल में भारत तीन प्रेसीडेन्सी- मद्रास, बम्बई और कलकत्ता थीं।

भारत में क्षेत्रवाद- औपनिवेशक शासन काल में भारत तीन प्रेसीडेन्सियों में विभाजित था। ये प्रेसीडेन्सियाँ अङ्ग्रेजी शासन की राजनीतिक और प्रशासनिक ईकाइयाँ थीं। इनके अतिरिक्त स्वतन्त्र छोटे-बड़े 565 देशी रियासतें और रजवाड़े थे। अङ्ग्रेजों की अधीनता वाले ये राज्य बहुनृजातीय और बहुभाषी क्षेत्र थे। बम्बई प्रान्त में भाषाई क्षेत्र के रूप में मराठी, गुजराती, कन्नड एवं कोंकणी तथा मद्रास प्रान्त में तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम भाषाई क्षेत्र थे। भारत ने स्वतन्त्रता पश्चात भी संघ क्षेत्र के रूप में अङ्ग्रेजी व्यवस्था को बनाए रखा था। परन्तु गणतन्त्र भारत की घोषणा के अनन्तर इन इकाइयों में तीव्र क्षेत्रीय आन्दोलन हुए थे। परिणामतः नृजातीय और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक हो गया था। इस दृष्टि से 1956 ई. में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। परन्तु इसका आशय कदापि नहीं है कि सभी भाषाई समूहों को राज्यत्व प्राप्त हो गया था। क्योंकि 2000 ई. में गठित तीन राज्यों - उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड के निर्माण में जनजातीय पहचान, क्षेत्रीय वंचन और पारिस्थितिकी नृजातीय आधार बना था। वर्तमान भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारतीय संघीय ढाँचे में राज्य ईकाइयों एवं केन्द्र की शक्तियों को संविधान में केन्द्र, राज्य एवं समवर्ती सूची में उपबन्धित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ सावधिक आयोग, समितियाँ, पञ्चवर्षीय योजनाएँ, वित्त आयोग मिलकर केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को सुनिश्चित करते हैं।

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए किए गए उपबन्ध-

- अनुच्छेद 9 (1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि और संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होता है।
- अनुच्छेद 29 (2) राज्य द्वारा पोषित या राज्यनिधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को धर्म, गुण, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर वञ्चित नहीं किया जायेगा।
- अनुच्छेद 30 (1) धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद-30 (2) शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्य वर्ग के प्रबन्ध में है।

अल्पसंख्यकों के अधिकार- भारतीय राष्ट्रवाद प्रजातन्त्र की मुख्य और प्रभावशाली प्रवृत्ति का समावेशी स्वरूप है। जन के रूप में सभी को भेद रहित समानता, स्वतन्त्रता और न्याय को संवैधानिक अनिवार्यता के साथ सामाजिक समरसता और समता की स्थापना स्वतन्त्र भारत में की गई है। भारतीय संविधान में

सारणी 18.1

2011 की जनगणना में भारत में धार्मिक समुदायों का राज्यानुसार जनसंख्या का प्रतिशत में विवरण

धार्मिक समुदाय	जनसंख्या करोड़ में	जनसंख्या % में	राज्यानुसार वितरण
हिन्दू	96.63	79.8%	यह भारत में बहुसंख्यक समुदाय है सम्पूर्ण भारत में फैला है।
मुस्लिम	17.22	14.2%	पूरे भारत में फैला है। संख्यात्मक बहुलता- प. बङ्गाल, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा राजस्थान में है।
ईसाई	2.78	2.3%	जनसंख्या बहुल राज्य नागालैंड (90%), मिजोरम (87%), गोवा (27%), मेघालय (79%), केरल (19%) हैं।
सिक्ख	2.8	1.7%	जनसंख्या बहुल राज्य पञ्जाब (60%) है।
बौद्ध	0.84	0.7%	अरुणाचल (13%), सिक्किम (28%), महाराष्ट्र (6%)
जैन	0.45	0.4%	महाराष्ट्र (1.3%), राजस्थान (1.2%), गुजरात (1%)
अन्य	1.08	0.9%	
कुल	121.08	100%	

अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, 1957 ई.में केरल उच्च न्यायालय ने शिक्षा विधेयक पर निर्णय देते हुए राज्य में कुल आबादी के 50% से कम आबादी वाले समूहों को अल्पसंख्यक माना है।

साम्प्रदायिकता- साम्प्रदायिकता को अङ्ग्रेजी भाषा में Communal कहा जाता है । साम्प्रदायिकता से आशय ऐसी कट्टर अभिवृत्ति से है, जो अपने समूह को श्रेष्ठ तथा अन्य समूहों को निम्न और विरोधी मानता है। धार्मिक दृष्टि से कोई भी साम्प्रदायवादी आस्थावान या अनास्थावान हो सकते हैं । धार्मिक दृष्टि रखने वाले को साम्प्रदायिक कहना गलत है। साम्प्रदायिक झगड़े भारतीय इतिहास में लगभग सभी कालों में खोजे जा सकते हैं। कट्टर पंथी साम्प्रदायिकता एक ज्वलन्त मुद्दा है, क्योंकि यह विविध प्रकार के तनाव और हिंसा का स्त्रोत रहा है। साम्प्रदायिक दंगों के समय लोग अपने समुदायों के पहचानहीन

सदस्य बन जाते हैं। साम्प्रदायिकता और उससे उपजी हिंसा की सीमा में कमोवेश सभी समुदाय और क्षेत्र रहे हैं, परन्तु देश और समाज को आघात पहुँचाने वाले साम्प्रदायिक दंगे 1984 ई. के सिक्ख विरोधी दंगे और 2002 ई. में हुए गोधरा काण्ड के पश्चात भड़के हिन्दू-मुस्लिमों के दंगे हैं। लेकिन हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक बहुलता और विविधता की भी एक विस्तृत और लम्बी परम्परा में शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व एवं समन्वयवाद भी शामिल है, जिसे भारतीय साहित्य, भक्ति और सूफी आन्दोलनों में देखा जा सकता है। सम्पूर्ण वेद एवं संस्कृत वाङ्मय में शान्ति एवं भाईचारे का दिव्य संदेश हैं।

पंथनिरपेक्षता- पंथ निरपेक्षता को अङ्ग्रेजी भाषा के शब्द Secularism का हिन्दी अनुवाद माना जाता है, जिसका तात्पर्य इहलौकिकतावाद भी है। राजनीतिक और सामाजिक सिद्धान्तों की दृष्टि से पंथनिरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन 1976 ई. के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है परन्तु इसको स्पष्ट परिभाषित करना कठिन है। सिद्धान्त रूप में देखा जाए तो पंथनिरपेक्षता सामाजिक नैतिकता के मापदण्डों तथा व्यवहारों के निर्धारण में हस्तक्षेप के बिना ही जीवन तथा समाज कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। सेक्युलिरिज्म या पंथनिरपेक्षता वास्तव में पश्चिम देशों की चर्च और राज्य की पृथकता को दर्शाने वाला है।

सत्तावादी राज्य और नागरिक समाज- राज्य और नागरिक समाज का विशेषतः लोकतन्त्र में घनिष्ठ सम्बन्ध है। राज्य एक शक्तिशाली सम्प्रभु संस्था है। यह न्यूनाधिक लोगों का ऐसा समूह है, जो किसी निश्चित भू-भाग में सम्प्रभु और सुसङ्गठित सरकार जो बाह्य और आन्तरिक क्षेत्र में सर्वोच्च और स्वतन्त्र होती है। अतः राज्य राजनीतिक सङ्गठन की आधारभूत संस्था भी है। राज्य की संरचना में विधानमंडल, दफ्तरशाही, न्यायपालिका, सेनाएँ, पुलिस आदि अङ्ग समाहित हैं, जो जनता से पृथक हो जाते हैं। अतः राज्य के सत्तावादी बनने की सम्भावना रहती है। सत्तावादी राज्य की विविध संस्थाओं में कुशलता के अभाव, भ्रष्टाचार तथा संसाधनों की कमी के कारण जन आवश्यकताओं एवं आकाङ्क्षाओं को पूरा करने में असक्षम होती हैं। भारत में सत्तावादी शासन का अनुभव लोगों को 1975 से 1977 ई. तक लागू आपातकाल में हो चुका है। नागरिक समाज से अभिप्राय उन व्यापक सामाजिक कार्य क्षेत्रों से है, जो परिवार, राज्य तथा बाजार जैसी संस्थाओं से परे होती हैं। इसमें राजनीतिक दल, मजदूर संघ, निजी क्षेत्र के जनसञ्चार की संस्थाएँ, धार्मिक एवं अन्य सामाजिक एवं गैर सरकारी सङ्गठन शामिल हैं। इनका उद्देश्य लोक कल्याण करना है।

जन सूचना अधिकार- भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित व्यय निधियों की जानकारी विषयक माँग राजस्थान के एक गाँव के विकास के सन्दर्भ में प्रान्तीय सरकार से की गई। सरकार द्वारा उचित कदम न उठाये जाने के कारण जनता आन्दोलित हो उठी और शीघ्र ही यह सङ्गठित आन्दोलन बनकर राष्ट्रीय आन्दोलन बन गया। इसे जनसूचना अधिकार आन्दोलन कहा गया। परिणामतः भारतीय संसद द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम संख्या 22 /2005 में 15 जून, 2005 ई. को पारित कर लागू किया गया था।

जनसूचना अधिकार कानून 2005 के प्रावधान-

1. किसी भी यथा परिभाषित सूचना के लिए अनुरोध करने का अधिकार है।
2. दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ नागरिकों को लेने का अधिकार है।
3. दस्तावेजों, अभिलेखों के निरीक्षण] कार्यों तथा सामग्रियों के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार है।
4. सूचनाओं को प्रिन्ट आउट, डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियों कैसेट अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से नागरिकों के लेने का अधिकार है।

सामाजिक विषमता और बहिष्कार- समाज, सामाजिक संस्थाओं- यथा परिवार, वर्ण, जाति, आयु, धर्म, बाजार आदि का सङ्गठित एवं पूर्ण रूप है। समाज में सामाजिक संसाधनों का असमान वितरण प्रणाली ही सामान्यतः 'सामाजिक विषमता' कहलाती है। समाज में लोगों के बीच व्याप्त विषमता एक वास्तविकता है।इन्हें हम प्रायः समाज में विविध रूपों में देख सकते हैं। सामाजिक संसाधन पूँजी को तीन रूपों में विभाजित किया जा सकता है।

1. भौतिक सम्पत्ति और आय के रूप में आर्थिक पूँजी।
2. प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूँजी।
3. सामाजिक सम्बन्धों एवं सम्पर्कों के रूप में सामाजिक पूँजी।

पूँजी के इन तीनों रूपों को प्रायः एक-दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समाज में कुछ लोगों के पास ये संसाधन बड़ी मात्रा में होने के कारण, ये लोग सामाजिक पूँजी के बल पर आर्थिक पूँजी बना लेते है। सामाजिक विषमता, समाज के रूप में विविध मानव समूहों में व्यवस्थित एवं संरचनात्मक स्वरूप में व्याप्त है।

बहिष्कार या सामाजिक अपर्वजन से तात्पर्य समाज में व्याप्त वे कार्य व्यवहार जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्यधारा में घुलने-मिलने से रोका जाता है।अत: समाज का एक बड़ा समूह मूलभूत आवश्यकताओं- रोटी, कपड़ा और मकान तथा अवसरों के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य,

प्रशासन, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा से वंचित रह जाता है। भारत में ऐसा एक बड़ा समूह है।

अस्पृश्यता- अस्पृश्यता को हम बोलचाल के भाषा में छुआछूत कहते हैं। सार्वजनिक स्थलों यथा- कूपों, मन्दिरों, आम सभाओं, सरकारी रेस्ट हाउस, सरकारी आवासों, छात्रावासों आदि में कठोर रीति-रिवाजों एवं अमानवीय परम्पराओं के आधार पर अस्पृश्यता का पालन एवं दूरीकरण आदि को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी ने अस्पृश्य समुदायों के उत्थान और सशक्तीकरण के लिए देशव्यापी आन्दोलन चलाया था।

इसे भी जानें-

- मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 15 (3) में भेदभाव को समाप्त किया गया है।
- अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है।
- 1 जून, 1955 में अस्पृश्यता को सरकार द्वारा कानूनी अपराध घोषित किया गया था।

भेदभाव- भेदभाव से तात्पर्य अन्यायपूर्ण बर्ताव एवं व्यवहार से है। यह बाह्य सामाजिक व्यवहार और क्रियाओं की ओर संकेत करता है। भेदभाव ग्रसित समूह प्रायः अस्पृश्य, बहिष्कृत जातियाँ, जनजातियाँ और महिलाएँ हैं। भारत में औपनिवेशिक काल से ही शासन द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए समय-समय पर विविध कानूनी प्रावधान और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को विस्तार प्रदान किया गया है।

भारत में भेदभाव समाप्त करने के लिए किए कानूनी प्रावधान-

- **भारत सरकार अधिनियम-** 1935 में निम्न जातियों एवं जनजातियों को सूचीबद्ध करके वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी।
- **जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम-** 1850 के द्वारा जातीय भेदभाव को खत्म करते हुए दलितों को विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।
- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-** 1983 में अस्पृश्यता का उन्मूलन (मूल अधिकार अनु. 17) तथा आरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं।
- **अत्याचार निवारण अधिनियम-** 1989 द्वारा दलितों तथा आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु कड़े और सुदृढ कानूनी प्रावधान किए गए हैं।
- **93वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-** 2005 के अन्तर्गत 23 जनवरी, 2006 को कानून बनाकर, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया है।

आरक्षण- जातीय भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत शोषित एवं वंचित जनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और

सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं शैक्षिक स्तर को उठाने के लिए संसद, प्रान्तीय विधानमण्डलों, सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित सीटों का विधान निश्चित किया गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग- भारत में मुख्य जाति धारा में विविध शिल्पकलाओं में सम्पन्न लोगों का एक बड़ा समूह है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है। भारतीय संविधान में ऐसे समूहों की पहचान पिछड़ा वर्ग के रूप में की गई है। ये समूह जाति अधिक्रम में न तो उच्च जाति समूह और न ही अन्तिम सोपान के जाति समूहों में से हैं। इनकी पहचान इनके पारम्परिक व्यवसाय से होती है। स्वतन्त्र भारत की प्रथम सरकार द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। वी. पी. मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। 1990 ई. में केन्द्र सरकार ने जब मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने का निर्णय लिया, तब यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का अहम भाग बन गया था।

आदिवासी संघर्ष- अनुसूचित जनजातियों भारतीय संविधान में अशक्त, निर्धन, पीड़ित और सुविधा से वंचित वनवासी समुदाय के रूप में पहचान की गई है। ये वनवासी व घुमन्तू समुदाय और अधिकांशतः मुख्य समाज से दूर पहाड़ों एवं जङ्गलों में प्रकृति के ज्यादा सन्निकट रहने वाले हैं। उपनिवेशी शासन के प्रभाव के चलते राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का असर जनजातीय समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में पड़ा था। प्रशासनिक विशिष्टताओं के चलते अङ्ग्रेजों और इसाई धर्म प्रचारकों का आवागमन और प्रवास जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ा था। अङ्ग्रेज सरकार द्वारा भारत की सम्पन्न प्राकृतिक विरासत जङ्गलों, पहाड़ों एवं खनिजों के दोहन के लिए विविध कानून बनाकर, उनका विपुल मात्रा में दोहन किया था। इस कारण वनवासी जन अपने प्राकृतिक स्थानों को छोड़ने पर मजबूर होने लगे और ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक स्थलों एवं नगरों में खुले स्थानों पर प्रवास करने लगे थे। विस्थापन की समस्याओं से जूझ रहे, इन जनजातीय लोगों ने सङ्गठित होकर सरकार के विरूद्ध संघर्ष छेड़ दिया था। 19वीं सदी में अङ्ग्रेजी शासन के विरुद्ध जारी जनजातीय संघर्ष को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों से भी बल मिला था। 1990 के दशक में यह स्थिति और प्रबल हो गई और जनजातीय समुदायों की स्थिति दयनीय होती चली गई थी। यद्यपि सरकार द्वारा देर से ही सही जनजातिय क्षेत्रों की बहुलता के आधार छत्तीसगढ़, झारखण्ड जैसे राज्यों का गठन किया था। परन्तु जनजातीय असंतोष ने नक्सलवादी सशस्त्र विद्रोह का नवीनतम रूप धारण कर लिया था।

महिलाओं की स्थिति- भारत में स्त्रियों की अस्मिता, समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष, परिवार व्यवस्था में पितृसत्तात्मक परिवारों के प्रचलन के साथ ही प्रारम्भ हुआ था। सामान्यतः आम धारणा है कि स्त्री-पुरुषों के बीच असमानता का कारण स्त्रियों की जैविकी संरचना एवं प्राकृतिक कारणों से है।

परन्तु तथ्य बताते है कि असमानता का कारण प्राकृतिक नहीं अपितु सामाजिक ही है। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारत में समाज के अन्दर स्त्री-पुरुषों के अधिकारों में विषमता नहीं थी।वेदों में नारी का स्थान आदरणीय है। सामाजिक दृष्टि से उसे स्त्री को घर कहा गया है- **जायेदस्तम्** (ऋग्वेद3.53.4) विवाह पश्चात उसे पति गृह में पत्नि और गृहस्वामिनी का स्थान दिया गया है- **गृहान् गच्छ गृहपत्नि यथास: (ऋग्वेद** 10.85.25) निर्भीक युवतियाँ समाज नेतृत्त्व करती हैं- **अग्र एति युवतिरह्रयाणा (ऋग्वेद** 7.80.2) । ऋग्वेद में स्त्री को शरीर में सिर के तुल्य माना गया है- **अहं केतुरहं मूर्धाऽहमुग्रा विवाचनी** (10.159.2) अर्थात् मैं इन्द्राणी, ज्ञानी हूँ और सिर के तुल्य प्रमुख तथा उग्र निर्णायक हूँ। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की समान सहभागिता होती थी परन्तु धीरे-धीरे समाज में पुरुषों का वर्चस्व बढ़ने के साथ स्त्रियों का प्रभाव कम होता चला गया और उनका कार्यक्षेत्र संकुचित होकर सीमित हो गया था। मध्ययुगीन भारत में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र परिवार सेवा और सन्तानोत्पत्ति तक सीमित हो गया था।परन्तु आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। आज महिलाएँ पुरूषों से कन्धा से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही हैं।

सारणी 18.2 संविधान में महिलाओं के लिए किए प्रमुख प्रावधान	
अनुच्छेद-14	विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार
अनुच्छेद-15 (3)	स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध, संसद ने 1990 में "राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम" पारित किया था।
अनुच्छेद-19	महिलाओं को भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, निवास एवं व्यवसाय करने का अधिकार
अनुच्छेद-39(क) (द)	आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतुपर के जीविका को स्त्री ,ुयाप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध है।
अनुच्छेद-42	महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करता है।
अनुच्छेद-51 (अ)ई	हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझकर, ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।
73वां और 74वां संशोधन 1992	पञ्चायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण किया गया है।
अनुच्छेद-325	भारत में पुरुष और स्त्री को समान मतदान अधिकार दिए गए हैं।

प्राचीनकाल में अपाला, विश्ववारा, मैत्रेयी, मध्यकाल में मीराबाई, रानी दुर्गावती, चाँदबीबी और आधुनिक काल में रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेनम्मा, रानी अहिल्याबाई होलकर, सावित्री वाई फुले,रमावाई, दुर्गा भाभी,कालीवाई,इमरती देवी, महादेवी वर्मा,सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इन्दिरा गाँधी आदि

पथदर्शिकाओं ने सामाजिक बन्धनों को तोड़कर अपने अधिकार एवं सम्मान के साथ-साथ राष्ट्र रक्षा में अतुलनीय योगदान दिया है।

भारत में पुनर्जागरण एवं समाज सुधार- 19वीं सदी को भारत में आधुनिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इस काल में विविध धार्मिक और सामाजिक सुधार आन्दोलनों की परिधि में नारी अस्मिता एवं अधिकारों की रक्षा के रूप में उदित हुआ था। इन सुधार आन्दोलनों के नेतृत्वकर्ताओं में कुछ अङ्ग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे, जो नवलोकतान्त्रिक आदर्शों और भारत के अतीत की सामाजिक और लोकतान्त्रिक परम्पराओं से गौरवान्वित और प्रेरित थे। 1828 ई. में बङ्गाल में राममोहन राय ने ब्रह्मसमाज की स्थापना कर सतीप्रथा के विरुद्ध मानवतावादी एवं नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धान्त तथा हिन्दू धर्मशास्त्रों के आधार पर विवेचना प्रस्तुत कर सती प्रथा के आन्दोलन को विस्तार दिया था। महादेव गोविंद रानाडे ने 1860 के दशक में अपने ग्रन्थों-**टेक्स्ट्स ऑफ द हिन्दू लॉ ऑन द लाफुलनेस ऑफ द मैरेज ऑफ विडोज** तथा **वैदिक ऑथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज** द्वारा विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विशद् सामाजिक विवेचन किया है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना कर स्त्रियों और अस्पृश्यों के लिए संघर्ष प्रारम्भ किया था। 10 अप्रैल, 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना और वैदिक शिक्षा एवं नारी शिक्षा के लिए कार्य प्रारम्भ किया था। आधुनिक भारतीय साहित्य और समाज में भी नारी अधिकारों को लेकर नवचेतना जगी है।1980 के दशक और उसके बाद नारी अधिकारों, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कानूनों में सुधार प्रारम्भ हुआ। महिला आरक्षण, महिला स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में व्यापक कार्य और सुधार हुए हैं। आज भी भारत में लैंगिक विषमता, भ्रूण हत्याएँ, बलात्कार, पक्षपातपूर्ण बर्ताव आदि आंशिक ही सही देखने को मिलते हैं।

भारत में दिव्यांग जनों/अन्यथा सक्षम जनों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान

1. दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम- 1995।
2. ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अङ्घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999।
3. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक-2014।
4. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम- 2016।

अन्यथा सक्षमता सम्बन्धी वर्तमान अवधारणा- अन्यथा सक्षमता और गरीबी के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। समुचित स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में कुपोषण, माताओं में रोग-प्रतिरोधक क्षमताओं की कमी, विविध दुर्घटनाएँ अन्यथा सक्षमता को बढ़ावा देने वाले है। वैश्विक आँकड़े भी बताते हैं कि अन्यथा सक्षम लोगों की संख्या गरीब देशों में ज्यादा होती है। अन्यथा सक्षम (Differently abled) से तात्पर्य उन लोगों

के समूहों से हैं, जिनके शरीर के अङ्ग विशेष कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए अन्यथा सक्षम, अथवा दिव्यांग जन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लोग सदैव ही समाज के सभी जाति, लिङ्ग, समुदायों में रहे हैं। सामान्यतः दिव्यांगजनों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है- जन्म से दिव्यांग एवं दुर्घटनाओं से उपजे दिव्यांगजन। स्वतन्त्र भारत में 1990 के दशक में अन्यथा सक्षम जनों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कानूनी प्रावधान जैसे आरक्षण, सार्वजनिक स्थलों एवं परिवार सेवाओं में विशेष रियायत देने एवं व्यवस्थाएँ देने, विशिष्ट शिक्षालयों को सहायता देने कृत्रिम अंगों का निर्माण, ट्राईसाइकिल निर्माण आदि विभिन्न कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। परिणामतः विकलांग जनों में स्वयं एवं जन जागरूकता बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% है। अनुमान है कि यह संख्या कुल आबादी का 5% भी हो सकता है। भारत में सरकारों के निरन्तर प्रयासों से जन जागरूकता निश्चय ही बढ़ी है। परन्तु अभी भी ऐसे समूहों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम समाज में दिव्यांग जनों को विविध प्रकार के विशिष्ट नैसर्गिक गुण सम्पन्न जैसे संगीत, चित्रकारी अध्येता के रूप में देख सकते हैं। आज ऐसे ही प्रकृष्ट विद्वानों में पद्मविभूषण से सम्मानित प्रज्ञाचक्षु जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य, प्रसिद्ध संगीतकार रवीन्द्र जैन को कौन नहीं जानता है?

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. 2011 ई.की जनगणनानुसार कुल.....जनसंख्या में हिन्दू आबादी हैं।

   अ. 70% ब. 79.8%

   स. 90% द. 95.6%

2. प्रथम पिछडा वर्ग आयोग के अध्यक्ष..... थे।

   अ. डा. अम्बेडकर ब. डा. राजेन्द्र प्रसाद

   स. काका कालेलकर द. बी.पी. मण्डल

3. सांस्कृतिक विविधता में..... देखी जा सकती है।

   अ. धार्मिक विविधता ब. भाषागत विविधता

   स. प्रजातीय विविधता द. उपर्युक्त सभी

4. संविधान का अनुच्छेद 17 .....से सम्बन्धित है।

अ. धार्मिक विविधता ब. समानता

स. अस्पृश्यता द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. सूचना का अधिकार ..... में लागू हुआ था। (2005 ई./2009 ई.)
2. 1956 में ..... भाषाई आधार पर गठित हुआ। (आन्ध्रप्रदेश/अरुणाचल प्रदेश)
3. भारत में कुल ..... राज्य है। (28/29)
4. भारत में कुल जनसंख्या का लगभग ..... दिव्यांगजन है। (1.68%/2.68%)

सत्य/असत्य बताइए-

1. वर्ष 2000 ई. में भारत में 4 नए राज्य बने थे। सत्य/असत्य
2. भारत में 7 केन्द्र शासित प्रदेश है। सत्य/असत्य
3. सिक्ख दंगे 1984 ई.में हुए थे। सत्य/असत्य
4. समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का सङ्गठित रूप है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1.	हिन्दू	क. नागालैण्ड
2.	ईसाई	ख. पञ्जाब
3.	सिक्ख	ग. महाराष्ट्र
4.	जैन	घ. उत्तरप्रदेश

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. एक आदर्श राष्ट का विचार क्या है ?
2. अस्पृश्यता क्या है?
3. सम्प्रदायिकता से क्या आशय है ?
4. विषमता से क्या आशय है?
5. पिछड़ी जातियाँ किन्हें कहा जाता है?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सामुदायिक पहचान क्या है? यह क्यों महत्वपूर्ण है?
2. जनसूचना अधिकार अधिनियम को समझाइए?
3. ज्योतिबा फुले के सामाजिक सुधार आन्दोलन को समझाइए?
4. दिव्यांग से क्या आशय है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. साम्प्रदायिकता क्या है? इससे होने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
2. स्त्रियों की समानता और अधिकारों की विवेचना कीजिए।

परियोजना-

1. 2011 की जनगणना में भारत में धार्मिक समुदायों का राज्यानुसार जनसंख्या का प्रतिशत में विवरण की सूची बनाइए।

अध्याय - 19

भारतीय लोकतन्त्र में परिवर्तन एवं विकास

इस अध्याय में- भारतीय लोकतन्त्र, भारतीय लोकतन्त्र के केन्द्रीय मूल्य, संविधान सभा का वाद-विवाद, हित प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन, संवैधानिक मानदण्ड और सामाजिक न्याय, पञ्चायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपान्तरण की चुनौतियाँ, पञ्चायतों की शक्तियाँ और कार्य, जनजाति क्षेत्रों के पञ्चायती राज, लोकतन्त्रीकरण और असमानता, लोकतन्त्र में राजनीतिक दल और दबाव समूह, संरचनात्मक परिवर्तन, नगरीकरण व औद्योगीकरण, भारत में औद्योगीकरण, भारतीय उद्योगों में परिवर्तन, कार्य व्यवस्थाएँ, हड़ताल एवं मजदूर संघ, सांस्कृतिक परिवर्तन, 19वीं व 20वीं सदी के समाज सुधार आन्दोलन।

भारतीय लोकतन्त्र- लोकतन्त्र ऐसी व्यवस्था है, जिसमें जनता की मुख्य भूमिका होती है। लोकतन्त्र ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसमें जनता ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। लोकतन्त्र के दो प्रकार हैं- प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र के साथ ही लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को अपनाया गया है।

भारतीय लोकतन्त्र के केन्द्रीय मूल्य- औपनिवेशिक काल से ही भारत में सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को देखा जा सकता है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार-प्रसार से भारत में एक सामाजिक मध्यम वर्ग उभरा, जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन संचालन में सुभीता और निरन्तरता आई थी। आगे चल कर इसी वर्ग ने भारत में लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद जैसे विचारों के द्वारा औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी थी। भारतीय संविधान के प्रमुख केन्द्रीय मूल्य समाजवाद, स्वतन्त्रता, समानता, बंधुता आदि हैं। इन बातों का आशय यह नहीं है कि भारत में लोकतान्त्रिक मूल्य एवं संस्थाएँ पश्चिम की देन हैं। क्योंकि हमारे प्राचीन वाङ्मय में विविध कथानकों संवादों, परिचर्चाओं और अन्तर्विरोधों में लोकतान्त्रिक मूल्यों की पुष्टि हुई है। उदाहरण के लिए वर्तमान में प्राय: सभी लोकतान्त्रिक देशों में प्रश्नोत्तरी की परम्परा है। उसका एक स्वरूप महाभारत में भृगु और भारद्वाज संवाद, कठोपनिषद में यम- यमी संवाद आदि हैं।

संविधान सभा का वाद-विवाद- गाँधीजी ने 1939 ई. में अपने पत्र हरिजन में लिखा था कि संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सशक्त संविधान का निर्माण करे, जो महिलाओं-पुरुषों के

वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। तदुपरान्त सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, रोजगार के अधिकार, भूमि सुधार व सम्पत्ति के अधिकार व पञ्चायतों के आयोजन आदि अनेक मुद्दों पर संविधान सभा में अनेक बार बहस हुई थी।

हित प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन- भारत में विविधता के अनेक आधार हैं, जैसे- जाति,जनजाति, संस्कृति, ग्रामीण-नगरीय, धनी-निर्धन, साक्षर-निरक्षर आदि हैं। हमारा संविधान सभी को सम दृष्टि से देखता है। लोगों के हितों की रक्षा करता है। हितों में प्रतिस्पर्धा हमेशा किसी स्पष्ट वर्ग को प्रतिबिम्बित नहीं करती है। यदि किसी कारखाने को बंद करना पड़ता है,तो उसका कारण जनहित होता है। क्योंकि उस कारखाने के प्रदुषण से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए संविधान मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

संवैधानिक मानदण्ड और सामाजिक न्याय- सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार के दृष्टि में समान है। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के पास उत्तम जीने के न्यूनतम संसाधन होने चाहिए। भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है, जिसमें लैंगिक, जातिगत, नस्लीय व आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की मूलभूत अधिकारों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। अर्थात् ऐसे समाज की स्थापना जिसमें सामाजिक-आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हों, समाज **समावेशी** हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। यह लोक कल्याणकारी राष्ट्र का मूल उद्देश्य है।

पञ्चायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपान्तरण की चुनौतियाँ- भारत में पञ्चायती राज का प्रारम्भ राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर, 1959 ई. को हुआ था। भारत में पञ्चायती राज को 3 भागों में विभाजित किया गया है- ग्राम पञ्चायत (ग्राम स्तर), पञ्चायत समिति (खण्ड/ब्लॉक स्तर) व जिला परिषद (जिला स्तर)। पञ्चायती राज का मूल उद्देश्य जनता की शासन में भागीदारी प्रदान करना है। यह व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। 73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा पञ्चायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

इसे भी जानें-

- डॉ. बलवंत मेहता को पञ्चायती व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। भारत में पञ्चायतीराज राज्य सूची का विषय है।

पञ्चायतों की शक्तियाँ और कार्य- स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम, शिक्षा की व्यवस्था, भूमि सुधार व उनको लागू करना, खादी व ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक सम्पत्ति की देखभाल करना व रख-रखाव, समाज कल्याण (विकलांग व मंदबुद्धि

व्यक्ति भी) कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आदि पञ्चायत राज संस्थानों के कार्य व शक्तियों के अन्तर्गत आते हैं।

जनजाति क्षेत्रों के पञ्चायती राज - आदिवासी क्षेत्रों (मेघालय, मध्यप्रदेश, झारखण्ड आदि) में सैकड़ों वर्षों पुरानी उनकी अपनी राजनैतिक संस्थाएँ कार्य कर रही थीं, जिनके मुखिया इन्ही समुदायों में से हुआ करते थे। संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान से आदिवासी क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा बाहर है। आदिवासी राजनीतिक संस्थाओं में अब अनेक विकृतियाँ भी उत्पन्न हो चुकी है।

लोकतन्त्रीकरण और असमानता- हमारे देश में जाति, समुदाय, लिङ्ग आदि के आधार पर असमानता विद्यमान है। ये सभी लोकतन्त्र के विकास में बाधक हैं। लोकतन्त्र के शुद्धीकरण के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर एवं प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाएँ।

लोकतन्त्र में राजनीतिक दल और दबाव समूह - राजनीतिक दल, प्राय: लोगों के ऐसे समूह या सङ्गठन होते हैं, जिनकी एक समान विचारधारा, सिद्धान्त एवं लक्ष्य होते हैं। ये राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त होते हैं। सभी देशों में इनकी स्थिति व व्यवस्था अलग-अलग है। दबाव समूह सुविधा प्राप्त करने के लिए व अपने हितों की पूर्ति के लिए समूह, सङ्गठन बनाकर , राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बनाते हैं। राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह अपनी तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए अस्थायी रूप से सङ्गठित होते हैं।राजनीतिक दलों व दबाव समूहों की लोकतन्त्र में अहम भूमिका होती है, जो सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाती है। इसके अतिरिक्त सरकार का सङ्गठन, जन-जागरूकता, नीति-निर्माण, सञ्चार-वाहक, प्रतिनिधित्व आदि में इनका अहम योगदान है। इसी प्रकार दबाव समूह भी आम जनता व सरकार के मध्य एक कड़ी व सञ्चार के साधन के रूप में कार्य करते हैं।

इसे भी जानें-

- विश्व में एक दलीय व्यवस्था वाले प्रमुख देश चीन, रूस, कोरिया, क्यूबा आदि हैं।
- विश्व में द्विदलीय व्यवस्था वाले प्रमुख देश अमेरिका, इंग्लैंड आदि हैं।
- विश्व में बहुदलीय व्यवस्था वाले प्रमुख देश भारत, फ्रांस, नेपाल, पाकिस्तान आदि हैं।

संरचनात्मक परिवर्तन- भारत में उपनिवेशवाद के फलस्वरुप अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन आए हैं। किन्तु मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन औद्योगिकरण व नगरीकरण हैं। इस काल में अङ्ग्रेजों ने यहां के समस्त आर्थिक तन्त्र को अपने नियन्त्रण में ले लिया था। जङ्गलों को नष्ट करके चाय के बागानों आदि में परिवर्तित कर दिया था।

नगरीकरण व औद्योगीकरण- औद्योगिक समाज का आरम्भ औद्योगिक क्रान्ति से माना जाता है। उद्योगों की बहुत सी संकल्पनाओं से स्वयं को जोड़ने वाले कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाईल दुर्खीम

आदि विचारक हैं। नगरीकरण व औद्योगिकरण औपनिवेशिक युग की मुख्य देन है। नगरीकरण को औद्योगीकरण का ही हिस्सा माना जाता है। भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण का विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रारम्भिक दौर में अधिकांश लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा था। बम्बई, कोलकाता, मद्रास जैसे- आधुनिक तटीय नगर व्यापार के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। औद्योगीकरण के कारण ब्रिटेन में उत्पादन व नियन्त्रण में वृद्धि हुई थी, इसके विपरीत भारत में गिरावट आई थी। परम्परागत नगरीय केन्द्रों मूसलीपट्टनम आदि का अस्तित्व कमजोर होने लगा था। चाय के बागानों पर भी ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण था। बागान मालिक, मजदूरों से अधिक समय और कम मजदूरी में काम करवाते थे। असम चाय उत्पादन का प्रमुख केन्द्र था, जो आज भी है। मजदूरों को दूर-दराज के क्षेत्रों से यहाँ लाया जाता था। इन मजदूरों को यहाँ लम्बे समय तक कार्य करने के लिए अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। स्वतन्त्र भारत में लोग शहरों में रोजगार की तलाश में तेजी से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, यही नगरीकरण का सबसे मुख्य कारण है। केन्द्र व राज्य सरकारें नगरों के विकास के लिए प्रयासरत हैं।

भारत में औद्योगीकरण- स्वदेशी आन्दोलन ने जनमानस को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूक किया था। राष्ट्रवादियों के अनुसार तीव्र औद्योगीकरण द्वारा गरीबी को दूर कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता था। इसके फलस्वरूप भारत में औद्योगिकरण की शुरूआत हुई थी। इसी समय बोकारो, भिलाई, राउरकेला आदि औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई थी। विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सेवा उद्योग का होता है। जबकि भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि व उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है। विकसित देशों में औपचारिक रूप से कार्यरत लोग बहुसंख्यक है। भारत में 90 प्रतिशत से अधिक लोग असङ्गठित या अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात उद्योगों का तेजी से प्रसार हुआ था। अब बैंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर, कोटा, बड़ोदरा, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, राजकोट आदि औद्योगिक शहरों के रूप में अपनी विश्व स्तर पर पहचान बना चुके हैं।

इसे भी जानें-

- भारत में 50% से अधिक लोग स्व-रोजगार में हैं।
- 14% लोग नियमित वेतनभोगी रोजगार में हैं।
- लगभग 30% लोग भ्रमित मजदूर हैं।
- भारत में उद्योगों का विभाजन लघु, मध्यम व वृहद श्रेणी में किया गया है।

भारतीय उद्योगों में परिवर्तन- वर्तमान में भूमण्डलीकरण व उदारीकरण का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप तीव्र गति से बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जिससे आयात-निर्यात,विदेशी निवेश और अन्ताराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। भारत अब

सेवा, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, सॉफ्टवेयर आदि के क्षेत्रों में बड़ा हब बनकर उभरा है। उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त इसके नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं, जैसे- छोटे उद्योगों, कम्पनियों आदि का समाप्त होना, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। विदेशी कम्पनियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित करके शोषण कर रही हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र लगातार कम हो रहा है आदि । भारत में मुख्य रूप से लोग सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अच्छे वेतन के साथ अन्य भत्ते भी मिलते हैं जबकि निजी क्षेत्र में वेतन और भत्ते कम होते हैं व सम्बन्धित सङ्गठन और कम्पनी अपने अनुसार कर्मचारियों के लिए नियम निर्धारित करती है। रोजगार के अवसरों में दो तत्व शामिल हैं- किसी सङ्गठन के रोजगार तथा स्व-रोजगार। वर्तमान में कारखानों/उद्योगों में उत्पादन मशीनों से हो रहा है किन्तु इन मशीनों के खतरे भी हैं। महात्मा गाँधी और कार्ल मार्क्स ने मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा माना था।

कार्य व्यवस्थाएँ- हमारे यहां अधिकांशत: असङ्गठित क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण होता है। कुछ श्रमिक अपनी इच्छा से अतिरिक्त कार्य करते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। श्रमिकों के लिए समय-समय पर सरकारों द्वारा कई कानून बनाए जाते हैं। परन्तु ये केवल कागजी कार्यवाही ही बने रह जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य व्यवस्था नहीं है।

हड़ताल एवं मजदूर संघ- लोग अपनी माँगों की पूर्ति लिए हड़ताल, धरना प्रदर्शन आदि करते हैं। ये सब कार्य केवल कामगार ही नहीं अपितु सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी भी समय-समय पर अपनी विभिन्न माँगों को लेकर हड़तालें व धरना- प्रदर्शन करते हैं। मजदूर संघ विभिन्न उद्योगों और कारखानों में कार्यरत लोगों के सङ्गठन होते हैं, जो अपने हितों की रक्षा के लिए गठित किए जाते हैं।

संस्कृतिकरण- डॉ. एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक Social Change in Modern India में इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिन्दू जाति या जनजाति अपने रीति-रिवाज, विचारधारा, कर्मकाण्ड, जीवन-पद्धति आदि में उच्च या द्विज जाति का अनुकरण करना चाहती है। विचारधारा, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, नाटक, रीति-रिवाज, जीवन-पद्धति आदि पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यह प्रक्रिया अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती है।

पश्चिमीकरण- पश्चिमीकरण से आशय है यूरोप व अमेरिका की संस्कृति को अपनाना। इसे पाश्चात्यकरण भी कहा जाता है। आज हम अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति व सनातन परम्परा को भूलकर, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, मूल्यों, कला, साहित्य आदि का भी पश्चिमीकरण हो गया है।

आधुनिकीकरण- प्रारम्भ में आधुनिकीकरण का अर्थ प्रौद्योगिकी का उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था किन्तु आज यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिसमें नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतन्त्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है।

सांस्कृतिक परिवर्तन- संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। वर्तमान में संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ-साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आए हैं। सांस्कृतिक परिवर्तनों को संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, निरपेक्षीकरण तथा पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के रूप में देखा गया है। ये तीनों प्रक्रियाएँ औपनिवेशिक युग की देन हैं।

19वीं व 20वीं सदी के समाज सुधार आन्दोलन- भारत में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएँ प्रचलित हैं, जो देश की प्रगति में बाधक हैं। इनमें मुख्य रूप से सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत (अस्पृश्यता), पर्दा प्रथा, पशु बलि आदि हैं। इन सामाजिक कुरीतियों व अन्ध विश्वासों में सुधार के लिए समय-समय पर अनेक संस्थाओं, सामाजिक और धार्मिक सङ्गठनों द्वारा आन्दोलन चलाये गए हैं।

सारणी 19.1

प्रमुख समाज सुधार आन्दोलन	प्रणेता
यंग बङ्गाल आन्दोलन	हेनरी विवियन डेरिजियो
थियोसोफिकल सोसायटी	मैडम ब्लावट्स्की व हैनरी ऑलकाट
आर्य समाज	स्वामी दयानन्द सरस्वती
प्रार्थना समाज	आत्माराम पाण्डुरङ्ग व महादेव गोविन्द रानाडे
ब्रह्म समाज	राजा राममोहन राय
रामकृष्ण मिशन	स्वामी विवेकानन्द
कूका व नामधारी आन्दोलन	भगत जवाहर मल

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. आर्य समाज के संस्थापक थे -

अ. राजा राम मोहन राय ब. स्वामी विवेकानन्द

स. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर द. स्वामी दयानन्द

2. गाँधीजी की पत्रिका का नाम था -

अ. हरिजन ब. लोकतन्त्र स. सेवा सदन द. उपर्युक्त सभी

3. मशीनीकरण को रोजगार के लिए किसने खतरा बताया था -

अ. मैक्स वैबर ब. कार्ल मार्क्स

स. इमाईल दुर्खीम द. पं. नेहरू

4. भारत में कितने प्रतिशत से अधिक लोग स्व- रोजगार में हैं-

अ. 50% ब. 80% स. 25% द. 72%

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. विश्व को ..... माना गया है। (कुटुम्ब/नगर।
2. गाँधीजी जी ने ..... नाम से पत्रिका लिखी थी। (स्वजन/हरिजन)।
3. पञ्चायती राज का प्रारम्भ ..... जिले से हुआ था। (नागौर/जयपुर)।
4. 73वां संविधान संशोधन ..... हुआ था। (1992 ई./1991 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. बलवंत राय मेहता को पञ्चायती व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। सत्य/असत्य
2. चीन में एकदलीय व भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। सत्य/असत्य
3. बोकारो एक पर्यटन नगर है। सत्य/असत्य
4. आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती ने की थी। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. कूका आन्दोलन	क. आत्माराम पाण्डुरङ्ग
2. प्रार्थना समाज	ख. विवियन डेरिजियो
3. यंग बङ्गाल आन्दोलन	ग. राजा राममोहन राय
4. ब्रह्म समाज	घ. भगत जवाहर मल

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. प्रमुख आधुनिक औद्योगिक नगरों के नाम बताइये।
2. नगरीकरण से क्या आशय है ?
3. प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे ?
4. मजदूर संघ क्या होते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पश्चिमीकरण क्या है?
2. राजनीतिक दल किसे कहते है ?
3. संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में बताइए।
2. भारतीय लोकतन्त्र के केन्द्रीय मूल्यों को विस्तार से समझाइए।

अध्याय - 20

सामाजिक आन्दोलन और जन सञ्चार

इस अध्याय में- सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक आन्दोलनों के सिद्धान्त, सामाजिक आन्दोलन के लक्षण, सामाजिक आन्दोलनों के प्रकार, पुराने और नए सामाजिक आन्दोलनों में भिन्नता, कामगारों का आन्दोलन, जाति एवं जनजाति आधारित आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, महिला आन्दोलन, जनसम्पर्क साधन और जनसञ्चार, आधुनिक मास मीडिया, स्वतन्त्र भारत में जनसञ्चार माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, मुद्रण माध्यम (प्रिन्ट मीडिया), भूमण्डलीकरण और मीडिया।

सामाजिक आन्दोलन- जिस विश्व में हम रहते हैं, उसे आकार देने में सामाजिक आन्दोलनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक आन्दोलन, लोगों को जागरुक करने व उनके अधिकारों को दिलाने के माध्यम हैं। साप्ताहिक अवकाश, आठ घण्टे का कार्य दिवस, समान कार्य के लिए समान मजदूरी, मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, वयस्क मताधिकार पेंशन के अधिकार आदि सामाजिक आन्दोलनों के परिणामस्वरूप सम्भव हुआ है। विश्व के विभिन्न भागों से औपनिवेशिक शासन का अन्त इन्हीं आन्दोलनों का परिणाम है।

सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक लक्ष्यों को लेकर किये गये परिवर्तन के सामुहिक प्रयास हैं। इनका सम्बन्ध सामाजिक गतिशीलता से होता है। सामाजिक आन्दोलन न केवल समाजों को परिवर्तित करते हैं अपितु अन्य सामाजिक आन्दोलनों को प्रेरणा भी देते हैं। समाजशास्त्र विषय, विविध सामाजिक आन्दोलनों जैसे- चार्टरवादी, सुधारवादी, राष्ट्रवादी और समाजवादी आदि का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करता है।

सामाजिक आन्दोलनों के सिद्धान्त- सामाजिक आन्दोलनों के उदय के प्रमुख सिद्धान्तों में सापेक्षिक वञ्चन सिद्धान्त, विवेकी सिद्धान्त और संसाधन गतिशीलता का सिद्धान्त हैं।

1. **वञ्चन सिद्धान्त-** वञ्चन सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक संघर्ष का कारण एक वर्ग का दूसरे वर्ग की तुलना में स्वयं को कमजोर स्थिति में समझना है। ऐसे संघर्ष प्राय: सामूहिक विरोध में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सिद्धान्त सामाजिक आन्दोलनों के उभार में मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे क्षोभ और रोष की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानता है।

2. **विवेकी सिद्धान्त**- विवेकी सिद्धान्त का प्रवर्तक मनकर ओल्सन को माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'दि लॉजिक एण्ड क्लैक्टिव एक्शन' में कहा है कि, सामाजिक आन्दोलन में स्वहित की इच्छा वाले विवेकी और व्यक्तिगत अभिनेताओं का पूर्ण योग है। यह सिद्धान्त, अधिकतम उपयोगिताकारी व्यक्ति के अभिप्राय पर आधारित है।
3. **संसाधन गतिशीलता का सिद्धान्त**- संसाधन गतिशीलता का सिद्धान्त के प्रवर्तक मैकार्थी व जेल्ड हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक आन्दोलनों की सफलता संसाधनों अथवा विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की क्षमता पर निर्भर होती है।

सामाजिक आन्दोलन के लक्षण- सामाजिक आन्दोलन के प्रमुख लक्षण निम्न हैं-

i. किसी भी सामाजिक आन्दोलन में लम्बे समय तक निरन्तर सामूहिक गतिविधियाँ सञ्चालित होती हैं।
ii. ये गतिविधियाँ, राज्य की नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन की माँग करती हैं। इन सामूहिक गतिविधियों में सङ्गठन की भावना का होना आवश्यक है।
iii. किसी भी सामाजिक आन्दोलन में आन्दोलनकारियों के उद्देश्य तथा विचारधाराओं में समानता होनी चाहिए।
iv. प्राय: सामाजिक आन्दोलन संरक्षित हितों तथा मूल्यों के विरुद्ध होते हैं अत: इनका विरोध तथा प्रतिकार होना स्वाभाविक है। परन्तु कुछ समय के बाद परिवर्तन होते हैं।

प्रमुख गतिविधियाँ- सामूहिक रूप से विरोध करना, सभाएँ करना, प्रचार योजनाएँ बनाना आदि सामाजिक आन्दोलनों की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। विरोध प्रकट करने के लिये मोमबत्ती, मशाल जुलूस, काले कपड़े का प्रयोग, नुक्कड़ नाटक, गीत, कविताएँ, सत्याग्रह, धरना आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है।

2. **सामाजिक आन्दोलनों के प्रकार**- सामाजिक आन्दोलनों को मुख्यत: तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है- 1. प्रतिदानात्मक आन्दोलन 2. सुधारवादी आन्दोलन 3. क्रान्तिकारी आन्दोलन। **प्रतिदानात्मक आन्दोलन** का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीरे-धीरे प्रगतिशील और क्रमबद्ध रूप से परिवर्तन का प्रयास **सुधारवादी आन्दोलन** का लक्ष्य होता है। राजसत्ता पर अधिकार कर समाज में सामाजिक सम्बन्धों के आमूलचूल रुपान्तरण का प्रयास **क्रान्तिकारी आन्दोलन** का लक्ष्य होता है। जब हम सामाजिक आन्दोलनों को श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करते हैं तो पता चलता है कि बहुत से आन्दोलनों में इन तीनों श्रेणियों के तत्त्व पाये जाते हैं। सामाजिक आन्दोलनों के अर्थ

लोगों के लिये भिन्न-भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिये भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन औपनिवेशिक शासकों के लिये विद्रोह या अवज्ञा की कार्यवाही थी जबकि भारतियों के लिए स्वाधीनता का सङ्ग्राम और ब्रिटिश राज के वैधानिकता को चुनौती थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सामाजिक आन्दोलनों को पुराने व नए आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। बीसवीं सदी के अधिकांश सामाजिक आन्दोलन वर्ग आधारित जैसे- किसान, मजदूर या राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्ष पर आधारित थे। ये आन्दोलन राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे। इनका सम्बन्ध सामाजिक असमानता व संसाधनों के असमान वितरण को लेकर था। नए सामाजिक आन्दोलनों (1960-1970) के लोगों को एक वर्ग और एक राष्ट्र से सम्बन्ध रखने वालों के रूप में वर्गीकृत करना कठिन था। इन आन्दोलनों के सदस्यों ने अनुभव किया है कि उनकी साझी पहचान छात्रों, महिलाओं, पर्यावरणवादी, अश्वेत शक्ति के रूप में है।

पुराने और नए सामाजिक आन्दोलनों में भिन्नता- पुराने सामाजिक आन्दोलन राजनीतिक दलों की सीमा में कार्य करते थे। जबकी नए सामाजिक आन्दोलन समाज में जीवन की गुणवत्ता जैसे स्वच्छ पर्यावरण आदि को लेकर किये गये हैं। पुराने सामाजिक आन्दोलन केवल राष्ट्रीय स्तर के होते थे। जबकी नए सामाजिक आन्दोलन राष्ट्रीय और अन्तार्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर होते हैं।

स्वतन्त्रता के बाद भारत में अनेक महिला, कृषक, दलित, आदिवासी तथा अन्य प्रकार के सामाजिक आन्दोलन हुए हैं। इन आन्दोलनों में सामाजिक असमानता तथा संसाधनों के असामान्य वितरण की चिन्ताएँ भी आवश्यक तत्त्व रही हैं। सामाजिक आन्दोलनों की रचना में पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक चिंताएँ तथा अभिलाषाएँ आवश्यक तत्त्व हैं। वर्ग आधारित असमानता में इन आन्दोलनों की उत्पत्ति को ढूँढना कठिन है। अतः इन आन्दोलनों को नए सामाजिक आन्दोलन ही कहा जा सकता है।

(क) पारिस्थितिकीय आन्दोलन- पर्यावरण तथा उनमें रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए चलाये जाने वाले आन्दोलनों को **पारिस्थिकीय आन्दोलन** कहते हैं। वर्तमान में विश्व के सभी राष्ट्र विकास पर बल दे रहे हैं। सड़क, रेल मार्गों, बाँध, उद्योगों की स्थापना, विभिन्न प्रकार के आवासों व कार्यालयों आदि के निर्माण के कारण प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा निरन्तर घटने के साथ ही पारिस्थितिक असन्तुलन की स्थिति पैदा हो रही है। खेजड़ली आन्दोलन (1730 ई.), चिपको आन्दोलन (1973 ई.), नर्मदा बचाओ आन्दोलन (1985 ई.), आदि प्रमुख पारिस्थितिकीय आन्दोलन हैं। पर्यावरण की स्वच्छता की दृष्टि से भारत सरकार ने नमामि गङ्गे परियोजना (जून, 2014 ई.) तथा स्वच्छ भारत मिशन (2 अक्टूबर, 2014 ई.) प्रारम्भ किया है, जो पारिस्थितिकी में सन्तुलनकारी संरचना स्थापित करने का बड़ा प्रयास है।

(ख) **वर्ग आधारित आन्दोलन-**

किसान आन्दोलन- किसान जब विभिन्न कृषि सम्बन्धी मुद्दों को लेकर आन्दोलन करते हैं, तो इन्हें किसान आन्दोलन कहा जाता है। किसान औपनिवेशिक काल से पूर्व में प्रारम्भ हुआ था। 1858 ई. से 1914 ई. के मध्य ये आन्दोलन स्थानीयता, विभाजन और विशिष्ट शिकायतों की ओर प्रवृत्त हुए थे।1857 ई. में साहुकारों के विरोध में दक्षिण का आन्दोलन, नील की खेती के विरोध में (1859-62 ई.), पावना आन्दोलन (1870-1880 ई.) हुआ था। ऐसे मुद्दे आने वाले समय में भी थे और 1917-18 ई. में गाँधीजी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह (1928 ई.) आदि कृषक आन्दोलन, स्वतन्त्रता आन्दोलन से जुड गए थे। 1920 ई. से 1940 ई. के मध्य अनेक किसान सङ्गठन उठ खड़े हुए थे। पहला किसान सङ्गठन बिहार प्रोविन्सिएल किसान सभा (1929 ई.) तथा ऑल इण्डिया किसान सभा का उदय हुआ था। इस समय तिभागा आन्दोलन (1946-47 ई.) और तेलङ्गाना आन्दोलन (1946 ई.-51 ई.) प्रमुख किसान आन्दोलन हुए थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् हुए किसान आन्दोलन का मुख्य कारण मूल्य और सम्बन्धित मुद्दे थे। उदाहरण, नक्सलवादी आन्दोलन (1967 ई.), गुरिल्ला आन्दोलन (1968 ई.) हैं। हिंसा, सड़कों व रेलमार्गों को बंद करना, राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के लिए गाँव में प्रवेश की मनाही आदि विरोध के उग्र तरीके प्रयोग में लाये गये थे। केन्द्र सरकार द्वारा लाये गए, तीन कृषि बिलों के विरोध में वर्ष 2021 में भी किसानों ने आन्दोलन किया था।

कामगारों का आन्दोलन- कारखानों, उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों या श्रमिकों के आन्दोलन इस श्रेणी में आते हैं। श्रमिक संघ व कामगार संघ समय-समय पर अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन करते रहते हैं। औपनिवेशिक काल में कामगारों ने स्वतःस्फूर्ति से वेतन तथा कार्य की दशाओं में सुधार के लिए आन्दोलन किए थे। सितम्बर-अक्टूबर 1917 ई. में लगभग तीस से अधिक हड़तालें हुई थी। इस दौरान कलकत्ता के पटसन कामगारों ने, मद्रास की बकिंघम मिल, कर्नाटक की बिन्नी मिल तथा अहमदाबाद के कपड़ा मिल के कामगारों ने अपनी विभिन्न माँगों को लेकर काम रोक दिया था। 1918 ई. में गाँधीजी ने टेक्सटाइल्स लेबर एशोसिएशन तथा वी. पी. फाड़िया ने मजदूर संघ की स्थापना की थी। 1920 ई. में बम्बई में ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ए.आई.टी.यू.सी-एटक) की स्थापना हुई थी। यह सङ्गठन विभिन्न विचारधाराओं तथा बड़े आधारों वाला था। इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1920

इसे भी जानें-

- 1922 ई. में ब्रिटिश सरकार ने चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के द्वारा कार्यावधि 10 घण्टे की गई थी।
- 1926 ई. में मजदूर संघ अधिनियम में मजदूर संघों के पञ्जीकरण का प्रावधान किया गया था।

ई. के मध्य तक लगभग 200 संघ, एटक से सम्बद्ध हो गये थे। एटक की स्थापना से मजदूर के कार्य घण्टों का निर्धारण हुआ। स्वतन्त्रता के बाद एक अन्य मजदूर संघ-भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन (1947 ई.) की स्थापना हुई थी। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के मजदूर संघों का विघटन हुआ तथा 1960 के दशक में क्षेत्रीय दलों ने स्वयं के संघों की स्थापना की थी। 1974 ई. में रेल हड़ताल के साथ ही शासन तथा कामगार संघों के मध्य प्रतिरोध तीव्र हो गया था। 1975-77 ई. के मध्य सरकार ने इन संघों की गतिविधियों पर अङ्कुश लगा दिया था। वर्तमान में भूमण्डलीकरण के समकालीन संदर्भ में मजदूर संघों के सामने नई चुनौतियाँ आई हैं।

जाति एवं जनजाति आधारित आन्दोलन-

दलित आन्दोलन- दलितों के सामाजिक आन्दोलन का चरित्र शोषण के साथ-साथ मानवीय पहचान, आत्मविश्वास व आत्मनिर्णय पाने तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने का संघर्ष है। भारत में दलित आन्दोलनों के प्रणेता ज्योतिराव गोविन्दराव फुले माने जाते है। दलितों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किया। गाँधीजी ने दलितों को 'हरिजन' नाम से संबोधित किया। दलित आन्दोलनों (सतनामी आन्दोलन, पञ्जाब के धर्म आन्दोलन, महाराष्ट्र के महार आन्दोलन) में आत्मसम्मान तथा अस्पृश्यता के उन्मूलन लिए समानता की खोज रही है। समसामयिक काल में दलित आन्दोलन ने जनमण्डल में निर्विवाद रूप से स्थान प्राप्त कर लिया है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। दलित साहित्य पूर्णरूप से जाति संस्तरण के विरुद्ध है।

इसे भी जानें-

- सामान्यत: दलित शब्द का प्रयोग विविध भारतीय भाषाओं में गरीब तथा उत्पीड़ित लोगों के लिए किया जाता था।
- 1970 के दशक में अम्बेडकर के अनुयायियों ने नव बौद्ध आन्दोलनकारियों के सन्दर्भ में प्रथम बार दलित शब्द का प्रयोग किया गया।

पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आन्दोलन- भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों का राजनीतिक इकाइयों के रूप में उदय औपनिवेशिक तथा बाद के कालों में हुआ है। पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग भारत में 19वीं सदी के अन्त से किया जा रहा है। 1920 के दशक में देश के विभिन्न भागों में जातीय मुद्दों को लेकर अनेक सङ्गठन जैसे हिन्दू पिछड़ा वर्ग लीग, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग आदि उठ खड़े हुए थे। पिछड़े वर्गों के लिए वर्ष 1954 ई. से लगभग 88 सङ्गठन काम कर रहे है। पिछड़े वर्ग एवं जातियों के द्वारा भी समय-समय पर अपनी सामाजिक दशा

इसे भी जानें-

- पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग 1825 ई. से बम्बई प्रेसीडेन्सी, 1872 ई. से मद्रास प्रेसीडेन्सी तथा 1918 ई. से मैसूर राज्य में में किया जाता रहा है।

सुधारने, सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए आन्दोलन किये जाते हैं। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग की जातियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में काफी परिवर्तन आए है, जिससे इनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई है।

जनजातीय आन्दोलन- जनजातीय लोगों का जीवन, वन और उसकी उपज पर ही आश्रित है। जब भी इनके हित प्रभावित हुए, इन्होंने तीव्र आन्दोलनों द्वारा विरोध किया है। औपनिवेशिक युग में अङ्ग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आदिवासियों को उनकी जमीनों से उन्हें वञ्चित कर दिया था। इस कारण औपनिवेशिक सत्ता को समय-समय पर तीव्र जनजातीय आन्दोलनों का सामना करना पड़ा था। आजादी के बाद में विभिन्न सरकारों द्वारा जङ्गलों को विकास कार्य के नाम पर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था। अत: झारखण्ड, उत्तराण्ड और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में जनजातीय आन्दोलन उभरे थे। पूर्वोत्तर के जनजातीय आन्दोलन अपनी पृथक पहचान और पारम्परिक स्वायत्तता को लेकर हुए थे। जनजातीय लोगों का वन भूमि से विस्थापन, जनजातीय आन्दोलनों को जोड़ता है।

सारणी 20.1
औपनिवेशिक शासन में प्रमुख जनजातीय आन्दोलन

आन्दोलन	सन्
भील आन्दोलन	1818 ई.
मुण्डा आन्दोलन	1820-22 ई.
अहोम आन्दोलन	1828 ई.
बहावी आन्दोलन	1830 ई.
कोल आन्दोलन	1831 ई.
गडकरी आन्दोलन	1844 ई.
सन्थाल आन्दोलन	1855 ई.
नागा आन्दोलन	1931 ई.

महिला आन्दोलन- 19 वीं सदी के समाज-सुधार आन्दोलनों द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित अनेक मुद्दे उठाए गये थे। 20 वीं सदी में महिलाओं के सङ्गठनों में वृद्धि देखी गई। अधिकांश महिला आन्दोलन का प्रारम्भ सीमित कार्यक्षेत्र हुआ, परन्तु समय के साथ इनका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता गया। भारत में 1970 के दशक के मध्य में स्वायत्त महिला आन्दोलन का उदय हुआ। कुछ लोग इसे भारतीय महिला आन्दोलन का दूसरा दौर कहते हैं। अस्सी का दशक भारत में महिला आन्दोलनों का दशक माना जाता है। भू-स्वामित्व व रोजगार के मुद्दों की लड़ाई, यौन उत्पीड़न तथा दहेज के विरुद्ध अधिकारों की माँग आदि महिला आन्दोलनों के मुख्य मुद्दे रहे हैं। महिला

इसे भी जानें-

- अखिल भारतीय महिला कान्फ्रेन्स की स्थापना 1926 ई. में की गई थी।
- भारतीय महिला एसोसिएशन की स्थापना 1971 ई. में की गई थी।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी, 1992 ई. में की गई थी।

आन्दोलनों के मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है। लैङ्गिक दृष्टि से समतावादी समाज की स्थापना के लिए महिलाओं की बहुउद्देशीय भूमिका बढ़ाने तथा लैङ्गिक अनुपात में सन्तुलन बनाने के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत सरकार की 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' योजना, इस दिशा में बड़ा कदम है।

जनसम्पर्क साधन और जनसञ्चार- जनसम्पर्क का अर्थ 'जनता से सम्पर्क रखना' है। यह एक सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की छवि, महत्व और विश्वास को समाज में स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। जनसम्पर्क के साधनों (मास मीडिया) में पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, विज्ञापन, वीडियो खेल, सी.डी., मोबाईल आदि शामिल हैं। ये सभी साधन बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचते हैं, अत: इन्हें 'मास मीडिया' की संज्ञा दी गई है। मास मीडिया, आज हमारे दैनिक जीवन का एक अङ्ग बन गया है। इसका प्रमुख कारण अन्य सामाजिक संस्थाओं की भाँति मास मीडिया की संरचना और विषय-वस्तु का स्वरूप निर्धारण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों में आए परिवर्तनों से हुआ है। समाज और मास मीडिया एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। मास मीडिया की प्रकृति और भूमिका पर समाज का प्रभाव होता है। संरचना और कार्य की दृष्टि से मास मीडिया में राज्य और बाजार की भूमिका प्रमुख होती है।

आधुनिक मास मीडिया- आधुनिक मास मीडिया का प्रारम्भ प्रिन्टिंग प्रेस (छापाखाना) के आविष्कार से माना जाता है। प्रारम्भ में जनसञ्चार केवल कुलीन तक ही सीमित था। 19वीं सदी के मध्य तक प्रौद्योगिकी, परिवहन और साक्षरता का विकास के साथ अब समाचार-पत्र आम लोगों तक पहुंचने लगे। समाचार-पत्रों ने सर्वप्रथम देश के सभी लोगों को आपस में जोड़ने की दिशा में सार्थक बना। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में समाचार पत्र-पत्रिकाओं का अहम योगदान रहा है। संवाद कौमुदी, केसरी, मातृभूमि, अमृतबाजार

सारणी 20.2

औपनिवेशिक भारत में प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएँ

समाचार पत्र/पत्रिका का नाम	सम्पादक	वर्ष
संवाद कौमुदी	राजा राममोहन राय	1821 ई.
बाम्बे समाचार	फर्दूनजी मुर्जबान	1822 ई.
सोम प्रकाश	ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	1858 ई.
दि टाएम्स ऑफ इण्डिया	जयदीप बोस	1861 ई.
दि पायनियर	चन्दन मित्रा	1865 ई.
केशरी	लोकमान्य तिलक	1881 ई.
हरिजन	महात्मा गाँधी	1933 ई.

इसे भी जानें-

- मास मीडिया के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग सर्वप्रथम 1440 ई. में जोहान गुटेन्बर्ग द्वारा निर्मित प्रिन्टिंग मशीन से यूरोप में धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए किया गया था।
- भारत में प्रेस सेंसरशिप वेलेजली ने 1799 ई. में लागू किया था। 1878 ई. में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम बना था।
- 1908 ई. का प्रेस अधिनियम सभी प्रकार के प्रकाशन पर गहन सेंसरशिप लागू करने वाला कानून था।
- स्वतन्त्र भारत में 28 जून 1975 ई. को प्रेस सेंसरशिप लाग किया गया था।

पत्रिका आदि राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने औपनिवेशिक सरकार का विरोध किया व राष्ट्रवादी भावना का प्रसार लोगों में किया था। परिणामस्वरूप औपनिवेशिक सरकार ने प्रेस सेंसरशिप व्यवस्था लागू कर दी। ब्रिटिश शासन काल में मास मीडिया का विस्तार समाचारपत्रों और पत्रिकाओं तथा फिल्मों और रेडियो तक सीमित था। इस समय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रसार बहुत सीमित था क्योंकि बहुत कम लोग साक्षर थे। फिर भी उनका प्रभाव उनकी वितरण संख्या की तुलना में बहुत अधिक था।

स्वतन्त्र भारत में जनसञ्चार माध्यम- आरम्भ में सामाजिक कुरीतियों और अंध-विश्वासों आदि के विषय में जनमानस को जागरूक करने का माध्यम मीडिया करती थी। सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिये इन्हें सिनेमाघर में फिल्मों के प्रारम्भ होने से पहले दर्शकों को दिखाया जाता था। वर्तमान में देश के विभिन्न विकास कार्यों के बारे में आम लोगों को सूचित करने का साधन मीडिया ही है।

रेडियो- भारत में रेडियो प्रसारण का आरम्भ 1920 के दशक से कोलकाता व चैन्नई में 'हैम' ब्रॉडकास्टिंग क्लबों के माध्यम से प्रारम्भ हुई थी। 1940 के दशक में रेडियो प्रसारण को एक सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के रूप में प्रारम्भ किया गया था। स्वतन्त्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, जो केवल शहरी श्रोताओं तक ही सीमित थे। 1950 ई. तक भारत में कुल मिलाकर 5,46,200 रेडियो लाइसेंस थे।1960 के दशक में ट्रान्जिस्टर आने से रेडियो अधिक सुलभ हो गया था। 2000 ई. में लगभग 11 करोड़ परिवारों में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में रेडियो प्रसारण को सुना जाता था। 2002 ई. में गैर-सरकारी चैनल एफ. एम. रेडियो की स्थापना से रेडियो पर मनोरंजन के कार्यक्रमों में वृद्धि हुई है। ये चैनल श्रोताओं के लिए विशेष प्रकार के लोकप्रिय संगीत में अपनी विशेषता रखते हैं। अधिकांश एफ.एम. चैनल, युवा शहरी व्यावसायिकों तथा छात्रों में लोकप्रिय हैं।

टेलीविजन- भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य 1959 में टेलीविजन के कार्यक्रमों को प्रयोग के रूप में प्रारम्भ किया गया था। अगस्त, 1975 ई. से जुलाई, 1976 ई. के मध्य सेटेलाइट की सहायता से शिक्षा के नव प्रयोग आरम्भ हुए थे। इसके अन्तर्गत टेलीविजन ने छह राज्यों के ग्रामीण

क्षेत्रों में सामुदायिक दर्शकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन चार घण्टे का शैक्षिक प्रसारण प्रारम्भ किया था। 1975 ई. तक दूरदर्शन ने चार नगरों (दिल्ली, मुम्बई, श्रीनगर और अमृतसर) में टेलीविजन केन्द्र स्थापित कर दिए थे। 1976 ई. तक कोलकाता, चेन्नई और जालन्धर में तीन और केन्द्र खोल दिए गए थे। 1982 ई. के एशियाई खेलों से टेलीविजन का रंगीन प्रसारण प्रारम्भ होने के कारण इसका तेजी से वाणिज्यीकरण होने लगा था। रामायण (1987-88 ई.) व महाभारत (1988-90 ई.) महाकाव्यों का प्रसारण होने से टेलीविजन लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि होने के साथ ही भारी मात्रा में राजस्व अर्जित किया था।1991 ई. में भारत में केवल एक मात्र टीवी चैनल 'दूरदर्शन' था। 2000 ई. में दूरदर्शन 20 से अधिक चैनलों पर अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था उस समय गैर-सरकारी टेलीविजन नेटवर्कों की संख्या 40 के आस-पास थी। गैर-सरकारी उपग्रह टेलीविजन में हुई वृद्धि समकालीन भारत में हुए निर्णयात्मक विकास को दर्शाता है। मार्च 2016 तक भारत में लगभग छः करोड़ टेलीविजन सेट थे।

इसे भी जानें-

- भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा 2000 ई. में प्रारम्भ हुई थी।
- 2002 ई. में लगभग 13.4 करोड़ लोग प्रति सप्ताह उपग्रह टी.वी. देखा करते थे। 2005 ई. में यह संख्या बढ़कर 19 करोड़ हो गई है।
- 2002 ई. में उपग्रह टी.वी. की सुविधा वाले घरों की संख्या 4 करोड़ थी जो बढ़कर 2005 में 6.10 करोड़ हो गई।
- टी.वी. रखने वाले सभी घरों में से 56 प्रतिशत घरों में अब उपग्रह ग्राहकी (सेटेलाइट सब्सक्रिप्शन) पहुँच चुकी है।

मुद्रण माध्यम (प्रिन्ट मीडिया)- आजादी के पश्चात भी प्रिन्ट मीडिया का राष्ट्रनिर्माण में अहम् योगदान रहा है। यह एक ऐसा माध्यम है जो लोगों की आवाज को बुलन्द करता है। प्रिन्ट मिडिया की लोकतन्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। माना जाता था कि मोबाइल फोन, इण्टरनेट, टेलीविजन के आने से समाचार-पत्र आदि का महत्व घट जाएगा किंतु ऐसा नहीं हुआ अपितु इनका और अधिक प्रसार हुआ है। वर्तमान में जनसञ्चार माध्यमों में सोशल मीडिया का प्रमुख स्थान है। सोशल मीडिया से आशय पारस्परिक सम्बन्धों के लिए अन्तर्जाल द्वारा निर्मित समूहों से है। यह व्यक्ति को समाज, राज्य, देश या विदेश से शीघ्रता से जोड़ता है। यह मोबाईल फोन और बेब पर आधारित होता है।

भूमण्डलीकरण और मीडिया- सदैव से ही मीडिया के अनेक अन्तार्राष्ट्रीय आयाम जैसे कि नए समाचार एकत्र करना और प्राथमिक रूप से पाश्चात्य फिल्मों को दूसरे देशों में बेचना आदि रहे हैं। किन्तु अधिकांश मीडिया कम्पनियाँ 1970 के दशक तक, राष्ट्रीय सरकारों के विनियमों का पालन करते हुए, विशिष्ट घरेलू बाजारों में ही कार्य कर रही थीं। इस कालखण्ड तक मीडिया उद्योग भी कई अलग-अलग क्षेत्रों जैसे- सिनेमा, प्रिन्ट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में विभाजित था। पिछले तीन दशकों में मीडिया

उद्योग में अनेक रूपान्तरण हुए हैं। राष्ट्रीय बाजारों का स्थान अब भूमण्डलीकृत बाजार ने ले लिया है। नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास ने मीडिया के विभिन्न रूपों को अब आपस में मिला दिया है।

प्रश्नावली

बहु विक्ल्पीय प्रश्न-

1. खेजड़ली आन्दोलन.....में हुआ था।

अ. 1730 ई. ब. 1852 ई.

स. 1931 ई. द. 1973 ई.

2. स्वच्छ भारत मिशन.....को प्रारम्भ किया गया है।

अ. 15 जून, 2012 ई. ब. 2 अक्टूबर, 2014 ई.

स. 4 जुलाई, 2015 ई. द. 2 अप्रैल, 2019 ई.

3. प्रिन्टिंग मशीन के आविष्कारक..... हैं।

अ. मारकेली ब. आर्किमिडीज

स. जोहान गुटेन्बर्ग द. इनमें से कोई नहीं

4.भारत में एफ. एम. रेडियो की स्थापना.....हुई थी।

अ. 1999 ई. ब. 1998 ई.

स. 1980 ई. द. 2002 ई.

5. भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा (डी.टी.एच)..... में प्रारम्भ हुई थी।

अ. 1991 ई. ब. 2000 ई.

स. 1998 ई. द. 2005 ई.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. डॉ. भीम राव अम्बेडकर के अनुयायियों ने नव बौद्ध आन्दोलनकारियों के लिए 1970 के दशक में.....शब्द का प्रयोग किया था। (दलित/हरिजन)
2. पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाये गये आन्दोलन ..... आन्दोलन है। (सामाजिक/पारिस्थितिकीय)
3. अखिल भारतीय महिला कान्फ्रेन्स की स्थापना..... में की गई थी। (1926 ई./1929 ई.)
4. वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम..... में बना था। (1878 ई./1881 ई.)

सत्य/असत्य बताइए -

1. भारत में दलित आन्दोलनों के प्रणेता ज्योतिराव गोविन्दराव फुले हैं। सत्य/असत्य
2. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी, 1992 ई. में की गई थी। सत्य/असत्य
3. समाचार पत्र टेलीविजन, चलचित्र सभी मास मीडिया में आते है। सत्य/असत्य
4. भारत में रेडियो प्रसारण का आरम्भ 1920 के दशक हुआ था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

समाचार पत्र/पत्रिका	सम्पादक
1. सोम प्रकाश	क. चन्दन मित्रा
2. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया	ख. लोकमान्य तिलक
3. दि पायनियर	ग. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर
4. केशरी	घ. जयदीप बोस

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सामाजिक आन्दोलन किसे कहते है?
2. भारत में मजदूर संघ के संस्थापक कौन थे?
3. चौथा कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था?
4. टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण कब से प्रारम्भ हुआ था?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पारिस्थितिकीय आन्दोलन से आप क्या समझते हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
2. पिछड़ा वर्ग आन्दोलन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
3. महिला आन्दोलनों के विकास को समझाइए।
4. भारत में टेलीविजन के इतिहास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. सामाजिक आन्दोलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए, उसके प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
2. आधुनिक मास मीडिया के विकास यात्रा को समझाइए।

परिशिष्ट

परियोजना कार्य के लिए सुझाव

अनुसन्धान या शोध कार्य एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसके लिए शोधार्थी को अधिक समय और प्रयासों की आवश्यकता होती है। परियोजना कार्य की दृष्टि से यह अध्याय आपके लिए सुझाव मात्र है।

किसी भी शोधकार्य के लिए विषय के अनुकूल शोध पद्धति की आवश्यकता होती है। अधिकांश शोधकार्यों के लिए शोधकर्ता सम्भावित शोध पद्धतियों के चयन के लिए स्वतन्त्र होता है परन्तु ये प्रायः सीमित होती हैं। शोध विषय के लिए शोध पद्धतियों के चयन में शोध प्रश्नों और पद्धतियों के मध्य सङ्गतता जैसी तकनीकी कसौटियों के साथ व्यवहारिकता जैसे- शोध के लिए उपलब्ध समय, संसाधन एवं परिस्थितियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

शाब्दिक दृष्टि से परियोजना कार्य को अङ्ग्रेजी में Project Work (प्रोजेक्ट वर्क) कहते हैं, जिसका अभिप्राय परियोजना कार्यों की कार्य प्रणाली है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शोध परियोजना कार्य विस्तृत और व्यापक होता है। अतः इस कार्य के लिए शोधार्थी, सामाजिक समस्याओं को जानने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र में जाकर वैज्ञानिक पद्धति से तथ्यों को संकलित कर क्रमबद्ध रुप से निरीक्षण, वर्गीकरण और परीक्षण करके निष्कर्ष निकालता है। यह समाजशास्त्रीय दृष्टि से सामाजिक अध्ययन की प्रमुख प्रविधि, वैज्ञानिक प्रविधि है।

शोध पद्धतियों की बहुलता- अनुसंधान या शोध विषयक अनेक पद्धतियाँ या प्रविधियाँ होती हैं। सामाजिक विविधता को देखते हुए किसी एक पद्धति के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः ऐसे शोध कार्यों से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट शोध प्रविधियाँ इस प्रकार है-

1. **सर्वेक्षण प्रविधि-** इस पद्धति के अन्तर्गत किसी सामाजिक जीवन या समूह विशेष से सम्बन्धित घटनाओं का अध्ययन कर वैज्ञानिक रीति से निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्षतः बड़ी संख्या में लोगों से विशेष प्रश्न, जो विषय और सन्दर्भ पर आधारित होते हैं, पूछे जाते हैं और उनके उत्तरों को लिख लिया जाता है। इस प्रविधि द्वारा विविध मुद्दों पर लोगों की राय जानने में सहायता मिलती है। शोध अध्ययन कार्यों में यह प्राथमिक स्त्रोत के रूप में अत्यन्त उपयोगी और वास्तविक या वास्तविकता के करीब होती है।
2. **प्रेक्षण प्रविधि-** इस प्रविधि के अन्तर्गत शोधार्थी को अपने शोधकार्य के सन्दर्भ में घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हुए अभिलेख तैयार करने होते हैं। उदाहरणार्थ आपका शोध प्रश्न विभिन्न

वर्गों के लोग, कुछ विशिष्ट सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग कैसे करते हैं ? ऐसे सन्दर्भों में यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे वर्ग समूह के लोग भी होते हैं जो ऐसे स्थानों पर न गये हो अथवा उन्हें ना देखा गया हो।

3. **साक्षात्कार प्रविधि-** साक्षात्कार प्रविधि के अन्तर्गत शोधार्थी कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिलकर अपने शोधकार्य से सम्बन्धित प्रश्नों पर उनकी राय जानने के लिए व्यापक चर्चा करता है। सर्वेक्षण की अपेक्षा इसमें कम लोगों को शामिल किया जाता है। सम्बन्धित विषयों में स्पष्ट उत्तर जानने के लिए प्रश्नों को संशोधित कर उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।

एक से अधिक पद्धतियों का मिश्रण- एक ही शोध-प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने के लिए पद्धतियों को मिश्रित भी किया जा सकता है। प्रायः मिश्रित पद्धति को अपनाने के लिए सिफारिश की जाती है। उदाहरणार्थ सामाजिक जीवन में जनसञ्चार के साधनों के बदलते स्वरूप के विषय में यदि शोध किया जा रहा है तो सर्वेक्षण और ऐतिहासिक पद्धति को एक साथ अपनाया जा सकता है। सर्वेक्षण पद्धति वर्तमान स्थिति को तथा ऐतिहासिक पद्धति पूर्व के जनसञ्चार कार्यक्रमों और उनके स्वरूप को बताती है।

छोटी शोध परियोजनाओं के लिए सम्भावित विषय- यहाँ कुछ सम्भावित शोध विषय सुझाव रूप में दिये जा रहे हैं। ऐसे विषयों को आप अपने अध्यापकों से विचार-विमर्श करके परियोजना के लिए चुन सकते हैं। शोधार्थी को परियोजना कार्य के लिए विषयों पर आधारित प्रश्नों के चुनाव की जरूरत होती है। चुने हुए प्रश्न विशेष के लिए उपयुक्त प्रणाली का चयन या उपयोगिता और आवश्यकतानुसार विविध प्रणालियों को मिश्रित भी किया जा सकता है।

1. **वैदिकों की जीवनी -** सार्वजनिक जीवन में वैदिकों की या किसी एक वैदिक की क्या भूमिका है? वेद परम्परा की जरूरत किन लोगों को और क्यों है ? वेद आश्रित चिन्तन पर लोग कितने निर्भर हैं ? वेद के प्रसार एवं प्रचार से जुड़े लोगों और समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? वेद की कौन-कौन सी शाखाएँ कहाँ थीं और आज उनका सामाजिक महत्त्व क्या है ?
2. **उत्सव आदि की भूमिका-** भारत के नाना प्रदेशों में उत्सव आदि की क्या भूमिका है? उत्सवों को मनाने की आवश्यकता लोगों को क्यों होती है? विविध उत्सवों से जुड़े मुद्दे और समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? समय के साथ बदलते उत्सवों में क्या परिवर्तन आया है? आदि प्रश्नों के उत्तर शोध परियोजनाओं में तलाशे जा सकते हैं।

3. **सामाजिक जीवन में सञ्चार माध्यमों की भूमिका-** सञ्चार माध्यमों में सूचना प्रदान करने वाले, जनसञ्चार के साधनों में समाचार पत्र, टेलीविजन, फिल्में आदि शामिल हैं, जो लोगों द्वारा पढ़े और देखे जाते हैं। ऐसे सञ्चार साधनों में मोबाईल, पत्र, टेलीफोन, पेजर आदि सम्पर्क के साधनों को भी शामिल किया जा सकता है। सामाजिक जीवन में सञ्चार माध्यमों में तेजी से हुए परिवर्तनों के सन्दर्भ में अन्वेषण किया जा सकता है। विशेष सामाजिक समूहों में जनसञ्चार साधनों के विषय में पसन्द और नापसन्द विषयक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नए सञ्चार साधनों और उनके प्रभाव के बारे में लोगों के दृष्टिकोण क्या है? लोगों के जीवन में नए सञ्चार साधनों का महत्व क्या है? कुछ विशेष प्रकरणों- विद्यालयों और विद्यालयी शिक्षा, पर्यावरण, धार्मिक संघर्ष, स्थानीय समाचार बनाम राष्ट्रीय समाचार आदि की कैसी विवेचना की जा रही है? आदि के द्वार सञ्चार साधनों के महत्व को समझा जा सकता है।
4. **परिवारों में प्रयोग होने वाले विविध उपकरण और घरेलू कार्य-** आज घरों में विविध प्रकार के मशीनी उपकरणों का प्रयोग भोजन, परिसाधन एवं अन्य कार्यों में किया जा रहा है, जैसे- गैस सिलेण्डर, मिट्टी तेल, स्टोव, ग्राइन्डर मिक्सर आदि और अन्य उपकरणों में इस्तरी, वॉशिंग मशीन आदि का समय के साथ प्रयोग से घरेलू कामकाज में कैसा परिवर्तन हुआ है? क्या इन उपकरणों के प्रयोग से विशेषतः घर-परिवारों में श्रम विभाजन का स्वरूप बदल गया है? क्या इन उपकरणों से वास्तव में काम करना आसान हुआ है? विकल्प रूप में इस बात पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है कि परिवारों में घरेलू कार्यों का विभाजन कैसे किया जाता है और कौन करता है?
5. **एक वस्तु की जीवनी-** शोध परियोजना कार्य की दृष्टि से किसी वस्तु की जीवनी विषय भी महत्त्वपूर्ण हैं। सभी के घरों में अनेक प्रकार की उपभोग सामग्री जैसे- साइकिल, टेलीविजन, फर्नीचर आदि के बारे में सोचें या विचार करें कि उस वस्तु का जीवन इतिहास क्या रहा होगा और स्वयं को वह वस्तु मानकर आत्मकथा लिखें। यदि यह सामग्रियाँ बोल सकती तो वह उन लोगों के विषय में क्या कहती जिनके सम्पर्क में वे रही हैं?

इस प्रकार परियोजना कार्य छात्रों के ज्ञानवर्धन एवं बौद्धिक उन्नति में विविध प्रकार से सहायक होने के साथ-साथ सामाजिक व्यवहारों को समझने में सहायक होते हैं।

वेद विभूषण परीक्षा /Vedavibhushan Exam

वेद विभूषण द्वितीय वर्ष /उत्तरमध्यमा- II/कक्षा बारहवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय- सामाजिक विज्ञान

सेट –A

- **सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।**
- **सभी प्रश्न के उत्तर पेपर में यथास्थान पर ही लिखें।**
- **इस प्रश्न पत्र में कुल 42 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक दिये गये हैं।**
- **उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 40% अंक निर्धारित हैं।**

- It is mandatory to attempt all questions compulsorily.
- Write down the answers at the appropriate places provided
- This question paper contains 42 questions Marks for each question is shown on the side.
- The minimum passing marks is 40 %.

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहु विकल्पीय प्रश्न- 1×10 =10

1. निम्न में से मानव विकास सूचकांक के अनुसार अति उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश.....है।

अ. भारत ब. सूडान स. कम्बोडिया द. स्वीडन

2. विश्व का सबसे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश..... है।

अ. भारत ब. जापान स. अमेरिका द. चीन

3. मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन अर्थशास्त्री.....द्वारा किया गया था।

अ. प्रो. अमर्त्य सेन ब. डॉ. महबूब-उल-हक स. सेम्पुल द. मैक्स वेबर

4. भारत में मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन का सूत्रपात.....किया गया था।

अ. आलवार और नयनार सन्तों ब. सन्त रामानन्द

स. सन्त रामानुज द. निम्बार्काचार्य

5. भारतीय संविधान में कुल.....अनुसूचियाँ हैं।

अ. 11 ब. 12 स. 14 द. 25

6. प्रथम आधुनिक प्रकार कीजनगणना.....प्रारम्भ की गई थी।

अ. ब्राजील ब. स्पेन स. अमेरिका द. भारत

7. अद्यतन आँकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष-स्त्री अनुपात.....है।

अ. 1000:1020 ब. 1000:992 स. 1000:978 द. 1000:887

8. निम्न में से भारतीय विदेश नीति का आधारभूत सिद्धान्त.....है।

अ. प्राचीनता ब. शान्ति एवं सह अस्तित्व

स. सहिष्णुता द. उपर्युक्त सभी

9. भारत में श्वेत क्रान्ति.....प्रारम्भ हुई थी।

अ. 1955 ई. ब. 1970 ई. स. 1967 ई. द. 1975 ई.

10. प्राचीनकाल से ही भारतीय समाज का प्रमुख आधार.....है।

अ. आश्रम व्यवस्था ब. राजव्यवस्था स. व्यवसाय द. परिवार व्यवस्था

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए- $2 \times 5 = 10$

11. विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में..... स्थान है। (दूसरा/सातवां)

12. दीन-ए-इलाही धर्म ..... द्वारा चलाया गया था। (हुमायूँ/अकबर)

13. अमेरिका व रूस के मध्य ..... हुआ था। (शीतयुद्ध/ग्रीष्म युद्ध)

14. भारत के एकीकरण में ..... की मुख्य भूमिका थी। (सरदार पटेल/राजेन्द्र प्रसाद)

15. मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा .....दिया गया था। (1986 ई./1972 ई.)

सत्य/असत्य बताइए- $2 \times 5 = 10$

16. प्रवास का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना। (सत्य/असत्य)

17. वायु परिवहन विश्व का सबसे प्राचीन साधन है। (सत्य/असत्य)

18. मेरठ से क्रान्ति की शुरुआत 10 मई, 1857 को हुई । (सत्य/असत्य)

19. संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य देश है । (सत्य/असत्य)

20. वर्तमान भारत में कुल 7 केन्द्र शासित प्रदेश है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए- 2× 5 =10

21. उत्तर रेलवे	(क) मुम्बई
22. पूर्वोत्तर रेलवे	(ख) चेन्नई
23. पूर्व रेलवे	(ग) कोलकाता
24. दक्षिण रेलवे	(घ) गोरखपुर
25. मध्य रेलवे	(ड) दिल्ली

अति लघु उत्तरीय प्रश्न- 2× 10 = 20

26. जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है ?
27. परिवहन से आप क्या आशय है ?
28. हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज किस पुरातत्वविद् ने की थी ?
29. वैदिक शिक्षा प्रणाली में स्नातक किसे कहा जाता था ?
30. बर्नियर ने भारत यात्रा कब की थी ?
31. भारत दो प्राचीन महाकाव्यों के नाम लिखिये।
32. संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंगों ने नाम लिखिये।
33. भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ?
34. भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था ?
35. भारतीय किसान यूनियन का गठन कब हुआ था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न- 4 × 5 = 20

36. जल प्रदूषण रोकने के उपाय लिखिए ।
37. योग के महत्व का उल्लेख कीजिए।
38. शीतयुद्ध का प्रमुख कारण बताइए।
39. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन के प्रमुख उद्देश्य बताइए।
40. जनसूचना अधिकार अधिनियम पर टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न - 10× 2 = 20

41. विश्व जनसंख्या की प्रकृति और प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो।
42. महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए।

वेद विभूषण परीक्षा /Vedavibhushan Exam

वेद विभूषण द्वितीय वर्ष /उत्तरमध्यमा- II/कक्षा बारहवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय- सामाजिक विज्ञान

सेट – B

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहु विकल्पीय प्रश्न- 1×10 =10

1. भारत में जनगणना प्रति.....में होती है।

अ. 5 वर्ष ब. 10 वर्ष स. 15 वर्ष द. 20 वर्ष

2. व्यापार से आशय.....से है।

अ. क्रय ब. विक्रय स. क्रय-विक्रय दोनों द. इनमें से कोई नहीं

3. ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है -

अ. धनुर्वेद ब. सामवेद स. आयुर्वेद द. उपर्युक्त सभी

4. ह्वेनसांग.....के शासनकाल में भारत आया था।

अ. सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ब. सम्राट हर्षवर्धन

स. सम्राट राज्यवर्धन द. सम्राट विक्रमादित्य

5. फतेहपुर सीकरी.....के शासन काल में राजधानी बनाई गई थी।

अ. हुमायूँ ब. जहाँगीर स. अकबर द. बहादुर शाह जफर

6. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन का मुख्यालय.....में स्थित है।

अ. जेनेवा ब. रोम स. पेरिस द. मैंड्रिड

7. भारत की अर्थव्यवस्था..... अर्थव्यवस्था है।

अ. समाजवादी ब. पूँजीवादी स. मिश्रित द. उदार

8. स्वतन्त्र भारत में पहली जनगणना.....में की गई थी।

अ. 1862 ई. ब. 1872 ई. स. 1882 ई. द. 1952 ई.

9. आर्य समाज के संस्थापक.....थे।

अ. राजा राममोहन राय ब. स्वामी विवेकानन्द

स. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर द. स्वामी दयानन्द सरस्वती

10. भारत में टेलीवीजन का प्रारम्भ.....हुआ माना जाता है।

अ. 1772 ई. ब. 1987 ई. स. 1959 ई. द. इनमें से कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए- 2 × 5 =10

11. मानव आदिम अवस्था से ही.....पर आश्रित रहा है। (नगरों/प्रकृति)

12. गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ..... था। (सिद्धार्थ/सिद्धान्त)

13. 1857 के विद्रोह की शुरुआत ..... से हुई था। (मेरठ/कानपुर)

14. 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ..... हुआ था। (रियो डी जेनेरिया/वेलिङ्गटन)

15. भारत में कुल ..... राज्य है । (28/29)

सत्य/असत्य बताइए- 2× 5 =10

16. सरस्वती-सिन्धु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सत्य/असत्य

17. मीराबाई का जन्म मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ था। सत्य/असत्य

18. भारत विभाजन की घोषणा लार्ड माउन्टबेटेन ने की थी। सत्य/असत्य

19. कुल जनजातियों का 50% भाग मध्य भारत में निवास करता है। सत्य/असत्य

20. पिछड़ा आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान- 2× 5 =10

21. मनुष्य का तीसरा नेत्र	(क) ऋषि भारद्वाज
22. वैमानिकी विद्या	(ख) तक्षशिला
23. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष	(ग) नालन्दा
24. प्राचीन विश्वविद्यालय	(घ) पुरुषार्थ चतुष्टय
25. ऋषियों की तपोभूमि	(ड.) ज्ञान

अति लघु उत्तरीय प्रश्न- 2× 10 = 20

26. मानव भूगोल से क्या आशय है ?

27. परिवहन से क्या आशय है ?

28. पाणिनि ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी ?

29. आदि शंकराचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था ?

30. कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ?

31. सोवियत संघ को अब किस नाम से जाना जाता है ?

32. 'जय जवान-जय किसान का नारा' किसने दिया ?

33. समाज किसे कहते हैं ?

34. सम्प्रदायिकता से क्या आशय है ?

35. सामाजिक आन्दोलन किसे कहते है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न- $4 \times 5 = 20$

36. प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष व प्रतिकर्ष कारक कौन-कौन से हैं ?

37. विवाह के प्रकार का उल्लेख कीजिए।

38. महात्मा गाँधी की दाण्डी यात्रा पर टिप्पणी लिखिए।

39. चिपको आन्दोलन के बारे में बताइए।

40. राजा राममोहन राय के समाज सुधार के कार्यों का उल्लेख कीजिए ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न- $10 \times 2 = 20$

41. विश्व व्यापार सङ्गठन की संरचना और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

42. जनसंख्या विस्फोट से क्या हानियां हैं ? कारण सहित विवेचना कीजिए ।

वेद विभूषण परीक्षा /Vedavibhushan Exam

वेद विभूषण द्वितीय वर्ष /उत्तरमध्यमा- II/कक्षा बारहवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय- सामाजिक विज्ञान

सेट – C

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहु विकल्पीय प्रश्न- $1 \times 10 = 10$

1. कार्यशील जनसंख्या में.....आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है।
   अ. 15 से 58 वर्ष ब. 15 से 59 वर्ष स. 15 से 60 वर्ष द. 15 से 62 वर्ष
2. भारत का सिलिकान सिटी.....को कहा जाता है।
   अ. जयपुर ब. अहमदाबाद स. बैंगलुरू द. मुम्बई
3. महावीर स्वामी के बचपन का नाम.....था।
   अ. सिद्धार्थ ब. वर्धमान स. देवव्रत द. राहुल
4. मौर्यवंश का अन्तिम शासक.....था।
   अ. वृहद्रथ ब. शालिशुक स. देववर्मा द. सम्प्रति
5. वैदिक काल में दक्षिण भारत में..... शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था।
   अ. काञ्ची ब. मङ्गलोर स. विजयनगर द. तिरुपति
6. शंकराचार्य जी ने शिक्षा-दीक्षा.....से ग्रहण की थी।
   अ. स्वामी जगन्नाथ ब. याज्ञवल्क्य
   स. गोविन्द भगवत्पाद द. इनमें से कोई नहीं
7. जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड की घटना.....घटित हुई थी।
   अ. 13 अप्रैल 1919 ई. ब. 13 अप्रैल 1918 ई.
   स. 13 अप्रैल 1920 ई. द. 13 अप्रैल 1921 ई.
8. भारतीय लोकतन्त्र के आरम्भ में.....राजनीतिक दल का वर्चस्व था।
   अ. भारतीय जनसंघ ब. कांग्रेस
   स. साम्यवादी दल द. स्वतन्त्र दल
9. शिरोमणि अकाली दल.....राज्य से सम्बन्धित है।
   अ. हरियाणा ब. पञ्जाब स. हिमाचल प्रदेश द. राजस्थान
10. निम्न में से भारत में साम्प्रदायिकता का कारण.....है।
    अ. राजनीतिक स्वार्थ ब. स्वधर्म की श्रेष्ठता
    स. कट्टरता द. ये सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए- $2 \times 5 = 10$

11. कृषि के साथ पशुपालन ..... कहलाता है । (निर्वाह कृषि/मिश्रित कृषि)

12. अष्टांग योग के प्रणेता ..... थे । (पतंजलि/ चरक)

13. उपनिषदों की संख्या ..... हैं । (105/108)

14. भारत ने..... में परमाणु परीक्षण किए थे । (ट्राम्बे/पोखरण)

15. भारत में 1951 ई. से 2011 ई. तक.....बार जनगणना हो चुकी है। (7/9)

सत्य/असत्य बताइए- $2 \times 5 = 10$

16. तेज ध्वनि से जल प्रदूषण होता है। **सत्य/असत्य**

17. चैन्नई में अन्तार्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सत्य/असत्य

18. नील आन्दोलन (चम्पारण) 1918 में हुआ। सत्य/असत्य

19. बढती जनसंख्या गरीबी का कारण है। सत्य/असत्य

20. मानव एक सामाजिक प्राणी है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए- $2 \times 5 = 10$

निम्न सूची में धार्मिक बहुलता के आधार पर जोड़ी मिलान कीजिए-

धार्मिक समुदाय	**राज्य**
21. हिन्दू	(क) नागालैण्ड
22. ईसाई	(ख) पञ्जाब
23. बौद्ध	(ग) महाराष्ट्र
24. सिक्ख	(घ) अरुणाचल प्रदेश
25. जैन	(ड़) उत्तरप्रदेश

अति लघु उत्तरीय प्रश्न- $2 \times 10 = 20$

26. लिङ्गानुपात से क्या आशय है ?

27. पुरातत्वविद् से क्या अभिप्राय है ?

28. अलबरूनी की कृति का क्या नाम हैं ?

29. आइन-ए-अकबरी के लेखक कौन थे ?

30. किन्हीं पाँच उपनिषदों के नाम लिखिये।

31. शीतयुद्ध से आप क्या समझते हैं ?

32. संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है ?

33. सामाजिक अपवर्जन से क्या आशय है?

34. किन्ही तीन भारतीय समाज सुधारकों के नाम लिखिए ?

35. भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ ?

लघु उत्तरीय प्रश्न- $4 \times 5 = 20$

36. रोपण कृषि से आप क्या समझते है ?

37. गुरुनानक देव के उपदेशों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए ।

38. गरीबी विश्व सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरा है ?

39. नीति आयोग के चार कार्यों का उल्लेख कीजिए ।

40. सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न- $10 \times 2 = 20$

41. वैदिककालीन शिक्षा में गुरु-शिष्य के मध्य सम्बन्धों का उल्लेख कीजिए।

42. शीतयुद्ध के समय भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए ।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

द्वारा सञ्चालित एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - ४५६००६ (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in